भारत

को

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1980-81

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

		अनुभाग	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		i
अध्याय I	सरकारी कम्पनियां		
	विषय प्रवेश	I	1
	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	II	11
	प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	III	26
	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	IV	48
	अन्य सरकारी कम्पनियां	V	57
अध्याय II	सांविधिक निगम		
	विषय प्रवेश	VI	61
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद		
	विषय प्रवेश	VII	70
	रोकड़ व्यवस्था	VIII	75
	इलाहाबाद विद्युत् आपूर्ति उपक्रम	IX	83
	ओबरा तापीय परियोजना के सिविल निर्माण-कार्य	X	91
	राजस्व की हानि	XI	106
	अन्य रोचक विषय	XII	115
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	XIII	120

परिशिष्ट

परिशिष्ट क	सरकारी कम्पनियों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	142
परिशिष्ट ख	सांविधिक निगमों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	154

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभागीयरूप से प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखाओं के लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा है । विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक और अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है ।

3. सरकारी कम्पनियों के मामले में, लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के के परामर्श से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की जाती है, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक पूरक या नमूना लेखा परीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी दें या पूरक प्रतिवेदन दें । कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को यह शक्ति भी दी गई है कि लेखापरीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दें । ऐसे निर्देश लेखा परीक्षकों को समय समय पर दिये जाते रहे हैं ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, जो कि सांविधिक निकाय हैं, के सम्बन्ध में नियन्त्रक –महालेखापरीक्षक ही एक मात्र लेखापरीक्षक है, जबकि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें (सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार) सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा लेखापरीक्षा से स्वतन्त्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है ।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1980–81 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में आये थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था; जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, 1980–81 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिये गये हैं ।

6. प्रतिवेदन में वे बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं । इन का अभिप्राय न तो सम्बन्धित उपक्रमो के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का समान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाये ।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

1.01. विषय प्रवेश

गत वर्ष के अंत में 87 सरकारी कम्पनियों (36 सहायक कम्पनियों सहित) के प्रति 31 मार्च 1981 को, 91* सरकारी कम्पनियां (38 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। इस वर्ष के दौरान निम्न वर्णित कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित की गई :

कम्पनी का नाम	निगमित होने की तारीख	अधिकृत पूंजी (लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	25 अगस्त 1980	100.00

भदोई बुलेन्स लिमिटेड, जो इससे पहले कम्पनी अधिनियम की धारा 619–ख के अन्तर्गत आती थी, मार्च 1981 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी हो गई।

निम्नलिखित कम्पनियां परिसमापनाधीन थीं :

कम्पनी का नाम	निगमित होने की तारीख	परिसमापन में जाने की तारीख
इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	4 मार्च 1975	9 अगस्त 1977
गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977
रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	6 मई 1977
टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	11 जुलाई 1939	प्रथम अप्रैल 1978

1.02. लेखाओं का संकलन

37 कम्पनियों (15 सहायक कम्पनियों सहित) ने वर्ष 1980–81 के अपने लेखे तैयार किए। इसके अतिरिक्त, 23 कम्पनियों (सात सहायक कम्पनियों सहित) ने पूर्ववर्ती वर्षों के अपने लेखे

---

*इसमें प्रथम मार्च 1977 को निगमित अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड और 30 मार्च 1977 को निगमित मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड जो 31 मार्च 1980 को कम्पनियों की सूची में सम्मिलित नहीं थीं, शामिल हैं।

तैयार किए। 60 कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (नवीनतम उपलब्ध लेखाओं पर आधारित) दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है। निम्नलिखित 49 कम्पनियों (22 सहायक कम्पनियों सहित) के अंकेक्षित लेखे उनके सामने लिखी अवधि के लिये प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 1982) :

कम्पनी का नाम	बकाये की सीमा
यू0 पी0 रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1973–74 से 1980–81 तक
यू0 पी0 विल्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1980–81 तक
यू0 पी0 प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लायेन्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1980–81 तक
फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड	1974–75 से 1980–81 तक
यू0 पी0 एब्सकोट प्राइवेट लिमिटेड	1975–76 से 1980–81 तक
नार्दर्न इलेक्ट्रीकल इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1975–76 से 1980–81 तक
कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड	1975–76 से 1980–81 तक
यू0 पी0 पौटरीज लिमिटेड	1976–77 से 1980–81 तक
यू0 पी0 पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1976–77 से 1980–81 तक
यू0 पी0 बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
यू0 पी0 पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
उपाय लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
यू0 पी0 प्रैस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
अपट्रान सैम्पेक लिमिटेड	1977–78 से 1980–81 तक
यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
यू0 पी0 पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
यू0 पी0 स्टेट टूरिज्म डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
यू0 पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन पाटरीज लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
हैण्डलूम इन्टैन्सिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
हैण्डलूम इण्टैन्सिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
यू0 पी0 स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1980–81 तक
गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
यू0 पी0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
यू0 पी0 टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
यू0 पी0 स्टेट फूड एण्ड इसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
बुन्देलखंड कांक्रीट स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड	1979–80 और 1980–81

कम्पनी का नाम	बकाये की सीमा
अपट्रान कम्पोनेण्ट्स लिमिटेड	1979–80 और 1980–81
यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1980–81
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1980–81
कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 भूमि सुधार निगम लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 शिड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 नलकूप निगम लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड ..	1980–81
ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	1980–81
यू0 पी0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1980–81
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	1980–81

यह स्थिति पिछली बार मई 1982 में सरकार के ध्यान में लाई गई।

1.03. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1980 को चार परिसमापनाधीन कम्पनियों और 36 सहायक कम्पनियों को छोड़कर 47 सरकारी कम्पनियों में 15701.52 लाख रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1981 को चार परिसमापनाधीन कम्पनियों और 38 सहायक कम्पनियों (एक परिसमापनाधीन) को छोड़कर 49 सरकारी कम्पनियों में बढ़कर 18313.24 लाख रुपये हो गई, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

कम्पनियों का विवरण	कम्पनियों की संख्या	किसके द्वारा निवेशित			जोड़
		राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	
		(लाख रुपयों में)			
ऐसी कम्पनियां जिन पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है	38	16291.45	..	..	16291.45
ऐसी कम्पनियां जिन पर केन्द्रीय सरकार/अन्य का संयुक्तरूप से अधिकार है	11	1615.68	338.83	67.28	2021.79
जोड़	49	17907.13*	338.83	67.28	18313.24

1.04. कर्ज

31 मार्च 1981 को 24 कम्पनियों (33 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में दीर्घकालिक कर्जों का शेष 13080.99 लाख रुपये था (राज्य सरकार : 5254.37 लाख रुपये, अन्य पार्टियां :

*वित्तीय लेखाओं के अनुसार धनराशि 178.39 करोड़ रुपये है। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

7807.37 लाख रुपये, स्थगित भुगतान क्रेडिट : 19.25 लाख रुपये) जब कि 31 मार्च 1980 को 10480.55 लाख रुपये था (23 सहायक कम्पनियों को छोड़कर 11 कम्पनियां)।

1.05 प्रत्याभूतियां

राज्य सरकार ने 16 कम्पनियों (चार सहायक कम्पनियों सहित) द्वारा लिए गये कर्जों के पुनर्भुगतान (और उन पर ब्याज के भुगतान) की प्रत्याभूति दी थी। 31 मार्च 1981 को इन कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति की गई कुल धनराशि और उसके प्रति अवशेष धनराशि क्रमशः 5699.55 लाख रुपये और 4094.04 लाख रुपये थी, जैसा नीचे वर्णित है :

कम्पनी का नाम	प्रत्याभूति की गई धनराशि (लाख रुपयों में)	31 मार्च 1981 को बकाया धनराशि
यू0 पी0 (रुहेलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड **	150.00	150.00
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	33.19	21.60
यू0 पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड **	295.00	281.59
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड*	387.00	319.18
यू0 पी0 फूड एण्ड इसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड **	25.00	9.54
यू0 पी0 पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड**	15.00	21.06
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड*	377.00	347.00
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	770.00	770.00
यू0 पी0 स्टेट एग्रो. इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड**	750.00	413.63
यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड*	946.50	736.70
उ0 प्र0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	142.20	90.47
यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	559.65	87.32
उ0 प्र0 (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड**	104.00	102.70
यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	845.00	650.70
यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	89.01	..
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड*	211.00	92.55
जोड़	5699.55***	4094.04***

*सहायक कम्पनियां निरूपित करता है।

**उन कम्पनियों को निरूपित करता है, जहां न्यूनावधि कर्जे प्रत्याभूति किये गये हैं।

***वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े क्रमशः 8232.87 लाख रुपये और 6439 लाख रुपये हैं (12 कम्पनियां)। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

1.06. कम्पनियों का कार्य निष्पादन

1.06.01. निम्नलिखित तालिका में 15 कम्पनियों (छः सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होंने 1980–81 के दौरान लाभ अर्जित किया, के ब्योरे तथा गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+)/हानि (–)	
	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81
	(लाख रुपयों में)			
यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	2414.19	3146.87	357.31	321.64
यू0 पी0 स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1432.73	1540.73	119.63	137.29
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	406.51	831.51	0.17	1.98
यू0 पी0 इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	275.00	340.00	11.55	27.97
मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	100.00	3.15	3.97
यू0 पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	85.00	100.00	24.96	46.98
यू0पी0 (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.81	23.57	5.73	6.94
यू0 पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.29	16.35	1.42	1.57
यू0 पी0 (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	13.65	14.03	1.57	0.64
सहायक कम्पनियां				
यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड	1150.00	1400.00	60.41	181.25
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	258.00	258.00	(–)70.60	111.44
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	253.00	253.00	(–)89.81	29.27
यू0 पी0 डिजिटल्स लिमिटेड	9.20	10.20	(–)1.55	0.06
अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड	27.50	38.50	..	0.20
अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	12.95	22.00	..	0.82

1.06.02. इस वर्ष के दौरान चार कम्पनियों ने लाभांश घोषित किया जिसके ब्यौरे नीचे दिये हैं :

कम्पनी का नाम	वितरण योग्य अधिशेष	व्यापार में रोकी गई धनराशि	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी पर लाभांश की प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)		
यू0 पी0 (रुहेलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	6.44	5.03	1.41	6.0
यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	205.99	141.52	64.47	4.5
यू0 पी0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2.45	1.80	0.65	5.0
यू0 पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	64.03	58.03	6.00	6.0

1.06.03. निम्नलिखित तालिका में 16 कम्पनियों (5 सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होंने वर्ष 1980-81 के दौरान हानियां उठाईं, के ब्यौरे तथा गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+)/हानि (-)	
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
			(लाख रुपयों में)	
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	21.89	21.93	(+)11.50	(-)92.86
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	134.00	183.18	(+)2.80	(-)4.54
यू0 पी0 स्टेट लैदर डेवलपमैण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	67.00	67.00	(+)9.16	(-)3.71
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्ट-मैण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	665.75	720.75	(+)73.57	(-)2.80
वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	45.00	45.00	(-)1.67	(-)0.56

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+) / हानि (–)	
	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81
	(लाख रुपयों में)			
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	15.00	15.00	(–) 2.14	(–) 1.98
प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	50.00	50.00	(–) 1.14	(–) 0.57
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	100.00	(+) 0.38	(–) 0.59
उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	158.07	258.06	(–) 8.15	(–) 7.09
यू० पी० स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	3707.00	3707.00	(–) 248.50	(–) 245.65
यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1998.00	2420.00	(–) 237.67	(–) 568.08
सहायक कम्पनियां				
यू० पी० इन्स्ट्रूमैण्ट्स लिमिटेड	27.51	41.00	(–) 28.43	(–) 49.12
अपट्रान इन्स्ट्रूमैण्ट्स लिमिटेड	..	8.00	..	(–) 1.79
भदोई ब्लेन्स लिमिटेड	40.89	40.90	(–) 31.92	(–) 26.80
बन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	503.00	503.00	(–) 232.35	(–) 221.35
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	187.79	244.69	(+) 15.85	(–) 33.01

1.06.04. 28 कम्पनियों (प्रदत्त पूंजी : 12346.09 लाख रुपये) के सम्बन्ध में संचित हानि 7876.46 लाख रुपये थी। उन सात कम्पनियों (छः सहायक कम्पनियों सहित) के विवरण, जिनकी संचित हानियां प्रदत्त पूंजी से अधिक हो चुकी थीं, नीचे दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	संचित हानि का प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	2420.00	3246.21	134.1
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	244.69	626.28	256.0
यू० पी० इन्स्ट्रूमैण्ट्स लिमिटेड	41.00	154.07	375.8
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	258.00	291.63	113.0
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	253.00	351.31	138.9
भदोई ब्लेन्स लिमिटेड	40.90	98.04	239.7

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	संचित हानि का प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	503.00	911.78	181.3
जोड़	3760.59	5679.32	

1.06.05. निम्नलिखित तालिका में उन कम्पनियों (सहायक कम्पनियों सहित) के जो निर्माणाधीन थीं तथा 1979–80 और 1980–81 के दौरान किये गये व्यय के ब्योरे दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		व्यय	
	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81
	(लाख रुपयों में)			
कम्पनियां				
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	..	100.00	..	0.04
उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	20.00	40.37	0.04	3.53
सहायक कम्पनियां				
यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड	0.01	0.01	0.01	0.01
यू0 पी0 कारबाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	206.13	269.17	6.86	1.72
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	..	0.25	..	0.13
अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड	26.65	41.34	48.40	28.00

1.07. इसके अतिरिक्त चार कम्पनियां ऐसी थीं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अन्तर्गत आती थीं, उनके ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	लेखाओं का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी	निवेश			वर्ष के दौरान लाभ (+)/ हानि (–)
			राज्य सरकार द्वारा	सरकारी कम्पनियों द्वारा	सरकारी निगमों द्वारा	
			(लाख रुपयों में)			
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	1980–81	140.00	..	85.40	..	(+) 57.67
सिन्थैटिक फोम्स लिमिटेड	1979–80	35.65	..	11.32	12.68	(–) 24.92
स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1979	89.84	..	36.88	17.95	(–) 44.96
इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	वर्ष 1978 से 1981 तक के अंकेक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए					

स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड में 31 दिसम्बर 1979 को 147.09 लाख रुपये की संचित हानि प्रदत्त पूंजी (89.84 लाख रुपये) से अधिक हो गई।

1.08. कम्पनी अधिनियम, 1956 में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के संप्रेक्षकों को उनके कार्य सम्पादन सम्बन्धी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार दिये हुए निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान सात कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी सम्प्रेक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों में पाई गई महत्वपूर्ण बातों का सारांश नीचे दिया गया है :

त्रुटियों की प्रकृति	उन कम्पनियों की संख्या जहां त्रुटियां पाई गईं
लेखा मैनुअल का अभाव	7
स्कंध एवं भण्डारों के समुचित लेखाओं का न रक्खा जाना	3
सम्पत्ति रजिस्टरों का न रक्खा जाना	1
प्रमाणिक लागत लेखा का आरम्भ न किया जाना	6
नियमित लागत लेखा प्रणाली का अभाव	2
आंतरिक सम्परीक्षा मैनुअल का अभाव	3
आंतरिक सम्परीक्षा पद्धति का अभाव	4
क्रय हेतु पद्धति का अभाव	1
पूंजी एवं राजस्व बजटों का तैयार न किया जाना	3
क्रय/विक्रय बजटों का तैयार न किया जाना	7
भण्डार/पुर्जों की अधिकतम/न्यूनतम सीमाओं का अनिर्धारण	7
सामाजिक ऊपरी व्ययों के लेखाओं का न रक्खा जाना	6
जनशक्ति के मानकों का अनिर्धारण	7
कच्चे माल के उपभोग एवं बरबादी के मानकों का अनिर्धारण	6

1.09. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को कम्पनी के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने या उसे संपुरित करने का अधिकार है। इस प्राविधान के अधीन सरकारी कम्पनियों के सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं की समीक्षा चयनात्मक आधार पर की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के दौरान ध्यान में आई हुई कुछ त्रुटियां, चूकें, आदि नीचे वर्णित की जाती हैं :

चिटठा (बैलेन्स शीट)

(i) प्राप्त अंश आवेदन राशि का एक पृथक मद के रूप में प्रगट न किया जाना।

(ii) ब्याज, दण्ड ब्याज, उपार्जित व्ययों, आदि के दायित्वों का प्राविधान न किये जाने के कारण दायित्वों का कम प्रदर्शन, संदिग्ध दनदारों का प्राविधान न करने के कारण लाभ/हानि का अधिक/कम प्रदर्शन।

(iii) रहतिया मूल्यांकन पद्धति का अप्रकटीकरण।

(iv) ओवरड्राफ्ट्स के विरुद्ध सम्पत्तियों के रेहन का प्रकट न किया जाना।

(v) पूंजीगत एवं आयगत व्ययों का अशुद्ध वर्गीकरण।

(vi) सांविधिक संचय का न बनाया जाना।

(vii) व्यय/आय का लाभ-हानि खाते में चार्ज करने के बजाय सरकार से प्राप्त अनुदान में से समायोजन।

(viii) सरकारी कर्जों, अनुदानों से पूरे किये गये लेन देनों का लेखाओं से निकाल देना।

लाभ हानि खाता

(i) ब्याज/आय का लेखाबद्ध न किया जाना, अशुद्ध गणना और आय का अधिक प्रदर्शन।

(ii) व्ययों, ब्याज, ह्रास और कमीशन का प्राविधान न करना/कम प्राविधान करना।

(iii) लेखाकरण की नीति में परिवर्तन के प्रभाव का अप्रकटीकरण।

(iv) अंतिम रहतिये का अधिक प्रदर्शन।

(v) किराया व्यय, विद्युत् व्यय, ह्रास, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, सम्परीक्षकों का पारिश्रमिक और रहतिये में कमी का अप्रकटीकरण।

सामान्य

(i) निदेशक मण्डल द्वारा अपनाये जाने पूर्व ही कम्पनी के सम्परीक्षकों द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण।

(ii) कम्पनी के अधिकारियों को दी गई अतिरिक्त सुविधाओं के मूल्य का अशुद्ध प्रकटीकरण।

(iii) सहायक कम्पनियों के विवरणों का अप्रकटीकरण।

(iv) मैनुफैक्चरिंग एण्ड अदर कम्पनीज (आडीटर्स रिपोर्ट) आर्डर, 1975 के अन्तर्गत अपेक्षित विवरणों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसरण में अपेक्षित अन्य विवरणों का अप्रकटीकरण।

(v) लेखाओं से संलग्न तथा उसका अंग बनी हुई टिप्पणियों में सूचना का गलत प्रकटीकरण।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

2.01. विषय प्रवेश

कम्पनी प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकअप) की सहायक कम्पनी के रूप में कच्चे माल तथा अन्य इनपुट की आपूर्ति, इलेक्ट्रानिक्स मदों के निर्माण, अनुसंधान, विकास, मार्ग दर्शन उत्पादन (पायलट प्रोडक्शन) हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र इकाइयों की स्थापना के द्वारा ऐसे उद्योग के इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन को सम्मलित करते हुए इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रवर्तन तथा विकास के मुख्य उद्देश्यों के साथ निगमित हुई थी (30 मार्च 1974)। जुलाई 1976 में यह एक स्वतंत्र कम्पनी हो गयी।

2.02. क्रिया कलाप

कम्पनी के मुख्य क्रिया कलाप दूरदर्शन सेटों के निर्माण तथा विक्रय रहे थे। लखनऊ तथा इलाहाबाद स्थित अपने कारखानों तथा विपणन प्रभाग को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी (अपट्रान इन्डिया लिमिटेड) को 1 अप्रैल 1981 से हस्तान्तरण क साथ कम्पनी अब मात्र संबर्द्धनात्मक (प्रोमोशनल) कार्य कलापों में लीन है।

2.03. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक, एक अधिशासी निदेशक एवं नौ अन्य निदेशकों से युक्त सरकार द्वारा नामित एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 1981 को एक प्रबन्ध निदेशक जो कि मुख्य अधिशासी है तथा कम्पनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसकी सहायता के लिये अधिशासी निदेशक तथा एक महाप्रबन्धक हैं को सम्मिलित करते हुए 12 निदेशक थे।

2.04. पूंजी संरचना

कम्पनी 100 रुपये प्रत्येक के 5 लाख इक्विटी अंशों में विभक्त 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत हुई थी तथा 31 मार्च 1981 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी (राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अंशदत्त) 3.40 करोड़ रुपये थी।

(क) कम्पनी ने अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इलाहाबाद तथा लखनऊ स्थित अपने दो कारखानों के लिये दो बैंकों से क्रमशः 20 लाख रुपये तथा 9 लाख रुपये की सीमा तक एक नकद साख (कैश क्रेडिट) व्यवस्था की है जो कारखानों के रहतिये तथा पुस्तक ऋणों के बंधक के विरुद्ध सुरक्षित है।

निम्न सारणी 1980–81 तक चार वर्षों के अंत में नकद साख के विरुद्ध बकाया धनराशि, कम्पनी के पास उपलब्ध धन तथा इन चार वर्षों के दौरान नकद साख पर भुगतान किये गए ब्याज को इंगित करती है :

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	नकद साख के विरुद्ध बकाया ओवर ड्राफ्ट	उपलब्ध धन: रोकड़ हाथ में/चालू खाते में	उपलब्ध धन: सावधि जमा/बचत बैंक तथा व्यक्ति खाता लेखा	योग	नकद साख के विरुद्ध ओवर ड्राफ्ट पर भुगतान किया गया ब्याज
					(रुपये लाखों में)
1978	8.06	1.13	60.35	61.48	0.93
1979	1.46	5.72	39.56	45.28	1.29
1980	25.52	21.91	26.72	48.63	3.01
1981	44.24	44.36	49.59	93.95	6.36
					11.59

पूरे वर्ष पर्याप्त धन उपलब्ध रहने के बावजूद कम्पनी ने नकद साख सुविधा का उपयोग किया तथा इलाहाबाद में जनवरी से दिसम्बर 1980 के दौरान स्वीकृत सीमा से अधिक की सुविधा का उपयोग करने के कारण दंड ब्याज (0.46 लाख रुपये) को सम्मिलित कर 11.59 लाख रुपये का ब्याज भुगतान किया।

प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर 1981) कि नकद साख खाता कारखानों द्वारा परिचालित होना था जिनका, वित्तीय प्रबंध को सम्मिलित करते हुए, स्वतंत्र कार्य कलाप था और इसलिये वे प्रधान कार्यालय द्वारा प्रदान की गयी प्रारंभिक पूंजी से परिचालित होने थे।

प्रबंधकों ने यह भी बताया (जनवरी 1982) कि धन का अधिकांश भाग सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में अवमुक्त हुआ था तथा चूंकि ये धन संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों या कम्पनी की सहायक कम्पनियों में विनियोजन के निमित्त थे इनकी बैंक ओवर ड्राफ्ट, जो कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु थे, से समानता नहीं की जा सकती थी।

चूंकि रोकड़ का मासिक अवशेष जनवरी 1981 (2,86,125 रुपये) के अतिरिक्त कभी भी 10,35,472 रुपये से कम नहीं रहा तथा 1977–78 से 1980–81 तक चार वर्षों के दौरान औसत मासिक अवशेष 27,20,590 रुपये से 36,99,590 रुपये तक के बीच रहा, ओवर ड्राफ्ट को समुचित वित्तीय नियोजन द्वारा परिहार्य या कम किया जा सकता था।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशों के अनुसार 20 लाख रुपये (पहले 10 लाख रुपये) के पूंजी निवेश तक की इकाइयां लघु स्तर इकाइयों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की रियायती दर के लिये अनुमन्य हैं। इलाहाबाद तथा लखनऊ स्थित दोनों कारखानों में प्रत्येक में पूंजी निवेश उक्त सीमा से कम था। परन्तु जब कि लखनऊ स्थित कारखाने को ब्याज के निम्नतर दर, नामतः 14 प्रतिशत प्रति वर्ष (2 मार्च 1981 से 15.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया) पर नकद साख की सुविधा स्वीकार की गई परन्तु इलाहाबाद स्थित कारखाने ने 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1981 के दौरान 15 से 19.5 प्रतिशत तक विभिन्न दरों पर ब्याज का भुगतान किया था।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1981) कि लखनऊ के बैंक ने लखनऊ के कारखाने को एक लघु स्तर इकाई माना था परन्तु इलाहाबाद स्थित बैंक ने इलाहाबाद के कारखाने को इस प्रकार का नहीं माना था। तथापि सम्परीक्षा में बताये जाने पर (सितम्बर 1981) प्रबन्धकों ने इस मामले को इलाहाबाद स्थित बैंक से उठाया तथा बैंक ने 26 अक्टूबर 1981 से बैंक की दर 15.5 प्रतिशत तक पुनरीक्षित कर दी।

2.05. कार्य परिणाम

मार्च 1978 के अन्त में संचयी हानि 13.64 लाख रुपये की थी जो 1978–79 से 1980–81 तक बाद के वर्षों में लाभ द्वारा समाप्त हो गयी।

संचयी लाभ 31 मार्च 1981 के अन्त में 31.17 लाख रुपये था। यह मुख्य रूप से (i) सावधि निक्षेप में निविष्ट धन पर ब्याज (12 लाख रुपये), (ii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोजगार सम्वर्द्धन कार्यक्रम पर व्यय (शुद्ध : 14.99 लाख रुपये) को व्यय में शामिल न करने तथा (iii) अंतिम रहतिये के अधिमूल्यन (3.97 लाख रुपये) के कारण था। यदि इन्हें निकाल दिया गया होता तो संचयी लाभ मात्र 0.21 लाख रुपये होता।

2.06. इलेक्ट्रानिक कारखाने

(क) कारखानों का कार्यकलाप

5000 दूरदर्शन सेट (टी वी) प्रति वर्ष निर्माण के लिये मूल रूप से उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी) द्वारा धारित एक आशय

पत्र (मई 1973) दिसम्बर 1974 में कम्पनी को हस्तांतरित हो गया और औद्योगिक लाइसेंस (जुलाई 1975) के विरुद्ध इलाहाबाद स्थित इलेक्ट्रानिक्स कारखाने ने "ई सी टेलिवीजन्स" के व्यापारिक नाम के अन्तर्गत जुलाई 1975 में टी वी सेटों का निर्माण आरम्भ किया। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (ई सी आई एल) के लिये ईसीटी वी सेटों के निर्माण के अतिरिक्त फैक्टरी ने अगस्त 1976 से कम्पनी द्वारा डिजाइन किये हुए 51 सेमी शंकर (हाइब्रिड) अपट्रान टी वी सेटों का निर्माण आरम्भ किया। अपट्रान सालिड स्टेट टी वी सेटों के आरम्भ किये जाने पर शंकर टी वी सेटों का निर्माण फरवरी 1979 से बन्द कर दिया गया और इस बन्द किये जाने से 0.50 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां अप्रचलित हो गयीं तथा निस्तारण की प्रतीक्षा में थीं (मार्च 1982)। फैक्टरी ने 1979–80 से अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा कर 5,000 से 10,000 टी वी प्रति वर्ष कर दिया।

कम्पनी ने 5,000 टी वी सेट प्रति वर्ष के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस (जुलाई 1978) के विरुद्ध लखनऊ में एक दूसरा इलेक्ट्रानिक कारखाना स्थापित किया जिसने सितम्बर 1979 से टी वी सेटों का उत्पादन प्रारम्भ किया।

आरम्भ से 1980–81 तक टी वी सेटों के निर्माण से सम्बन्धित प्रगति नीचे सारणीबद्ध है:

वर्ष	टी वी सेटों का निर्माण		उपलब्धि का
	लक्ष्य (संख्या में)	उपलब्धि	लक्ष्य पर प्रतिशत
1975–76	1700	302	17.7
1976–77	1723	1531	98.8
1977–78	4500	3112	69.2
1978–79	5300	6389*	120.6
1979–80	16000	13815*@	86.3
1980–81	18400	20603*@	111.9

(ख) लागत विधि (कास्टिंग)

कम्पनी के पास इसके उत्पादनों की लागत ज्ञात करने के लिये कोई अभिलेख नहीं है। कम्पनी के कार्यकलापों कीसमीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत 2 जनवरी 1980 को हुई एक बैठक में प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह बताया गया कि मानक लागत विधि (स्टैन्डर्ड कास्टिंग) को अपनाने पर विचार किया जायगा, परन्तु अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है (मार्च 1982)।

इलाहाबाद कारखाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन (1975–76) में 1975–76 के दौरान 2,043 रुपये तथा 1976–77 में 2,010 रुपये की औसत लागत पर सेटों के उत्पादन का प्राविधान था जिसके विरुद्ध उत्पादन की वास्तविक लागत की धनराशि क्रमशः 4,198 रुपये तथा 2,554 रुपये हुई। पश्चात्वर्ती वर्षों (1977–78 से 1980–81) में यह विभिन्न प्रकार के सेटों के लिये 2,024 रुपये से 2,228 रुपये के बीच रही। लखनऊ कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन (1979–80) में सेटों का उत्पादन 1,513 रुपये की औसत लागत पर प्राविधानित था जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के सेटों के लिये 1979–80 तथा 1980–81 के दौरान उत्पादन की वास्तविक लागत 1679 रुपये से 1935 रुपये के बीच रही।

---

*तीन वर्षों 1978–79, 1979–80 तथा 1980–81 के दौरान क्रमशः 148, 61 तथा 186 सामुदायिक रिसीवर सेट शामिल नहीं।

@ 1979–80 तथा 1980–81 में टेलीट्रानिक्स लिमिटेड से क्रय किये 165 तथा 596 सेट शामिल हैं।

परख जांच (सितम्बर 1981) ने इंगित किया कि निम्न कारणों से उत्पादन की वास्तविक लागत प्राविधानित लागत से उच्चतर थी :

(i) इलाहाबाद कारखाने में 1975–76 (0.90 लाख रुपये), 1976–77 (1.52 लाख रुपये) तथा 1977–78 (1.89 लाख रुपये) में सेटों के उत्पादन में कच्चे माल का 4.31 लाख रुपये की सीमा तक अधिक उपयोग हुआ ।

(ii) इलाहाबाद तथा लखनऊ स्थित दोनों कारखानों के परियोजना प्रतिवेदनों में प्रति सेट क्रमशः 45 रुपये तथा 32 रुपये के प्राविधान के विरुद्ध मजदूरी पर व्यय 1977–78 में 64 रुपये से 1979–80 में 37 रुपये तक भिन्न भिन्न रहा ।

(ग) कच्चे माल का उपभोग

टी वी सेटों के निर्माण के परियोजना प्रतिवेदनों में आवश्यकता के 2 प्रतिशत की दर पर कच्चे माल की प्रक्रिया हानि का प्राविधान था । परन्तु कम्पनी ने निर्मित सेटों के लिये कच्चे माल की विभिन्न मदों की आवश्यकता, साथ-साथ उपभोग इंगित करते हुए कोई अभिलेख नहीं रखा है । 94.51 लाख रुपये के कच्चे माल के उपभोग की परख जांच (सितम्बर 1981) में 2.53 लाख रुपये (2.7 प्रतिशत) के कच्चे माल का अधिक उपभोग जानकारी में आया ।

(घ) भंडार क्रय

(i) इलाहाबाद तथा लखनऊ के कारखानों द्वारा मार्च 1980 में 140/143 रुपये प्रति कैबिनेट की दर पर लकड़ी के कैबिनेटों की आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये थे परन्तु प्लाईवुड के बाजार मूल्य (मार्च 1980 में 2.70 रुपये प्रति वर्ग फुट से नवम्बर 1980 में 6 रुपये प्रतिवर्ग फुट) तथा मजदूरी व्यय में वृद्धि के कारण दरों को जुलाई 1980 में 151/154 रुपये, सितम्बर 1980 में 159/162 रुपये तथा नवम्बर 1980 में 165/166 रुपये तक पुनरीक्षित कर दिया गया यद्यपि आदेश में दी गई दरें अटल थीं । आदेशों में कैबिनेटों में प्लाईवुड को इस्तेमाल करने की शर्त थी, परन्तु इलाहाबाद कारखाने द्वारा पुनरीक्षित दरों पर 5383 कैबिनिटों की आपूर्ति हेतु दिये गये (अक्टूबर 1980 से जनवरी 1981) 14 आदेशों में नोवोपान का उपभोग करने की अनुमति दी गई जो प्लाईवुड के लिये स्वीकृत किये 6 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर के विरुद्ध बाजार में 3.65 रुपये प्रति वर्गफुट मात्र पर उपलब्ध थी । इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को 0.90 लाख रुपये की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ ।

(ii) 5,000 कैपेसिटरों तथा 3,000 स्पीकरों की क्रमशः 14.85 रुपये तथा 22.50 रुपये प्रत्येक की दर पर 20 प्रतिशत की छूट घटाने के साथ, आपूर्तिहेतु लखनऊ कारखाने द्वारा बम्बई की एक फर्म को दिये गये आदेशों (18 सितम्बर तथा 23 नवम्बर 1980) में यद्यपि मूल्य बढ़ोत्तरी की कोई धारा नहीं थी ; दरों की मांग पर (25 सितम्बर तथा 29 नवम्बर 1980) क्रमशः 17.10 रुपये तथा 25.50 रुपये प्रति को 20 प्रतिशत की छूट घटाने के साथ अक्टूबर तथा दिसम्बर 1980 में बढ़ा दिया गया । फिर भी, फर्म ने उसी अवधि के दौरान इलाहाबाद कारखाने को उक्त मदों को पुराने दरों पर आपूर्त करना जारी रखा । इसके परिणामस्वरूप लखनऊ कारखाने द्वारा फर्म को 0.16 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया । प्रबन्धकों द्वारा फर्म से धन की वापसी हेतु मामला उठाया गया था (सितम्बर 1981) जिसकी अभी भी प्रतीक्षा है (मार्च 1982) ।

(iii) जुलाई 1980 के पूर्व कारखाने, 500 ट्यूबसे अधिक की मात्रा के लिये 15 रुपये प्रति ट्यूब की मात्रा छूट घटाये जाने के साथ गाजियाबाद की एक फर्म से 405 रुपये की दर पर पिक्चर ट्यूब प्राप्त करते रहे थे । जुलाई 1980 से 20 रुपये प्रति ट्यूब की टैरिफ घटोत्तरी के साथ फर्म ने 1 प्रतिशत छूट के साथ 385 रुपये की दर पर मात्रा छूट की धनराशि में 11.15 रुपये प्रति ट्यूब की एकतरफा कमी किये जाने के द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1980 से मार्च 1981 के दौरान फर्म से 15558 ट्यूबों के क्रय पर 1.73 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, पिक्चर ट्यूब की आपूर्ति आरम्भ की (जुलाई 1980) । छूट के एक तरफा कम किये जाने से संबंधित मामले को कम्पनी द्वारा फर्म से नहीं उठाया गया था (मार्च 1982) ।

(iv) उत्पादन शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर, जैसा कि लागू हो, को जोड़ने के साथ 22 रुपये प्रति की दर पर बी ओ 264 (3ए–700पी आई वी) प्रकार के 5000 तथा 6800 सिलिकन नियंत्रित रेक्टीफायरों की आपूर्ति हेतु दो आपूर्ति आदेश बम्बई की एक फर्म को 2 फरवरी तथा 16 अप्रैल 1979 को दिये गये। कम्पनी ने 5 फरवरी से 14 जुलाई 1979 की अवधि के दौरान बैंक के माध्यम से 1.85 लाख रुपये का पूर्ण भुगतान कर 7500 सिलिकन नियंत्रित रेक्टीफायर प्राप्त किये। आगे आपूर्ति तार द्वारा रोक दी गयी (29 जुलाई 1979) क्योंकि फर्म ने के टी 3/07 प्रकार के सिलिकन नियंत्रित रेक्टीफायरों की आपूर्ति आरम्भ कर दी थी जिसके लिये कोई आदेश नहीं दिया गया था। इन रेक्टीफायरों के इस्तेमाल किये जाने के परिणामस्वरूप बार-बार अवरोध होता रहा। कुछ प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) 29 सितम्बर 1979 को प्राप्त हुए परन्तु उनके प्रयोग में लाये जाने के फलस्वरूप भी बार बार अवरोध होता रहा। अन्त में 11 अक्टूबर 1979 को फर्म से कहा गया कि वह या तो पहले किये गये भुगतान को वापस करे या त्रुटिपूर्ण आपूर्ति को प्रतिस्थापित करे। 1.24 लाख रुपये मूल्य के 5000 रेक्टीफायर फर्म को वापस कर दिये गये (दिसम्बर 1979 : 3050 तथा अप्रैल 1980 : 1950)। फर्म ने तार (अप्रैल 1980) द्वारा पुष्टि की कि वापस किये गये रेक्टीफायरों का आंशिक भुगतान शीघ्र ही भेजा जायगा परन्तु अब तक कुछ भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1982) जिसके परिणामस्वरूप 0.67 लाख रुपये के ब्याज की हानि (15 जुलाई 1979 से 30 नवम्बर 1982 तक की अवधि के लिये 16 प्रतिशत की दर पर) के अतिरिक्त 1.24 लाख रुपया फंसा हुआ है।

2.07. विपणन प्रभाग

(क) 4 सहायक कम्पनियों तथा 7 संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों के 16 इलेक्ट्रानिक उत्पादनों के विक्रय संवर्द्धन के उद्देश्य से सितम्बर 1977 में विपणन प्रभाग ने कार्य करना प्रारम्भ किया। राज्य की लघु स्तर इलेक्ट्रानिक उद्यमियों हेतु बाजार के विकास का कार्य भी प्रभाग द्वारा लिया गया (सितम्बर 1978)। इसके अतिरिक्त राज्य से बाहर की पार्टियों (नई दिल्ली, बम्बई, कोयम्बटूर, कोचीन, बंगलौर) के किंचित उत्पादनों (केलकुलेटर, गैस लाइटर, ए सी एडाप्टर, टेप रिकार्डर, कैसेट, स्कूलों के लिये प्रसारण पद्धति, इन्टरकाम इत्यादि) को भी विपणन हेतु प्रभाग द्वारा आरम्भ किया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि चूंकि स्थानीय उद्यमियों से एक पूर्ण उत्पादन परिक्षेत्र उपलब्ध नहीं था, कम्पनी को राज्य से बाहर की पार्टियों से उत्पादनों की भी बिक्री कार्य को लेना पड़ा।

(ख) उधार बिक्रय

यद्यपि उधार विक्रय का कोई प्राविधान विद्यमान नहीं है तमाम मामलों में उधार के आधार पर विक्रय किये गये परिणामतः 31 मार्च 1981 को 28.12 लाख रुपये के ऋण बकाये थे जिसमें से 1.30 लाख रुपये की राशि एक साल से अधिक की अवधि से बकाया थी।

(ग) अनार्थिक क्रय

जबकि क्रय आदेशों के अनुसार कीमतें स्थिर थीं संयुक्त/सहायक विपणन प्रबन्धकों द्वारा 0.38 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त करने वाले 17 मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिये बिना कीमतों में बढ़ोतरी तथा अन्य प्रभार, यथा भाड़ा तथा उत्पादन शुल्क का भुगतान स्वीकार किया गया (फरवरी 1980 से मार्च 1981)। सम्परीक्षा (अगस्त 1981) में एक परख जांच में यह देखा गया था कि यद्यपि एक फर्म द्वारा इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर निम्नतर दर पर प्रस्तावित किये गये थे संयुक्त/उप विपणन प्रबन्धकों द्वारा बिना खुली एवं प्रतियोगी दरें प्राप्त किये दिसम्बर 1978 से मार्च 1981 के दौरान अन्य श्रोतों से 1.50 लाख रुपये (30 मामले) की परिहार्य अतिरिक्त लागत के परिणाम के साथ उच्चतर दर पर खरीददारियां की गई।

(घ) मूल्य निर्धारण ढांचा

प्रभाग 16 उत्पादों के विपणन का कार्य करता है परन्तु न तो सौदे में आने वाले उत्पादों और न उनसे संबंधित मूल्य नीति ही मण्डल से अनुमोदित है। तथापि यह देखा गया कि उत्पादों के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अन्तर क्रय मूल्य के 5.2 से 194.2 प्रतिशत के बीच रहा।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि विभिन्न उत्पादों के मूल्य निर्धारण को बाजार की मांग तथा पूर्ति की ताकत से मार्ग दर्शित होना पड़ता था और इसलिये गतिशील तथा उच्च प्रतियोगी बाजारों में दृढ़ तथा पूर्णरूप से केन्द्रीयकृत मूल्य निर्धारण नीति का अनुसरण संभव नहीं था ।

2.08. परियोजनाओं का क्रियान्वयन

(क) कम्पनी द्वारा प्रारम्भ की गयी परियोजनायें तथा 1980-81 तक उनके विनियोजन के विवरण निम्न थे :

	संख्या	31 मार्च 1981 तक विनियोजन (लाख रुपयों में)
परियोजनायें जिनक लिये कम्पनियां निगमित की गई		
उत्पादन में	4	88.09
परियोजनायें जिनके लिये संयुक्त क्षेत्र में कम्पनियां निगमित की गई		
उत्पादन में	4	46.00
निर्माणाधीन	1	34.00 (31 जुलाई 1981 को)
परिसमापन में	2	3.38
क्रियान्वयन के अन्तर्गत परियोजनायें	1	0.13
निष्क्रिय परियोजनायें	14	1.60
त्यागी हुई परियोजनायें	3	0.04
	29	173.24

(ख) 31 मार्च 1981 को पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनियों में कम्पनी द्वारा इक्विटी तथा ऋण में विनियोजन की स्थिति निम्न सारणी में इंगित की जाती है:

सहायक कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	अधिकृत पूंजी (रुपये लाखों में)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी (रुपये लाखों में)	प्रधान कम्पनी से ऋण	उत्पाद
अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड, लखनऊ	13 मार्च 1979	100.00	31 दिसम्बर 1980 को समाप्त	41.34	8.00	अल्युमीनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स
अपट्रान डिजीटल सिस्टम लिमिटेड, लखनऊ	18 मई 1979	100.00	31 दिसम्बर 1980 को समाप्त	38.50	6.00	ताप स्कैनर, विमान सेवा आरक्षण प्रणाली इत्यादि

सहायक कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	अधिकृत पूंजी (रुपये लाखों में)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	प्रधान कम्पनी से ऋण	उत्पाद
				(रुपयें लाखों में)		
अपट्रान वीडियो लिमिटेड (नाम बदल कर अपट्रान इण्डिया लिमिटेड हो गया) लखनऊ	18 अक्टूबर 1979	50.00	31 दिसम्बर 1980 को समाप्त	0.25	..	टेलीविजन सेट
अपट्रान इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, लखनऊ	15 नवम्बर 1979	10.00	31 दिसम्बर 1980 को समाप्त	8.00	..	इलेक्ट्रानिक
			योग	88.09	14.00	

2.09. संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें

2.09.01. राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग के संवर्द्धन तथा विकास के अपने उद्देश्य के आगे की कार्यवाही में कम्पनी ने अगस्त 1976 से मार्च 1981 तक के दौरान 7 संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां प्रवर्तित कीं। कम्पनी, सहप्रवर्तकों तथा जनता के बीच पूंजी भागीदारी क्रमश: 26 : 25 : 49 के अनुपात में होनी थी। परन्तु दो संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के मामले में पूंजी भागीदारी को प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाना पड़ा था तथा एक कम्पनी के मामले में जनता को अंश निर्गमित न करने के कारण प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकअप) को अभिदत्त करना पड़ा।

2.09.02. 16.50 लाख रुपये की परियोजना लागत पर मेटलसील तथा ट्रांजिस्टर हीटरों के निर्माण के लिये दिल्ली के एक व्यक्ति "ए" के सहयोग से गाजियाबाद में एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना प्रवर्तित करने के लिये 14 दिसम्बर 1976 को एक अनुबन्ध निष्पादित हुआ था। यह इकाई 25 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 23 मई 1977 को निगमित हुई थी। कम्पनी ने अपनी इक्विटी पूंजी के लिये 2 लाख रुपये अंशदान किया तथा इकाई की तरफ से 0.28 लाख रुपये का व्यय भी किया। सहप्रवर्तक ने 0.55 लाख रुपये का अंशदान किया।

इकाई ने दिसम्बर 1977 में सहप्रवर्तक के संयंत्र तथा मशीनें, कच्चे तथा तैयार माल तथा अग्रिम (2.16 लाख रुपये) ले लिये तथा उसके दायित्व (1.94 लाख रुपये) को भी अपने ऊपर ले लिया। इकाई द्वारा सहप्रवर्तक को दिसम्बर 1976 से दिसम्बर 1977 तक की अवधि के लिए इकाई को हस्तांतरित मशीनरी की लागत तथा ऋण पर ब्याज (0.25 लाख रुपये) तथा दिसम्बर 1976 से मई 1977 की अवधि के लिये किराये पर लिये गये कारखाना भवन के किराये (0.20 लाख रुपये) के संबंध में 0.45 लाख रुपये का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने अपने प्रतिवेदन में अंशधारियों को बताया कि संयुक्त क्षेत्र भागीदार द्वारा अल्प उद्यमशीलता तथा इक्विटी का पूरा अंश लाने में उसकी असमर्थता के कारण कारखाना अप्रैल 1979 से बंद पड़ा है। 1977–78 तथा 1978–79 के दौरान की गई 3720 रुपये की नमूना बिक्री में से 50 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा शेष आंशिक रूप से संदिग्ध वर्गीकृत किया गया। 31 मार्च 1979 को एकत्रित घाटे की राशि 2.85 लाख रुपये थी (2.55 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध) जिसको इकाई के लेखे में विकासजन्य व्यय के रूप में अग्रेणित किया गया।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने इकाई का लेनदारों की इच्छा पर परिसमापन (क्रेडिटर्स वालेन्टरी वाइन्डिंग अप) करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 1980)। इकाई के परिसमापन के निमित्त अभी तक (मार्च 1982) कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

2.09.03. 20.52 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर सिरामिक कैपेसिटरों तथा रेसिस्टर बाडियों के निर्माण हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिये तीन वैयक्तिक सहप्रवर्तकों से, जो पूणे की एक प्राइवेट कम्पनी में निदेशक रह चुके थे, जो उसी उत्पाद का निर्माण करती रही थी और जो अवसायन (लिक्विडेसन) के अंन्तर्गत थी, के सहयोग से 10 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ कानपुर में 1 मार्च 1977 को एक इकाई "बी" निगमित हुई थी। परियोजना की लागत की वित्त व्यवस्था, कम्पनी, सहप्रवर्तकों तथा जनता द्वारा (26:25:49 के अनुपात में) 4 लाख रुपये के इक्विटी अंशदान तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से 16.52 लाख रुपये के ऋण द्वारा होनी थी। तथापि 31 मार्च 1979 को इकाई की अंशपूंजी के निमित्त वास्तविक विनियोजन निम्न प्रकार से था:

	धनराशि (रुपये)
कम्पनी	1,37,800
सहप्रवर्तक	1,32,500
पिकअप	2,57,200
योग	5,27,500

1,37,800 रुपये के इक्विटी विनियोजन के अतिरिक्त कम्पनी ने इकाई को अक्टूबर 1978 में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1 लाख रुपये कर्ज के रूप में दिया।

इकाई ने विचार विनिमय (अप्रैल 1977) द्वारा पूणे की उक्त प्राइवेट कम्पनी से 3.26 लाख रुपये में संयंत्र तथा कच्चे माल जिसमें 0.60 लाख रुपये की एक विद्युत भट्टी, जो कानपुर में लाई गयी (अप्रैल 1977) शामिल थी, का क्रय किया तथा अगस्त 1977 में उत्पादन आरम्भ किया। भट्टी ने कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया। इकाई ने पास के सुरक्षा प्रतिष्ठापन से कम्पन क कारण 0.36 लाख रुपये (36 हीटिंग तत्वों की प्रतिस्थापित लागत) की हानि उठाई।

इकाई ने अनार्थिक उत्पादन लागत तथा आयातित सिरामिक कैपेसिटरों की निम्नतर दरों पर उपलब्धता के कारण जून 1979 में उत्पादन बन्द कर दिया। 31 मई 1979 को इकाई की एकत्रित हानि की राशि 6.70 लाख रुपये होती थी जो इकाई की प्रदत्त पूंजी से (5.28 लाख रुपये) से अधिक हो गई थी। कम्पनी का 1.38 लाख रुपये का विनियोजन अब तक (जून 1982) निष्फल रहा है। इसके अतिरिक्त इकाई से ऋण, ब्याज, शेडों का किराया तथा इकाई की तरफ से किये गये अन्य व्यय की मदों पर 2.67 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य थी।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने इकाई को समाप्त करने का निर्णय लिया (सितम्बर 1980) परन्तु अब तक (जून 1982) इकाई के परिसमापन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

2.09.04 बम्बई के एक सहप्रवर्तक के साथ कम्पनी द्वारा नवम्बर 1976 में निष्पादित तथा जुलाई 1978 में पुनरीक्षित अनुबंध के अनुसार पावर इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 30 अप्रैल 1977 को संयुक्त उपक्रम के रूप में साहिबाबाद (गाजियाबाद) में इकाई "सी" निगमित हुई थी। 31 मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार कम्पनी ने सहप्रवर्तक द्वारा 5.50 लाख रुपये के अंशदान के विरुद्ध इकाई की अंश पूंजी के निमित्त 16.50 लाख रुपये का अंशदान किया (दिसम्बर 1980)। इस संबंध में निम्न बातें जानकारी में आईं :

सहप्रवर्तक द्वारा अभिदत्त (अप्रैल 1977 से जुलाई 1978 तक) 5.50 लाख रुपये में से 4.50 लाख रुपये की राशि जानकारी (नो–हाऊ) के रूप में थी। इकाई द्वारा लिये जाने वाले सह प्रवर्तक के संयंत्र तथा मशीनों के मूल्यांकन हेतु कम्पनी तथा सहप्रवर्तक द्वारा नियुक्त (मई 1978)

संयुक्त मूल्यांकक ने अभियुक्ति दी (मार्च 1979) कि "जानकारी का अधिकांश भाग वास्तव में डिजाइन अभियंत्रण टीम में निहित है न कि नक्शों में तथा इन नक्शों में से 75 प्रतिशत को बदलना होगा।" अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु तकनीशियन प्रतिनियुक्त करने के बजाय सहप्रवर्तक की डिजाइन अभियंत्रण टीम ने 2500 रुपये से 7949 रुपये प्रति माह के वेतन पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना, जैसा कि राज्य सरकार के दिसम्बर 1974 तथा फरवरी 1981 के निर्देशों में वांछित था, इकाई में कार्य ग्रहण किया (अप्रैल 1977 से जनवरी 1981)।

यद्यपि अनुबंध में सहप्रवर्तक के संयंत्र तथा मशीनरी के स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं थी, इन्हें 1.02 लाख रुपये के अपलेखित मूल्य, जिसमें 0.88 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मरम्मत वांछित 97 केबिनिट सम्मिलित थे, के विरुद्ध 1979-80 में 3.50 लाख रुपये में (मूल मूल्य: 4.71 लाख रुपये) इकाई को स्थानान्तरित कर दिया गया।

पुनरीक्षित अनुबंध (जुलाई 1978) की शर्तों के अन्तर्गत सहप्रवर्तक के पास पड़े हुए विद्यमान आदेशों का इकाई को हस्तान्तरण वैकल्पिक था। परन्तु, इकाई ने 36.10 लाख रुपये के पड़े हुए आदेशों को स्वीकार कर लिया जो दिसम्बर 1978 से अगस्त 1979 के दौरान प्राप्त हुए थे तथा सह प्रवर्तक के पास उन दरों पर पड़े थे जो दिसम्बर 1979 में प्रचलित दर से 30 प्रतिशत निम्नतर थे। दिसम्बर 1979 से सितम्बर, 1980 की अवधि के दौरान स्वीकार किये गये पुराने (पेन्डिंग) आदेशों के विरुद्ध 8.88 लाख रुपये की आपूर्तियां की गयीं जिसके फलस्वरूप 3.88 लाख रुपये की सीमा तक लाभ में घटोत्तरी हुई।

2.09.05. अन्य संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें

उपरोक्त संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं में विनियोजन के अतिरिक्त कम्पनी ने निम्नलिखित अन्य संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं में 63.50 लाख रुपये का विनियोजन किया :

इकाई का नाम	निगमन की तिथि	प्रदत्त पूंजी	कम्पनी का विनियोजन	उत्पाद
		(रुपये लाखों में)		
डी	11 अगस्त 1976	20.00 (30 जून 1980)	5.20 (31 मार्च 1981)	इलेक्ट्रानिक डाटा उत्पाद
ई	30 मई 1977	24.89 (31 मार्च 1981)	9.30	टी वी पिक्चर ट्यूब
एफ	1 फरवरी 1979	30.00 (30 जून 1981)	15.00	औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स उपकरण तथा अवयव
जी	30 अक्तूबर 1979	59.00 (31 जुलाई 1981)	34.00	उच्च विश्वसनीयता के केपेसिटर

जानकारी में आई कुछ बातें नीचे इंगित की जाती हैं :

(i) इकाई "ई" में कम्पनी के विनियोजन (9.30 लाख रुपये) के विरुद्ध सहप्रवर्तक के विनियोजन (9.02 लाख रुपये) में 4.97 लाख रुपये सम्मिलित हैं जो उनके द्वारा भूमि की लागत (3 लाख रुपये) तथा उस पर बनाये गये स्ट्रक्चर पर व्यय (1.97 लाख रुपये) के रूप में अभिदत्त हुई थी। परियोजना जो मूल रूप में 1977-78 में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये नियत थी, सितम्बर 1981 में उत्पादन आरंभ किया। देरी का कारण वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा आपूर्तिकर्ताओं से संयंत्र तथा मशीनरी को प्राप्ति में विलम्ब बताया गया (सितम्बर 1981)।

(ii) गाजियाबाद में इकाई "एफ" 108 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर औद्योगिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अवयव के निर्माण हेतु स्थापित हुई थी जिसका मेटल फिल्म रेसिस्टरों की एक अन्य परियोजना की लागत को सम्मिलित करने के लिये 270 लाख रुपये तक पुनरीक्षित कर दिया गया, परिणामत: कम्पनी की प्रस्तावित पूंजी भागीदारी में 10.40 लाख रुपये से 27.56 लाख रुपये तथा सहप्रवर्तक की 10 लाख रुपये से 26.50 लाख रुपये की वृद्धि हो गयी जिसके विरुद्ध कम्पनी तथा सहप्रवर्तक प्रत्येक ने मार्च 1981 तक 15 लाख रुपये का विनियोजन किया था। कोई सार्वजनिक निर्गमन नहीं किया गया था (जून 1981)।

इकाई ने दिसम्बर 1979 की निर्धारित तिथि के विरुद्ध जनवरी 1981 में पावर इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन प्रारम्भ किया तथा मेटल फिल्म रेसिस्टरों की परियोजना अभी प्रक्रिया में थी (दिसम्बर 1981)।

(iii) उच्च विश्वसनीयता के कैपेसिटरों के निर्माण के लिये दिल्ली की एक फर्म तथा स्वीडन में उनके सहयोगी जिनकी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी ने (क) घरेलू बिक्री तथा निर्यात के संबंध में कारखाना मूल्य (फैक्टरी प्राइस) के क्रमश: 4 तथा 5 प्रतिशत की दर पर रायल्टी के भुगतान के प्राविधान के साथ उच्च विश्वसनीयता के कैपेसिटरों के निर्माण की 25.20 लाख रुपये में तकनीकी जानकारी तथा (ख) 51.30 लाख रुपये में पुराने संयंत्र तथा मशीनों (आस्ट्रेलिया से हटा कर लाना था) की आपूर्ति हेतु दो अनुबन्ध निष्पादित किये थे (जून 1978), के सहयोग से 150 लाख रुपये की परियोजना लागत पर गाजियाबाद में इकाई "जी" निगमित हुई थी।

परियोजना लागत मुख्यतौर पर परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण 185 लाख रुपये (दिसम्बर1978), 227 लाख रुपये (जनवरी 1980) तथा पुन:254 लाख रुपये (सितम्बर 1980) तक पुनरीक्षित हुई थी। विभिन्न श्रेणी माला के कैपेसिटरों के उत्पादन हेतु सितम्बर 1980 में एक अन्य परियोजना (लागत: 30 लाख रुपये) प्रारम्भ की गयी जिसके लिये पहले संयंत्र तथा मशीनों को देश में निर्मित करने की योजना थी। परन्तु इकाई के निदेशक मंडल की बैठक (नवम्बर 1980) में उपस्थित विदेशी सहयोगी तथा विदेशी निदेशकों की सलाह पर संयंत्र तथा मशीनों (30 लाख रुपये) को आयात करने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार एक विदेशी फर्म को आदेश प्रसारित कर दिये गये (सितम्बर तथा दिसम्बर 1980)। पुनरीक्षित परियोजना लागत (254 लाख रुपये) को कम्पनी, सहप्रवर्तक तथा जनता द्वारा 26:25:49 के अनुपात में अंशदत्त होने वाली इक्विटी (100 लाख रुपये) तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण (154 लाख रुपये) द्वारा वित्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इकाई की इक्विटी में 34 लाख रुपये के विनियोजन के अतिरिक्त कम्पनी ने परियोजना के संबंध में विदेशी यात्राओं पर 0.54 लाख रुपये का व्यय किया था जिसकी अदायगी इकाई द्वारा इस आधार पर कि इसको कोई फायदा नहीं अर्जित हुआ भुगतान नहीं किया गया था।

जून 1980 में उत्पादन आरंभ करने के लिये नियत इकाई अभी निर्माणाधीन थी (जून 1982)।

2.10. तकनीकी जानकारी पर परिहार्य व्यय

उच्च विश्वसनीयता के इलेक्ट्रानिक अवयवों के निर्माण हेतु इकाई 'जी' (एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना) के लिये संयंत्र एवं मशीनरी (51.30 लाख रुपये) तथा तकनीकी जानकारी (25.20 लाख रुपये) की आपूर्ति हेतु स्वीडन की एक फर्म के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित (जून 1978)

अनुबंध में कच्चे माल के विवरण तथा विशिष्टियों से सबंधित (जिसमें खुदे हुए अल्युमिनियम के पत्तर की 'एनाडिक फार्मिंग' सम्मिलित थी) तकनीकी जानकारी का हस्तान्तरण भी शामिल था । इसके बावजूद कम्पनी ने अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड (एक सहायक कम्पनी) के लिये खुदे हुए अल्युमीनियम के पत्तर की एनाडिक फार्मिंग के निर्माण के निमित्त प्रक्रिया प्रलेख पोषण (प्रोसेस डाकूमेंटेशन) तथा ड्राइंग के लिये इटली की एक फार्म के साथ एक दूसरा अनुबंध निष्पादित किया, परिणामत: 1.40 लाख जर्मन मार्क (5.70 लाख रुपये) का परिहार्य व्यय हुआ ।

चूंकि स्वीडिश फर्म के साथ निष्पादित अनुबंध में तकनीकी जानकारी सूचना के हस्तान्तरण के निमित्त भुगतान सम्मिलित था, एनाडिक फार्मिंग प्रक्रिया में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु उक्त फर्म का उपयोग न किये जाने के फलस्वरूप उक्त फर्म को अभिप्राय रहित लाभ तथा इकाई को परिहार्य व्यय हुआ ।

2.11. औद्योगिक बस्तियों का विकास

कम्पनी ने इक्लेट्रानिक तथा सबद्ध मदों के धंधों में लगे हुए समस्त उद्यमियों, जिन्हें सरकार व कम्पनी के अपने धन से निर्मित शेड आबंटित हुए थे, तथा उन उद्यमियों को भी जिन्हें यू पी एस आई डी सी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भूखण्ड आबंटित किये गये थे, को तकनीकी सहायता प्रदान किया था ।

(क) रोजगार संबर्द्धन कार्यक्रम

भारत सरकार (योजना आयोग) ने रोजगार संबर्द्धन कार्यक्रम 1974-75 के अन्तर्गत 330.80 लाख रुपये के पूंजीगत परिव्यय की विभिन्न स्वत: रोजगार योजनायें तथा 9.20 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण का अनुमोदन किया (जनवरी 1975) । इन योजनाओं के लिये धन राज्य सरकार को 50:50 के अनुपात में ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया जाना था । प्रशिक्षण के लिये धन अनुदान के रूप में दिया जाना था । ये योजनायें 31 मार्च 1976 तक क्रियान्वित होनी थीं जो बाद में 31 मार्च 1979 तक बढ़ा दी गयीं ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने 1975-76 तथा 1976–77 में इलैक्ट्रानिक निर्माण हेतु 40 इकाइयां (1120 व्यक्तियों के रोजगार सृजित करने वाली) स्थापित करने के लिये 45.31 लाख रुपये (22.66 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 22.65 लाख रुपये अनुदान के रूप में) तथा प्रशासनिक व्यय के लिये 2.16 लाख रुपये प्राप्त किया । कम्पनी ने 80 अभियंत्रण स्नातकों/डिप्लोमा होल्डरों के 4 महीने के प्रशिक्षण हेतु 1.01 लाख रुपये (1975–76) भी प्राप्त किया । कम्पनी द्वारा ऋण के अदायगी इसके आहरण की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में, समय से अदायगी पर 3.5 प्रतिशत की छूट की शर्त पर, 11.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ होनी थी । सम्पूर्ण धन इकाइयों को समय से अदायगी की दशा में 3.5 प्रतिशत छूट की शर्त पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से मार्जिन/सीड मनी ऋण के रूप में वितरित होने आवश्यक थे । परन्तु कम्पनी न मार्जिन मनी ऋण के निमित्त 24 इकाइयों (314 व्यक्तियों को रोजगार सृजित करने वाली) को 5.33 लाख रुपये की राशि वितरित की (मार्च 1981 तक) । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 44.24 लाख रुपये भूमि की लागत तथा 29 शेडों के निर्माण (28.41 लाख रुपये), प्रशासनिक व्यय (8.47 लाख रुपये) तथा अनुदान को भारित किये गये उक्त ऋणों के ब्याज (7.36 लाख रुपय) पर खर्च किया । प्रशिक्षण के लिये 1.01 लाख रुपये के अनुदान के विरुद्ध 25 व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर 0.30 लाख रुपये का व्यय हुआ । उद्योग निदेशक द्वारा मार्च 1980 में विकास व्यय (6.71 लाख रुपये) के दावे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया था (मार्च 1982) । इस प्रकार जिन उद्देश्यों के लिये ये धन प्राप्त हुए थे उन पर न होकर अधिकांश धनराशि अन्य उद्देश्यों पर खर्च की गयी ।

शेडों को भूक्षेत्र का विचार किये बिना जो 5519 वर्ग फीट से 10862 वर्ग फीट के बीच थे, 500 रुपये से 650 रुपये के मासिक किराये पर आबंटित किया गया था तथा ये अपने पूर्ण होने के 2 से 26 महीन की अवधि के बाद आबाद हुए । इसके परिणामस्वरूप 1.23 लाख रुपय के किराये

की हानि आवंटन में देरी (0.88 लाख रुपये) तथा आवंटियों द्वारा आबाद करने में देरी (0.35 लाख रुपये) के कारण हुई। 30 जून 1981 तक कुल प्राप्य किराये (7.20 लाख रुपये) में से 5.36 लाख रुपये (विलम्बित भुगतान पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को छोड़ कर) की राशि 22 आवंटियों के विरुद्ध बकाया थी (सितम्बर 1981)।

(ख) रायबरेली में सहायक बस्ती

पिकअप द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से क्रय की गयी (सितम्बर 1974) भूमि पर कम्पनी ने अपने स्वयं के धन से 8 शेडों का निर्माण आरंभ किया (नवम्बर 1976)। शेडों का निर्माण 90,000 रुपये से 91,350 रुपये प्रत्येक की लागत पर नवम्बर 1978 में पूरा हुआ तथा ये 5 सहायक तथा 3 गैर सहायक इकाइयों को लागत मूल्य पर बच दिये गय (जून 1978–जनवरी 1979) जिनके संबंध में 0.80 लाख रुपये की राशि अभी भी एक इकाई से प्राप्य थी (मार्च 1982)।

(ग) औद्योगिक बस्तियों की प्रगति

कम्पनी ने प्रशासनिक व्यय का सरकार द्वारा भुगतान पर (परियोजना लागत का 2 प्रतिशत अधिकतम) न्वायडा (गाजियाबाद) सहिबाबाद (गाजियाबाद) तथा आगरा में इलेक्ट्रानिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान की। 1976–77 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के लिये 16.14 लाख रुपये के दावे के विरुद्ध कम्पनी ने राज्य सरकार से मात्र 12.51 लाख रुपये प्राप्त किया। सरकार द्वारा 3.63 लाख रुपये की धनराशि इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी कि कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की कम्पनी को प्रतिपूर्ति मान्य नहीं थी।

(घ) अगस्त 1981 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक बस्तियों की प्रगति निम्न तालिका में इंगित की जाती है :

विवरण	न्वायडा	साहिबाबाद	आगरा	कानपुर	रायबरेली	योग
			(संख्या में)			
स्थापित होने वाली इकाइयां	300	40	16	40	24	420
सृजित होने वाले रोजगार	7500	1300	340	1120	544	10804
प्राप्त आवेदन-पत्र	1230	76	24	81	313	1724
चयनित इकाइयां	128	48	9	32	18	235
आवंटित शेड / भूखण्ड	107	31	3	34	13	188
इकाइयां जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया	26	15	..	25	7	73
वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कुल ऋण (लाख रुपयों में)	211.88	328.15	..	120.68	13.24	673.95
इकाइयां जिन्होंने मशीनरी स्थापित कर ली थी	20	5	..	21	9	55
वाणिज्यिक उत्पादन के अन्तर्गत इकाइयां	15	3	..	19	9	46
परीक्षण उत्पादन के अन्तर्गत इकाइयां	4	2	..	2	..	8
रोजगार का सृजन	394	227	15	314	142	1092

विवरण	न्वायडा	साहिबाबाद	आगरा	कानपुर	रायबरेली	योग
			(संख्या में)			
इकाइयों का प्रतिशत जो मशीने स्थापित कर चुकी थीं						
शेडों / भूखण्डों की आवंटित संख्या पर	18.7	16.1	..	61.8	69.2	29.2
चयनित इकाइयों पर	15.6	10.4	..	65.6	50.0	23.4
सृजित होने वाले रोजगार पर सृजित किये गये रोजगार का प्रतिशत	5.3	17.5	4.4	28.0	26.1	10.1

इस प्रकार यह देखा जायेगा कि चयन की गई 235 में कवल 55 इकाइयां (23.4 प्रतिशत) अब तक (मार्च 1982) मशीनें स्थापित कर चुकी थीं ।

2.12. इलेक्ट्रानिक्स परीक्षण तथा विकास केन्द्र, कानपुर

अनुदान का उपभोग

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तय किये गये नाम मात्र के प्रभार की दर पर लघु एवं मध्यम स्तर इलेक्ट्रानिक इकाइयों में परीक्षण तथा कैलिवरेशन इत्यादि की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा, राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में कानपुर में एक इलेक्ट्रानिक्स परीक्षण तथा विकास केन्द्र की स्थापना की गयी (1974–75) । केन्द्र का पूंजीगत व्यय, केन्द्र सरकार से अनुदान जो कि अधिकतम 25 लाख रुपये होगा तथा राज्य सरकार के समान अनुदान से पूरा होना था । आवर्ती राजस्व व्यय राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु अलग से प्रदान किये गये अनुदान से पूरा होना था । 1980–81 तक 48.83 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ (केन्द्रीय सरकार : 24.97 लाख रुपये, राज्य सरकार : 23.86 लाख रुपये) जिसके विरुद्ध 40.94 लाख रुपये का उपभोग भवन निर्माण (9.20 लाख रुपये), संयंत्र तथा मशीनरी के क्रय (26.09 लाख रुपये) तथा अन्य संपत्तियों (5.65 लाख रुपये) के क्रय पर किया गया । संयंत्र तथा मशीनरी पर किये गये व्यय में, अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड तथा अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड के प्रांगण में स्थापित संयंत्र तथा मशीनरी पर व्यय (5.98 लाख रुपये) तथा कम्पनी के मुख्यालय पर उपयोग में लाया गया (जुलाई 1975 से मार्च 1981) एक वाहन (0.52 लाख रुपये) शामिल था ।

प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर 1981) कि चूंकि इस केन्द्र के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी तथा उद्यमियों से पर्याप्त कार्य भी नहीं था, उपकरणों का एक भाग (6.50 लाख रुपये) सहायक कम्पनियों को इस अभिप्राय के साथ दिया गया था कि उपकरणों का अनुरक्षण अपनी लागत पर करेंगी तथा उनके द्वारा कोई किराया नहीं दिया जायेगा ।

यद्यपि,सम्पूर्ण आवर्ती राजस्व व्यय राज्य सरकार के अनुदान से पूरा होना था, आवर्ती राजस्व व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की गयी । माच 1981 तक 25.54 लाख रुपये के कुल राजस्व व्यय तथा 2.34 लाख रुपये की आय (उद्यमियों के उपकरणों के परीक्षण तथा कैलीवरेशन पर) के विरुद्ध कम्पनी ने राज्य सरकार से 17.43लाख रुपये राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त किया था । 5.77 लाख रुपये की कमी को सरकार की स्वीकृति के बिना पूंजीगत अनुदान से पूरा किया गया ।

प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर 1981) कि व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था (फरवरी 1981) तथा सक्रिय रूप से विचाराधीन था ।

2.13. लेखे तथा आन्तरिक सम्परीक्षा

एक सहायक प्रबंधक (आंतरिक सम्परीक्षा) तथा दो सहायकों से युक्त कम्पनी के पास अपना स्वयं का आंतरिक सम्परीक्षा संगठन है । फिर भी कम्पनी ने आंतरिक सम्परीक्षा सम्पन्न करने तथा लेखा मैनुअल तैयार करने हेतु तीन महीने के लिये (जुलाई से सितम्बर 1978) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म को नियुक्त किया । फर्म ने न तो लेखा मैनुअल ही तैयार किया और न कोई आंतरिक सम्परीक्षा ही सम्पन्न की ।

मैनुअल के अभाव में लेखा कार्य समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों तथा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था। सांविधिक लेखा परीक्षकों न कम्पनी के 31 मार्च 1979 तथा 1980 के लेखाओं पर अपने प्रतिवेदन में कम्पनी की प्रकृति तथा आकार के अनुसार आंतरिक सम्परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परामर्श दिया था।

2.14. अन्य रोचक विषय

(क) पंजीकृत कार्यालय के लिये आवास

कम्पनी ने 9,000 रुपये मासिक दर पर लखनऊ में एक भवन (क्षेत्रफल 6000 वर्ग फीट) किराये पर लिया (नवम्बर 1979) तथा भूस्वामी को किराये के निमित्त 76,500 रुपये अग्रिम भुगतान किया (जून 1980)। उक्त भवन को इस आधार पर आबाद नहीं किया गया कि भूस्वामी इसके निर्माण के लिये नगर महापालिका अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

अग्रिम के रूप में भुगतान किये गये धन की वसूली दिसम्बर 1980 से जुलाई 1981 के दौरान 12,750 रुपये की छः बराबर किश्तों में की गयी। इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को बकाये अवशेषों पर 16 प्रतिशत की दर से 9,000 रुपये के ब्याज की हानि हुई थी।

(ख) बैंक प्रभारों का परिहार्य भुगतान

इलाहाबाद स्थित कारखाने के विपत्रों की उगाही, मांग ड्राफ्टों, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर के निर्गमन तथा दस्तावेजों के समाशोधन हेतु भुगतान, एक बैंक (जिससे कारखाने ने नकद साख की व्यवस्था कर रखी थी) के द्वारा बैंक प्रभार के भुगतान पर किये जा रहे थे, बैंक से एक सूचना (अगस्त 1979) मिलने पर कि इन समस्याओं के प्रभार बढ़ाये जा रहे थे; कारखाने ने दो अन्य बैंकों से पूछा (अगस्त 1979) कि क्या वे प्रभारमुक्त सेवा प्रदान कर सकते थे। यद्यपि एक बैंक प्रभारमुक्त सेवा प्रदान करने पर सहमत हो गया (अगस्त 1979), कारखाने ने वर्तमान बैंक से सेवायें लेना जारी रखा तथा वह बैंक पहले भारित किये जाने वाले दरों पर सेवायें प्रदान करने पर सहमत हो गया (अगस्त 1979)। इकाई ने दूसरे बैंकों में खाता खोलने के लिये मुख्यालय पर सम्पर्क किया था (अगस्त 1979) जो मंडल द्वारा अप्रैल 1981 में अनुमोदित हो गया; खाते अभी तक (सितम्बर 1981) नहीं खोले गये थे। अगस्त 1979 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान भुगतान किये गये बैंक प्रभारों की राशि 0.86 लाख रुपये होती थी।

2.15. सारांश

(i) कम्पनी इलेक्ट्रानिक्स उद्योग बढ़ाने तथा विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से मार्च 1974 में निगमित हुई थी; मुख्य क्रियाकलाप टी वी सेटों का निर्माण एवं विक्रय तथा समान उद्योगों के संवर्द्धन से युक्त रहा है।

(ii) कम्पनी के पास अपने इलेक्ट्रानिक्स कारखानों में उत्पादों की लागत ज्ञात करने के लिये कोई अभिलेख नहीं है, यद्यपि मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मानक लागत विधि प्रणाली को अपनाना वांछनीय था।

(iii) टी वी सेटों की वास्तविक उत्पादन लागत परियोजना प्रतिवेदन में प्राविधानित लागत से सामग्री के अधिक उपभोग के कारण उच्चतर थी।

(iv) एक कैबिनिट आपूर्तिकर्ता को कैबिनिटों की आपूर्ति के लिये दरों में समवर्ती बटौती किये बिना प्लाई वुड के स्थान पर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ (0.90 लाख रुपये) के परिणाम वाले नोवोपान को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गयी।

(v) आपूर्तिकर्ता को त्रुटिपूर्ण सामग्री (1.24 लाख रुपये) प्रतिस्थापन हेतु वापस हुई थी परन्तु न तो प्रतिस्थापन ही प्राप्त हुआ और न भुगतान की वापसी ही प्राप्त हुई थी।

(vi) कम्पनी ने पूर्ण स्वामित्व की चार सहायक कम्पनियों में 31 मार्च 1981 तक इक्विटी तथा ऋणों में क्रमश: 88.09 लाख रुपये तथा 14 लाख रुपये विनियोजित किया था।

(vii) मार्च 1981 तक इक्विटी में 83.38 लाख रुपये तथा ऋण के रूप में 1 लाख रुपये के विनियोजन के साथ 7 संयुक्त क्षेत्र कम्पनियां प्रवर्तित की गयी।

(viii) दो संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों में 31 मार्च 1979 तथा 31 मई 1979 की स्थिति के अनुसार 7.83 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध एकत्रित हानि 9.55 लाख रुपये होती थी। मंडल ने दोनों इकाइयों को लेनदारों की इच्छा पर परिसमापन में ले जाने का निर्णय लिया (सितम्बर तथा अक्तूबर 1980) परन्तु परिसमापन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जून 1982)।

(ix) उद्यमियों को मार्जिन मनी ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन (45.31 लाख रुपये) के विरुद्ध कम्पनी ने 49.57 लाख रुपये 29 शेडों के निर्माण (28.41 लाख रुपये), मार्जिन मनी ऋण प्रदान करने (5.33 लाख रुपये) तथा प्रशासनिक व्यय (8.47 लाख रुपये) और ऋणों पर ब्याज (7.36 लाख रुपये) पर व्यय किया। योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

(x) इलैक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्र पर सम्पूर्ण आवर्ती व्यय को सरकारी अनुदान से पूरा करना था। सरकार ने आवर्ती व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की। कमी (5.77 लाख रुपये) को सरकार की अनुमति लिये बिना पूंजीगत अनुदान से पूरा किया गया।

(xi) यद्यपि कम्पनी के पास 1980-81 तक चार वर्षों की सम्पूर्ण अवधि में पर्याप्त धन रहा इसने नकद साख सुविधा का उपभोग किया तथा दण्ड ब्याज (0.46 लाख रुपये) के साथ ब्याज (11.59 लाख रुपये) का भुगतान किया।

मामला सरकार को दिसम्बर 1981 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 1982)।

अनुभाग III

प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एन्ड इनवैस्टमैन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

3.01. विषय प्रवेश

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवैस्टमैण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकअप) सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में, पहले से ही स्थापित या स्थापना के लिये प्रस्तावित मध्यम एवं बृहत् स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, राज्य में उद्योगों की प्रोन्नति एवं विकास के मुख्य उद्देश्य से 29 मार्च 1972 को निगमित की गई थी।

3.02. कार्य

कम्पनी को अपने उद्देश्यों के अनुसार राज्य के मध्यम एवं वृहत् स्तरीय उद्योगों को परि-सम्पत्तियों की अधिप्राप्ति और वर्तमान इकाइयों के नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार, इत्यादि के लिये सावधि ऋणों को प्रदान करना है।

वर्तमान में कम्पनी निम्न कार्यों में लगी हुई है :

—सावधि ऋणों की स्वीकृति एवं भुगतान;

—अंशों एवं ऋण-पत्रों की अन्डरराइटिंग;

—पूंजी अंशदान में भागीदारी;

—तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदनों को तैयार करना और औद्योगिक संकुलों तथा परियोजनाओं की स्थापना।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अभिकर्ता के रूप में (i) विक्रय कर ऋण के भुगतान तथा साख गारण्टी योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार के; (ii) पूंजी प्रतिदान योजना के लिए केन्द्रीय सरकार के तथा (iii) सीड कैपिटल स्कीम के लिये इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया (आई डी बी आई) के भी कार्य कर रही है।

3.03. प्रबन्ध

कम्पनी का प्रबन्ध 15 निदेशकों वाले निदेशक मण्डल में निहित है, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक सहित 5 निदेशक राज्य सरकार द्वारा, एक आई डी बी आई द्वारा नामित किए जाते हैं तथा शेष उद्योगपतियों, वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त किए जाते हैं और बारी-बारी से रिटायर होते हैं।

3.04. पूंजी ढांचा

31 मार्च 1981 को कम्पनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 10 लाख अंशों में 10 करोड़ रुपये थी। 7.21 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी (31 मार्च 1981 को) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

3.05. उधार

(क) कम्पनी ने 1980–81 तक नीचे बतायी गई योजनाओं/उद्देश्यों के लिये राज्य सरकार से कुल 1789.44 लाख रुपये के ऋण प्राप्त किये थे :

योजना/उद्देश्य	धनराशि (लाख रुपयों में)
विक्रय कर ऋण (ब्याज मुक्त)	1115.00
पूंजी भागीदारी ऋण (13 प्रतिशत ब्याज पर)	50.00
परियोजनाओं और संकुलों की स्थापना के लिये ऋण (ब्याज मुक्त)	187.94
मार्जिन मनी ऋण (10.25 प्रतिशत ब्याज पर)	11.50
अन्य ऋण (13.5 प्रतिशत ब्याज पर)	425.00
	1789.44

(ख) कम्पनी ने बैंकों से भी ऋण लिए, बंध-पत्रों तथा ऋण-पत्रों के निर्गमन द्वारा धन एकत्रित किया और 31 मार्च 1981 को बकाया धनराशियां नीचे दर्शायी गई हैं:

श्रोत	प्राप्त की गई धनराशि	31 मार्च 1981 को बकाया धनराशि
	(लाख रुपयों में)	
बन्ध पत्र (6.25 से 7.00 प्रतिशत)	770.00	770.00
ऋण-पत्र (10.25 प्रतिशत)	255.01	255.01
आई डी बी आई–पुनर्वित्त योजना (पिछड़ा क्षेत्र: 6 प्रतिशत, सामान्य क्षेत्र : 9 प्रतिशत)	819.66	773.45
बैंकों के ओवरड्राफ्ट	25.07	शून्य
योग	1869.74	1798.46

3.06. कार्यकलाप के परिणाम

1980–81 तक की तीन वर्षों में कम्पनी के क्रिया कलापों ने 63.85 लाख रुपये और 72.94 लाख रुपये का लाभ (कर एवं संचयों के प्राविधान के पहले) क्रमश: 1978–79 एव 1979–80 में तथा 2.80 लाख रुपये की हानि 1980–81 के दौरान दर्शायी। प्रारम्भ से ही कम्पनी लेखाओं को प्रोद्भूत आधार (एक्रूअल बेसिस) पर रखती थी। निदेशक मण्डल के निर्णय (अक्टूबर 1981) के अनुसार 1980–81 के लखे वसूल न की गई ब्याज आय पर आयकर में राहत प्राप्त करने के लिये नगदी आधार (कैश बेसिस) पर तैयार किये गय। कम्पनी के अनुमान के अनसार 1980–81 का लाभ 97.04 लाख रुपये होता यदि कम्पनी के लेखाओं को प्रोद्भूत आधार पर रक्खा गया होता।

प्रोद्भूत आधार के बजाय नगदी आधार पर लेखाओं का संकलन न केवल व्यापारिक लेखा पद्धति के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनिवार्य प्राविधानों के भी विपरीत है।

3.07. ऋण परिचालन

(क) ऋणों के स्वीकृत करने की प्रणाली

कम्पनी प्रत्येक मामले में 30 लाख रुपये से 45 लाख रुपये की सीमा में उद्यमियों को ऋण स्वीकृत करती है, क्योंकि इस सीमा से कम के ऋण उत्तर प्रदेश फाइनैन्सियल कारपोरेशन (यू पी एफ सी) द्वारा दिए जाते हैं और जहां किसी इकाई की धन की आवश्यकता 45 लाख रुपये से अधिक की होती है वहां सावधि ऋण अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलकर संयुक्त रूप से स्वीकृत किए जाते हैं।

ऋण के लिये आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर कम्पनी परियोजना की तकनीकी तथा वित्तीय साध्यता पर विचार करती है जिससे कि परियोजनाओं से मिलने वाले लाभ, जैसे, सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार एवं आय का सृजन, राज्य के राजस्व में योगदान आदि सुनिश्चित हो सकें।

संयुक्त वित्त व्यवस्था के मामले में मूल्यांकन या तो कम्पनी द्वारा या अग्रगामी संस्था के रूप में कार्य करने वाली अन्य वित्तीय संस्था द्वारा किया जाता है। अग्रगामी संस्था द्वारा तैयार की गई टिप्पणी सावधि ऋणों के लिये निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आधार बनती है। अनुमोदन के बाद, स्वीकृति आशय पत्र के रूप में सूचित की जाती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज की दर, पुनर्भुगतान की शर्तें एवं अवधि, जमानत, आदि दर्शायी जाती हैं। सम्पत्ति के न्यायोचित बंधक के अतिरिक्त, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिये इकाई में अधिकतम संख्या में अंश धारण करने वाले निदेशक से व्यक्तिगत गारण्टी भी ली जाती है। परिसम्पत्ति के रूप में दी जाने वाली जमानत की सीमा उल्लिखित नहीं की गई है। किन्तु कम्पनी पिछड़े जिलों में स्थापित इकाइयों के मामले में दी गई जमानत के 25 प्रतिशत की मार्जिन और अन्य मामलों में 30 प्रतिशत की मार्जिन पर सावधि ऋणों को स्वीकृत कर रही थी।

(ख) ऋणों की स्वीकृति

निम्नलिखित तालिका 1980-81 तक की तीन वर्षों के अन्त में प्राप्त किए गये, स्वीकृत किए गये, वापस किये गए तथा पड़े हुए ऋण आवेदन पत्रों के विवरण दर्शाती है:

	1978–79		1979–80		1980–81	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
			(धनराशियां लाख रुपयों में)			
वर्ष के प्रारम्भ में पड़े हुए आवेदन-पत्र	7	181.93	21	682.76	39	1180.40
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र	44	1362.64	65	1763.70	66	1697.78
जोड़	51	1544.57	86	2446.46	105	2878.18
स्वीकृत किए गये आवेदन-पत्र	27	786.92	38	995.01	49	1253.60
निरस्त/वापस किए गये आवेदन-पत्र	3	74.89	9	271.05	29	754.74
वर्ष के अन्त में पड़े हुए आवेदन-पत्र	21	682.76	39	1180.40	27	869.84

कम्पनी द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण करने की अवधि निर्धारित नहीं की गई। उन मामलों में जहां मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है आवेदन-पत्रों के निस्तारण करने में 2 से 3 माह तक लगता है बशर्ते सभी वांछित सूचना इकाई द्वारा एक समय में दे दी जाती है। संयुक्त वित्त व्यवस्था वाले मामलों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जब निर्णय ले लिया जाता है उसके बाद कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

31 मार्च 1981 तक, 141 इकाइयों को कुल 4972.75 लाख रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किए गये। उत्पादन के सामान्य स्तर पर इन इकाइयों की कुल बिक्री और उनकी रोजगार क्षमता कम्पनी द्वारा क्रमशः 49517.70 लाख रुपये तथा 27205 व्यक्ति अनुमानित की गई थी, लेकिन कम्पनी के पास वास्तविक बिक्री एवं सृजित हुए रोजगार के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

(ग) ऋणों का भुगतान

उधार लेने वाले को स्वीकृत कर्ज का 25 प्रतिशत स्वीकृति की तिथि से छः माह के अन्तर्गत और अतिरिक्त 50 प्रतिशत 12 माह के अन्तर्गत और शेष 18 माह के अन्तर्गत आहरण करना पड़ता है, जिसमें असफल होने पर कम्पनी ऋण की पूरी धनराशि या उसका उपलब्ध न किया गया उतना हिस्सा जितना कि निर्णीत किया जाये, को निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

ऋण की पहली किश्त इकाई द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि के अधिग्रहण का प्रमाण, पूंजी निर्गमन नियंत्रक की स्वीकृति, ऋण में से किए जाने वाले व्यय के विवरण, इत्यादि देने के बाद ही भुगतान योग्य होती है। इसके अतिरिक्त, इकाई को वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध, सार्वजनिक निर्गमन की अन्डरराइटिंग और अन्य संस्थाओं द्वारा अंशपूंजी भागीदारी को भी दर्शाना पड़ता है और प्रवर्तकों को अपने हिस्से की पूंजी का 50 प्रतिशत अंशदान करना पड़ता है।

निम्न तालिका 1980–81 तक की तीन वर्षों के दौरान ऋणों की संचयी प्रभावी वचन बद्धता (स्वीकृति में अग्रेनीत मामलों को शामिल कर तथा निरस्तियों को निकालकर) और उनके प्रति भुगतान दर्शाती है :

	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
प्रभावी वचन बद्धता	1462.28	1928.25	2631.16
भुगतान	359.12	451.69	755.39
प्रभावी वचन बद्धता पर भुगतान की प्रतिशतता	24.6	23.4	28.7

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि उधार लेने वालों के द्वारा विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा करने में विलम्ब के कारण भुगतान की प्रगति स्वीकृतियों की प्रगति के बराबर न हो सकी। उन मामलों में जहां कानूनी औपचारिकताओं के पूरा करने में विलम्ब की सम्भावना थी वहां भुगतान की प्रगति को त्वरित करने के लिए कम्पनी ने पूर्व स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध ब्रिजिंग ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया (फरवरी 1980)। ये ऋण सावधि ऋणों पर ब्याज की सकल दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर छः माह की अवधि के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

जनवरी 1982 तक कुल 398 लाख रुपये के ब्रिजिंग ऋण 24 इकाइयों को भुगतान किए गये जिसमें से 18 इकाइयों को भुगतान किए गए 259 लाख रुपये जनवरी 1982 तक सावधि ऋणों में परिवर्तित कर दिए गए।

इसके अतिरिक्त, इण्डस्ट्रियल डेवलपमैंट बैंक आफ इण्डिया (आई डी बी आई), इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (आई एफ सी आई) और इण्डस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इनवेस्टमेंण्ट

कारपोरेशन आफ इण्डिया (आई सी आई सी आई) द्वारा स्वीकृत सावधि ऋणों के विरुद्ध 21 लाख रुपये का ब्रिजिंग ऋण 1980–81 के दौरान बुलन्दशहर की एक इकाई को भुगतान किया गया ; बुलन्दशहर की इकाई को छोड़कर सभी इकाइयों ने ब्याज दरों का भुगतान कर दिया है ; बुलन्दशहर इकाई पर 1.62 लाख रुपये का ब्याज बकाया था (जनवरी 1982)।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि निष्फल स्वीकृतियों को निरस्त करने से तथा ब्रिजिंग ऋणों की स्वीकृति द्वारा भुगतान की गति को त्वरित करने से कुल प्रभावी स्वीकृतियों पर भुगतान की प्रतिशत 1 बढ़ जायेगी ।

(घ) अनुबन्ध

इकाईयों को सावधि ऋण की स्वीकृति सूचित करने वाले आशय पत्र की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध को आशय पत्र की तिथि से 4 माह के अन्दर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि में, जो कम्पनी द्वारा अपनी स्वेच्छा से अनुमोदित की जाय, निष्पादित करना होता है। परख जांच (जून 1981) ने प्रगट किया कि :

–7 मामलों में (स्वीकृत धनराशि : 230.50 लाख रुपये) यद्यपि आशय पत्र, जिनमें ऋण की शर्तें सूचित की गई थीं, अक्टूबर 1978 और फरवरी 1980 के बीच निर्गमित किए गये थे लकिन न तो अनुबन्ध ही निष्पादित किए गए थे (जून 1981) और न ही ऋणों की स्वीकृतियां निरस्त की गई थी ;

–5 मामलों में अनुबन्धों के निष्पादन में 12 से 37 महीनों का विलम्ब हुआ ; और

–17 मामलों में (स्वीकृत धनराशि : 395 लाख रुपये) ऋण 4 माह की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद 12 से 56 महीनों में निरस्त किए गए ।

इन 17 मामलों में (स्वीकृत धनराशि : 395 लाख रुपये) कम्पनी ने वचनबद्ध प्रभार वसूल नहीं किए जबकि ऋण प्राप्त नहीं किए गए थे और बाद में निरस्त कर दिए गये थे। यद्यपि निदेशक मण्डल को यह सूचित किया गया था (जुलाई 1981) कि वचनबद्ध प्रभार लगाने के आई डी बी आई के सुझाव को पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया था।

(ङ) सावधि ऋण पर ब्याज दर

(i) आरम्भ में (अप्रैल 1972) सावधि ऋणों पर ब्याज की दर शीघ्र भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट के साथ 9.5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई थी । यह बाद में विभिन्न अवसरों पर धन एकत्रित करने की लागत में वृद्धि के कारण, अन्डरराइटिंग के व्यापार पर प्रतिलाभ की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए और बेशी धन, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशों के अनुसार कम ब्याज दर वाली सावधि जमाओं (5 से 5.5 प्रतिशत के बीच ब्याज दर पर) में लगाये जाते रहे थे, से प्राप्त अर्जन में अन्तर को पूरा करने के लिए, संशोधित की गई ।

ब्याज की दरें, जैसी कि कम्पनी ने समय-समय पर संशोधित की, नीचे दी जाती हैं :

तिथि जिससे ब्याज दर संशोधित की गई	पिछड़ा क्षेत्र				अन्य क्षेत्र			
	सकल दर		देयों को समय से भुगतान करने के लिए छूट को निकाल कर निवल दर		सकल दर		देयों को समय से भुगतान करने के लिए छूट को निकाल कर निवल दर	
	कम्पनी के धन से ऋण	पुनर्वित में से ऋण	कम्पनी के धन से ऋण	पुनर्वित में से ऋण	कम्पनी के धन से ऋण	पुनर्वित में से ऋण	कम्पनी के धन से ऋण	पुनर्वित्त में से ऋण
			(प्रतिशत)					
12 अगस्त 1977	12.0	12.0	10.5	9.5	14.0	14.0	12.5	12.0
28 अक्टूबर 1980	14.25	13.25	11.25	10.25	17.0	16.5	14.0	13.5
24 मार्च 1981	16.0	15.0	13.0	12.0	17.5	17.0	14.5	14.0

(ii) आशय पत्र में वर्णित प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की शर्तें कुछ मामलों में उन शर्तों से भिन्न थीं जो निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थीं ।

(iii) 4 मामलों में (भुगतान की गई धनराशि : 102 लाख रुपये) आशय पत्रों के अनुसार ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत थी तथा समय से पुनर्भुगतान करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट थी । यह दर ऐसे परिवर्तन की शर्त के अधीन थी जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जाये । यद्यपि निदेशक मण्डल द्वारा ब्याज की दरों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन (12 से 16 प्रतिशत) अनुमोदित किया गया था (सितम्बर 1974, मई 1975, अगस्त 1977, अक्टूबर 1980 और मार्च 1981) फिर भी आशय पत्र में वर्णित ब्याज दर ही प्रभारित की गई ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि कार्यकारी कठिनाइयों के कारण कम्पनी ने यह उचित नहीं समझा कि उसी पार्टी से ब्याज की परिवर्तनशील दरें चार्ज की जायें ।

(iv) एक मामले में (भुगतान की गई धनराशि : 15 लाख रुपये) आशय पत्र के अनुसार एक इकाई से प्रभारित की जाने वाली दर वह थी जो कि अनुबन्ध की तिथि पर प्रचलित हो । अनुबन्ध 4 जनवरी 1975 को किया गया, उस तिथि पर प्रचलित ब्याज दर 12.5 प्रतिशत थी तथा छूट 1.25 प्रतिशत थी । इसके विरुद्ध उपबन्धित तथा वास्तव में प्रभारित ब्याज दर 9.5 प्रतिशत तथा छूट 0.5 प्रतिशत थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि यद्यपि आशय पत्र में यह वर्णित किया गया था कि जिस तिथि पर ऋण अनुबन्ध किया जाता है इकाई उस तिथि पर प्रचलित दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करेगी, फिर भी निदेशक मण्डल के निर्णय (सितम्बर 1974) के अनुसार प्रारम्भ में कान्टैम्प्लेटिड ब्याज की दरों का अनुबन्ध में प्राविधान किया गया तथा प्रभारित की गई ।

किन्तु इसी तरह के दो अन्य मामलों में अनुबंध की तिथि पर प्रचलित ब्याज दर, जैसा कि आशय पत्रों में प्राविधान किया गया था, प्रभारित की गई थीं ।

इन मामलों में ब्याज प्रभारित करने में भिन्न भिन्न नीतियां अपनाने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

(च) पुनर्भुगतान न करना

निम्न तालिका 1980–81 तक की तीन वर्षों के अन्त में बकाया सावधि ऋण, मूलधन तथा ब्याज की अति प्राप्य धनराशि दर्शाती है :

31 मार्च को समाप्त हुआ वर्ष	बकाया सावधि ऋण	अति प्राप्य			बकाया सावधि ऋण पर अति प्राप्यों की प्रतिशतता
		मूलधन	ब्याज	योग	
		(लाख रुपयों में)			
1979	1180.40	85.65	61.70	147.35	12.5
1980	1567.21	146.53	105.45	251.98	16.1
1981	2252.77	180.00	170.89	350.89	15.6

अति प्राप्यों की धनराशि में 26 इकाइयों से प्राप्य 237.74 लाख रुपये (मूलधन : 159.70 लाख रुपये तथा ब्याज : 78.04 लाख रुपये) जिनके भुगतान कम्पनी द्वारा स्थगित कर दिये गये थे शामिल नहीं हैं । अनेक मामलों में मूलधन और ब्याज की किश्तों के आस्थगन के बाद भी अति प्राप्य उर्द्धमुखी रुख प्रदर्शित कर रहे थे ।

निम्न तालिका 1980–81 तक के तीन वर्षों के मूलधन के अति प्राप्य और उनके विरुद्ध हुई वसूली दर्शाती है :

	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
वर्ष के प्रारंभ में अति प्राप्य	42.70	85.65	146.53
जोड़ी : वह धनराशि जो वर्ष के दौरान भुगतान के लिए देय हुई	136.93	156.51	205.35
योग	179.63	242.16	351.88
घटायी : वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	73.38	64.88	91.83
देय शेष	106.25	177.28	260.05
वह धनराशि जिसकी वसूली स्थगित कर दी गई थी	20.60	30.75	80.05
वसूली के लिए अति प्राप्य धनराशि	85.65	146.53	180.00
भुगतान के लिए प्राप्य धनराशि पर वसूली की प्रतिशतता	40.9	26.8	26.1

प्रबंधकों द्वारा, मूलधन का पुनर्भुगतान न करने का कारण विद्युत कटौती, कच्चे माल की कमी तथा कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण सहायता प्राप्त इकाइयों के परिचालन के अलाभकर स्तर का होना बताया गया (अक्टूबर 1980)।

31 मार्च 1981 को बकाये ऋणों तथा ब्याज का समयानुसार विश्लेषण निम्न प्रकार था :

	मूलधन		ब्याज		जोड़	
	इकाइयों की संख्या	धनराशि	इकाइयों की संख्या	धनराशि	इकाइयों की संख्या	धनराशि
			(धनराशि लाख रुपयों में)			
एक वर्ष या उससे कम के बकाये	21	73.60	40	115.66	43	189.26
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष तक के बकाए	13	46.90	17	32.06	17	78.96
दो वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष तक के बकाये	9	36.00	7	18.59	10	54.59
तीन वर्ष से अधिक के बकाये	5	23.50	3	4.58	5	28.08
जोड़		180.00		170.89		350.89

ऊपर वर्णित इकाइयों में से, 23 इकाइयों, जिन्हें 514.47 लाख रुपये के ऋण (10 इकाइयों के कुल 109.15 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण को शामिल करते हुए) दिए गए थे, ने मूलधन की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया था। अति प्राप्य धनराशि 139.15 लाख रुपये थी।

इन इकाइयों से ब्याज के रूप में वसूलने योग्य 303.53 लाख रुपयों में से 127.04 लाख रुपये की धनराशि वसूल की जा चुकी थी और 70.21 लाख रुपये की वसूली स्थगित की जा चुकी थी और 106.28 लाख रुपये की शेष धनराशि वसूली के लिए अधिप्राप्य थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि भुगतान न होने के मुख्य कारण बिजली की कमी, असंतुलित उपस्कर, विपणन की रुकावटें, इत्यादि थीं । यह और बताया गया कि वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए कम्पनी द्वारा अलग से एक वसूली कक्ष खोल दी गई थी ।

3.08. अनुश्रवण तथा अनुसरण

कम्पनी द्वारा सहायता दी गई इकाइयों के परिचालन पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने मुख्य वित्त अधिकारी के पद (मई 1975 से खाली पड़ा) को भरने के लिए और एक यांत्रिक अभियन्ता, एक रासायनिक अभियन्ता और एक वित्त अधिकारी से गठित एक अनुश्रवण तथा अनुसरण कक्ष, जिसका मुख्य वित्त अधिकारी अपने वित्त एवं मूल्यांकन प्रभागों के कार्यभार के अतिरिक्त समग्र प्रभारी होगा, को खोलने के लिए निर्णय लिया (अक्टूबर 1977) ।

मुख्य वित्त अधिकारी का पद जनवरी 1978 में भर दिया गया था किन्तु इकाइयों से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों पर आधारित परियोजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन निदेशक मण्डल को प्रस्तुत नहीं किए गये थे यद्यपि निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार इस तरह के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्राविधान था । निदेशक मण्डल के निदेशों के अनुसार निरीक्षणों की व्यवस्था नहीं की गई थी और प्रति वर्ष निरीक्षण की जाने वाली इकाइयों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी । इस सम्बन्ध में आई डी बी आई के एक दल ने यह अभ्युक्ति दी (अक्टूबर 1980) ".....सामान्यतः जब तक ऋण की धनराशि का 60 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान नहीं हो जाता है तब तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है....., कम्पनी ने केवल 31 कम्पनियों के अनुसरण निरीक्षण किए और 31 मार्च 1980 को 8 कम्पनियों का, दो वर्ष से अधिक समय से निरीक्षण नहीं किया गया था" ।

आई डी बी आई ने कम से कम वर्ष में एक बार सभी इकाइयों के और अधिक बारम्बारी अन्तरावधियों में भुगतान न करने वाली इकाइयों के निरीक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया जिससे कि प्रारम्भिक बीमारी के लक्षणों का यथाशीघ्र पता लग सके और उपचारी कदम उठाये जा सकें लेकिन कम्पनी ने आर्थिक रूप से आशक्य / बीमार इकाइयों को निश्चित करने के लिए पथ-प्रदर्शक नीति मई 1981 तक नहीं निर्धारित की, जब कि आई डी बी आई से प्राप्त (मई 1980) पथ-प्रदर्शक नीति के आधार पर निदेशक मण्डल ने बीमार इकाइयों की पहिचान के लिए निम्नलिखित मानदण्डों में से किसी एक या अधिक को अपनाने का अनुमोदन किया :

–दो वर्ष की अवधि तक लगातार रोकड़ हानियां या शुद्ध मूल्य में लगातार क्षरण;

–ब्याज या मूलधन की चार क्रमागत अर्द्ध वार्षिक किश्तों का लगातार भुगतान न करना;

–बैंक अग्रिमों के लिए मार्जिन में कमी और इकाई की बैंक के साथ साख सीमा के परिचालन में निरन्तर अनियमितायें; और

–सांविधिक या अन्य दायित्वों के कारण बकायों में वृद्धि, उदाहरणार्थ एक या दो वर्षों की अवधि में ।

इन मार्गदर्शक नीतियों के आधार पर बीमार इकाई कक्ष (जून 1980 में खोली गई) ने 26 बीमार इकाइयों की (मार्च 1974 से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान भुगतान किया गया ऋण: 711.43 लाख रुपये) सिनाख्त की (मई 1981) किन्तु यह स्थिति निदेशक मण्डल के समक्ष अब तक (जून 1982) प्रस्तुत नहीं की गई और इन इकाइयों से 30 सितम्बर 1981 को 303.22 लाख रुपये की धनराशि (145.25 लाख रुपये ब्याज के सम्मिलित करते हुए) प्राप्य थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि अनुश्रवण के कार्य को और अच्छी तरह करने के उद्देश्य से अतिरिक्त अधिकारियों की भर्ती द्वारा अनुश्रवण तथा अनुसरण कक्ष को सुदृढ़ करने के लिए कम्पनी समुचित कदम उठा रही थी ।

3.09. पूंजी भागीदारी योजनाएं

(क) अन्डरराईटिंग

सितम्बर 1973 में कम्पनी ने अन्डरराइटिंग व्यापार प्रारम्भ किया लेकिन स्वीकृत की जाने वाली सहायता की सीमा जून 1976 में ही निम्न प्रकार से निर्धारित की गई :

	अन्डरराइटिंग सहायता की सीमा
पिछड़े जिलों के अलावा अन्य जिलों में आने वाली इकाइयां	सार्वजनिक निर्गमन का 15 प्रतिशत
पिछड़े जिलों में आने वाली इकाइयां	सार्वजनकि निर्गमन का 20 प्रतिशत
अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों (पूंजी आर्थिक सहायता के जिले) में आने वाली इकाइयां	सार्वजनिक निर्गमन का 25 प्रतिशत

31 मार्च 1981 तक 245.56 लाख रुपये के अंकित मूल्य के अंशों की अन्डरराइटिंग 36 इकाइयों के पक्ष में स्वीकृत की गई । कम्पनी को अन्डरराइटिंग दायित्वों के अनुसार 17 इकाइयों में 123.07 लाख रुपये के अंश (साधारण अंश: 88.93 लाख रुपये और अधिमान अंश: 34.14 लाख रुपये) स्वीकार करने पड़े ।

यद्यपि सभी 17 इकाइयां 31 मार्च 1981 के पहले उत्पादन में जा चुकीं थीं, लेकिन कम्पनी केवल दो इकाइयों से नियमित लाभांश पा रही थी (एक इकाई से 8 से 10 प्रतिशत और दूसरी इकाई से 11 प्रतिशत); अन्य 15 इकाइयों से (कम्पनी का निवेश: 101.70 लाख रुपये) कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं हुआ । 1980–81 के दौरान प्राप्त हुआ लाभांश 2.31 लाख रुपये था ।

आठ इकाइयों ने, जिनमें 42.29 लाख रुपये के धन (साम्य पूंजी : 35.91 लाख रुपये और अधिमान पूंजी : 6.38 लाख रुपये) का निवेश किया गया था, या तो अपर्याप्त लाभ के कारण या सतत हानियों के कारण किसी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया; सात इकाइयां जिनमें 59.41 लाख रुपये का निवेश (साम्य पूंजी : 48.65 लाख रुपये और अधिमान पूंजी : 10.76 लाख रुपये) था कम्पनी द्वारा अपनाये गये मापदण्डों के अनुसार बीमार हो चुकी थीं ।

अन्डरराइटिंग दायित्वों के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अभिदत्त अंश सूचीगत कर लिये गये थे लेकिन इनमें से बहुत ही कम उद्धृत थे । कम्पनी ने अंशों का उद्धृत मूल्य केवल वर्ष के अन्त में पता लगाया । अंशों का मूल्य, जैसा कि 1980–81 के अन्त में मालूम किया गया, निम्न प्रकार से था :

इकाई का नाम	प्रति अंश अंकित मूल्य	31 मार्च 1981 को प्रति अंश बाजार मूल्य (रुपयों में)	कुल अंकित मूल्य	कुल बाजार मूल्य
ए	10.00	3.24	13,20,250	4,27,761
बी	10.00	10.00	9,75,000	9,75,000
सी	10.00	10.00	4,37,530	4,37,530
डी	10.00	18.50	9,90,450	18,32,332
ई	10.00	10.00	10,17,500	10,17,500
एफ	10.00	2.50	5,00,000	1,25,000
			52,40,730	48,15,123

(ख) निजी भागीदारी

आई डी बी आई ने वित्तीय संस्थाओं को अन्डरराइटिंग करने के बजाय सार्वजनिक निर्गमन में 25 लाख रुपये तक सीधे अभिदान करने के लिए निर्देश दिये (नवम्बर 1976)। इस योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने 31 मार्च 1981 तक अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों में से 23 इकाइयों (88.73 लाख रुपये) और दो संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं (109.77 लाख रुपये) के अंशों में 198.50 लाख रुपये निवेश किए। इन 25 इकाइयों में से 16 इकाइयां (एक इकाई जो बीमार शिनाख्त कर दी गई को सम्मिलित करते हुए– निवेश: 10 लाख रुपये) निर्माणाधीन अवस्था में थीं (मार्च 1981)। 8 इकाइयां (दो इकाइयों, जो बीमार शिनाख्त कर दी गई, को सम्मिलित करते हुए–निवेश: 6.75 लाख रुपये) उत्पादन में चली गई थीं; लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था (मार्च 1982); और एक इकाई बन्द पड़ी हुई है (जून 1979) और इसके बारेमें इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.09.03 में वर्णन किया जा चुका है। इस इकाई की अंश पूंजी में कम्पनी के निवेश (2.57 लाख रुपये) की हानि होने की संभावना थी क्यों कि यह इकाई अलाभ कर उत्पादन और आयातित मृत्तिका धारियों (सेरामिक कैपेसिटर्स) की सस्ते दामों पर उपलब्धता के कारण बन्द की गई थी।

(ग) पूंजी भागीदारी योजना

पिछड़े जिलों तथा ग्यारह चुने हुए विकास केन्द्रों में उत्तरप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा विकसित औद्योगिक बस्तियों में मध्यम स्तरीय उद्योगों को स्थापित करने के लिए कम्पनियों,साझीदारी एवं एकाधिकारी फर्मों को नरम ऋणों केरूप में बैंकों के साथ संयुक्त रूपसे सहायता देने के लिए कम्पनी ने मार्च 1974 में पूंजी भागीदारी योजना प्रारम्भ की। योजना में पूंजीगत लागत (कम से कम 50 प्रतिशत व्यापारिक बैंकों द्वारा और शेष कम्पनी द्वारा देनी थी) के 75 प्रतिशत तक (तकनीकी उद्यमियों के मामले में 80 प्रतिशत) ऋणों की व्यवस्था करने का प्राविधान था जो प्रचलित बैंक दर (11 प्रतिशत) से 3 प्रतिशत से अधिक का ब्याज वहन नहीं करेंगे। कम्पनी द्वारा दिए जाने वालेऋणों की पुनर्भुगतान अवधि पांच वर्ष के अधिस्थगन अवधि के साथ नौ वर्ष और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में एक से दो वर्ष के अधिस्थगन अवधि के साथ पांच से सात वर्ष निर्धारित की गई। छः राष्ट्रीय कृत बैंकों तथा उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन (यू पी एफ सी) इस स्कीम में भाग लेने के लिए सहमत हो गये।

इस योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने केवल एक आवेदन पत्र यू पी एफ सी से 6.85 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए प्राप्त किया जिसके विरुद्ध 5.85 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया (अगस्त 1975)। कोई भी अन्य मामला किसी भी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा नहीं भेजा गया जिसका कारण ऊंची ब्याज दर बताया गया। कम्पनी ने राज्य सरकार से 13 प्रतिशत ब्याज वहन करने वाला (एक वर्ष बाद समीक्षा करने की शर्त के अन्तर्गत) तथा समय से मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान करने के लिए 3.5 प्रतिशत की छूटके साथ 50 लाख रुपये का एक ऋण प्राप्त किया था (20 मार्च 1975)। चूंकि इस योजना के अन्तर्गत धन की और आवश्यकता नहीं थीं राज्य सरकार ने कम्पनी के कहने पर 44 लाख रुपयों को अंश पूंजी में बदल दिया (अप्रैल 1976) और शेष 6 लाख रुपया सरकार को अप्रैल 1979 में वापस कर दिया गया।

अल्प अनुक्रिया के कारण यह योजना उधार ली गई धनराशि पर ब्याज के रूप में 6.27 लाख रुपये का व्यय करने के बाद मई, 1978 में छोड़ दी गई।

3.10. साध्यता प्रतिवेदन

राज्य सरकार ने एक योजना बनाई (जनवरी, 1974) जिसके अन्तर्गत मध्यम एवं वृहत पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने या उनके विस्तार करने के इच्छुक उद्यमी साध्यता प्रतिवेदनों की लागत के 50 प्रतिशत (दिसम्बर 1976 से 75 प्रतिशत तक बढ़ी हुई) के बराबर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमन्य थे। कम्पनी को विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदाताओं, जिनके द्वारा प्रतिवेदन तैयार करवाये जा सकें, की एक सूची बनाने का निदेश दिया गया (जनवरी 1974)। साध्यता प्रतिवेदन की लागत प्रारम्भ में कम्पनी तथा उद्यमी द्वारा वहन करनी थी और लागत का कम्पनी का

हिस्सा सरकार द्वारा बाद में प्रतिपूर्त किया जाना था। उद्यमी को, प्रतिवेदन दिए जाने के 6 माह के अन्दर, परियोजना को कार्यान्वित करना था जिसमें असफल होने पर साध्यता प्रतिवेदन कम्पनी और सरकार की एक मात्र सम्पत्ति हो जाती थी।

यद्यपि प्रतिवेदनों को तैयार करने का व्यय प्रारम्भ में कम्पनी को वहन करना था, फिर भी सरकार ने कुल 32.10 लाख रुपये के अग्रिम धन इस उद्देश्य के लिए समय समय पर दिए (1973-74 से 1980-81 तक)। इसमें से 26.52 लाख रुपये (211 परियोजनाएं) परामर्शदाताओं को भुगतान किए गये और 5.58 लाख रुपये बिना उपयोग के पड़े थे।

1974-75 से 1980-81 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा 211 साध्यता प्रतिवेदन तैयार करने के आदेश (52.05 लाख रुपये) परामर्शदाताओं की विभिन्न फर्मों से प्राप्त किए गये कुटेशनों के आधार पर दिए गये। यद्यपि परामर्शदाताओं को प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिये दो से चार महीने की अवधि अनुमन्य की गई थी, फिर भी उनके द्वारा केवल 145 प्रतिवेदन (33.77 लाख रुपये) 31 मार्च 1981 तक प्रस्तुत किए गये थे। प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में 2 से 18 महीने का विलम्ब रहा। शेष 66 प्रतिवेदन (18.28 लाख रुपये), जिनके लिए 1977-78 से 1980-81 की अवधि के दौरान 9.14 लाख रुपये के अग्रिम दिए गये थे, अब भी प्रतीक्षित थे (जून 1981)।

31 मार्च 1981 तक कम्पनी द्वारा प्राप्त 145 प्रतिवेदनों के उपयोग के विवरण निम्न-लिखित हैं :

	संख्या	भुगतान की गई/भुगतान की जाने वाली फीस (लाख रुपयों में)
प्रतिवेदन जिनके सम्बन्ध में परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी थीं	16	2.06
प्रतिवेदन जिनके सम्बन्ध में परियोजनायें कार्यान्वयन के अन्तर्गत थीं	29	6.42
उद्यमियों के विचाराधीन प्रतिवेदन	23	6.87
प्रतिवेदन जिनके सम्बन्ध में परियोजनायें स्थापित नहीं की गई थीं	77	18.42
योग	145	33.77

वे प्रतिवेदन जिनके सम्बन्ध में परियोजनायें स्थापित नहीं की गई थीं (77) निम्न को सम्मिलित करते हैं :

-9.56 लाख रुपये की लागत पर आठ राज्य सरकार के उपक्रमों की तरफ से तैयार करवाये गये उन्तीस प्रतिवेदन ;

-1.78 लाख रुपये की लागत पर तैयार किए गये सात प्रतिवेदन जो कि साध्य नहीं पाये गये और कम्पनी को पूरी लागत (उद्यामियों के हिस्से को सम्मिलित करते हुए : 0.50 लाख रुपये) वहन करनी पड़ी और उद्यमियों की तरफ से बिना किसी अनुरोध के 5.24 लाख रुपये की लागत पर कम्पनी द्वारा तैयार करवाये गये 20 प्रतिवेदन; और

-निजी उद्यमियों की तरफ से 1.84 लाख रुपये के व्यय (0.46 लाख रुपये के उद्यमियों के हिस्से सहित) पर तैयार करवाये गये इक्कीस प्रतिवेदन।

3.11. काम्पलैक्सों तथा परियोजनाओं की स्थापना

(क) इलैक्ट्रिकल काम्पलैक्स

मई 1976 में कम्पनी ने, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की परामर्श से, जगदीशपुर (सुलतानपुर) में उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी) द्वारा विकसित औद्योगिक भूखण्डों पर विद्युत् सम्बन्धी 10 उद्योगों को स्थापित करने का निश्चय किया। काम्पलैक्स का स्थल रायबरेली स्थानान्तरित कर दिया गया (अगस्त 1977)। कम्पनी ने 1976–77 से 1979–80 के दौरान काम्पलैक्स की स्थापना पर 2.07 लाख रुपये का व्यय (सरकार द्वारा प्रतिपूर्त किया जाने वाला) किया, सरकार ने 1.24 लाख रुपये का अनुदान अवमुक्त किया और शेष धनराशि (0.83 लाख रुपये) का भुगतान प्रतीक्षित था (जून 1982)।

एच टी इन्सूलेटर ट्रान्सफार्मर और पारेषण/संचार ढांचों के निर्माण मे लगी हुई चार इकाइयों ने, जिन्हें कम्पनी द्वारा 1979–80 और 1980–81 के दौरान कुल 157.85 लाख रुपये के ऋण भुगतान किए गये थे, अपने उत्पादों के विपणन में समस्यायों का सामना किया। सितम्बर 1981 के अन्त में 43.08 लाख रुपये की धनराशि (मूलधन : 20.10 लाख रुपये और ब्याज : 22.98 लाख रुपये) वसूली केलिये अतिदेय हो गये थे। तीन इकाइयां वित्त प्राप्त करने के लिए औपचारिकताएं पूरा कर रही थीं (जून 1982) और शेष तीन ने अपनी परियोजनाएं छोड़ दीं।

(ख) लो टैम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लान्ट

एक लो टैम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लाण्ट स्थापित करने के उद्देश्य से कम्पनी ने नई दिल्ली की एक फर्म को तकनीकी आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन के लिये जनवरी 1975 में एक आदेश दिया और इसके लिए 0.60 लाख रुपये का भुगतान किया। प्रतिवेदन सितम्बर 1975 में प्राप्त हुआ। मई 1977 में, कम्पनी ने गैस वितरण पर प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये 0.66 रुपये की लागत पर एक दूसरा आदेश दिया और प्रतिवेदन सितम्बर 1978 में प्राप्त हुआ। यूनाइटेड किंगडम की एक फर्म द्वारा विकसित टैक्नालाजी के अनुसार प्रतिवेदन को संशोधित करने के लिये कम्पनी ने रांची की फर्म को 2.96 लाख रुपये की लागत पर एक आदेश अगस्त 1980 में दिया। प्रतिवेदन अपेक्षित था (जनवरी 1982)।

राज्य सरकार से प्राप्त 7.76 लाख रुपये मेंसे (फरवरी 1978 से मार्च 1979) कम्पनी 6.94 लाख रुपये खर्च कर चुकी थी (उल्लिखित साध्यता प्रतिवेदनों पर 4.22 लाख रुपये और कोयले के नमूनों की जांच तथा अन्य व्ययों पर 2.72 लाख रुपये)।

भारत सरकार (कोयला विभाग) ने यह अभ्युक्ति दी (जुलाई 1980) कि यदि परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित करना है तो राज्य सरकार को गैस तथा अर्ध–कोक की उस मूल्य पर, जिस पर कि परियोजना जीने योग्य बन सके, पूरी निकासी के लिये वचन देना होगा।

उपभोक्ता उद्योगों द्वारा प्रस्तावित संयंत्र की गैस की अंतिम निकासीके बारे में राज्य सरकार ने संदेह प्रकट किये (सितम्बर 1980) क्योंकि वर्तमान में कोयला या तेल का उपभोग करने वाले उद्योगों को अपनी ईंधन की आवश्यकता को गैस में अन्तरण करने के लिये विभिन्न डिजाइनों की भट्टियों में निवेश करना पड़ेगा।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि गैस और अर्धकोक की उस मूल्य पर, जिस पर परियोजना जीने योग्य होगी, गारण्टीशुदा निकासी का प्रश्न अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उठाया जायगा।

(ग) विद्युत् परीक्षण एवं विकास केन्द्र

विद्युत् इकाइयों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पनी ने राज्य में एक विद्युत् परीक्षण एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया (अगस्त 1978)। कम्पनी ने

एक परामर्शदाता द्वारा साध्यता प्रतिवेदन (0.49 लाख रुपये) तैयार करवाया (मार्च 1979)। परियोजना की लागत का अनुमान 522 लाख रुपये लगाया गया और उपकरण को आयात करना था। यू पी एस आई डी सी द्वारा एक भूखण्ड आबंटित किया गया (फरवरी 1981) लेकिन राज्य सरकार के एक उपक्रम उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने भू-खण्ड के आवंटन पर विरोध, इस आशंका पर प्रगट किया कि प्रस्तावित स्थल पर परीक्षण कार्य समीपवर्ती भूखण्डों में स्थित अन्य इकाइयों में इलैक्ट्रानिक परिचालन के परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसको ध्यान में रखकर कम्पनी ने 12 मार्च 1981 को देय आरक्षण लागत (0.72 लाख रुपये) का भुगतान नहीं किया, आबंटन निरस्त कर दिया गया और बयाने की धनराशि (0.08 लाख रुपये) जब्त कर ली गई। प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि परियोजना सरकार के अनुमोदन के लिये पड़ी थी (जनवरी 1982) और एक वैकल्पिक भूखण्ड तलाशा जा रहा था।

3.12. **बिक्री कर ऋण योजना**

(i) सरकार ने नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रथम तीन वर्षों (पिछड़े क्षेत्रों में पांच वर्ष) के दौरान की गई बिक्री पर भुगतान किए गये और किए जाने वाले बिक्री कर के बराबर ब्याज मुक्त बिना प्रतिभूति वाले ऋणों की स्वीकृति के लिये एक योजना प्रारम्भ की (नवम्बर 1972) जो कुछ शर्तों के अधीन थी;

सरकार ने कम्पनी को अपने अभिकर्त्ता के रूप में योजना कार्यान्वित करने के लिये निदेश दिए (नवम्बर 1972) और योजना के अन्तर्गत ऋणों के भुगतान के लिये आवश्यक धन सरकार द्वारा आवर्तक निधि के रूप में दिए जाने थे और योजना के कार्यान्वयन में किया गया खर्च उसको प्रतिपूर्त किया जाना था।

(ii) ऋण का पुनर्भुगतान, इकाई के पिछड़े या अन्य जिले में होने के अनुसार, ऋण की प्रथम किश्त के भुगतान के बाद 12वीं/10वीं वर्ष से प्रारम्भ होने वाली तीन बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाना है बशर्ते तकनीकी उद्यमी या अनिवासी भारतीय को स्वीकृत किये गये ऋण का पुनर्भुगतान ऋण की प्रथम किश्त के भुगतान के बाद 12वीं वर्ष से प्रारम्भ होने वाली क्रमशः छः या पांच बराबर वार्षिक किश्तों में होगा।

भुगतान न करने या अचल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होने, छः महीनों से अधिक की अवधि के लिये उत्पादन का लगातार बन्द होने या रोके जाने या कम्पनी की बिना पूर्व अनुमति के नए स्थल में चले जाने आदि की दशा में ऋण को ब्याज सहित, जो भुगतान की तिथि से 18 प्रतिशत की दर से होगा, तुरन्त वापस करना पड़ेगा।

कम्पनी ने अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर सरकार से धन प्राप्त किया। निम्न तालिका 1980–81 तक की तीन वर्षों के अन्त में कम्पनी द्वारा सरकार से प्राप्त धन, इकाइयों को स्वीकृत एवं भुगतान किए गये ऋण और कम्पनी के पास पड़ा हुआ उपयोग में न लाया गया शेष धन के विवरण दर्शाती है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सरकार से प्राप्त धन	स्वीकृत किए गये ऋण	भुगतान किये गये ऋण	उपयोग में न लाया गया शेष	धन की उपलब्धता पर स्वीकृति की प्रतिशतता	धन की उपलब्धता पर भुगतान की प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)					
1978–79 तक	..	725.00	525.46	501.14	223.86	72.5	69.1
1979–80	223.86	190.00	372.66	310.06	103.80	90.0	74.9
1980–81	103.80	200.00	203.27	204.43	99.37	66.9	67.3
योग		1115.00	1101.39	1015.63			

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि धनराशि का वर्ष के दौरान इसलिये उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि धन वर्ष के बिल्कुल अन्त में प्राप्त हुए थे।

मार्च 1981 तक, 39 इकाइयों ने चूकें कीं और ऋण ब्याज सहित (21.78 लाख रुपये) वापस करने के उत्तरदायी हो गये जिसके विरुद्ध केवल 29 इकाइयों ने 10.38 लाख रुपये वापस किया। सरकार ने कम्पनी को देय किश्तों के विरुद्ध और चूककर्ताओं से वसूल की गई धनराशि को सरकारी खाते में जमा करने के लिये निदेश दिया (नवम्बर 1978)। चूककर्ता इकाइयों से वसूल की गई धनराशि और वह जो सरकारी खाते में जमा की गई उसके विवरण नीचे दर्शाये जाते हैं :

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	की गई वसूलियां		वापस की गई धनराशि	शेष
		इकईयों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)		
1978–79 तक	..	16	8.02	2.74	5.28
1979–80	5.28	8	1.45	2.28	4.45
1980–81	4.45	5	0.91	..	5.36

इस प्रकार नवम्बर 1978 में सरकार के निदेश प्राप्त होने के बाद भी कम्पनी ने चूककर्ताओं से वसूल किया हुआ पूरा धन जमा नहीं किया। सरकार को यह सूचित किया गया (मई 1980) कि कम्पनी ने अपने द्वारा रोक लिये गये धन पर किसी प्रकार का ब्याज अर्जित नहीं किया क्योंकि धन चालू खाते में रक्खा गया था।

(jjj) सम्परीक्षा में कम्पनी के क्रिया–कलापों की परख जांच (मई 1981) ने निम्न तथ्य प्रकट किए :

(क) मार्च 1981 तक 236 इकाइयों को 1015.63 लाख रुपये के कुल भुगतान में से 282.13 लाख रुपये की धनराशि के ऋण जुलाई 1975 से जून 1980 तक की अवधि के दौरान गाजियाबाद की अकेली एक इकाई को भुगतान किये गये। इस मामले में 61.27 लाख रुपये का एक ऋण इस इकाई के पक्ष में जुलाई 1975 में स्वीकृत किया गया। 80.86 लाख रुपये का एक और ऋण जुलाई 1976 में स्वीकृत किया गया जिसमें से 49.81 लाख रुपये सितम्बर 1976 में भुगतान किये गये। 4 दिसम्बर 1976 से सरकार ने इस योजना क अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले ऋण के धनराशि की एक सीमा (40 लाख रुपये) निर्धारित की। यद्यपि विधि विभाग ने यह राय दी कि आदेश का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, लेकिन कम्पनी ने शेष धनराशि (31.05 लाख रुपये) 18 दिसम्बर 1976 को अवमुक्त कर दी। जुलाई 1977 में सरकार ने स्पष्ट किया कि निर्धारित की गई सीमा इस बात का विचार किये बिना कि क्या इकाई ने उत्पादन उस तिथि के पहले शुरू कर दिया था, 4 दिसम्बर या उसके बाद स्वीकृत किये गये ऋणों के सम्बन्ध में लागू होगी। इसीलिये 93.85 लाख रुपये के ऋण के लिये मई 1977 में प्रस्तुत किया गया इकाई का प्रार्थना पत्र कम्पनी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। यदि निर्धारित की गई सीमा इस इकाई के पक्ष में शिथिल कर दी जाय तो अन्य इकाइयों के सम्बन्ध में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सरकार ने पूछा (19 दिसम्बर 1977)। कम्पनी द्वारा इस बात के स्पष्टीकरण (19 जनवरी 1978) पर कि अन्य इकाइयों के सम्बन्ध में इस शिथिलता का प्रभाव सही रूप से निकालना सम्भव नहीं था, सरकार ने इस सीमा को अंतिम रूप से उन मामलों में भी शिथिल कर दिया जहां पर इकाइयां 4 दिसम्बर 1976 के पहले भी उत्पादन में जा चुकी थीं। इस पर कम्पनी ने 93.85 लाख रुपये (मई 1977 में प्रस्तुत) और 67.02 लाख रुपये (सितम्बर 1978 में प्रस्तुत) के ऋणों के लिये प्रार्थना पत्रों पर विचार किया और दिसम्बर 1979 में ऋण स्वीकृत किया, 140 लाख रुपये का

भुगतान फरवरी और जून 1980 के बीच किया गया। 10 लाख रुपये का एक और ऋण अप्रैल 1981 में दिया गया।

सरकार द्वारा सितम्बर 1978 में स्वीकृत की गई शिथिलता के परिणाम स्वरूप एक और इकाई लाभ उठा सकी (इस इकाई के सम्बन्ध में भुगतान किया गया ऋण 47.55 लाख रुपये था)।

प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1981) कि ऋण सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किये गये थे और बांटे गये थे।

(ख) इकाइयों को संवितरण, उनसे की गई वसूलियों और की गई अनुवर्ती कार्यवाही के ब्योरे दर्शाने के लिए कम्पनी एक रजिस्टर रखती है। 1975–76 के बाद, कर्जदारों, बिक्रीकर कार्यालयों और जिला उद्योग अधिकारियों से प्राप्य आवधिक विवरणी के प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रविष्टियां रजिस्टर में अभिलेखित नहीं की गई थीं। इसके परिणाम स्वरूप कर्जदार इकाइयों द्वारा की गई चूकें कुछ मामलों में समय से ज्ञात नहीं की जा सकीं। एक परख जांच ने निम्न मामले प्रगट किए :

(i) अलीगढ़ और कानपुर की दो फर्मों को 0.30 लाख रुपये और 1.42 लाख रुपये के ऋण क्रमशः जुलाई 1976 और अगस्त 1977 में बांटे गये। कानपुर की फर्म ने ऋण संवितरण किये जाने के पहले ही उत्पादन बन्द कर दिया था (जुलाई 1977) जब कि अलीगढ़ फर्म ने अक्टूबर 1977 में उत्पादन बन्द किया था। फर्म द्वारा की गई चूकें जानकारी में नहीं आयीं और कम्पनी को इनका पता बाहरी श्रोतों से नवम्बर 1979 और जुलाई 1978 में शिकायतों के प्राप्त होने पर ही चला। वसूली प्रमाण-पत्र निर्गमन किये जाने पर (फरवरी 1979) कानपुर की फर्म ने मार्च 1979 में ऋण वापस कर दिया जो कम्पनी द्वारा बिना ब्याज के स्वीकृत कर लिया गया। 0.39 लाख रुपये के ब्याज देय, फर्म को बांटे गये 4,89,953 रुपये के नए ऋण की प्राप्तियों से, कम्पनी द्वारा बाद में (अक्टूबर 1979) समायोजित कर लिये गये; अलीगढ़ की फर्म से आंशिक भुगतान (0.15 लाख रुपये), जब इसे जनवरी 1980 में नोटिस दिया गया उसके बाद प्राप्त हुआ (मई 1981)।

(ii) लखनऊ की एक फर्म को 0.57 लाख रुपये (नवम्बर 1974 में 0.17 लाख रुपये और नवम्बर 1975 में 0.40 लाख रुपये) का एक ऋण बांटा गया। इकाई ने उत्पादन 18 मई 1977 के बाद बन्द कर दिया लेकिन बन्द होने का तथ्य कम्पनी की जानकारी में केवल फरवरी 1978 में आया जबकि सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ ने इसको सूचित किया। भुगतान की तिथि से 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित देयों को भूराजस्व के बकाये की तरह वसूल करने के लिये कम्पनी ने जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रमाण-पत्र जारी किया (मार्च 1979)। कम्पनी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जनवरी 1982 में इस आधार पर वापस ले लिया गया कि उत्पादन का रोका जाना इकाई के नियंत्रण के परे था। देयों की वसूली के लिये कोई भी अग्रिम कदम नहीं उठाये गये।

3.13. साख गारण्टी योजना

स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए दिये गये ऋणों या राज्य के कुछ मध्यम स्तरीय उद्योगों की ओर से आस्थगित अदायगी की शर्तों के अन्तर्गत दी गई गारन्टी के सम्बन्ध में होने वाली हानियों के विरुद्ध वित्तीय संस्थाओं को संरक्षण देने के लिए फरवरी 1973 में सरकार ने योजना प्रारम्भ की। योजना का कार्यान्वयन कम्पनी को सौंपा गया (फरवरी 1973)। योजना के परिचालन में होने वाले प्रशासकीय व्यय सरकार द्वारा प्रतिपूर्त होने थे। योजना में प्राविधान किया

गया है कि वित्तीय संस्थायें कम्पनी को गारन्टी के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय प्रारम्भ में आस्थगित अदायगी के लिए गारन्टी या अग्रिम की धनराशि पर और बाद में प्रतिवर्ष के प्रारम्भ में बकाया धन-राशि पर0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर गणना करके फीस भुगतान करेंगी और अग्रिम या गारन्टी की धनराशि के पुनर्भुगतान में चूक किये जाने की दशा में वे गारण्टी देने वाली संस्था से किसी भी एक अग्रिम या गारण्टी के सम्बन्ध में, सात लाख रुपये की सीमा के अधीन, भुगतान न की गई धन-राशि का 67 प्रतिशत के बराबर वसूल करने के लिए अधिकारी है। इस प्रकार के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये 9 लाख रुपये के धन (अक्टूबर 1974 में 3 लाख रुपये, अप्रैल 1976 में 3 लाख रुपये और अगस्त 1978 में 3 लाख रुपये) सरकार से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त किये गये।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक (जून 1982) कोई गारण्टी नहीं दी गई। प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1981/फरवरी 1982) कि योजना ने कोई प्रगति नहीं की क्योंकि :

(i) इस योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली फीस रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रशासित साख गारण्टी योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली फीस (0.25 प्रतिशत) से अधिक थी ;

(ii) योजना के अन्तर्गत दायित्व 7 लाख रुपये की सीमा के अधीन 67 प्रतिशत तक सीमित था ;

(iii) यह कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था समाहित नहीं करती थी।

3.14. लेखा प्रणाली एवं आन्तरिक सम्परीक्षा

(क) लेखा प्रणाली

लेखाओं के संकलन और रखरखाव का तरीका निर्धारित करने के लिए अक्टूबर 1973 में एक लेखा नियम पुस्तिका बनाने का निर्णय लिया गया था लेकिन यह तैयार नहीं की गयी थी (मार्च 1982)।

(ख) आन्तरिक सम्परीक्षा

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 25 लाख रुपये से अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कम्पनियों से, पहली जनवरी 1976 से, अपने व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप एक आन्तरिक सम्परीक्षा प्रणाली अपनाने की अपेक्षा की जाती है। एक आन्तरिक सम्परीक्षक के साथ इस प्रणाली को चालू करने का निर्णय कम्पनी द्वारा फरवरी 1978 में किया गया। आन्तरिक सम्परीक्षक अप्रैल 1978 में नियुक्त किया गया।

लेकिन आन्तरिक सम्परीक्षक का पद जून 1978 से सितम्बर 1980 की अवधि के दौरान खाली रहा और अक्तूबर 1980 में भरा गया। चूंकि प्रणाली अच्छी तरह नहीं चली इसलिये आन्तरिक सम्परीक्षक के रूप में नियुक्त किये गये पदधारी की सहायक लेखा अधिकारी के मूल पद पर अवनति कर दी गई (जून 1981)। आन्तरिक सम्परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक बाहरी एजेंसी को लगाने का निर्णय प्रबन्धकों ने लिया (जून 1981) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है (मार्च 1982)।

प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1981) कि आन्तरिक सम्परीक्षक ने कुछ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे जो कि छानबीन के अन्तर्गत थे।

3.15. अन्य रोचक विषय

(क) कम्पनी ने नई दिल्ली की एक फर्म को सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में 23 मीटरी टन प्रति-दिन की प्रतिस्थापित क्षमता के एक कागज मिल स्थापित करने के लिये 30 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 1976) और धन दिसम्बर 1977 (12.40 लाख रुपये) तथा फरवरी

1978 (17.60 लाख रुपये) में बांटा। अपने अन्डरराइटिंग दायित्व को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने फर्म के साम्य अंशों में भी 7.98 लाख रुपये निवेश किये। दो डीजल सैटों के आयात के लिए कम्पनी ने 28 लाख रुपये का एक और सावधि ऋण स्वीकृत किया (सितम्बर 1979); 27 लाख रुपये का संवितरण मार्च एवं सितम्बर 1980 में हुआ। परियोजना के कार्यान्वयन में 22 माहों का विलम्ब हुआ (अप्रैल 1978 के विरुद्ध वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी/फरवरी 1980 में प्रारम्भ हुआ) जिससे परियोजना की लागत बढ़ गई। पूंजी लागत में वृद्धि ब्याज व्ययों और नगद हानियों आदि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता 142.78 लाख रुपये अनुमानित की गई (सितम्बर 1980) और अग्रगामी संस्था (आई एफ सी आई) के निर्णय के अनुसार नवम्बर 1980 तक की अवधि के लिये 4.53 लाख रुपये के ब्याज व्ययों का कम्पनी ने निधिकरण कर दिया। (पहली जुलाई 1982 से 13 प्रतिशत ब्याज सहित 10 बराबर मासिक किश्तों में भुगतान करने योग्य) और मूलधन के प्रति लाख रुपय की चार अर्द्ध वार्षिक किश्तों का भुगतान, जो 31 मार्च 1981 तक देय थीं, इस शर्त के साथ आस्थगित कर दिया कि चार आस्थगित किश्तों के सम्बन्ध में ब्याज में कोई छूट नहीं दी जायेगी जिससे कि प्रथम किश्त का पुनर्भुगतान 30 सितम्बर 1981 से प्रारम्भ हो और बाद की किश्तें उसके प्रति छः माह बाद।

यह देखा गया कि निदेशक मण्डल के निर्णय (अक्टूबर 1977) के अनुसार ब्याज में छूट केवल उसी दशा में स्वीकार्य थी जबकि इकाई ने ब्याज देयों का भुगतान कर दिया हो किन्तु कम्पनी ने ऋण के 57 लाख रुपये के भाग पर ब्याज में छूट दी (अर्थात् चार आस्थगित किश्तों के 8 लाख रुपये निकाल कर)।

इसके अतिरिक्त, मूलधन की किश्तों के आस्थगन की शर्तें सूचित करते समय, इकाई में वर्तमान प्रबन्धकीय तथा तकनीकी अधिकारियों के स्थान पर अर्हता प्राप्त और अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रगामी संस्था द्वारा लगाई गई शर्त कम्पनी ने शामिल नहीं की।

(ख) उच्च तनाव कीलकों (नट, बोल्ट्स, पेंच आदि) के निर्माण के लिये गाजियाबाद में एक फैक्टरी स्थापित करने के लिए कम्मनी ने 25 लाख रुपये का एक सावधि ऋण (मार्च 1975 से अप्रैल 1976 के दौरान बांटा) कलकत्ता की एक इकाई को स्वीकृत किया (फरवरी 1974)। इसके अतिरिक्त, अन्डरराइटिंग दायित्वों के अनुसरण में कम्पनी ने 14.30 लाख रुपये (साम्य अंश: 11.32 लाख रुपये और अधिमान अंश: 2.98 लाख रुपय) के अंशों में भी अभिदान किया। चार जनरेटिंग सैटों की अंशतः लागत को पूरा करने के उद्देश्य से 7 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया (फरवरी 1975) और 3.50 लाख रुपये का संवितरण किया गया (जून 1975) क्योंकि इकाई ने केवल 2 जनरेटिंग सैट खरीदे थे।

इकाई ने, जो जुलाई 1975 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली थी, अक्टूबर 1976 में उत्पादन प्रारम्भ किया और अपने परिचालन के प्रथम वर्ष के दौरान 6.10 लाख रुपये की नगद हानि उठाई और इसीलिये इसने 20 लाख रुपये की अतिरिक्त अंशपूंजी के राइट इस्यू के लिये प्रस्ताव किया (साम्य अंश: 10 लाख रुपये और अधिमान अंश: 10 लाख रुपये)।

अग्रगामी संस्था के अनुरोध पर कम्पनी ने 4.88 लाख रुपये की एक और धनराशि (1.89 लाख रुपये साम्य अंशों में और 2.99 लाख रुपये अधिमान अंशों में) अभिदान की (जून 1977)। चूंकि प्रवर्तकों ने पूंजी का अपना हिस्सा पूर्णरूपेण अभिदान नहीं किया, कम्पनी ने अधिमान अंशों में 2 लाख रुपये और अभिदान किये।

इकाई ने मूलधन की देय किश्तों में से किसी का भुगतान नहीं किया; दिसम्बर 1976 को समाप्त होने वाली अर्द्ध-वर्ष क लिय दय ब्याज (1.50 लाख रुपये) का अंशतः भुगतान (0.50 लाख रुपये) जनवरी 1977 में किया गया। इसके बाद कोई भी भुगतान नहीं किया गया।

इकाई के असंतोषपूर्ण परिचालन के कारण इसकी जीवनयोग्यता की जांच करने के लिए 0.30 लाख रुपये की फीस पर कम्पनी द्वारा परामर्शदाताओं की एक फर्म नियुक्त की गई (दिसम्बर 1978)। परामर्शदाताओं ने 70 लाख रुपये के और निवेश पर इकाई के पुनर्गठन की योजना का सुझाव दिया (अक्टूबर 1979)।

इकाई बीमार पड़ चुकी थी और, जैसा कि प्रबन्धकों द्वारा बताया गया, इकाई के पुनर्गठन का मामला अनिर्णित पड़ा हुआ था (फरवरी 1982)। इसी बीच धन की कमी के कारण इकाई ने मार्च 1980 में परिचालन बन्द कर दिया। दिसम्बर 1979 तक इकाई द्वारा उठाई गई संचयी हानि 147.09 लाख रुपये थी जिसके विरुद्ध प्रदत्त पूंजी 89.84 लाख रुपये थी।

सितम्बर 1981 के अन्त में 39.34 लाख रुपये की धनराशि (28.50 लाख रुपये में से 22.50 लाख रुपये) मूलधन के प्रति और 16.84 लाख रुपये ब्याज के प्रति वसूली के लिए अतिदेय थी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें जानकारी में आईं:

(i) कम्पनी की सामान्य नीति के अनुसार स्वीकृत ऋण की धनराशि का 60 प्रतिशत के पूरे भुगतान इकाई का निरीक्षण करने के बाद ही होना था लेकिन इस मामले में इकाई का निरीक्षण ऋण का 90 प्रतिशत भुगतान करने के बाद किया गया ;

(ii) चूंकि इकाई को परिसम्पत्तियों की जमानत (जिसके बल पर कम्पनी द्वारा ऋण दिया गया था) पर एक बैंक से 30 लाख रुपये का एक ऋण लेने की अनुमति दी गई थी इसलिये जमानत का मारजिन अनुबन्ध में प्राविधान किये गये 30 प्रतिशत के विरुद्ध घटकर 19.91 प्रतिशत रह गया ;

(iii) मूलधन के आस्थगन के मामले में ब्याज में छूट तभी अनुमन्य होती है जब मूलधन के आस्थगन के समय सभी ब्याज देयों का भुगतान कर दिया जाय। इस मामले में इकाई ने आस्थगन के समय पर बाकी ब्याज का भुगतान नहीं किया था फिर भी छूट अनुमन्य की गई थी;

(iv) नट संयंत्र (कीमत : 50 लाख रुपये) का चालन अनार्थिक पाया गया और इसको बन्द करना पड़ा ;

(v) उत्पादन की उच्च लागत के कारण इकाई के उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा न कर सकने के परिणामस्वरूप परियोजना प्रतिवेदन में 10 प्रतिशत की अनुमानित छूट के विरुद्ध इकाई को 40 प्रतिशत तक की छूट देनी पड़ी ;

(vi) अधिकतम आयातित सामान का कुछ हिस्सा (मूल्य : 23.47 लाख रुपये) 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान 4.31 लाख रुपये की हानि पर बेच दिया गया।

(ग) 23.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत से लखनऊ में औषधि बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए कम्पनी ने 14 लाख रुपये का एक सावधि ऋण लखनऊ की इकाई "जी" को स्वीकृत किया (नवम्बर 1976)। ऋण जनवरी 1977 और अप्रैल 1978 के बीच बांटा गया। ऋण 31 मार्च 1979 से प्रारम्भ होने वाली 13 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जाना था।

मार्च 1978 तक इकाई ने ब्याज का नियमित रूप से भुगतान किया और इसके बाद केवल अंशत: भुगतान किया और मूलधन की कोई भी किश्त भुगतान नहीं की।

चूंकि इकाई हानियां उठा रही थी इसलिये इसने मूलधन और ब्याज की वसूली को 6 माह तक आस्थगित करने के लिये अनुरोध किया (अक्टूबर 1979) लकिन अनुरोध कम्पनी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। इकाई से प्राप्य धन वापस लेने के लिए एक कारण बताओ नोटिस निर्गमित किया

गया (जून 1980) । इकाई "जी" ने सूचित किया (जून 1980) कि इसके द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए सरकार से एक बहुत बड़ी धनराशि इसे प्राप्य थी और यह कि भुगतान प्राप्त हो जाने के बाद यह देयों का भुगतान कर देगी । इसलिये कम्पनी ने इकाई "जी" से कहा (सितम्बर 1980) कि वह उसे सरकार से धन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत करे, लेकिन इकाई ने न तो भुगतान प्राप्त करने के लिए कम्पनी को प्राधिकृत किया और न ही इसने बकाया देयों का भुगतान किया ।

इसलिये 18.44 लाख रुपये (सितम्बर 1980 तक मूलधन : 14 लाख रुपये और ब्याज: 4.44 लाख रुपये) के लिये एक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गमित किया गया (नवम्बर 1980) । इकाई के अनुरोध पर, प्रबन्ध निदेशक ने वसूली प्रमाण पत्र वापस लेने का निर्णय इस शर्त पर लिया कि इकाई द्वारा 3 लाख रुपये तुरन्त और 1.50 लाख रुपये फरवरी 1981 के प्रथम सप्ताह तक जमा कर दिये जायेंगे ।

लेकिन वसूली प्रमाण पत्र केवल 1 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद वापस ले लिया गया (जनवरी 1981) । इकाई ने अब तक (जून 1982) 4.55 लाख रुपये और भुगतान किये ।

बकायों को वसूल करने के लिये कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई । प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि वसूली प्रमाण पत्र निर्गमित करने के लिये कम्पनी स्थिति की सूक्ष्म समीक्षा कर रही थी ।

(घ) पुनर्वेलन मिलें स्थापित करने के लिए कम्पनी ने उन्नाव की "एम" तथा सौनिक की "एस" दो इकाइयों में प्रत्येक को 15 लाख रुपये का एक ऋण और देहरादून की "डी" इकाई को 8 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 1973) जो 9.5 प्रतिशत ब्याज वहन करने वाला था । इन इकाइयों को ऋणों की सम्पूर्ण धनराशि फरवरी 1974 से अप्रैल 1979 के दौरान बांटी गई ।

अगस्त 1975 में निदेशक मण्डल की जानकारी में यह लाया गया कि इन इकाइयों ने कम्पनी को देय ब्याज का भुगतान नहीं किया था । ऋण लेने वाली कम्पनियों के अनुरोध पर कम्पनी ने पुन-र्भुगतान की रिशिड्लिंग करना इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (अगस्त 1975) कि ये इकाइयां ब्याज वर्तमान दरों पर भुगतान करने के लिए सहमत हों । इसके बाद निदेशक मण्डल ने निम्न निर्णय लिए (अक्टूबर 1977):

--उन्नाव और सौनिक की दोनों इकाइयों में प्रत्येक से मूलधन (12.70 लाख रुपये) और देहरादून की इकाई "डी" से प्राप्य 7.20 लाख रुपये की वसूली का 31 मार्च 1981 तक आस्थगन ;

--बकाया ब्याज (इकाई "एम" : 6.71 लाख रुपये; इकाई "एस" : 7.02 लाख रुपये और इकाई "डी" : 1.85 लाख रुपये) का 31 मार्च 1979 तक ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निधिकरण ;

--ब्याज पर ब्याज की माफी (इकाई "एम" : अक्टूबर 1978 तक देय 0.98 लाख रुपये, इकाई "एस" : 0.87 लाख रुपये और इकाई "डी" : 0.22 लाख रुपये, दोनों दिसम्बर 1977 तक देय) ; और

--प्रत्येक इकाई को 5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति ("एम" इकाई को 3 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण जनवरी 1980 में बांटा गया) ।

यह भी देखा गया कि कम्पनी द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 1977) सामान्य नीति के विरुद्ध ब्याज नौ प्रतिशत की निबल दर से (शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए आधा प्रतिशत की छूट के बाद) लगाया गया यद्यपि इकाइयों ने, जब मूलधन का आस्थगन किया गया था, ब्याज की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया था और ब्याज का निधिकरण ब्याज मुक्त अनुमोदित किया गया ।

(ङ) लेखन एवं छपाई कागज के निर्माण के लिये नई दिल्ली की एक इकाई ने नार्वे की एक फर्म से एक पुराना (सैकिंड हैण्ड) संयंत्र (पश्चिमी जर्मनी में सन् 1915 में निर्मित) लिया जिसका जीवन परामर्शदाताओं (एन आई डी सी) द्वारा 15 से 18 वर्ष अनुमानित किया गया । गजरौला (मुरादाबाद) में परियोजना को स्थापित करने के लिए अग्रगामी संस्था (इण्डस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया) के अनुमोदित नोट के आधार पर कम्पनी ने 25 लाख रुपये का एक सावधि ऋण और साम्य पूंजी में निजी भागीदारी (प्राइवेट प्लेसमैण्ट) (5.50 लाख रुपये) स्वीकृत की (अगस्त 1976) । निर्धारित 16 प्रतिशत के विरुद्ध प्रवर्तकों का अभिदान केवल 12.47 प्रतिशत था ।

वाणिज्यिक उत्पादन, जो जून 1978 में प्रारम्भ होना अनुमानित किया गया था, वास्तव में जनवरी 1979 में खरीदी गई लुगदी से प्रारम्भ हुआ क्योंकि लुगदी संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था (मार्च 1982) ।

चूंकि परियोजना लागत 312.59 लाख रुपये से बढकर 598.97 लाख रुपये हो गई, निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया (फरवरी 1980) कि :

——6.80 लाख रुपये की धनराशि का दिसम्बर 1979 तक देय ब्याज का 12 प्रतिशत ब्याज पर निधिकरण कर दिया जायेगा ;

——प्रत्येक एक लाख रुपये वाली मूलधन की दो किश्तें जो 31 मार्च और 30 सितम्बर 1979 को देय हुई थीं, इस प्रकार आस्थगित कर दी जायेंगी कि पहली किश्त 31 मार्च 1980 को देय होगी और बाद वाली किश्त उसके 6 महीने बाद ।

इकाई ने 31 मार्च 1981 तक देय मूलधन की किश्तों (3 लाख रुपये) और ब्याज तथा बचनवद्ध व्ययों (11.71 लाख रुपये) का भुगतान नहीं किया था ।

इकाई को निम्नलिखित राहतें दी गईं (अप्रैल 1980) :

——अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15 प्रतिशत थी लेकिन निदेशक मण्डल ने निधिकरण किये गये ब्याज पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाये जाने का अनुमोदन किया ; और

——आस्थगित मूलधन पर इकाई से वसूलने योग्य ब्याज व्ययों की गणना करते समय कम्पनी ने ब्याज में तीन प्रतिशत की भी छूट अनुमन्य की । सामान्य नीति के अनुसार यह छूट तभी अनुमन्य होनी चाहिये थी जब कि इकाई ने आस्थगन के समय बकाये ब्याज देयों का भुगतान कर दिया होता ।

परियोजना की जीवनयोग्यता संदिग्ध हो गई थी जिसका कारण उच्च पूंजी लागत बताया गया (अप्रैल 1981) । प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि 12 प्रतिशत पर ब्याज का निधिकरण और किश्तों का आस्थगन कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसलिये किया गया था क्योंकि इन राहतों के बिना कम्पनी का परिचालन गम्भीर रूप से आपत्ति में पड़ जायेगा ।

(च) परिशोधित स्प्रिट/औद्योगिक एलकोहल और देशी विलायती शराबों के बनाने के लिये हकीमपुर सिरोही (गाजीपुर) में स्थापित होने वाली मद्यशाला (88 लाख रुपये) की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए कम्पनी ने कलकत्ता की "पी" इकाई को 25 लाख रुपये का एक सावधि ऋण और 2.50 लाख रुपये की अन्डरराइटिंग सहायता स्वीकृत की (मार्च 1976) । धन नवम्बर 1977 तथा नवम्बर 1979 के बीच बांटे गये । परियोजना लागत में 10.50 लाख रुपये की वृद्धि को पूरा करने के लिए कम्पनी ने 7 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 1978) ।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणाम स्वरूप, मूलधन की प्रथम किश्त (एक लाख रुपये) जो 30 सितम्बर 1978 को पुनर्भुगतान के लिए देय हुई, एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दी

गई और सितम्बर 1979 में भुगतान की गई । उसके बाद मूलधन का कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ (फरवरी 1982) ।

1.50 लाख रुपये के लोक निर्गमन व्यय बचाने के उद्देश्य से इकाई "पी" ने 13.35 लाख रुपये की अन्डरराइटिंग सहायता (कम्पनी : 2.50 लाख रुपये और निजी पार्टियां: 10.85 लाख रुपये) को निजी भागीदारी (प्राइवेट प्लेसमेण्ट) में बदलने का प्रस्ताव किया (जून 1979) । कम्पनी ने निजी भागीदारी का अपना हिस्सा (2.50 लाख रुपये) भुगतान कर दिया (सितम्बर 1979) लेकिन सभी छः निजी पार्टियां अपने वायदे से मुकर गईं परिणामस्वरूप कम्पनी को इकाई की साम्य पूंजी में 2.50 लाख रुपये और अभिदान करना पड़ा (मार्च 1980) । शेष अन्तर प्रवर्तकों (4.35 लाख रुपये) और यू पी एस आई डी सी (4 लाख रुपये) द्वारा पूरा किया जाना था ।

परियोजना लागत फिर बढ़कर 140 लाख रुपये हो गई और इकाई "पी" ने 28 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण और 5 लाख रुपये के अधिमान अंशों में निजी भागीदारी को स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना की (अगस्त/सितम्बर 1980) । कम्पनी ने 28 लाख रुपये का एक तीसरा ऋण और 5 लाख रुपये के अधिमान अंशों में अभिदान के रूप में सहायता स्वीकृत की (अक्टूबर 1980) । पुनर्भुगतान के शिड्यूल में संशोधन भी कम्पनी ने अनुमोदित कर दिया जिससे प्रथम ऋण के विरुद्ध पहली किश्त 31 मार्च 1981 को और दूसरे ऋण के विरुद्ध 31 मार्च 1982 को देय होगी और बाद वाली किश्तें उसके प्रति छः महीने बाद ।

निम्नलिखित बातें जानकारी में आईं :

(i) अनुबन्ध के अनुसार परियोजना की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि प्रवर्तकों द्वारा पूरी की जानी थी लेकिन इसका प्रचुर भाग (45 लाख रुपये, अर्थात् 52 लाख रुपये का 86.5 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा पूरा किया गया ;

(ii) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब की अवधि के दौरान कम्पनी को देय हुआ ब्याज भी परियोजना की लागत संशोधित करते समय सम्मिलित कर लिया गया और अतिरिक्त ऋण ब्याज की धनराशि की पूर्ति के लिये स्वीकृत किया गया ।

(छ) क्राफ्ट कागज के निर्माण के लिए एक परियोजना की आंशिक लागत पूरा करने के लिए कम्पनी ने 20 लाख रुपये का एक सावधि ऋण वाराणसी की इकाई "बी" को स्वीकृत किया (दिसम्बर 1975) । ऋण पूर्णरूप से मई 1976 (18.50 लाख रुपये) और मई 1977 (1.50 लाख रुपये) में बांट दिया गया । ऋण की वसूली मार्च 1978 से प्रारम्भ होनी थी ।

परियोजना की लागत जो प्रारम्भ में 300 लाख रुपये अनुमानित की गई थी, 1977 में संशोधित कर 340 लाख रुपये कर दी गई । परियोजना नवम्बर 1977 में 364 लाख रुपये की लागत से पूरी हो गई । 119.67 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध (साम्य अंश: 104.67 लाख रुपये और अधिमान अंश: 15 लाख रुपये) मार्च 1980 तक कुल संचित हानि 88.16 लाख रुपये (प्राविधान न किये गये 43.89 लाख रुपये के ह्रास को निकाल कर) थी ।

इकाई ने मूलधन की कोई किश्त अदा नहीं की और मार्च 1981 के अन्त वसूली के लिये देय मूलधन और ब्याज के सम्बन्ध में बकाया क्रमशः 10.50 लाख रुपये और 13.28 लाख रुपये थे ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1982) कि इकाई बीमार पड़ चुकी थी और परियोजना की समीक्षा की जायगी ।

(ज) कानपुर की एक फर्म को 0.27 लाख रुपये का एक बिक्री कर ऋण बांटा गया (मार्च 1976 में 0.21 लाख रुपये और जून 1977 में 0.06 लाख रुपये) । इकाई न अपना संघटन कम्पनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना बदल दिया । इस चूक की नोटिस दिये जाने पर इकाई ने ऋण की पूरी

धनराशि मार्च 1980 (0.15 लाख रुपये) और जून 1980 (0.12 लाख रुपये) वापस कर दी लेकिन ब्याज व्यय नहीं दिये । कम्पनी द्वारा ब्याज व्यय (लगभग 0.18 लाख रुपये) का दावा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

निष्कर्ष

(i) कम्पनी राज्य में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी प्रोन्नति एवं विकास के मुख्य उद्देश्य से मार्च 1972 में निगमित की गई ; मुख्य कार्यों में, तकनीकी, आर्थिक-साध्यता प्रतिवेदनों को तैयार करने और औद्योगिक काम्पलेक्सों तथा परियोजनाओं की स्थापना के अतिरिक्त प्रदेश में स्थित उद्योगों की अंशपूंजी/ऋण पत्रों/सावधि ऋणों में निवेश करना सम्मिलित है ।

(ii) 31 मार्च 1981 तक 141 इकाइयों को कुल 4972.75 लाख रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये थे । 31 मार्च 1981 तक बांटी गई धनराशि 2534.39 लाख रुपये थी ।

(iii) 31 मार्च 1981 को 350.89 लाख रुपये के सावधि ऋण (ब्याज के प्रति 170.89 लाख रुपये सम्मिलित कर) वसूली के लिए अति प्राप्य थे जिसमें से 189.26 लाख रुपये (ब्याज के प्रति 55.23 लाख रुपये सम्मिलित कर) एक वर्ष से अधिक की अवधि के अति प्राप्य थे ।

(iv) 141 इकाइयों की, जिन्हें ऋण स्वीकृत किये गये थे, उत्पादन के सामान्य स्तर पर कुल बिक्री और रोजगार क्षमता कम्पनी द्वारा क्रमशः 49517.70 लाख रुपये तथा 27,205 व्यक्ति अनुमानित की गई थी लेकिन कम्पनी के पास वास्तविक बिक्री एवं सृजित हुए रोजगार के बारे में कोई आंकड़े नहीं थे ।

(v) कम्पनी द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति के विरुद्ध मूलधन के आस्थगन के कुछ मामलों में ब्याज में छूट अनुमन्य की गई यद्यपि इकाइयों ने आस्थगन के समय बकाया ब्याज देयों का भुगतान नहीं किया था ।

(vi) मार्च 1981 तक कम्पनी ने 36 इकाइयों से सम्बन्धित 245.56 लाख रुपये के अंश अन्डरराइट किये थे और 17 इकाइयों से सम्बन्धित 123.07 लाख रुपये के अंश स्वीकार करने पड़े । कम्पनी ने दो इकाइयों से लाभांश प्राप्त किया था और 6 इकाइयों के सम्बन्ध में, जब अंश उद्धृत किये गये थे, कम्पनी के निवेश का बाजार मूल्य (52.41 लाख रुपये) घटकर 48.15 लाख रुपये रह गया ।

(vii) 31 मार्च 1981 तक आठ राजकीय उपक्रमों (5.24 लाख रुपये की लागत पर तैयार किये गये कम्पनी के लिए 20 प्रतिवेदनों को सम्मिलित कर) के लिये 14.80 लाख रुपये की लागत पर 49 साध्यता प्रतिवेदन बनाये गये थे लेकिन परियोजनायें स्थापित नहीं की गई थीं ।

(viii) कम्पनी ने लो टैम्परेचर कारबोनाइजेशन संयंत्र का साध्यता प्रतिवेदन बनवाना विपणन योग्यता को निर्धारित किये बिना ही प्रारम्भ कर दिया था और वह 6.94 लाख रुपये खर्च कर चुकी थी ।

(ix) मार्च 1981 तक विक्रय-कर ऋण बांटने के लिये सरकार से प्राप्त 1115 लाख रुपयों में से कम्पनी ने मार्च 1981 तक 236 इकाइयों को 1015.63 लाख रुपये बांटे थे । 21.78 लाख रुपये की धनराशि 39 इकाइयों से, जिन्होंने चूकें की थीं, वसूलने योग्य थी, जिसमें से 29 इकाइयों से 10.38 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे । शेष धनराशि वसूली जानी थी ।

(x) विक्रय-कर ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ब्याज मुक्त बिना प्रतिभूति वाले ऋणों के संवितरण पर राज्य सरकार ने 40 लाख रुपये की सीमा (सामान्य जिलों की इकाइयों के सम्बन्ध में) निर्धारित की (4 दिसम्बर 1976) । बाद में (सितम्बर 1978) राज्य सरकार ने दो इकाइयों के सम्बन्ध में, जो संवितरण पर सीमा निर्धारित करने वाले राज्यादेश की तिथि के पहले उत्पादन मे जा चुकी थीं, सीमा शिथिल कर दी । 4 दिसम्बर 1976 के बाद स्वीकृत 1.50 करोड़ रुपयों को शामिल कर कुल 2.92 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण गाजियाबाद की एक इकाई को बांटे गये ।

उपर्युक्त मामले सरकार को नवम्बर 1981 में सूचित किये गये; उत्तर की प्रतीक्षा थी (अप्रैल 1982) ।

अनुभाग IV

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड

4.01. विषय प्रवेश

कम्पनी 12 फरवरी 1974 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में पीतल बर्तन उद्योग को विकसित करने, पीतल और इलेक्ट्रोप्लेटेड निकिल सिल्वर (ई पी एन एस) लघु उद्योगों में लगे छोटे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने तथा उनको कच्चे माल, ऋणों और विपणन सुविधाओं द्वारा सहायता देने के उद्देश्य से निगमित की गई ।

4.02. कार्य कलाप

कम्पनी के कार्य कलाप मुख्यत: निम्न प्रकार थे :

(i) विपणन कार्य कलाप

—कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की अधिप्राप्ति और विपणन ;

—विभिन्न कारीगरों/उत्पादकों के पक्ष में जारी शीर्ष कम्पनियों के विक्रय और विमोचन आदेशों का प्रक्रियाकरण और ओपन जनरल लाइसेन्स के अन्तर्गत उत्पादकों के लिए सामान का आयात;

—विपणन योजना के अन्तर्गत सहायता;

—किराया क्रय पर मशीनों की आपूर्ति; और

—कार्य क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना जैसे कि नान फैरस रोलिंग मिल, क्रियात्मक औद्योगिक बस्ती, इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट और लैकरिंग प्लान्ट आदि ।

(ii) विकासजन्य कार्यकलाप

—सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर, लखनऊ की सहायता से परिकल्प विकास ;

—कारीगरों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना ;

—बेहतर कार्य दशाएं उपलब्ध कराना ;

—प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना ;

—ऐसे स्थानों पर शाखायें खोलना जहां पीतल के बर्तनों का व्यापार होता है ;

—सर्वेक्षण और आंकड़े संकलन का कार्य ; और

—उत्पादन, प्रबन्ध और डाक्युमेन्टेशन में प्रशिक्षण देना ।

4.03. पूंजी संरचना

अंश पूंजी

150 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के विरुद्ध कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1981 को 144.50 लाख रुपये (पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) थी ।

4.04. कार्य परिणाम

कम्पनी के कार्यों के परिणामस्वरूप वर्ष 1977–78 से 1979–80 तक के तीन वर्षों के दौरान 1.38 लाख रुपये, 1.34 लाख रुपये और 1.27 लाख रुपये (तीन वर्षों के दौरान बिक्री का क्रमश: 19,20 और 7 प्रतिशत) का लाभ हुआ । 1980–81 के लिए सम्परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए

थे। तथापि, मुरादाबाद और अलीगढ़ में आम दंगों के कारण 1980–81 के दौरान (अनन्तिम लेखाओं के अनुसार) 8 लाख रुपये की शुद्ध हानि की संभावना है।

4.05. लक्ष्य और उपलब्धियां

निम्न तालिका 1980–81 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अपनाये गये कार्य कलापों के सम्बन्ध में लक्ष्यों और उपलब्धियों को प्रकट करती है :

	1978–79		1979–80		1980–81	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (लाख रुपयों में)	लक्ष्य	उपलब्धियां
आन्तरिक विपणन और निर्यात	15.00	7.24	20.00	13.02	50.00	18.00
कारीगरों और निर्यातकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता	10.00	0.56	2.00	1.15	3.00	..
कच्चे माल की अधिप्राप्ति और वितरण						
—स्वयं का व्यापार	20.00	28.18	41.00	30.05	49.00	7.94
—अभिकरण कार्य	200.00	148.09	242.00	234.19	318.00	147.61
मशीनों के किराया क्रय के लिए सहायता	5.00	5.38	6.01	7.94	10.00	9.75
बिजली फिटिंग के लिये सहायता	0.50	0.08	0.50	0.02	0.40	0.39
	250.50	189.53	311.51	286.37	430.40	183.69
उपलब्धि (प्रतिशतता)		75.7		91.9		42.7

प्रबन्धकों द्वारा मुरादाबाद और अलीगढ़ में दंगों और मिर्जापुर शाखा में कुछ अवांछ[illegible] कलापों की 1980–81 के दौरान उपलब्धि में गिरावट का कारण बताया गया (जनवरी 1982)।

4.06. निष्पादन

4.06.01. निर्मित वस्तुओं की अधिप्राप्ति और विक्रय

(i) कारीगरों और कारखानेदारों के माध्यम से निर्मित कराई गई वस्तुएं घरेलू और निर्यात आदेशों के विरुद्ध या प्रदर्शन कक्षों/प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से विक्रय की जाती हैं।

निम्न तालिका 1980–81 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा व्यवहार में लाई गई निर्मित वस्तुओं का मूल्य दर्शाती है :

	1978–79		1979–80		1980–81	
	घरेलू	निर्यात	घरेलू	निर्यात (लाख रुपयों में)	घरेलू	निर्यात
पिछले वर्ष के अग्रेणित आदेश	0.71	2.72	0.61	1.20	0.18	1.90
वर्ष के दौरान प्राप्त आदेश	4.10	6.38	1.21	9.67	1.85	19.66
निष्पादित आदेश	3.32	3.30	1.11	6.94	1.29	6.50
निरस्त किये गये आदेश	0.88	4.60	0.53	2.03	0.74	11.57
निष्पादन के लिए आगामी वर्ष को ले जाया गया शेष	0.61	1.20	0.18	1.90	..	3.49

आदेशों का भारी निरस्तीकरण जैसा कि प्रबन्धकों द्वारा बताया गया (अगस्त 1981) निम्न कारणों से था :

—आपूर्ति के लिए दिया गया समय बहुत कम था;

—आदेश किये गये नग स्थानीय कारीगरों द्वारा नहीं निर्मित किये जा रहे थे ;

—पार्टियों द्वारा साख पत्रों का विस्तार न करना ;

—1980–81 के दौरान शहर में दंगे ;

—उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी ई सी) द्वारा आदेशों की पुष्टि न करना; और

—आदेशों के छोटे होने के कारण कारीगरों द्वारा कार्य लेने से इन्कार करना ।

निर्यात/घरेलू आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति के लिये 1976–77 से 1979–80 के दौरान कम्पनी द्वारा क्रय की गई 1.48 लाख रुपये मूल्य की वस्तुयें पार्टियों द्वारा आदेशों के निरस्तीकरण के कारण अभी भण्डार में पड़ी हुई थीं (मार्च 1982) ।

(ii) यू पी ई सी के माध्यम से किये गये निर्यात विक्रय पर सम्पूर्ण निर्यात प्रोत्साहन कम्पनी को मिलने होते हैं और बीजक मूल्य पर 5 प्रतिशत सेवा प्रभार यू पी ई सी को भुगतान किया जाता है ।

कम्पनी ने यू पी ई सी के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात अप्रैल 1976 से प्रारम्भ किया किन्तु निर्यात प्रोत्साहनों को केवल सितम्बर 1977 से मांगा । सितम्बर 1977 से पूर्व के न मांगे गये निर्यात प्रोत्साहन 0.41 लाख रुपये के थे यद्यपि उन्हें सेवा प्रभार (0.06 लाख रुपये) भुगतान किये गये थे ।

सितम्बर 1977 से मार्च 1981 तक की अवधि के लिये 2.82 लाख रुपये के निर्यात प्रोत्साहन यू पी ई सी से प्राप्य थे ।

प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (जनवरी 1982) कि पिछले वर्षों में दावों का इसलिये प्रभावी रूप से अनुसरण नहीं किया गया क्यों कि कम्पनी व्यापार के लिये यू पी ई सी पर आश्रित थी ।

(iii) विक्रय/वापसी आधार पर भेजी गई वस्तुयें

कम्पनी ने साढ़े 12 प्रतिशत कमीशन और 600 रुपये प्रति महीने प्रति प्रदर्शन कक्ष के नियत प्रभार के भुगतान पर यू पी ई सी के प्रदर्शन-कक्षों में वस्तुओं का विक्रय प्रारम्भ किया (मई 1979)। यू पी ई सी द्वारा किये गये चुंगी और भाड़े पर व्यय, यदि कोई हों, कम्पनी द्वारा वहन किये जाने थे । विक्रय सुधार के लिये यू पी ई सी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की गई छूट कम्पनी और यू पी ई सी द्वारा समान रूप से वहन की जानी थी ।

1980–81 तक के दो वर्षों के दौरान यू पी ई सी के पांच प्रदर्शन कक्षों को परेषण आधार पर भेजी गई वस्तुओं की स्थिति का विवरण निम्न है :

	1979–80	1980–81	1980–81 तक संचयी
		(लाख रुपयों में)	
भेजी गई वस्तुयें	7.10	6.84	13.94
विक्रय की गई वस्तुयें	4.02	6.50	10.52
कमीशन, छूट और अन्य व्यय	0.97	1.45	2.42
विक्रय पर कमीशन आदि का प्रतिशत	24.1	22.3	23.0

(क) लखनऊ के दो प्रदर्शन कक्षों में 1979–80 और 1980–81 क दौरान 1.10 लाख रुपये मूल्य की वस्तुयें विक्रय की गई । कम्पनी ने कमीशन, छूट और अन्य व्ययों के लिये यू पी ई सी को 0.43 लाख रुपये भुगतान किये (23 प्रतिशत के औसत के विरुद्ध विक्रय का 39.1 प्रतिशत) ।

(ख) विक्रय प्रोत्साहन के लिये यू पी ई सी द्वारा ग्राहकों को दी गई छूट कम्पनी और यू पी ई सी द्वारा समान रूप से वहन की जानी थी लेकिन 1979–80 और 1980–81 के दौरान छूट के रूप में दिये गये 0.22 लाख रुपये पूर्णतया कम्पनी द्वारा वहन किये गये ।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि छूट की अधिक धनराशि कम्पनी के हिस्से के लाभ से पूरी हो जाती थी ।

(ग) 1980–81 के अन्त में यू पी ई सी के प्रदर्शनकक्षों में पड़ी वस्तुओं का पुस्तक मूल्य 3.42 लाख रुपये था ।

(घ) 1980–81 के अन्त में कम्पनी के खाता ऋण 5.05 लाख रुपये के थे । समयावधि अनुसार ब्योरा निम्न प्रकार था :

	धनराशि (लाख रुपयों में)
छः माह से कम	2.50
छः माह से एक वर्ष तक	1.35
एक से दो वर्ष तक	1.05
दो से तीन वर्ष तक	0.15
	5.05

5.05 लाख रुपये के खाता ऋणों में सरकारी विभागों (सरकारी कम्पनियों को सम्मिलित करके) के विरुद्ध 2.52 लाख रुपये और निजी पार्टियों के विरुद्ध 2.53 लाख रुपये का बकाया शामिल था ।

1978–79 तक कोई भी ऋण प्रबन्धकों द्वारा अशोध्य या वसुली के लिए संदिग्ध नहीं समझा गया । तथापि, 1979–80 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिये 2 लाख रुपये का प्राविधान किया गया ।

(iv) ब्याज और सेवा प्रभारों को नाफो

कम्पनी ने मुरादाबाद की एक फर्म 'ए' के साथ 'ए' द्वारा प्राप्त आदेशों के विरुद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिये इन शर्तों पर एक अनुबन्ध निष्पादित किया (जून 1975) कि कम्पनी

—निर्माण और अन्य व्ययों के लिए वित्त देगी ;

—आदेशित परेषणों के मुरादाबाद तक निष्प्रभार मूल्य पर अपने सेवा प्रभारों के रूप में साढ़े 7 प्रतिशत लेगी; और

—निर्यात वित्त पोषण के लिए निवेशित धनराशि पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की निर्धारित दरों पर ब्याज लेगी ।

मार्च 1977 तक की गई 2.89 लाख रुपये की आपूर्तियों के सम्बन्ध में कम्पनी सेवा प्रभार (0.21 लाख रुपये) और ब्याज प्रभार (0.53 लाख रुपये) की हकदार थी (मार्च 1977)। फर्म की प्रार्थना (दिसम्बर 1976) पर कम्पनी ने दरें निकालने के लिये बिना किसी आधार के सेवा प्रभार साढ़े 7 से 5 प्रतिशत और ब्याज प्रभार साढ़े 16 से साढ़े 11 प्रतिशत घटा दिये (अप्रैल 1977) और दावा 0.20 लाख रुपये (सेवा प्रभार : 0.07 लाख रुपये और ब्याज : 0.13 लाख पये) से कम कर दिया ।

4.06.02. कच्चे माल की अधिप्राप्ति और विक्रय

(i) कम्पनी पीतल/तांबे की छीलन, पीतल बेरिंग, जस्ता छीलन इत्यादि की अधिप्राप्ति करती है, इसे पीतल की सिल्लियों में परिवर्तित कराती है और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर स्थानीय कारीगरों को इसे बेचने का प्रबन्ध करती है। कम्पनी विभिन्न कारीगरों / उत्पादकों के पक्ष में निर्गमित देश की शीर्षस्थ कम्पनियों के विक्रय नोटों और बंटन आदेशों का एक अभिकर्त्ता के रूप में प्रक्रियाकरण करती है। यह उत्पादकों के लिये उनकी हकदारियों के विरुद्ध और ओपन जनरल लाइसेन्स के अन्तर्गत सामान भी आयात करती है। अभिकरण कार्य के लिये कम्पनी फैक्टरी तक निष्प्रभार गोदी लागत पर एक से दो प्रतिशत तक की दर से सेवा प्रभार वसूल करती है।

(ii) कच्चे माल की अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय प्रारम्भ में कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है और तत्पश्चात् विद्यमान बैंक दर पर या नकद साख के लिए पार्टियों द्वारा किये गये अनुबन्धों में वर्णित दर पर सेवा और ब्याज प्रभार के रूप में पार्टियों से वसूल किया जाता है।

1980–81 के अन्त में कम्पनी के गोदामों में पड़े बिना उठाये गये कच्चे माल का मूल्य 52 पार्टियों के सम्बन्ध में 75 लाख रुपये (लगभग) था। यह प्रारम्भ से ही भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था।

(iii) पार्टियों के लिए समान की अधिप्राप्ति के लिये उनके साथ किये गये अनुबन्धों में प्राविधान है कि कम्पनी सामान में किसी परिवर्तन,दोषों,कमी, मार्ग में सामान की क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगी और पार्टियों से पूरा निवेशित धन (ब्याज, सेवा और अन्य प्रभारों के साथ) वसूल करेगी। कमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पार्टियों द्वारा स्वयं दावे दायर किये जाने और अनुसरण किये जाने थे।

तथापि, कम्पनी ने इन प्राविधानों का पालन नहीं किया और 9 पार्टियों के सम्बन्ध में मार्ग की कमियों के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण किया और सीमाशुल्क/रेलवे अधिकारियों के साथ कमियों के लिये दायर दावों (5.42 लाख रुपये) की धनराशि के बराबर उनको सहायता प्रदान की (1980–81)। दिसम्बर 1979 से अगस्त 1980 के दौरान दायर 5.42 लाख रुपये के दावों में से 0.23 लाख रुपये का केवल एक दावा, एक पार्टी के सम्बन्ध में 0.46 लाख रुपये के एक दावे का हिस्सा, निर्णीत हुआ था (जनवरी 1981) और शेष दावे अभी भी अनुसरण में थे (जून 1982)।

अनुबन्ध के प्राविधानों का पालन न करने के कारण कम्पनी ने सीमा शुल्क/रेलवे अधिकारियों से धनराशि मिलने के पूर्व ही पार्टियों को भुगतान किये गये 5.42 लाख रुपये पर सितम्बर 1981 तक ब्याज के रूप में 1.02 लाख रुपये की हानि उठाई।

4.06.03. शाखाओं के कार्य कलाप

कम्पनी ने राज्य के अन्य भागों में अपने कार्यकलापों की वृद्धि हेतु पांच स्थानों (1980–81 में खोली गई दो शाखाओं को सम्मिलित करके) पर शाखायें खोली। निम्न तालिका तीन शाखाओं (1977–78 और 1978–79 के दौरान खोली गई) के कार्य कलापों के परिणामों को दर्शाती है:

	वाराणसी		मिर्जापुर		अल्मोड़ा	
	विक्रय और सेवायें	लाभ (+)/ हानि (–) *	विक्रय और सेवायें	लाभ (+)/ हानि (–) *	विक्रय और सेवायें	लाभ (+)/ हानि (–) *
	(लाख रुपयों में)					
1977–78	6.89	(–) 0.41	37.83	(+) 0.48	..	..
1978–79	12.14	(–) 0.25	106.73	(+) 2.30	1.23	(–) 0.11
1979–80	13.90	(+) 0.79	132.01	(+) 1.88	1.50	(–) 0.10
1980–81	12.80	(+) 0.50	108.50	(–) 5.00	2.00	(–) 0.15

*कम्पनी द्वारा निकाला गया लाभ/हानि प्रकट करता है।

कम्पनी ने वाराणसी और मिर्जापुर की शाखाओं के पर्यवेक्षण के लिये वाराणसी में एक सामान्य प्रबन्धक का कार्यालय स्थापित किया (जनवरी 1979)। मिर्जापुर शाखा में जनवरी और नवम्बर 1980 के मध्य निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताएं घटित हुई :

	धनराशि (लाख रुपयों में)
पार्टियों से कम वसूलियां	16.54
पार्टियों से प्रतिशुल्क की वसूली न करना	5.36
कमियां (दावा दायर नहीं किया गया)	4.32
पार्टियों से मार्जिन मनी प्राप्त किये बिना सहायता प्रदान करना	2.78
गबन और फर्जी दावे	6.17
एक पार्टी से सम्बन्धित धन का कथित दुर्विनियोग	1.46
जोड़	36.63

प्रबन्धकों ने मामला पुलिस को (अप्रैल 1981) और सतर्कता विभाग को (मई 1981) सूचित किया; अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थीं (मार्च 1982)।

विभागीय जांच के परिणामों के आधार पर शाखा प्रबन्धक की पदावनति कर दी गई (जनवरी 1981) और एक क्षेत्र अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं (फरवरी 1981)।

4.06.04. विपणन योजना के अन्तर्गत सहायता

मार्च 1976 से शुरू की गयी यह योजना विशिष्ट निर्यात आदेशों के विरुद्ध लघु निर्यातकर्ताओं को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के सहयोग से पोत लदान के पूर्व और पश्चात् आर्थिक सहायता पर विचार करती है। कम्पनी की गारन्टी पर बैंक द्वारा निर्माण की अवस्था में पोत लदान पूर्व सहायता (निर्यात आदेश के मूल्य के 70 प्रतिशत तक) प्रदान की जाती है। सामान के सम्प्रेषण और बैंक द्वारा पोत अभिलेखों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् सहायता की सम्पूर्ण धनराशि ब्याज और अन्य व्ययों सहित कम्पनी को स्थानान्तरित कर दी जाती है जो इसे निर्यातकर्ता को ऋण के रूप में मानती है। ब्याज और सेवा प्रभारों के साथ ऋण की वसूली बैंक द्वारा विदेशी क्रेता से प्राप्त विक्रय धनराशि से की जाती है। कम्पनी सामान के जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर ढाई प्रतिशत (अगस्त 1977 तक 5 प्रतिशत) सेवा प्रभार प्राप्त करती है।

कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत मार्च 1976 से मई 1980 के दौरान मुरादाबाद के पांच निर्यातकर्ताओं को 11.54 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। योजना के अन्तर्गत सहायता को बन्द कर दियागया (मई 1980) क्योंकि बैंक ने प्रतिभूति (लाभान्वितों से) पर जोर दिया जो नहीं प्राप्त हो रही थी।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि कम्पनी ने बैंक के विरुद्ध धारा 80 सी पी0 सी के अन्तर्गत एक नोटिस दे दिया है (जून 1980) और एक दीवानी मुकदमा दायर करना प्रस्तावित है।

एक निर्यातकर्ता के सम्बन्ध में, जिसे मार्च 1976 से जुलाई 1977 के दौरान कम्पनी द्वारा पोत लदान के पश्चात् आर्थिक सहायता (6.07 लाख रुपये) दी गई थी, यह जानकारी में आया कि बैंक ने कम्पनी की बिना किसी सहमति के निर्यातकर्ता को विदेशी क्रेता से सीधे विक्रय धनराशि

एकत्र करने की अनुमति दे दी (अप्रैल 1977 में 0.98 लाख रुपये) और विक्रय धनराशि उसके खाते में जमा कर दी (अप्रैल 1976 से दिसम्बर 1977 के मध्य 1.39 लाख रुपये) यद्यपि, निर्यातकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध कम्पनी के देय निबटाने और कम्पनी की सहमति से शेष धनराशि पार्टी के खाते में जमा करने के लिये विक्रय धनराशि (उसकी ओर से बैंक द्वारा प्राप्त की गई) प्रयुक्त करने के लिये बैंक को अटल प्राधिकार दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.42 लाख रुपये (मूलधन: 0.96 लाख रुपये और सेवा प्रभार : 0.46 लाख रुपये) के देयों की वसूली नहीं हुई। 31 मार्च 1981 तक 1.62 लाख रुपये का ब्याज भी देय हो गया था। मामला बैंक के साथ जून 1980 में उठाया गया (कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण अभिलेखों पर नहीं), वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1982)।

4.6.05. **मशीनों के क्रय के लिये सहायता**

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने मुरादाबाद के पीतल बर्तन बनाने वाले कारीगरों को मशीन के क्रय हेतु आर्थिक सहायता (एक राष्ट्रीयकृत बैंक के सहयोग से) प्रदान करने के लिये एक योजना अनुमोदित की (अक्टूबर 1975)। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कारीगर को 0.10 लाख रुपये तक (मशीन की लागत के 80 प्रतिशत तक सीमित) सहायता अनुमन्य थी। प्रथमत: कम्पनी को सहायता प्रदान करनी थी और तब पार्टी के पक्ष में ऋण स्वीकृत करने के लिये और कम्पनी को धनराशि के वितरण के लिए बैंक से सम्बन्ध स्थापित करना था।

कम्पनी को कारीगरों से मशीन की लागत का ढाई प्रतिशत सेवा प्रभार पहले ही वसूल करना था। सहायता देने की दिनांक से बैंक द्वारा कम्पनी के लेखाओं में धनराशि के जमा करने की तिथि तक का ब्याज प्रचलित दरों पर (नकद साख लेखाओं पर बैंक द्वारा लिया गया) पार्टियों से लिया जाना था।

निम्न तालिका योजना के अन्तर्गत 1980–81 तक दी गई सहायता और उसके विरुद्ध वसूलियों की मात्रा दर्शाती है :

वर्ष	कम्पनी द्वारा वितरित धनराशि	बैंक द्वारा प्रतिपूर्त धनराशि	कम्पनी द्वारा सीधी वसूल की गई धनराशि	बकाया धनराशि (संचयी)
		(लाख रुपयों में)		
1978–79 तक	9.38	4.22	1.22	3.94
1979–80	6.35	0.69	0.22	9.38
1980–81	0.14	..	0.76	8.76
	15.87	4.91	2.20	..

मार्च 1982 के अन्त में बकाया, 48 पार्टियों के सम्बन्ध में, जिन्हें मार्च 1980 तक सहायता दी गई थी, 3.10 लाख रुपये था। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि इसमें से कुछ मामले बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिये यद्यपि पार्टियों से देयों (ब्याज के साथ) की सीधी वसूली के प्रयत्न पहले से ही प्रगति में थे।

4.06.06. **कार्यात्मक औद्योगिक बस्ती**

कम्पनी ने संलग्न आवासीय स्थान के साथ 5,000 कार्य शेडों की कार्यात्मक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना अनुमोदित की (फरवरी 1976)। राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये

के ऋण की प्रथम किस्त जून 1976 में प्रदान की। कम्पनी ने साध्यता प्रतिवेदन बनाने का कार्य प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वैस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकअप) को सितम्बर 1976 में सौंपा जो अक्टूबर 1980 में प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन मई 1981 में अनुमोदित किया गया और 150 लाख रुपये की लागत से 250 शेड निर्माण कराने का निर्णय लिया गया (मई 1981)। कम्पनी ने 5 लाख रूपये के ऋण की द्वितीय किस्त सरकार से फरवरी 1981 में प्राप्त की।

मार्च, 1981 तक 7.67 लाख रुपये का खर्च ऋण पर ब्याज (1.28 लाख रुपये), साध्यता प्रतिवेदन (0.25 लाख रुपये), भूमि (6 लाख रुपये) और विविध खर्चों (0.14 लाख रुपये) पर किया गया। परियोजना 1983 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

4.07. लेखा मैनुअल और आन्तरिक सम्परीक्षा

कम्पनी ने विस्तृत लेखा विधियां निर्धारित करते हुए कोई लेखा मैनुअल नहीं तैयार किया था। प्रत्येक कार्य का लागत-लाभ विश्लेषण करने के लिये कम्पनी द्वारा किये गए कार्यों के पृथक-पृथक लेखे नहीं रखे गये थे।

एक आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी और एक सहायक के साथ जून 1977 में एक आन्तरिक सम्परीक्षा कक्ष स्थापित किया गया। सांविधिक सम्परीक्षकों ने अपने प्रतिवेदनों में जोर दिया है कि कम्पनी की आन्तरिक सम्परीक्षा पद्धति इसके आकार और व्यापार के अनुरूप नहीं थी। प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1981) कि आन्तरिक सम्परीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन था।

4.08. विशिष्ट उद्देश्यों के लिये ऋण एवं अनुदान

शहर में हुए दंगों से प्रभावित पीतल बर्तन कारीगरों/ईकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कम्पनी ने नवम्बर 1980 में राज्य सरकार तक पहुंच की।

(क) राज्य सरकार से इस उद्देश्य के लिए प्राप्त (जनवरी 1981) 25 लाख रुपये के एक ऋण को 1000 इकाइयों/कारीगरों को 2500 रुपये प्रत्येक (दो तिहाई नकद और एक तिहाई कच्चे माल, औजारों और संयन्त्रों के रूप में) की दर से ऋण की किश्तों और ब्याज को समय से पुनर्भुगतान करने पर साढ़े तीन प्रतिशत छूट के साथ 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण के रूप में वितरित किये जाने का इरादा था। कम्पनी ने 2500 रुपये प्रत्येक की दर से 751 इकाइयों/कारीगरों को नकदी में 18.78 लाख रुपये प्रदान किये थे (दिसम्बर 1981)।

(ख) राज्य सरकार ने मशीन के क्रय के लिये दंगों से प्रभावित 150 इकाइयों को मार्जिन मनी के रूप में भुगतान किये जाने के लिये (मशीन की लागत के 20 प्रतिशत के बराबर या 2000 रुपये, जोभी कम हो) 3 लाख रुपये का एक अनुदान प्रदान किया (जनवरी 1981)।

25 कारीगरों/इकाइयों से सामान की लागत पर, जो उनके द्वारा उठाया नहीं जा सका और इसलिए अगस्त से नवम्बर 1980 के दौरान कम्पनी के गोदामों में पड़ा रहा, प्राप्य ब्याज के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिये (ब्याज उपदान के रुप में) कम्पनी को 1.50 लाख रुपये की एक और धनराशि भुगतान की गई।

उपरोक्त अनुदान कम्पनी द्वारा 3.20 लाख रुपये (अगस्त 1980 से पूर्व की अवधि के लिए 1.46 लाख रुपये और अगस्त से नवम्बर 1980 तक की अवधि के लिये ब्याज की धनराशि के 75 प्रतिशत से ऊपर आधिक्य के लिये 0.24 लाख रुपये, जो अनुमन्य नहीं थे, को सम्मिलत करके) के बकाया ब्याज, सेवा प्रभार (0.49 लाख रुपये) और गोदाम किराया (0.16 लाख रुपये) की धनराशि को पूर्णतया निबटाने के लिये प्रयुक्त किये गये। कम्पनी ने कोई भी धनराशि मार्जिन मनी के रूप में भुगतान नहीं की।

शासकीय आदेश में वर्णित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिये अनुदानों के उपयोग के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन जो सितम्बर 1981 के दौरान मांगा गया था अभी भी प्रतीक्षित था (मार्च 1982)।

4.09. निष्कर्ष

(i) कम्पनी फरवरी 1974 में पीतल बर्तन उद्योग के विकास और इलैक्ट्रो प्लेटेड निकिल सिल्वर लघु उद्योगों में लगे उद्यमियों को सहायता देने के उद्देश्य से निगमित की गई। कम्पनी के मुख्य कार्य कलापों में कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की अधिप्राप्ति और विपणन, उद्योग में लगे कारीगरों को सहायता, उद्योग से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना और विकासजन्य कार्यकलाप जैसे कि परिकल्प विकास, सर्वेक्षण और आंकड़ा संकलन, उत्पादन, प्रबन्ध और डाक्युमेन्टेशन में प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

(ii) निर्यात/अन्तर्देशीय आदेशों के विरुद्ध 1976–77 से 1979–80 के दौरान कम्पनी द्वारा क्रय की गई 1.48 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं पार्टियों द्वारा आदेशों के निरस्तीकरण के कारण भंडार में पड़ी हुई थीं (मार्च 1982)।

(iii) कम्पनी ने अगस्त 1977 तक यू पी ई सी के माध्यम से किये गये निर्यात विक्रय पर 0.41 लाख रुपये के निर्यात प्रोत्साहन की मांग नहीं की। सितम्बर 1977 से मार्च 1981 तक की अवधि के लिये निर्यात प्रोत्साहन (2.82 लाख रुपये) भी यू पी ई सी के विरुद्ध बकाया थे।

(iv) यू पी ई सी के पांच प्रदर्शन कक्षोंमें सामान के विक्रय पर कमीशन, छूट और अन्य व्ययों का प्रतिशत 1979–80 में 24.1 और 1980–81 में 22.3 था। इन पांच प्रदर्शन कक्षों में से लखनऊ के दो प्रदर्शन कक्षों में ऐसे व्यय 1979–80 और 1980–81 के दौरान 39.1 प्रतिशत थे।

(v) कम्पनी ने अधिक व्यापार मिलने की आशा में एक निर्यातकर्त्ता से प्राप्य ब्याज और सेवा प्रभारों के सम्बन्ध में 0.20 लाख रुपये माफ कर दिये (अप्रैल 1977); आगे उस निर्यात-कर्ता से कोई व्यापार नहीं मिला।

(vi) पार्टियों के साथ हुए अनुबन्धों के प्राविधानों के विरुद्ध कम्पनी ने परेषणों में कमियों के लिए दावे दायर करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और कमियों के लिये दावों की पूर्ण धनराशि पार्टियों को प्रदान की। कम्पनी द्वारा दायर किये गए 5.42 लाख रुपये के दावों में से एक पार्टी के सम्बन्ध में 0.23 लाख रुपये के लिये केवल एक दावा (0.46 लाख रुपये के एक दावे का हिस्सा) निर्णित हुआ था (जनवरी 1981) और शेष दावे अभी भी अनुसरण में थे।

(vii) मिर्जापुर शाखा में वित्त पर अपर्याप्त पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप 36.63 लाख रुपये की सीमा तक (11.95 लाख रुपये की कमियों और गबनों को सम्मिलित करके) वित्तीय अनियमितताएं हुई।

(viii) 48 पार्टियों के लिये किराया क्रय पद्धति पर खरीदी गई मशीनों में कम्पनी का विनियोग (3.10 लाख रुपये) अवरुद्ध पड़ा था क्योंकि बैंक द्वारा मामले अभी स्वीकृत किये जाने थे (मार्च 1982)।

(ix) मशीनों के क्रय के लिये मार्जिन मनी के रूप में पार्टियों को भुगतान किये जाने के लिये राज्य सरकार से प्राप्त 3 लाख रुपये के अनुदान में से 2.35 लाख रुपये पार्टियों द्वारा कम्पनी को देय ब्याज प्रभार (1.70 लाख रुपये), सेवा प्रभार (0.49 लाख रुपये) और गोदाम किराये (0.16 लाख रुपये) को निबटाने के लिये प्रयुक्त किये गए।

उपरोक्त मामला सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 1982)।

अनुभाग V

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

5.01. बीमा प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण हानि

कम्पनी ने अपने भदोई डिपो को ऊनी कालीन धागे की आपूर्ति के लिये अमृतसर की एक फम क साथ एक अनुबन्ध किया (अगस्त 1979)। फर्म द्वारा बीमा करवा कर माल 66 गांठों में (6581 किलोग्राम, मूल्य: 3.10 लाख रुपये) सड़क द्वारा सम्प्रेषित किया गया (सितम्बर/अक्टूबर 1979)। बीमा पालिसी की शर्तों से जोखिम सुपुर्दगी होने तक या गन्तव्य स्थान तक माल पहुंचने के समय से सात दिन व्यतीत होने तक, जो पहले हो, सुरक्षित था।

माल 25 सितम्बर 1979 (28 गांठें) और 20 अक्टूबर 1979 (38 गांठें) को भदोई पहुंचा **और 10 दिसम्बर** 1979 तक, जब कि परिवहनकर्ता के गोदाम में आग लगी, नहीं हटाया गया। **धागे की 21** गांठें (2075 किलो ग्राम, मूल्य: 0.98 लाख रुपये) क्षतिग्रस्त हो गयीं। कम्पनी द्वारा हानि की पूर्ति के लिये प्रार्थना करने पर (16 जनवरी 1980) फर्म ने दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया (मार्च 1980) कि माल सात दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं हटाया गया था जैसा कि बीमा कवर के अन्तर्गत वांछनीय था। इस प्रकार कम्पनी को हानि वहन करनी पड़ी। प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (जून 1982) कि कानपुर के दीवानी न्यायालय में आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड

जरवल रोड इकाई

5.02. नकदी का गबन

28 फरवरी 1981 की बैंक खाते का बैंकरों द्वारा प्रस्तुत तालिका के साथ समाधान करते समय (मार्च 1981) 20 फरवरी 1981 को 1,92,525.25 रुपये का आहरण रोकड़ बही में नहीं प्रविष्ट हुआ पाया गया। सामान्य प्रबन्धक द्वारा की गई छानबीन (11 मार्च 1981) से प्रकट हुआ कि आहरण 102 ड्रम लुब्रीकेटिंग तेल (19615 लीटर) की आपूर्ति के लिये 3 फर्जी बिलों के विरुद्ध लखनऊ की एक फर्म के नाम एक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करके फैक्टरी के एक सहायक लेखाकार द्वारा किया गया था। बैंक ड्राफ्ट की राशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ खुले एक निजी बैंक के क्लीयरिंग एकाउन्ट के माध्यम से प्राप्त की गई। कम्पनी द्वारा दर्ज करायी गई (मार्च 1981) रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कर्मचारी के लाकर से 1.87 लाख रुपये (फिक्स्ड डिपाजिट रसीदें: 1 लाख रुपये; बैंक चालू खाता: 0.79 लाख रुपये, बचत बैंक खाता: 2,200 रुपये और नकदी: 5,900 रुपये) जब्त किये। जब्त की गई नकदी/कागजात बहराइच के न्यायालय में जमा करा दिये गये थे और कर्मचारी मार्च 1981 से निलम्बन के अन्तर्गत था।

सामान्य प्रबन्धक (15 मार्च 1981) और आन्तरिक सम्परीक्षा (14 मार्च 1981) के प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि जालसाजी से आहरण सामान्य प्रबन्धक द्वारा बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिये खाली डेबिट एडवाइस फार्म और मांग पत्र अग्रिम में हस्ताक्षर करने के कारण सम्भव हुआ (बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिये चैक जारी नहीं किये जा रहे थे)। सामान्य प्रबन्धक द्वारा इस प्रकार के पूर्व हस्ताक्षरित एडवाइस/मांग पत्र फैक्टरी के मुख्य लेखाकार के पास छोड़े जाते रहे थे।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1981) कि यह विधि सामान्य प्रबन्धक की अनुपस्थिति के दौरान सरकारी कार्य के लिये बैंक से आहरण में सहूलियत की दृष्टि से सद्भाव में अपनायी गयी थी।

यह और बताया गया (नवम्बर 1981) कि वित्त पर नियन्त्रण रखने के लिये कम्पनी की सभी इकाइयों में संयुक्त हस्ताक्षर पद्धति चालू कर दी गयी थी।

मामला सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 1982)।

5.03. जूट के बोरों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी द्वारा चीनी की पैकिंग के लिये जूट के बोरों की आवश्यकता 1979–80 तक कम्पनी द्वारा निर्धारित भंडार क्रय पद्धति के अनुसार निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद उत्पादन कर्त्ताओं से सीधी खरीद करके पूरी की जानी थी। 1980–81 के दौरान कम्पनी ने अपनी विभिन्न इकाइयों के लिये 6.88 लाख जूट के बोरों का प्रबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (यू पी सी एफ) को तीन मांग पत्र (31 जनवरी, 7 और 10 फरवरी 1981) प्रस्तुत किये, शर्तें, अन्य बातों के साथ साथ, यह थीं कि यू पी सी एफ कम्पनी की तरफ से निविदाएं आमन्त्रित करेगा जो कम्पनी के एक अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोले जायेंगे और यू पी सी एफ सम्प्रेषणों का अनुसरण करेगा और बिल की धनराशि पर एक प्रतिशत कमीशन लेगा।

यू पी सी एफ ने कलकत्ता में दो अधिकारियों को नियुक्त करके सम्पूर्ण मात्रा के लिये बिना निविदाएं आमन्त्रित किये आवरण की तिथियों पर जूट व्यापार संघ द्वारा प्रसारित विद्यमान दरों से उच्च दरों पर आदेश दिये (फरवरी 1981)। इसके परिणामस्वरूप 0.75 लाख रुपये (बिक्री कर, उत्पादन कर और यू पी सी एफ को देय कमीशन छोड़कर) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1981) कि जूट के बोरों की सीधी खरीद को बदल कर यू पी सी एफ के माध्यम से क्रय को इसलिये अपनाया गया क्योंकि इसको जूट के बोरों के क्रय को संभालने में विशेषज्ञता प्राप्त थी।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 1982)।

5.04. क्रय कर का भुगतान न करना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3–ए के अन्तर्गत बिक्री या उपभोग के लिये फैक्टरी से चीनी उठाने से पूर्व क्रेता द्वारा सरकार को गन्ने पर क्रय कर भुगतान करना होता है जिसमें असफल होने पर 100 प्रतिशत तक दण्ड लगाया जाता है।

1979–80 सीजन के दौरान कम्पनी की बुढ़वल इकाई फैक्टरी से चीनी उठाने से पूर्व गन्ने पर देय 2.86 लाख रुपये का क्रय कर भुगतान करने में असफल रही जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी और कर संग्राहक द्वारा 2.86 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया (अगस्त 1980)।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1982) कि क्रय कर आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय से भुगतान नहीं किया जा सका और यह कि दण्ड छोड़ देने के लिये गन्ना आयुक्त के पास अपील दर्ज कराई गयी थी (मई 1981) जो अभी तक निर्णित नहीं हुई है (मार्च 1982)।

मामला सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 1982)।

नन्द गंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड

5.05. निधि का अवरोधन

फैक्टरी (इसके निर्माण के दौरान) के आस पास उत्पादित समस्त गन्ने को प्रयोग में लाने के आशय से कम्पनी द्वारा गुड़ बनाने के लिये एक गन्ना पिराई यन्त्र (मूल्य: 0.40 लाख रुपये)

लगाया गया (मार्च 1978)। पिराई यन्त्र केवल दो माह प्रयोग में लाया गया और मई 1978 से बेकार पड़ा था। अगस्त 1979 में कम्पनी ने पिराई यन्त्र की नीलामी करने का निश्चय किया लेकिन यह कम बोली लगने के कारण दो लगातार नीलामियों (अगस्त और सितम्बर 1979) के बावजूद निस्तारित न किया जा सका (जुलाई 1981)।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1981) कि मोटर (मूल्य: 0.10 लाख रुपये) फैक्टरी में प्रयुक्त हो गया था; पिराई यन्त्र के अन्य हिस्से (मूल्य: 0.30 लाख रुपये) जो फैक्टरी के किसी उपयोग के नहीं थे, भंडार में रखे गए थे और पिराई यन्त्र के हिस्सों की नीलामी के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

मामला सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 1982)।

इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

5.06 जलौनी लकड़ी का विपणन

इलाहाबाद के कुंभ मेले में (जनवरी और फरवरी 1977) जनता को जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने मेला क्षेत्र में जलौनी लकड़ी की दूकानें खोलने का निश्चय किया (अक्टूबर 1976)। जलौनी लकड़ी की 6 दूकानें खोली गई और एक प्रबन्धक (ईधन) उससे कोई प्रतिभूति/फिडालिटी बान्ड प्राप्त किये बिना 500 रुपये प्रतिमाह के संघटित वेतन पर ठेके के आधार पर नियुक्त किया गया (दिसम्बर 1976)।

कम्पनी ने 9,612 कुन्तल जलौनी लकड़ी 1.90 लाख रुपये में क्रय की और पूरी मात्रा की बिक्री से (सितम्बर 1977 तक) 1.36 लाख रुपये वसूल किये; परिणामत: 0.54 लाख रुपये की हानि हुई। प्रबन्धक (ईधन) की सेवाएं समाप्त कर दी गई (फरवरी 1977) और यह निश्चय किया गया (मार्च 1977) कि भविष्य में जलौनी लकड़ी का व्यापार नहीं किया जायेगा। 2,504 रुपये का न खर्च किया गया अग्रिम उससे वसूल नहीं किया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि भूतपूर्व प्रबन्धक (ईधन) से 2504 रुपये की राशि वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। हानि के लिए कारण, जैसे कि निदेशक मण्डल द्वारा विश्लेषित किये गए (मार्च 1977), थे (i) व्यापार करने का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, (ii) ईधन की कम प्राप्ति (प्रबन्धक (ईधन) द्वारा निरीक्षित) और सूख और (iii) आकस्मिक और अनुभवहीन कर्मचारियों को कार्य पर लगाना।

मामला सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 1982)।

उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड

5.07. एक परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

बेकार रूई से धागा बनाने के लिये बरेली में एक कताई मिल की स्थापना के लिये कानपुर की एक परामर्श दात्री फर्म द्वारा प्रस्तुत (मार्च 1977) साध्यता प्रतिवेदन के आधार पर कम्पनी ने परियोजना को क्रियान्वित करने का निश्चय किया (दिसम्बर 1977)। परियोजना के क्रियान्वित होने की तिथि से आठ माह पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमश: 0.52 लाख रुपये, 1.74 लाख पये और 2.87 लाख रुपये का कार्यचालन लाभ प्राप्त करने के लिये परियोजना की प्राक्कलित लागत 12.94 लाख रुपये (1.80 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुए) थी।

जुलाई 1978 में फैक्टरी भवन का निर्माण 5.34 लाख रुपये की लागत पर यू0 पी0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू पी आर एन एन) को सौंपा गया। यू पी आर एन एन को 3.25 लाख रुपये की धनराशि भुगतान की गई (अप्रैल से नवम्बर 1979) लेकिन उत्पादन कक्ष की फर्श, बिजली के तारों की खिचाई और फिनिशिंग इत्यादि से सम्बन्धित कार्य अभी भी होना बाकी था (दिसम्बर 1981)। नींव और यन्त्र एवं संयन्त्र स्थापना की स्थिति की विशिष्टियों के अभाव में कार्य रुका रहा। यन्त्र और संयन्त्र (प्राक्कलित लागत: 5.50 लाख रुपये) के क्रय के लिये मांगे गए और चार अवसरों (दिसम्बर 1978, दिसम्बर 1979, मार्च 1980 और जून 1980) पर प्राप्त निविदाएं प्रथम तीन अवसरों पर विभिन्न कारणों से निरस्त कर दी गई जब कि चौथे अवसर पर निविदाओं की वैध अवधि समाप्त हो गई।

परियोजना प्रबन्धक नवम्बर 1977 से ही तैनात था और मार्च 1982 तक वेतन और भत्तों आदि के रूप में 1.25 लाख रुपये (लगभग) की धनराशि भुगतान की जा चुकी थी।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 1982)।

अध्याय II
सांविधिक निगम
अनुभाग VI

विषय प्रवेश

6.01. सामान्य

31 मार्च 1981 को चार सांविधिक निगम थे :

—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्,

—उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,

—उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम और

—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1978–79 से 1980-81 तक के लेखा बकाया थे (मार्च 1982)।

लेखाओं को अन्तिम रूप देने में बकाया की स्थिति सरकार के ध्यान में पिछली बार मई 1982 में लाई गई थी। नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

6.02. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कार्य चालन परिणाम और परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग VII में की गई है।

6.03. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

6.03.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1954 को स्थापित हुआ था।

6.03.02. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1981 को निगम की प्रदत्त पूंजी 945.36 लाख रुपये (राज्य सरकार: 457.86 लाख रुपये; आई डी बी आई : 457.86 लाख रुपये; अन्य : 29.64 लाख रुपये) थी जब कि 31 मार्च 1980 को प्रदत्त पूंजी 745.00 लाख रुपये (राज्य सरकार: 407.86 लाख रुपये; आई डी बी आई : 307.50 लाख रुपये; अन्य : 29.64 लाख रुपये) थी। राज्य सरकार ने 1980–81 के दौरान अंश पूंजी के लिये 27.32 लाख रुपये की धनराशि और प्रदान की है। आई डी बी आई से समान अंशदान प्राप्त होने पर (जुलाई 1981) इस धनराशि के अंशों का आबंटन अगस्त 1981 में किया गया।

6.03.03. प्रत्याभूतियां

सरकार ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत 910.36* लाख रुपये (35 लाख रुपये की विशेष अंश पूंजी को छोड़ कर) की अंश पूंजी के पुनर्भुगतान और उस पर 3.5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम लाभांश के भुगतान की प्रत्याभूति दी है। गारन्टी दिये गये

---

*वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े 1202.14 लाख रुपये हैं; अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

लाभांश के लिये सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता (1963–64 तक) 13.50 लाख रुपये थी जो 31 मार्च 1981 को पुनर्भुगतान के लिये पूरी बकाया थी। निम्न तालिका निगम द्वारा लिए गए कर्जों के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिये सरकार द्वारा दी गई अन्य गारन्टियों के विवरण दर्शाती है :

विवरण	गारन्टी का वर्ष	गारन्टीकृत राशि	31 मार्च 1981 तक बकाया राशि		
			मूल	ब्याज	जोड़**
			(लाख रुपयों में)		
बान्ड	1968–69 से 1980–81 तक	3425.21	3217.38	..	3217.38
ऋण (राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत व निगम द्वारा निर्गमित 305 लाख रुपये के अंकित मूल्य के तदर्थ बान्डों द्वारा सुरक्षित)	1980–81	50.00	50.00	..	50.00
		3475.21	3267.38	..	3267.38

6.03.04. वित्तीय स्थिति

1980–81 तक तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षेप में नीचे तालिका में दी जाती है :

	1978–79	1979–80	1980–81
पूंजी एवं दायित्व			(लाख रुपयों में)
प्रदत्त पूंजी	645.00	745.00	945.36
अंश प्रार्थना राशि	..	..	27.32
संचित निधि और अन्य संचित एवं आधिक्य	385.84	465.13	577.38
उधार			
बंध-पत्र और ऋण-पत्र	2337.38	2722.38	3217.38
अन्य	2110.22	3238.50	4521.01
लांभाश हेतु राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गयी आर्थिक सहायता	13.50	13.50	13.50

**वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े बान्ड के सम्बन्ध में 2339.88 लाख रुपये और कर्जों के सम्बन्ध में 412.50 लाख रुपये हैं। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

	1978–79	1979–80	1980–81
			(लाख रुपयों में)
अन्य दायित्व एवं प्राविधान	208.62	261.98	371.27
योग	5700.56	7446.49	9673.22
परिसम्पत्तियां			
नकद एवं बैंक अवशेष	352.15	495.45	481.43
विनियोग	30.10	32.57	32.68
ऋण और अग्रिम	5036.19	6591.50	8757.88
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	27.53	29.42	37.18
लाभांश कमी खाता	13.50	13.50	13.50
अन्य परिसम्पत्तियां	241.09	284.05	350.55
योग	5700.56	7446.49	9673.22
नियोजित पूंजी*	4844.71	6086.25	7909.77
शुद्ध मूल्य**	1017.34	1196.63	1536.56
निवेशित पूंजी†	5298.00	6845.83	8963.90

6.03.05. कार्यचालन परिणाम

निगम के 1980–81 तक के तीन वर्षों के कार्य चालन परिणामों का ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
आय			
			(लाख रुपयों में)
ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज£	470.07	556.30	740.57
अन्य आय	15.20	15.85	25.41
योग	485.27	572.15	765.98

*नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र, उधार तथा जमा के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के कुल जोड़ के मध्यमान की द्योतक है।

**शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूंजी व संचित के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है।

†निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋणों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक है।

£उपार्जित लेकिन लेखाओं में न लिया गया ब्याज : वर्ष 1978–79, 1979–80 और 1980–81 के लिये क्रमशः 122.07 लाख रुपये, 157.21 लाख रुपये और 233.37 लाख रुपये।

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
			(लाख रुपयों में)
व्यय			
दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	241.77	306.82	414.92
अन्य व्यय	115.88	132.52	176.92
योग	357.65	439.34	591.84
कर पूर्व लाभ	127.62	132.81	174.14
कर के लिये प्राविधान	47.08	51.57	67.48
अन्य समायोजन	62.89	59.37	79.91
लाभांश के लिये उपलब्ध धनराशि	17.65	21.87	26.75
भुगतान किया गया लाभांश	17.63	21.93	26.75
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	369.39	439.63	589.06
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	369.39	439.63	589.06
प्रतिफल की दर :		(प्रतिशत)	
—नियोजित पूंजी पर	7.6	7.2	7.4
—निवेशित पूंजी पर	7.0	6.4	6.6

6.03.06. ऋणों की स्वीकृतियां एवं वितरण

निम्न सारणी 1980–81 तक के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऋण आवेदन पत्र, स्वीकृत ऋण, वितरित धनराशि इत्यादि को इंगित करती है :

विवरण	1978–79		1979–80		1980–81		संचयी प्रारम्भ से	
	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
वर्ष के प्रारम्भ में अनिस्तारित आवेदन पत्र	181	721.36	163	730.21	337	947.19	..	..
प्राप्त आवेदन पत्र	1210	4350.37	4268	6239.00	5779	7286.89	18251*	39252.79
योग	1391	5071.73	4431	6969.21	6116	8234.08	18251	39252.79
स्वीकृत आवेदन पत्र	728	2484.77	2745	3320.02	4286	4360.83	11854	21216.86
रद्द किये गये/वापिस किये गए/निरस्त आवेदन पत्र	500	1609.30	1349	2349.97	1474	2191.67	6239	14629.33
वर्ष के अन्त में अनिस्तारित आवेदन पत्र	163	730.21	337	947.19	356	1265.01	356	1265.01
वितरित ऋण	427	1088.60	774**	1668.18	2254	2499.37	5381	9710.20

*198 आवेदन पत्रों का अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

**निगम के लेखाओं के अनुसार संख्या 842 है।

विवरण	1978–79		1979–80		1980–81		संचयी	प्रारम्भ से
	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
प्रभावी वचन बद्धताएं	..	5431.31	..	6124.52	..	7824.52	..	15035.35
वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि	..	4316.15	..	5749.04	..	7897.07	..	..
वसूली हेतु अधिदेय धनराशि								
मूलधन	..	422.44	..	514.21	..	513.14	..	..
ब्याज	..	354.55	..	418.66	..	316.68	..	..
मूलधन और ब्याज जिसके लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए/मुकदमें दायर किये गये	..	861.92	..	1246.52	..	1395.72	..	..
	..	1638.91	..	2179.39	..	2225.54	..	..
				(प्रतिशत)				
प्रभावी वचन बद्धताओं पर वितरित ऋणों की प्रतिशतता		20.0		27.2		31.9		64.6
कुल बकाया ऋणों पर व्यतिक्रम की प्रतिशतता		38.0		37.9		28.2		..

6.04. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

6.04.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट) एण्ड वेयर हाउसिंग ऐक्ट, 1956, जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, की धारा 28(1) के अन्तर्गत मार्च 1958 में स्थापित किया गया था।

6.04.02. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1981 को राज्य भण्डारागार निगम की प्रदत्त पूंजी 336.50 लाख रुपये (राज्य सरकार : 170.25 लाख रुपये*; केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 166.25 लाख रुपये) थी जबकि 31 मार्च 1980 को प्रदत्त पूंजी 282.50 लाख रुपये (राज्य सरकार : 141.25 लाख रुपये; केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 141.25 लाख रुपये) थी।

6.04.03. प्रत्याभूतियां

निगम द्वारा लिये गये कर्जों की वापस अदायगी और उन पर ब्याज की अदायगी के लिये सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के ब्योरे नीचे तालिका में दिखाये गये हैं :

विवरण	गारन्टी का वर्ष	गारन्टीकृत धनराशि	31 मार्च 1981 को बकाया धनराशि		
			मूल	ब्याज	जोड़
			(लाख रुपयों में)		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1977–78	350.00	350.00	..	350.00

6.04.04. वित्तीय स्थिति

1980–81 तक तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षेप में नीचे तालिका में दी जाती है :

	1978–79	1979–80	1980–81
	(लाख रुपयों में)		
देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	242.50	282.50	336.50
आरक्षित निधि और अधिशेष	636.28	724.50	804.90
उधार	1025.75	1025.00	1125.30
व्यापारिक देयताएं और अन्य चालू देयताएं	136.63	261.81	270.00
जोड़	2041.16	2293.81	2536.70

*वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि 166.25 लाख रुपये है, अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	1222.71	1554.54	1839.44
घटायें : मूल्यह्रास	58.55	124.37	179.49
निबल स्थायी परिसम्पत्तियां	1164.16	1430.17	1659.95
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	416.41	..	60.41
चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे और पेशगियां	460.59	857.37	809.78
विविध व्यय	..	6.27	6.56
जोड़	2041.16	2293.81	2536.70
नियोजित पूंजी*	1479.88	2025.73	2199.73
निवेशित पूंजी**	1896.41	2023.90	2258.61

6.04.05. कार्यचालन परिणाम

निम्न तालिका में 1980–81 तक तीन वर्षों के निगम के कार्य चालन परिणामों के ब्योरे दिये जाते हैं :

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
आय			
भण्डारागार प्रभार	481.93	489.61	488.54
अन्य आय	11.83	12.50	11.56
जोड़	493.76	502.11	500.10
व्यय			
स्थापना प्रभार	110.72	133.23	157.75
ब्याज	43.88	79.74	81.68
अन्य व्यय	190.69	176.01	157.10
जोड़	345.29	388.98	396.53
कर पूर्व लाभ	148.47	113.13	103.57
कर का प्राविधान	..	..	..
अन्य विनियोग	132.50	90.31	81.10
लाभांश के लिये उपलब्ध राशि£	16.20	22.84	23.09
प्रदत्त लाभांश	16.20	22.60	23.08

*नियोजित पूंजी निर्बल स्थायी परिसम्पत्तियों और कार्य चालन पूंजी की द्योतक है ।

**निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी और दीर्घ कालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक है ।

£पिछले वर्ष का आधिक्य सम्मिलित है ।

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपये में)	
निम्नलिखित पर कुल प्रतिफल			
नियोजित पूंजी	192.35	192.87	185.17
निवेशित पूंजी	192.35	192.87	185.17
प्रतिफल की दर		(प्रतिशत)	
–नियोजित पूंजी	13.0	9.5	8.4
–निवेशित पूंजी	10.1	9.5	8.2

6.04.06. परिचालन निष्पादन

1980–81 तक तीन वर्षों के लिये निगम के निष्पादन के सम्बन्ध में बनाई गई भण्डारण क्षमता, प्रयुक्त क्षमता और अन्य सूचना के ब्योरे निम्न तालिका में दिये जाते हैं :

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
सम्मिलित स्टेशनों की संख्या	139	139	142
वर्ष के अन्त तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टनों में)			
स्वामित्व की	6.45	7.74	8.39
किराये की	8.04	6.63	3.71
जोड़	14.49	14.37	12.10
वर्ष के दौरान प्रयुक्त औसत क्षमता (लाख मीटरी टनों में)	14.61	14.43	11.71
उपयोग की प्रतिशतता	100.8	100.4	96.8
प्रति वर्ष प्रति मीटरी टन औसत राजस्व (रुपये)	33.80	34.80	42.70
प्रति वर्ष प्रति मीटरी टन औसत व्यय (रुपये)	23.63	26.96	33.86

6.05. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य चालन परिणाम और परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग XIII में की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

अनुभाग VII

विषय प्रवेश

7.01. सामान्य

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अधीन पहली अप्रैल 1959 को बनाया गया था।

7.02. पूंजी

परिषद् की पूंजी की आवश्यकता सरकार, जनता, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर पूरी की जाती है।

मार्च 1981 के अन्त तक परिषद् द्वारा प्राप्त किये गये दीर्घकालिक कर्जों (सरकार से लिये गये कर्जों सहित) का कुल योग 2425.28 करोड़ रुपये था और वह पिछले वर्ष के समाप्त होने पर 2138.51 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक कर्ज से 286.77 करोड़ रुपये अर्थात् 13.4 प्रतिशत अधिक था। विभिन्न श्रोतों से प्राप्त कर्जों के ब्योरे और मार्च 1981 तक दो वर्षों के अन्त में बकाया राशि नीचे दी गई है:

श्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		प्रतिशत वृद्धि
	1980	1981	
	(करोड़ रुपयों में)		
राज्य सरकार	1759.24	1968.06	11.9
अन्य श्रोत	379.27	457.22	20.6
जोड़	2138.51	2425.28	13.4

7.03. प्रत्याभूतियां

सरकार ने परिषद् द्वारा 448.77 *करोड़ रुपये तक लिये गये कर्जों की वापसी तथा उस पर ब्याज देने की प्रत्याभूति दी थी। गारन्टी किया गया तथा बकाया मूलधन की राशि 31 मार्च 1981 को 298.89* करोड़ रुपये थी।

*वित्त लेखाओं के अनुसार गारन्टी की राशि और उसके विरुद्ध बकाया की राशि क्रमशः 461.25 करोड़ रुपये और 299.09 करोड़ रुपये है, अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

7.04. वित्तीय स्थिति

मार्च 1981 तक तीन वर्षों के अन्त म परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका म दी गई है :

देयताएं	1978–79	1979–80	1980–81
		(करोड़ रुपयों में)	
सरकार से कर्जे	1600.29	1759.24	1968.06*
अन्य दीर्घकालिक कर्जे (बान्ड सहित)	303.08	379.27	457.22
आरक्षित निधि और अधिशेष	80.38	89.49	147.97
चालू देयतायें	175.40	324.46	444.63
जोड़	2159.15	2552.46	3017.88
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल परिसम्पत्तियां	1238.65	1281.57	1819.24
घटायें—मूल्य ह्रास	198.04	198.29	198.35
निबल अचल परिसम्पत्तियां	1040.61	1083.28	1620.89
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	666.22	831.77	537.46
चालू परिसम्पत्तियां	285.06	487.19	692.75
अब तक अपलेखित न किये गये विविध व्यय	7.80	8.26	7.32
संचयी हानियां	159.46	141.96	159.46
जोड़	2159.15	2552.46	3017.88
नियोजित पूंजी £	1150.27	1246.01	1868.99
निवेशित पूंजी @	1983.75	2228.00	2573.25

7.05. कार्यचालन परिणाम

मार्च 1981 तक तीन वर्षों के परिषद् के कार्याचालन परिणाम संक्षिप्त रूप से नीचे दिये गये हैं :

	1978–79	1979–80	1980–81
		(करोड़ रुपयों में)	
राजस्व प्राप्तियां	224.82	256.70	284.17
राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	..	101.00	144.57
जोड़	224.82	357.70	428.74
राजस्व व्यय	208.38	215.48	262.27
वर्ष के लिए सकल अधिशेष	16.44	142.22	166.47

*वित्त लेखाओं के अनुसार राशि 1936.20 करोड़ रुपये है। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

£नियोजित पूंजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़ कर) और कार्य चालन पूंजी को दर्शाती है।

@निवेशित पूंजी चुकता पूंजी और दीर्घकालिक कर्जों तथा सकल आरक्षित निधि को दर्शाती हैं।

विनियोजन	1978–79	1979–80	1980–81
		(करोड़ रुपयों में)	
निम्नलिखित पर ब्याज—			
सरकारी कर्जे	..	95.91	105.89
अन्य कर्जे	21.91	27.71	33.24
अदृश्य परिसम्पत्तियों का अपलेखन	0.96	1.10	1.27
	22.87	124.72	140.40
निबल आधिक्य (+)/न्यूनता (–)	(–) 6.43	(+) 17.50	(+) 26.07*
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	15.48	141.12	165.20
निम्नलिखित पर प्रतिफल की दर		(प्रतिशत)	
नियोजित पूंजी	1.4	11.3	8.8
निवेशित पूंजी	0.8	6.3	6.4

31 मार्च 1981 को परिषद् की 446.26 करोड़ रुपये की संचयी आकस्मिक देयता थी जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

	1980–81 वर्ष के लिये	31 मार्च 1981 को संचयी
	(करोड़ रुपयों में)	
सरकारी कर्जों पर ब्याज	37.23**	371.40
मूल्य ह्रास	38.07	74.86
जोड़	75.30	446.26

7.06. परिचालन निष्पादन

31 मार्च 1981 तक तीन वर्षों का परिषद् का परिचालन निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)			
ताप बिजली	1981.10	2173.10	2363.10
पन बिजली	1068.35	1068.35	1212.35
अन्य	12.50	12.50	12.50
जोड़	3061.95	3253.95	3587.95

*26.07 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये प्रयुक्त किया गया।

**इसमें वर्ष 1959–60 से 1979–80 के लिये ब्याज प्रभारों के बकायों के 28.24 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
सामान्य अधिकतम मांग (मेगावाट)	2000	2571	2955
		(एम के डब्लू एच)	
ताप बिजली	6441.701	6854.305	6733.661
पन बिजली	3682.547	3265.797	3456.510
अन्य	5.744	3.729	0.318
जोड़	10129.992	10123.831	10190.489
घटाएं—अनुषंगी खपत	760.912	804.752	876.778
निबल उत्पादित बिजली	9369.080	9319.079	9313.711
खरीदी गई बिजली	482.482	404.385	391.907
बिक्री के लिए उपलब्ध कुल बिजली	9851.562	9723.464	9705.618
बेची गई बिजली			
बेची गई और बिल की गई	7915.659	7869.089	8119.123
बेची गई लेकिन अभी बिल न की गई	93.437	13.402	44.850
निःशुल्क आपूर्ति की गई बिजली	18.254	12.868	12.694
जोड़	8027.350	7895.359	8176.667
पारेषण और वितरण हानियां	1824.212	1828.105	1528.951
		(प्रतिशत)	
भार तत्व	29.9	27.6	31.4
बिक्री के लिए उपलब्ध कुल बिजली पर पारेषण और वितरण हानि की प्रतिशतता	18.5	18.8	15.8
		(के डब्लू एच)	
प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति किलोवाट उत्पादित यूनिटों की संख्या	3308	3111	2840

7.07.31 मार्च 1981 तक समाप्त हुए तीन वर्षों के अन्त में परिषद् के कार्य चालन के अन्य ब्योरे निम्नलिखित तालिका में दिये गए हैं :

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
ग्राम/शहर जहां बिजली पहुंचाई गई (संख्या)	36621	38902	42697
ऊर्जीकृत पम्प सेट/कुएं (संख्या)	324177	361590	402753
उप बिजलीघरों की संख्या	132	142	146
पारेषण और वितरण लाइनें (किलोमीटर)			
उच्च वोल्टेज	12876	14453	14533
मध्यम वोल्टेज	129182	उपलब्ध नहीं	140502
निम्न वोल्टेज	92372	तदैव	112876
जोड़	234430	..	267911

विवरण	1978–79	1979–80	1980–81
जितने भार के कनेक्शन दिये गये (मेगावाट)	4537.155*	4932.856*	5330.960*
उपभोक्ताओं की संख्या	1923947	2081945	2154724
कर्मचारियों की संख्या	93000	88944	93641

निम्नलिखित तालिका 1980–81 तक तीन वर्षों के दौरान बेची गई बिजली तथा बेची गई प्रति के डब्लू एच के लिए राजस्व, व्यय और लाभ के ब्योरों को दर्शाती है:

बेची गई यूनिटें (एम के डब्लू एच)	1978–79	1979–80	1980–81
कृषि	2401.106	2529.226	2772.616
औद्योगिक	3958.022	3515.119	3428.534
वाणिज्यिक	75.055	61.274	54.383
घरेलू	807.361	963.835	1028.220
अन्य	692.369	812.503	848.064
जोड़	7933.913	7881.957	8131.817
प्रति के डब्लू एच राजस्व (पैसे)	28.33	45.38	52.72
**प्रति के डब्लू एच व्यय (पैसे)	26.26	32.01	36.93
प्रति के डब्लू एच लाभ (पैसे)	2.07	13.37	15.79

* हिन्डालको का 0.25 मेगावाट भार सम्मिलित है जो उनके बद्ध उत्पादन से पूरा किया गया।

** कुल मूल्य ह्रास को मिलाकर लेकिन कर्जों पर ब्याज को घटाकर निकाला गया।

अनुभाग VIII

रोकड़ व्यवस्था

8.01. प्रस्तावना

रोकड़ व्यवस्था में रोकड़ का अन्तर प्रवाह/बाह्य प्रवाह और वित्तीय आवश्यकतायें तथा रोकड़ नियन्त्रण सम्मिलित हैं। प्रभावी रोकड़ व्यवस्था का उद्देश्य रोकड़ तथा साख नियन्त्रण के दृढ़ प्रबन्ध की स्थापना से है तथा संभावित रोकड़ स्थिति से अवगत कराने में सहायता करना जिससे अतिरिक्त ऋण या ब्याज अर्जन हेतु बचे धन को लगाने की आवश्यकता को जाना जा सके।

परिषद् का राजस्व 107 राजस्व खण्डों में संग्रह किया जाता है तथा लखनऊ में परिषद् के मुख्य प्राप्ति खाते में अर्द्ध साप्ताहिक स्थानान्तरण हेतु खण्डों के "शाखा प्राप्ति-लेखा" में स्थानीय बैंकों में जमा कर दिया जाता है। इकाइयों को प्राप्तियों में से कोई भी व्यय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। व्यय के लिये इकाइयां एक व्यय लेखा का परिचालन कर रही हैं जिसके लिये धन-राशियों का स्थानान्तरण परिषद् के मुख्यालय-कार्यालय द्वारा समय-समय पर, इकाइयों से मांग प्राप्त होने पर, किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, और आगरा में राजस्व संग्रह का कार्य कई बैंकों को सौंप दिया गया है जो परिषद् द्वारा जारी किये गये बिलों का राजस्व संग्रह करते हैं और परिषद् के लखनऊ में मुख्य प्राप्ति खाता को साप्ताहिक स्थानान्तरण करते हैं।

परिषद् की अन्य प्राप्तियां जैसे राज्य सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि को परिषद् के लखनऊ में मुख्य प्राप्ति खाते में जमा कर दिया जाता है।

परिषद् के रोकड़ बाह्य प्रवाह में पूंजीगत कार्यों, अधिष्ठान, ईंधन, भण्डार एवं सामग्री, शक्ति के क्रय पर किया गया व्यय सम्मिलित है जो मुख्यतयः खण्डों/परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। कोयले की खरीद के भुगतान केन्द्रीय रूप से किये जाते हैं।

8.02. कोषागारों के साथ लेखे

परिषद् अपने धन का लेन-देन राजकीय कोषागारों से करता रहा किन्तु मई 1969 से उसने अपने एक तिहाई धन के लेन-देन का प्रबन्ध अनुसूचित बैंकों से शुरू कर दिया। फरवरी 1973 से उसने सम्पूर्ण लेन-देन अनुसूचित बैंकों से कर दिया।

परिषद् के 1980–81 के लेखा के अनुसार कोषागारों/बैंकों में रोकड़ शेष तथा मार्गस्थ प्रेषण 4491.05 लाख रुपये था।

कोषागार के अभिलेख के आधार पर कोषागारों में पड़े शेषों को परिषद् के नाम जमा करने तथा तत्पश्चात् परिषद् की लेखा पुस्तकों का समाधान कोषागारों की लेखा पुस्तकों से करने के लिये सितम्बर 1973 में परिषद् ने इकाइयों को निर्देश दिये थे। स्थानान्तरण अभी तक (मार्च 1982) प्रभावित नहीं किये गये हैं।

8.03. बैंक समाधान

लखनऊ से इकाइयों को भेजी गयी निधियों तथा उनके द्वारा लखनऊ भेजी गयी निधियों का विवरण बैंक समाधान पत्र (प्राप्ति और व्यय लेखा), बैंक स्टेटमेन्ट की प्रतिलिपि (दो प्रतियों में) सहित, अगले महीने की 15 तारीख तक, परिषद को प्रस्तुत करने के लिये, परिषद् द्वारा इकाइयों को अक्टूबर 1976 में निर्देश दिये गये थे। इन विवरणों के आधार पर परिषद् के मुख्यालय-कार्यालय द्वारा परिचालित लखनऊ में बैंक से प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट्स से प्राप्ति और व्यय लेखाओं का समाधान परिषद् के मुख्यालय-कार्यालय में समाधान कोष्ठ को करना था। ऐसा देखा गया है कि

जनवरी 1980 से जुलाई 1981 तक का समाधान करना शेष था (जून 1982)। समय से समाधान के अभाव में समय से निधि स्थानान्तरण करने में बैंक की असफलता का पता नहीं लग पाया।

8.04. रोकड़ बजट

1980–81 से पूर्व परिषद् ने कोई रोकड़ बजट नहीं बनाया था। निधि की मांग हेतु एक प्रोफार्मा निर्धारित किया गया था तथा इकाइयों को उनक द्वारा भेजी गई पाक्षिक मांग के आधार पर निधियों के आवंटन कर दिये जाते थे। इसके अतिरिक्त फील्ड कार्यालयों से बार-बार तार व टेलेक्स द्वारा धन की मांगें आया करती थीं जिन पर भी विचार किया जाता था तथा धनराशियां अग्रमुक्त की जाती थीं।

8.05. (क) निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब

मई 1969 में परिषद् ने अपनी समस्त इकाइयों को एक खाता–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् शाखा प्राप्ति खाता—खोलने के लिए निर्देश दिये, जिसमें उपभोक्ताओं से विद्युत उपभोग की प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा एवं विविध आय को जमा करना था और उपलब्ध धन को निकटतम रुपये में लखनऊ में परिषद् के मुख्य प्राप्ति खाता में तार द्वारा स्थानान्तरण करना था।

सम्परीक्षा में परख जांच द्वारा देखे गये दृष्टान्तयुक्त प्रकरणों की सूची नीचे दी गई है :

(i) जून 1969 से दिसम्बर 1976 के बीच 13 बैंकों के शाखा प्राप्ति खातों से परिषद् के मुख्य प्राप्ति खाता में 1081.84 लाख रुपयों की निधियों के जमा किये जाने में 10 से 2085 दिनों का विलम्ब हुआ। सितम्बर 1979 में सम्बन्धित बैंकों के नाम प्रस्तुत 53.43 लाख रुपये के ब्याज के दावों का कोई उत्तर नहीं मिला। परिषद् के वित्त कोष्ठ और राज्य सरकार का पहले से विचार था (जून 1977) कि परिषद् एवं बैंकों के मध्य मसविदा अनुबन्ध में धन भेजने में विलम्ब होने पर परिषद् द्वारा ब्याज की रकम मांगने के अधिकार का प्राविधान होने के अभाव में यह प्रकरण न्यायालय में ठहरने योग्य नहीं है। उन्हें यह भी लगा कि दावा कालातीत था।

(ii) जनवरी 1977 से दिसम्बर 1979 के मध्य दो बैंकों द्वारा 435.68 लाख रुपयों के विलम्ब से निधि स्थानान्तरण (10 से 1823 दिन) के प्रकरण में, 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से (रोकड़ साख पर दिया गया) ब्याज की हानि का दावा जो कि 170.45 लाख रुपये बनती है, परिषद् द्वारा अगस्त 1981 में बैंकों को प्रस्तुत किया गया था। अग्रिम प्रगतियां प्रतीक्षित थीं (मार्च 1982)।

(iii) एक बैंक द्वारा लखनऊ से अपनी देहरादून शाखा को भेजी गई (अक्टूबर 1978) एक लाख रुपये की राशि के विपरीत इकाई के व्यय खाते में केवल 0.10 लाख रुपये की राशि ही जमा की गई। तथापि 0.90 लाख रुपये की शेष राशि को अगस्त 1980 के अन्त में इकाई के खाते में जमा किया गया। ब्याज की हानि 14 प्रतिशत (रोकड़ साख पर दिये दर) से 0.23 लाख रुपये बनती है। इसी प्रकार जनवरी 1977 में बैंक की लखनऊ शाखा द्वारा 3 इकाइयों को स्थानान्तरित 4.80 लाख रुपये की राशि को इकाइयों के व्यय खाता में जमा नहीं किया गया (जून 1982)। नवम्बर 1981 में परिषद् ने बताया कि विषय बैंक के साथ पत्र-व्यवहार के अन्तर्गत है। 14 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की हानि मार्च 1982 तक 3.53 लाख रुपये बनती है।

(iv) जुलाई 1977 से दिसम्बर 1979 के मध्य, परिषद् की 42 इकाइयों द्वारा स्थानान्तरित निधियों में से 13.59 लाख रुपये की धनराशि एक बैंक द्वारा कम जमा की गई। इसमें से 1.69 लाख रुपये की राशि जो कि जुलाई 1977 में कम जमा की गई थी, नवम्बर 1981 में जमा की गई और 3.01 लाख रुपये की एक राशि जो कि जून 1979 में कम जमा की गई थी, जुलाई 1981 में जमा की गई। परिषद् द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1981) कि 8.89 लाख रुपये की शेष धनराशि समायोजनाधीन है। ब्याज की हानि 14 प्रतिशत की दर से 5.27 लाख रुपये (0.95 लाख रुपये, 1.69 लाख रुपयों पर, 0.46 लाख रुपये 3.01 लाख रुपयों पर और 3.86 लाख रुपये शेष धन पर मार्च 1982 तक) बनती है। लेकिन परिषद् द्वारा ब्याज का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया (जून 1982)।

(ख) मुख्य प्राप्ति लेखा में निधियों का जमा न किया जाना

फरवरी 1977 से दिसम्बर 1979 के मध्य परिषद् की 66 इकाइयों द्वारा शाखा प्राप्ति खाता से स्थानान्तरित 58.68 लाख रुपये की धनराशि को दो बैंकों द्वारा परिषद् के लखनऊ में मुख्य प्राप्ति खाता में जमा नहीं किया गया (मार्च 1982)। परिषद् द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1981) कि स्थिति समाधान के अन्तर्गत है। अवरुद्ध धनराशि पर 14 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की राशि, मार्च 1982 तक, 12.23 लाख रुपये बनती है।

(ग) बैंकों द्वारा रोकड़/चेकों का जमा न किया जाना

परिषद् की 8 इकाइयों के बैंक स्टेटमेन्ट्स की परख जांच (मई 1981) से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1975 से सितम्बर 1980 के मध्य भेजी गई 18.60 लाख रुपये की धनराशि को बैंकों द्वारा इकाइयों के खाते में जमा नहीं किया गया (मार्च 1982)। बैंकों में परिषद् की निधियों के अवरुद्ध पड़े रहने के अतिरिक्त, परिषद् को 1.63 लाख रुपये के ब्याज की हानि, रोकड़ साख पर दिया गया 14 प्रतिशत की दर से, उठानी पड़ी। परिषद् द्वारा बताया गया (जनवरी 1981) कि पुराने प्रकरणों का समायोजन करने और इस प्रकार की पुनरावृत्ति को भविष्य में न होने देने के लिए समस्त इकाइयों को निर्देश दे दिये गये हैं (दिसम्बर 1981)।

(घ) राजस्व अधिकारियों द्वारा जमा की गई धनराशियां

परिषद् की 15 इकाइयों में 19.27 लाख रुपये की धनराशि जो कि जनवरी 1974 से अगस्त 1980 के मध्य राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलैक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत भू-राजस्व की तरह उगाही गई थी, उनके द्वारा परिषद् के प्राप्ति खाते के स्थान पर विद्युत् ड्यूटी के रूप में परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकारी खाता में जमा कर दी गई। प्रकरण को परिषद् ने समय-समय पर राज्य सरकार के साथ उठाया किन्तु धनराशि की वापसी अभी तक प्रतीक्षित थी (मार्च 1982)।

8.06. भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण

निम्न तालिका में ऋण के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) को ऋण से सम्बन्धित भुगतान की जाने वाली धनराशि, भुगतान की देय तिथियां, तिथियां जिनमें परिषद् ने एल आई सी के खाते में धनराशि जमा करने के लिए बैंक को निर्देश दिये, स्थानान्तरण की वास्तविक तिथियां और अतिरिक्त ब्याज जो बैंक द्वारा निधियां देर से स्थानान्तरण किये जाने के कारण एल आई सी ने मांगा, दर्शाती हैं।

पुनर्भुगतान को देय राशि (लाख रुपयों में)	भुगतान की देय तिथि	जमा करने का निर्देश भेजने की तिथि	स्थानान्तरण की वास्तविक तिथि	विलम्ब	जीवन बीमा निगम द्वारा मांगा गया अतिरिक्त ब्याज		
					ब्याज में छूट का जब्त किया जाना	चक्रवृद्धि ब्याज	योग
						(लाख रुपयों में)	
15.00	13 मार्च 1973	5 मार्च 1973	27 मई 1973	75 दिन	0.63	0.25	0.88
33.38	28 जुलाई 1980	27 जुलाई 1980	8 अगस्त 1980	11 दिन	0.11	0.08	0.19
12.38	21 अगस्त 1980	अप्राप्य	23 अगस्त 1980	2 दिन	0.41	0.01	0.41
							1.48

एल आई सी द्वारा मांगे गये 1.48 लाख रुपयों में से परिषद् ने 0.88 लाख रुपयों का भुगतान नवम्बर 1975 में कर दिया तथा बराबर की धनराशि की प्रतिमांग चूक करने वाले बैंक को प्रस्तुत कर दी। जुलाई 1981 में बैंक ने 0.88 लाख रुपये वापस कर दिये। परिषद् ने 0.88 लाख रुपये की वापसी के विलम्ब (67 महीने) से हुई ब्याज (0.60 लाख रुपये) की हानि की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की (मार्च 1982)।

शेष 0.60 लाख रुपये की धनराशि के सम्बन्ध में परिषद् मांग के परित्याग के लिए एल आई सी के समीप गया (नवम्बर 1980) तथा चूक करने वाले बैंक से भी एल आई सी द्वारा मांगी गई धनराशि को वापसी के लिये सम्पर्क किया (नवम्बर 1980) जो अभी प्रतीक्षित थी (जून 1982)।

(ख) परिषद् ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 9 प्रतिशत वार्षिक दर के ब्याज पर 550 लाख रुपये का एक ऋण लिया (28 जनवरी 1974); ब्याज हर वर्ष 1 जून व 1 दिसम्बर को देय था। 16.82 लाख रुपये के ब्याज (28 जनवरी 1974 से 31 मई 1974) के विरुद्ध परिषद् ने 20.88 लाख रुपये (28 जनवरी 1974 से 30 जून 1974) का भुगतान किया। 4.06 लाख रुपये के किये गये अधिक भुगतान का समायोजन एल आई सी ने दूसरे ऋण पर देय ब्याज से 527 दिन बाद किया (10 नवम्बर 1975)। अधिक किये गये भुगतान पर ब्याज की हानि 12 1/2 प्रतिशत (रोकड़ साख पर दिया गया) की दर से 0.75 लाख रुपये बनती है। परिषद् ने बताया (जून 1981) कि एल आई सी को अधिक भुगतान भूल चूक से हो गया था।

8.07. कृषि वित्त निगम लिमिटेड से ऋण

परिषद् द्वारा भारतीय कृषि वित्त निगम (ए एफ सी) के साथ निजी नलकूपों और पम्प सेटों के विद्युतीकरण हेतु 12 करोड़ रुपये व 13.20 करोड़ रुपये के दो ऋणों के लिए क्रमशः अप्रैल 1972 व सितम्बर 1973 में अनुबन्ध किये गये जिसमें देय तिथियों पर या उससे पहले मूलधन के पुनर्भुगतान व ब्याज के भुगतान किये जाने पर 1/2 प्रतिशत वार्षिक की छूट का प्राविधान था। यद्यपि मूलधन एवं ब्याज का भुगतान देय तिथियों पर किया गया था किन्तु भुगतान किये गये ब्याज पर अनुमन्य छूट की कटौती नहीं की गई, परिणामतः अप्रैल 1972 और अप्रैल 1981 की अवधि का 56.34 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया; वापसी की मांग अभी तक निर्णित नहीं की गई थी (मार्च 1982)।

8.08. बैंकों से ऋण

परिषद् की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1609 लाख रुपये के चार बैंकों से लिए गए (1970–71) सावधिक ऋणों का पुनर्भुगतान समय सूची के अनुसार नहीं किया जा सका। बैंकों ने पूर्व सहमति ब्याज की दर (बैंक दर से 3 1/2 प्रतिशत अधिक बशर्ते न्यूनतम 9 1/2 प्रतिशत) से अधिक ब्याज दर (बैंक दर से 6 प्रतिशत अधिक, बशर्ते न्यूनतम 15 प्रतिशत) मांगी, जिसे परिषद् ने स्वीकार कर लिया (फरवरी 1976)। ब्याज के दायित्व (766.04 लाख रुपये), ब्याज दर में वृद्धि के कारण अतिरिक्त दायित्व (134.66 लाख रुपये) सहित, की अवमुक्ति परिषद् द्वारा कर दी गई (अप्रैल 1980)। परिषद् ने कुछ मामलों में ब्याज का भुगतान निर्धारित देय तिथियों पर नहीं किया इसलिए बैंकों ने चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का निर्णय लिया। आगे, बैंकों ने ब्याज की बढ़ी दरें पहली दिसम्बर 1973 से (10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत) और पहली जून 1974 से (11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत) लागू कर दीं। इन कारणों से अतिरिक्त दायित्व 115.33 लाख रुपयों का हुआ। ये

मांगें परिषद् द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं की गई कि ऋण-अनुबन्ध में चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान की कोई शर्त नहीं थी और ब्याज की बढ़ी दरें लागू करने की तिथियों के सम्बन्ध में विवाद था ।

परिषद् ने बताया (अगस्त 1981) कि कुछ बैंकों ने दावे अपने प्रधान कार्यालयों को भेज दिये थे ।

8.09. परिहार्य व्यय

(i) विद्युत् भण्डार खण्ड, आगरा व लखनऊ के अभिलेख की परख जांच (सितम्बर 1981) में देखा गया कि 1980–81 में आपूर्तिकर्त्ताओं के 1371.08 लाख रुपयों के बिलों के विरुद्ध कुल रोकड़ की अवमुक्ति केवल 1094.72 लाख रुपये थी । इस अवधि में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विलेख विलम्ब से छुड़ाने से, 14.10 लाख रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क के रूप में करना पड़ा ।

(ii) खण्ड में निधि उपलब्ध न होने से बम्बई की एक फर्म द्वारा 400 के वी सुल्तानपुर-आजमगढ़ लाइन, 220 के वी सुल्तानपुर-आजमगढ़ लाइन और 220 के वी सुल्तानपुर-गोंडा लाइन के खम्बों के हिस्सों की आपूर्ति के विलेखों के 45 से 140 दिन विलम्ब से छुड़ाये जाने के कारण सितम्बर 1980 में विद्युत् पारेषण खण्ड सुल्तानपुर ने 3.77 लाख रुपये (1.08 लाख रुपये फर्म से वसूल किये गए को सम्मिलित करते हुए) का विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क का भुगतान किया किन्तु उसी अवधि में एक दूसरी फर्म द्वारा 132 के वी की विभिन्न लाइनों के 1000 मीटरी टन खम्बों के हिस्सों की आपूर्ति के विलेख छुड़ाने के लिए निधि विमुक्त की गई जिन पर कार्य 1983–84 में प्रारम्भ किया जायेगा । मार्च 1980 से मई 1981 में प्राप्त सामग्री भण्डारागारों में पड़ी हुई है (मार्च 1982) ।

8.10. रोकड़ वसूली में विलम्ब

8.10.01. रोकड़ प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू देय धनराशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित करना है । मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के अभिलेख के आधार पर 1980–81 तक के तीन वर्षों के अन्त में बकायों की स्थिति निम्न प्रकार दर्शाई जाती है :

	स्थिति 31 मार्च को		
	1979	1980	1981
		(लाख रुपयों में))	
घरेलू व वाणिज्यिक	1154.71	1384.67	1426.92
लघु एवं मध्यम उद्योग	924.88	1126.08	1225.75
बड़े व भारी उद्योग	883.85	820.44	1177.23
सार्वजनिक प्रकाश व जलकल	274.39	448.66	696.74
सरकारी नलकूप	227.64	198.22	156.49
निजी नलकूप	2245.15	2529.48	2795.55
रेलवे ट्रैक्शन	3.50	23.66	24.58
निजी लाइसैन्सी	298.80	282.40	238.57
नगर पालिका लाइसैन्सी	171.17	130.10	176.46
एक्सट्रा स्टेट उपभोक्ता	55.61	32.97	49.27
परिषद् के कर्मचारी	32.36	45.06	40.11
अन्य	42.87	55.79	6.99
	6314.93	7077.53	8014.66

टिप्पणी: परिषद् के वार्षिक लेखाओं के आधार पर ये अंक 6349.56 लाख रुपये, 7140.50 लाख रुपये व 8231.71 लाख रुपये क्रमशः 31 मार्च 1979, 1980 व 1981 को थे । भिन्नता का समाधान किया जा रहा था ।

विपरीत आर्थिक स्थिति की दृष्टि से परिषद् ने निर्णय लिया (अक्टूबर 1977) कि राजस्व संग्रह व बकायों की वसूली के लिये एक कठोर अभियान चलाया जाये। राज्य सरकार को प्रस्तुत वर्ष 1980-81 के वार्षिक वित्तीय स्टेटमेन्ट में परिषद् ने पुनः दोहराया कि बकायों को एक मास की विद्युत् बिक्री के मूल्य तक कम कर दिया जायेगा।

फिर भी बकायों की वृद्धि 1978-79 की अपेक्षा 1979-80 में 762.60 लाख रुपयों तक और 1979-80 की अपेक्षा 1980-81 में 937.13 लाख रुपये तक हुई। विद्युत् बिक्री (275.24 करोड़ रुपये) से बकायों का प्रतिशत 1979-80 में 28.5 और 1978-79 में 29.8 के विरुद्ध 1980-81* में 29.1 था।

बकायों का समयवार विश्लेषण परिषद् के पास उपलब्ध नहीं था यद्यपि वर्ष 1979-80 के वार्षिक वित्तीय स्टेटमेन्ट में यह उल्लेख किया गया था कि समस्त पुराने बकाया मामलों की समीक्षा की जायेगी।

8.10.2. पांच लाख रुपये से अधिक के विद्युत् देयों के भुगतान में चूक करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 1981 के अन्त में 43 रही जिनमें से मिर्जापुर (520.38 लाख रुपये), कानपुर (124.38 लाख रुपये), गोरखपुर (112.84 लाख रुपये), लखनऊ (52.84 लाख रुपये) में एक-एक और बिहार राज्य विद्युत् परिषद् (28.35 लाख रुपये) भारी चूक करने वाले थे। इसके अतिरिक्त राज्य के 56 स्थानीय निकायों के नाम मार्ग प्रकाश और नहर व मल प्रवाहन पम्पों के लिये दी गई बिजली के मूल्य के 696.74 लाख रुपये के बकाया थे।

8.11. राजस्व का निर्धारण एवं संग्रह

राजस्व के निर्धारण और उसके संग्रह करने में चूक की कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:

(i) बिल करने में विलम्ब

(क) परिषद् प्रकाश व पंखा उपभोक्ताओं को दो मास में एक बार तथा अन्य उपभोक्ताओं को हर महीने बिल भेजता है। परिषद् की दो इकाइयों (वाराणसी विद्युत आपूर्ति प्रदेय व आगरा विद्युत् आपूर्ति प्रदेय) की परख-जांच (फरवरी 1980) में 7.49 लाख रुपये की वसूली से सम्बन्धित, जनवरी 1980 तक बिल न किये जाने के 214 मामले (निजी नलकूप उपभोक्ता-12, औद्योगिक उपभोक्ता-3, प्रकाश एवं पंखा उपभोक्ता-199) प्रकाश में आये। आगरा विद्युत् आपूर्ति प्रदेय के प्रकाश व पंखा के उपभोक्ताओं को बिल न किये जाने का कारण संगणक (कम्प्यूटर) को अधिकारिक सूचना (अर्थात् उपभोक्ताओं के नाम व पते, कनेक्शन की तिथि, भार व प्रारम्भिक रीडिंग) का न भेजा जाना था।

(ख) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी डी ए) का मीटर जनवरी 1978 में जला था। परिषद् के वर्तमान आदेशों (अक्टूबर 1976) के अनुसार ऐसे मामलों में यूनिट जिन पर बिल करना था, भार, जलने के घंटे और गुणन खण्ड के आधार पर निकालने चाहिये थे। फिर भी दिसम्बर 1979 तक कोई बिल नहीं किया गया। किन्तु विलम्बित निर्धारण 6 माह की अवधि का किया गया (जुलाई 1980) क्योंकि जैसाकि उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट है, उपभोक्ता पर कर निर्धारण अधिकतम 6 मास तक का ही किया जा सकता है। धनराशि जिसका दिसम्बर 1979 तक बिल नहीं किया गया है 0.91 लाख रुपये बनती है।

---

*1980-81 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ii) पुनरीक्षित शुल्क सूची लागू करने में विलम्ब

(क) बड़े व भारी शक्ति के उपभोक्ताओं के साथ किये गये अनुबन्धों के प्रमाणित प्रपत्रों के अनुसार परिषद् अपनी शुल्क सूची का पुनरीक्षण कर सकता है जो राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा । परख–जांच (मई 1980) में देखा गया कि वाणिज्यिक खण्ड गाजियाबाद में 4 उपभोक्ताओं के साथ किये अनुबन्धों में दर परिवर्तन के लिए 3 मास का नोटिस देने हेतु असाधारण शर्त थी । इस शर्त के कारण परिषद् ने इन चार उपभोक्ताओं से सम्बन्धित विद्युत् दरें जून 1979 के स्थान पर सितम्बर 1979 से पुनरीक्षित कीं, परिणामस्वरूप 1.25 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

(ख) गाजियाबाद की एक फर्म के साथ 1700 के डब्लू शक्तिभार के लिये किये गये (मई 1969) अनुबन्ध में छपाई की गलती से बारह महीने का नोटिस (तीन महीने के स्थान पर) देने की शर्त रखी गई (प्रारम्भिक आपूर्ति 5 वर्ष के लिये पूर्ण होने के पश्चात् नोटिस देना था) । किन्तु खण्ड ने अक्टूबर 1974 से विद्युत् दरें बढ़ाने की नोटिस 3 महीने से पूर्व ही सामान्य रूप से दे दिया जिस पर उपभोक्ता ने आपत्ति की और आपत्ति साथ भुगतान किये । पंच ने, जिनके पास वाद निर्णय के लिये भेजा गया था, उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया (फरवरी 1979), यह तर्क देते हुए कि उपभोक्ता को 12 मास का आवश्यक नोटिस नहीं दिया गया था, और परिषद् को 4.72 लाख रुपये जो कि मई 1969 में उपभोक्ता पर लागू दरें और पुनरीक्षण के पश्चात् परिषद् द्वारा लगाई गई दरों का अन्तर है, वापस करने हेतु निर्देश दिया । परिषद् ने मुकदमा न लड़ने का निर्णय लिया (जून 1979) और धन वापस करने को सहमत हो गया जो कि जुलाई से सितम्बर 1980 तक के उपभोक्ता के बिलों में समायोजन द्वारा कर दिया गया । मई 1976 से सितम्बर 1979 तक का 19.98 लाख रुपये का एक अन्य दावा भी इसी आधार पर फर्म द्वारा पंच निर्णय के लिये भेजा गया है (अक्टूबर 1979), पंच के निर्णय की अभी तक प्रतीक्षा थी (मार्च 1981) ।

(iii) उपभोक्ताओं के बिलों में जमानत की जमा राशि पर ब्याज का अधिक समायोजन

परिषद् ने उपभोक्ताओं की जमा जमानत पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिये जाने हेतु अपनी सब इकाइयों को निर्देश दिये (अक्टूबर 1963) । कानपुर में परिषद् की एक इकाई (16 अप्रैल 1964 को अधिग्रहीत) ने 53 उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष के विरुद्ध 6 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुमन्य किया (1970–71 से 1977–78 तक) परिणामस्वरूप, 1.43 लाख रुपये तक की राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

8.12. निष्कर्ष

(i) परिषद् द्वारा पूर्ण रूप से बैंकिंग पद्धति को अपनाये जाने के समय कोषागारों में पड़े रोकड़ अवशेष का न तो समायोजन हुआ है और न ही परिषद् के खाते में जमा करवाया गया है (मार्च 1982)।

(ii) इकाइयों से लखनऊ में परिषद् के मुख्य लेखा में स्थानान्तरित अवशेषों का समायोजन करना जनवरी 1980 से जुलाई 1981 तक का बाकी पड़ा है ।

(iii) जून 1969 से दिसम्बर 1976 के मध्य लखनऊ में बैंकों की मुख्य शाखाओं द्वारा 1081.84 लाख रुपये की निधियां जो उनकी प्रदेश में भिन्न स्थानों में स्थित शाखाओं ने स्थानान्तरित की थीं, 10 से 2085 दिनों की विलम्ब से परिषद् के खात में जमा की गयीं । विलम्ब के कारण दिसम्बर 1976 तक के लिये 53.43 लाख रुपये ब्याज का दावा जो सितम्बर 1979 में 13 बैंकों को प्रस्तुत किया गया था परिषद् के वित्त कोष्ट और राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में ठहरने योग्य नहीं समझा गया । फिर भी जनवरी 1977 से दिसम्बर 1979 के लिये 453.68 लाख रुपये का एक दावा, दो बैंकों द्वारा निधियां विलम्ब (10 से 1823 दिन) से स्थानान्तरित करने के कारण

अगस्त 1981 में परिषद् ने बैंकों को प्रस्तुत किया, किन्तु आधुनिकतम प्रगति अपेक्षित थी (मार्च 1982)।

एक बैंक की लखनऊ शाखा द्वारा जनवरी 1977 में स्थानान्तरित 4.80 लाख रुपये इकाई के खाते में जमा नहीं हुये। मार्च 1982 तक के ब्याज की हानि 3.53 लाख रुपये बनती है।

(iv) जुलाई 1977 से दिसम्बर 1979 के मध्य परिषद् की 42 इकाइयों द्वारा स्थानान्तरित 13.59 लाख रुपये लखनऊ के एक बैंक ने कम जमा किये। इनमें से 3.01 लाख रुपये व 1.69 लाख रुपये की दो धनराशियां क्रमशः जुलाई 1981 व नवम्बर 1981 में जमा कर दी गईं और शेष धनराशि समायोजनाधीन थी। ब्याज (5.27 लाख रुपये) का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) परिषद् की इकाइयों द्वारा फरवरी 1977 से दिसम्बर 1979 के मध्य स्थानान्तरित 58.68 लाख रुपये की धनराशि परिषद् के मुख्य प्राप्ति खाता में जमा नहीं की गई (मार्च 1982)। मार्च 1982 तक ब्याज की हानि 12.23 लाख रुपये हुई।

(vi) राजस्व अधिकारियों द्वारा जनवरी 1974 से अगस्त 1980 के मध्य वसूल की गई 19.27 लाख रुपयों की धनराशि सरकारी खाते में गलती से समय-समय पर जमा कर दी गई और उस धनराशि का परिषद् के खाते में स्थानान्तरण अभी तक अपेक्षित था (मार्च 1982)।

(vii) मार्च 1973 से अगस्त 1980 के मध्य भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) को 60.76 लाख रुपये भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश दिये गये थे किन्तु बैंक ने विलम्ब से भुगतान किये जिसके परिणामस्वरूप एल आई सी को 1.48 लाख रुपये का (जिसमें 0.60 लाख रुपये का बाकी भुगतान सम्मिलित है) ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। चूक करने वाले बैंक ने 0.88 लाख रुपये की धनराशि जुलाई 1981 में वापस कर दी।

(viii) ए एफ सी से 12 करोड़ रुपये व 13.20 करोड़ रुपये के क्रमशः अप्रैल 1972 व सितम्बर 1973 में प्राप्त ऋण में से ब्याज की दर में अनुमन्य छूट का दावा (अप्रैल 1972 से अप्रैल 1981 के मध्य 56.34 लाख रुपये) किये बिना ही मूलधन व ब्याज का भुगतान देय तिथियों के अन्दर ही कर दिया। वापसी की छूट का दावा अभी तक तय नहीं हुआ था (मार्च 1982)।

(ix) परिषद् की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1970–71 में चार बैंकों से प्राप्त 1609 लाख रुपये के एक सावधि ऋण का पुनर्भुगतान समय सूची के अनुसार नहीं किया जा सका। ऋण के पुनर्भुगतान की पुनरीक्षित समय-सूची को परिषद् ने स्वीकृति दी (फरवरी 1976) जिससे 134.66 लाख रुपये के अतिरिक्त ब्याज का दायित्व हुआ (भुगतान अप्रैल 1980 में किया गया)। फिर भी, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि रीति से करने के कारण आदि से 115.33 लाख रुपये की एक और धनराशि की मांग बैंकों ने परिषद् से की।

(x) परिषद् ने अपनी खरीददारियों का नियोजन द्रव्य साधन की पूर्वानुमानित उपलब्धि के आधार पर नहीं किया। 1980–81 में धनाभाव के कारण दो इकाइयों को विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क के रूप में 14.10 लाख रुपये का भुगतान रेलवे को करना पड़ा। एक अन्य इकाई में पारेषण लाइनों के खम्भों के हिस्सों के बिलेख हाथ में होते हुएभी समय से नहीं छुड़ाये गये, परिणामस्वरूप 2.69 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क/घाट शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(xi) प्रकीर्ण देनदारों से प्राप्य धनराशि 31 मार्च 1978 को 6314.93 लाख रुपये से बढकर 31 मार्च 1979 को 7077.53 लाख रुपये और 31 मार्च 1981 को 8014.66 लाख रुपये हो गई। उधार के वर्षवार आकड़े उपलब्ध नहीं थे।

मामला परिषद्/सरकार को नवम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

अनुभाग IX

इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम

9.01. प्रस्तावना

सितम्बर 1964 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने एक लाईसेंसदार फर्म के इलाहाबाद और लखनऊ में व्यापार का, जो कि इन नगरों की नगर पालिकाओं और नगर के छावनी सीमा के अन्दर विद्युत आपूर्ति और वितरण लाइनों के रख रखाव का काम करती थीं, अधिग्रहण किया और इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम (एसू) और लखनऊ विद्युत आपूर्ति उपक्रम (लेसू) का गठन किया ।

9.02. कार्यकलाप

एसू के मुख्य कार्यकलाप इलाहाबाद की नगर व छावनी सीमा में विद्युत का वितरण और रख रखाव, नये उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन देना, क्रमबद्ध आपूर्ति के लिये लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण/दृढ़ीकरण, मीटरों का लगाना और कालान्तर जांच करना, उपभोक्ताओं पर बिल करना और राजस्व की वसूली करना है । यह इलाहाबाद में अपने ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन भी करता रहा था (मई 1979 तक) ।

उत्पादन

परिषद् भूतपूर्व लाइसेन्सदार से ली गई चार-चार मेगावाट की तीन इकाइयों को 2 मई 1979 तक चलाता रहा जबकि बिजलीघर की निष्पादन पर समीक्षा करने के पश्चात् संयंत्र को निवृत्त करने के लिए परिषद् द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार बिजलीघर बन्द कर दिया गया था । संयंत्र (मूल्य : 23.06 लाख रुपये) का निस्तारण नहीं किया गया था (जून 1982) ।

सम्परीक्षा में निम्नलिखित बातें जानकारी में आई :

(i) 70.08 एम के डब्लू एच की प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन 1976–77 में 24.99 एम के डब्लू एच, 1977–78 में 23.31 एम के डब्लू एच और 1978–79 में 8 एम के डब्लू एच था और अवमूल्यित प्रतिस्थापित क्षमता (8 एम डब्लू) से उत्पादन की प्रतिशतता 1976–77 में 35.7 से घट कर 1977–78 में 33.3 और 1978–79 में 11.4 हो गई । बिजलीघर की निम्न क्षमता उपयोगिता के कारण अत्याधिक बन्दियां थीं जो कि औसतन 1976–77 में 3654 घंटे, 1977–78 में 3816 घंटे और 1978-79 में 5823 घंटे थी जबकि 8760 घंटे प्रति वर्ष उपलब्ध थे । इसके उपरान्त, मशीनों की मरम्मत आदि में 2355 घंटे (जनवरी से मई 1979) से 8242 घंटे (फरवरी 1976 से फरवरी 1977) तक वास्तविक समय लगा जब कि वार्षिक मरम्मत आदि के लिये 1008 घंटों की संस्तुति मुख्य अभियन्ता (उत्पादन) द्वारा की गई थी (मई 1974) ।

(ii) संयंत्र की अधिक बड़ी मरम्मतादि छः वर्षों (1973–74 से 1978–79 तक) में नहीं की गई थी जबकि प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार करनी चाहिये थी ।

(iii) रेलवे प्रेषण विलेखों में लिखा भार (जिसके आधार पर आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया था) और बिजलीघर पर वास्तव में प्राप्त कोयले की मात्रा के अन्तर को बिना जांच पड़ताल के उपभोग में डाल दिया गया । 1978–79 तक के तीन वर्षों में कम प्राप्त मात्रा (मूल्य : 0.80 लाख रुपये) क्रमशः 23 मीटरी टन, 422 मीटरी टन और 454 मीटरी टन थी । मार्ग की कमियों की प्रतिशतता 1976–77 में 0.09 से 1977–78 में 1.3 और 1978–79 में 3.21 के बीच रही । 1977–78 और 1978–79 में भारी कमियों के कारणों की खोज नहीं की गई (जून 1982) ।

(iv) (क) टैकनिकल कमेटी आन पावर* ने संस्तुति की (दिसम्बर 1972) कि बड़े बिजलीघरों में प्रतिस्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट पर लगभग 4 कर्मचारी होने चाहिये। इस आधार पर इकाई पर कर्मचारियों की वांछित संख्या 32 बनती थी। 1978–79 तक के तीन वर्षों में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 334 से 348 के मध्य रही।

(ख) सांविधिक प्राविधान के अनुसार एक त्रैमास में 50 घंटे से अधिक एक कर्मचारी द्वारा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा किया गया वास्तविक ओवर टाइम एक त्रैमास में 580 घंटे तक रहा। 1978–79 तक के तीन वर्षों में इकाई द्वारा कर्मचारियों को दिया गया ओवर टाइम भत्ता औसतन 3 लाख रुपये प्रति वर्ष था।

9.03. **राजस्व संग्रह**

वर्तमान प्रबन्ध के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी इच्छा से बिल का भुगतान चेक द्वारा कर सकता है जो कि नकद ही समझा गया है और उसकी प्रविष्टि रोकड़ बहीं और उपभोक्ता लेजर में की जाती है। किन्तु यह देखा गया कि बैंक द्वारा चेक न सकारने की दशा में वांछित प्रविष्टियां उपभोक्ता लेजर में नहीं की गईं। निम्न तालिका में ऐसी धनराशियों की वर्षवार स्थिति दर्शायी गई है जो 31 मार्च 1981 को उपभोक्ताओं के नाम वसूल होने के लिए पड़ी थीं :

वर्ष	न सकारे गये चेकों की संख्या	बकाया धनराशि (लाख रुपयों में)
1977–78	8	0.15
1978–79	23	0.36
1979–80	46	0.82
1980–81	123	1.27
योग	200	2.60

उपक्रम ने उपभोक्ताओं से धनराशि वसूल करने के लिए उनकी आपूर्ति का विच्छेदन करके और/या मांग नोटिस फिर से निर्गत करके प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की (जून 1982)।

9.04. **राजस्व बकाया**

1980–81 तक के तीन वर्षों की राजस्व के बकाया की स्थिति निम्न तालिका दर्शाती है :

वर्ष	वर्ष में वसूल किया गया राजस्व	वर्ष के अन्त में बकाया की राशि	राजस्व बकाये का राजस्व वसूली से प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1978–79	474.62	33.70	7.1
1979–80	542.86	49.82	9.7
1980–81	562.68	92.05	16.2

*परिषद् की कुशलता में सुधार के वास्ते अर्थोपाय सुझाने के लिये मार्च 1972 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई।

बकायों के बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने के निम्न कारण थे :

(i) गलत मीटर रीडिंग और संचयी बिलों के देने पर उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का भुगतान न करना,

(ii) सरकारी प्रतिष्ठानों, मार्ग प्रकाश और महत्वपूर्ण भारी विद्युत शक्ति के उपभोक्ताओं के मामलों में, परम आवश्यक सेवाओं का, भुगतान न करने पर विद्युत विच्छेदन करने में कठिनाइयां, और

(iii) उन उपभोक्ताओं की आपूर्ति का तुरन्त विच्छेदन करने में असफलता जो कि समय से बिलों के भुगतान करने में असफल रहे ।

1980–81 तक के तीन वर्षों में श्रेणी वार बकायों का ब्योरा निम्न प्रकार था :

श्रेणी	31 मार्च को न चुकाये गये बकाया		
	1979	1980	1981
		(लाख रुपयों में)	
घरेलू, वाणिज्यिक और लघु शक्ति	9.10	20.07	19.76
मध्यम शक्ति	0.72	1.92	0.98
बड़ी और भारी शक्ति	10.43	6.99	33.15
कृषि शक्ति	1.21	1.45	1.19
जन प्रकाश	0.96	1.13	35 09
वाटर वर्क्स और सीवेज	11.28	18.26	1.88
योग	33.70	49.82	92.05

कालातीत/अप्राप्य होने से पूर्व समय से कार्यवाही करने के लिए पुराने मामलों का सामयिक पुनरीक्षण नहीं किया गया । उस धनराशि का पता लगाने के लिये जो कालातीत/अप्राप्य हो चुकी थी, कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई (जून 1982) ।

(क) आपूर्ति का विच्छेदन

बकायों को कम करने की दृष्टि से उपभोक्ता को विच्छेदन हेतु एक नोटिस बिल के साथ में देना होता है कि देय तिथि बीतने के सात दिन के अन्दर भुगतान करने में असफल रहने पर आपूर्ति विच्छेदन किया जा सकेगा ।

सम्परीक्षा के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं की परख-जांच (जून 1981) में यह देखा गया कि 137 विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध जो कि 1 से 35 मासिक बिलों के भुगतान करने में असफल रहे किन्तु आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया गया था, बकायों की धनराशि, 31 मार्च 1981 को 12.46 लाख रुपये बनती थी । 1980–81 में विच्छेदन योग्य चूक करने वाले उपभोक्ताओं और वास्तव में विच्छेदित आपूर्तियों की स्थिति नीचे दी जाती है :

31मार्च 1980 को विच्छेदन योग्य चूक करने वाले उपभोक्ता		11,080
1980–81 में विच्छेदन योग्य चूक करने वाले उपभोक्ता		14,134
	योग	25,214
विच्छेदित आपूर्तियां		4,150

चूक करने वाले उपभोक्ता जिन्होंने दायित्वों का भुगतान 2 से 10 महीने पश्चात्

किन्तु विच्छेदन से पूर्व किया		7,773
	योग	11,923
शेष जिनका विच्छेदन नहीं किया गया		13,291

चूक करने वाले उपभोक्ताओं के मामलों में सामयिक पुनरीक्षण कर समय से विच्छेदन नोटिस निर्गत नहीं किये गये ।

(ख) विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध देय

उपभोक्ताओं क विरुद्ध, जहां भुगतान करने में चूक के कारण छः महीने से अधिक आपूर्ति विच्छेदित रही, बकायों को अलग से अनुसरण करने के लिये उपभोक्ताओं के खातों से निष्कासित कर दिया गया । निष्कासित और अप्रवृत्त खातों को स्थानान्तरित 672 मामलों से सम्बन्धित बकाया (8.22 लाख रुपये) बिना किसी वसूली की कार्यवाही के पड़ी हुई थी । 31 मार्च 1981 को विच्छेदि आपूर्तियों के विरुद्ध भुगतान न की गई धनराशियों का वर्षवार विवरण नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया देय (रुपये लाखों में)
1970–71 से 1975–76	60	0.09
1976–77	91	0.40
1977–78	255	3.11
1978–79	160	2.42
1979–80	58	1.11
1980–81	48	1.09
योग	672	8.22

इन विच्छेदित उपभोक्ताओं को, उनकी जमानत की राशि समायोजन करने के पश्चात्, मांग के नोटिस नहीं दिये गये थे (जून 1982) ।

(ग) मांग नोटिस निर्गत करना

भुगतान न किये गये विद्युत देय भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने योग्य होते हैं बशर्ते उपभोक्ता को एक मांग नोटिस दिया गया हो । यह देखने में आया कि चूक करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध पहली चूक के तुरन्त बाद ही कार्यवाही नहीं की गई । मार्च 1981 तक के तीन वर्षों में

निर्गत मांग नोटिस और उनके विरुद्ध वसूल की गई धनराशि की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

	1978–79	1979–80	1980–81
वर्ष के अन्त में मांग नोटिस निर्गमन योग्य उपभोक्ताओं की संख्या	9,600	33,838	31,929
वर्ष में वास्तव में निर्गमित मांग नोटिस	645	484	1,459
मामले जिनमें वर्ष में, वसूली की गई थी	77	42	207
मामले जिनमें वर्ष के अन्त में वसूली प्रतीक्षित थी	568	442	1,252
	(29.70)*	(31.38)*	(22.35)*

चूक करने वाले उपभोक्ताओं की सेवाओं का देर से विच्छेदन और उन उपभोक्ताओं के नाम देय अन्तिम धनराशि का देर से निर्धारण, नोटिस निर्गमन की मन्द गति के मुख्य कारण थे ।

(घ) वसूली प्रमाण-पत्रों का निर्गमन

निर्गमित मांग नोटिस के विरुद्ध देयों के भुगतान करने में असफल रहने की दशा में भू-राजस्व के बकायों की तरह देयों को वसूल करने के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी को निर्गत करना होता है । निम्न तालिका में निर्गत किये गये वसूली प्रमाण-पत्र और उनके विरुद्ध वसूल की गई धन-राशियां दर्शाई गई हैं :

	1978–79		1979–80		1980–81	
	उपभोक्ताओं की संख्या	धन-राशि (रुपये लाखों में)	उपभोक्ताओं की संख्या	धन-राशि (रुपये लाखों में)	उपभोक्ताओं की संख्या	धन-राशि (रुपये लाखों में)
पिछली वर्षों सहित, वर्ष के अन्त तक बकाया के वसूली हेतु निर्गत प्रमाण-पत्रों की संख्या	419	17.90	776	37.10	515	35.36
वर्ष में की गई वसूली	85	1.74	116	1.05	30	19.00
बिना वसूली के लौटाये गये वसूली प्रमाणपत्र	86	2.18	317	12.00	66	1.19
वर्ष के अन्त में अनिर्णीत वसूली प्रमाणपत्र	248	13.98	343	24.05	419	15.17

15.37 लाख रुपये के देयों को राजस्व अधिकारियों द्वारा न वसूल होने योग्य घोषित कर दिया गया (अप्रैल 1978 से मार्च 1981) जिन्होंने 469 प्रमाण-पत्र बिना वसूली के उपक्रम को लौटा दिये । राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूली न किये जाने के कारण बताये गये थे कि उपभोक्ताओं का पता ठिकाना ज्ञात नहीं था अथवा उन की कोई सम्पत्ति नहीं थी जिससे वसूली की जा सके ।

*कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े लाख रुपयों में धनराशि बताते हैं ।

9.05. भंडार सूची नियन्त्रण

(क) (i) वार्षिक क्रय प्राक्कलन नहीं बनाये गये थे। 1980–81 तक के तीन वर्षों में धारित भण्डार मूल्य में नीचे दर्शायी गई वृद्धि हुई :

	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
भण्डार के प्रारम्भिक माल का मूल्य	33.54	27.26	30.07
वर्ष में क्रय	72.17	70.68	97.66
उपभोग के लिए उपलब्ध भण्डार	105.71	97.94	127.73
उपभोग	78.45	67.87	90.18
अन्तिम रहतिया	27.26	30.07	37.55

(ii) अधिक निर्गमन को जानने के लिये उपभोग तालिकायें, जिसमें कार्यों पर समय-समय पर निर्गत विभिन्न सामग्रियों का विवरण तथा उसके विरुद्ध वास्तविक मांग, उपभोग तथा भण्डार को लौटाई गई सामग्री, यदि कोई हो, नहीं बनायी जा रही थीं।

(iii) भण्डार का वार्षिक भौतिक सत्यापन मार्च 1976 से नहीं किया गया था।

(iv) भण्डार के अधिकतम, निम्नतम, और पुनः आदेश के स्तर निर्धारित नहीं किये गये थे।

(v) सामग्रियों का वर्गीकरण क्रान्तिक और अक्रान्तिक अथवा तीव्र और मन्द गति वाली वस्तुओं में नहीं किया गया था।

(ख) फालतू और अप्रचलित भंडार

मार्च 1981 के अन्त की भण्डार सूची में 1.60 लाख रुपये का अनुपयोगी/फालतू घोषित माल सम्मिलित था। पूर्ण सामान गिनती के अभाव में उपक्रम में पड़ी फालतू वस्तुओं की सर्वांग-पूर्ण सूची बना कर दूसरे बिजली घरों/खण्डों में उपयोग में लाने के लिये परिचालित/अधिसूचित नहीं की जा सकी (जून 1982)।

(ग) तार के ड्रमों की क्षति

स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किल, लखनऊ द्वारा निर्गत (अक्टूबर 1976) पूर्ति आदेश के विरुद्ध उपक्रम ने 6.48 किलोमीटर (मूल्य : 6.35 लाख रुपये), तीन कोर 240 वर्ग मिमि तार प्राप्त किया (जनवरी-फरवरी 1977)। मार्च 1979 में तार को डालते समय, खुले मैदान में लम्बे भण्डारण के दौरान, तार के ड्रम क्षतिग्रस्त पाये गये और उन्हें नये कन्डक्टर ड्रमों में पुनर्लपेट की आवश्यकता थी। मार्च 1979. सितम्बर 1980 के दौरान नये ड्रमों में गढ़ाई और पुनर्लपेट करने में 0.37 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

9.06. निर्माण कार्यकलाप

उपक्रम के पास एक निर्माण इकाई है जिसे नवीन कार्यों का निर्माण/लाइनों और बिजली घरों का विस्तारण और उपभोक्ताओं का सर्विस कनेक्शन देने का काम सौंपा गया है। 1980–81 तक के तीन वर्षों में किये गये कार्य का मूल्य लक्ष्य से बहुत कम था। अधिष्ठान व्यय का प्रतिशत किये गये कार्य के मूल्य से बजट में प्राविधान किये गये 15 प्रतिशत के मानक से बढ़ गया, जैसा कि

नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	कार्यों पर व्यय जिसका बजट में प्राविधान था	कार्यों पर वास्तविक व्यय	अधिष्ठान पर किया गया व्यय	अधिष्ठान व्यय का कार्यों पर किये गये व्यय से प्रतिशत
			(रुपये लाखों में)	
1978–79	..	39.85	9.35	23.5
1979–80	120.55	46.98	13.60	28.9
1980–81	72.12	60.22	14.89	24.7

औद्योगिक व वृहत शक्ति के विद्युत् उपभोक्ताओं के निक्षेप कार्य इकाई द्वारा लागत जमा 15 प्रतिशत के आधार पर करने के लिए लिये जाते हैं। 1980–81 तक के तीन वर्षों में किये गये 33.53 लाख रुपये के निक्षेप कार्यों पर अधिष्ठान व्यय में वृद्धि के कारण 3.95 लाख रुपये की कम वसूली की गई।

9.07. कार्य आदेश

1980–81 में 66 कार्यों के 6.10 लाख रुपये मूल्य के कार्य आदेश निर्गत किये गये थे। दरों के औचित्य का विश्लेषण किये बिना सीमित कोटेशन के आधार पर ही इन्हें निर्गत किया गया था। कुछ कार्यादेश कार्यों को विभाजित करके निर्गत किये थे और वर्षभर की कार्यों के समेकित (संघटित) मांग के लिये 10,000 रुपये से अधिक के मूल्य की वस्तुओं की खुली निविदायें नहीं निकाली गईं, जबकि परिषद् के आदेशानुसार करने की आवश्यकता थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

कार्य का नाम	अवधि	निर्गत कार्य आदेशों की संख्या	धनराशि (रुपये लाखों में)
33 के वी केबिल डालना	जून से दिसम्बर 1980	4	0.37
टेकों (सपोर्ट्स) पर रंग करना	जुलाई से अक्टूबर 1980	6	0.57
नल गाढ़ना और चबूतरा बनाना	अगस्त से नवम्बर 1980	5	0.38

फरवरी 1981 में अधीक्षण अभियन्ता ने, बिना उनकी पूर्व स्वीकृति के कार्य आदेश निर्गत करने पर रोक लगा दी।

9.08. फर्मों को अग्रिम भुगतान

उपक्रम ने अक्टूबर 1974 से मार्च 1981 की अवधि में 24 फर्मों को सामग्री की आपूर्ति के लिए उनके द्वारा भेजे गये प्रोफार्मा बिलों पर 100 प्रतिशत अग्रिम का भुगतान किया (0.45 लाख रुपये) जिनके विरुद्ध माल की आपूर्ति प्रतीक्षित थी (जून 1982)।

9.09. स्थानान्तरित सामान के लिये डेबिट का स्वीकार न करना

1968–69 से 1980–81 के दौरान अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्री के लिये 0.61 लाख रुपये की निर्गत 54 एडवाइसेज आफ ट्रान्सफर डेबिट्स (ए टी डीज) प्राप्त करने वाले खण्डों ने स्वीकार नहीं की थी (जून 1982)।

1968–69 से 1972–73 के मध्य में 24 मामलों में जिनमें 0.43 लाख रुपये की सामग्री निर्गत की गई थी, प्राप्त करने वाले खन्डों द्वारा सामग्री स्वीकार किये जाने के समर्थन में रसीद

शुदा चालान भी उपक्रम के पास उपलब्ध नहीं थे। इसमें रिहन्द जल विद्युत् खन्ड, इलाहाबाद को अगस्त 1968 में निर्गत सामग्री (0.12 लाख रुपये) और जलविद्युत् संयन्त्र खण्ड, कासिमपुर (अलीगढ़) को जून 1971 में स्थानान्तरित सामग्री (0.16 लाख रुपये) की दो ए टी डीज सम्मिलित हैं जिनसे सम्बन्धित स्थानान्तरित सामग्री का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रारम्भ में निर्गत बिल की कोई प्रतिलिपि अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। प्राप्त करने वाले खण्डों से सामग्री प्राप्ति की रसीदें और लेखा खोजने के लिये अथवा संभावित हानि के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु उपक्रम ने कोई कार्यवाही नहीं की (जून 1981)।

9.10. निष्कर्ष

(i) उत्पादन गृह का परिचालन मई 1979 में रोक दिया गया था, संयन्त्र (मूल्य: 23.06 लाख रुपये) का निस्तारण नहीं किया गया था (जून 1982)।

(ii) किसी कर्मचारी द्वारा एक त्रैमास में 50 घंटे से अधिक ओवर टाइम न करने के कानूनी प्राविधान के बावजूद, कर्मचारियों द्वारा वास्तव में किया गया ओवर टाइम, एक त्रैमास में 580 घंटे तक हुआ।

(iii) 2.60 लाख रुपये के 200 मामलों में जिनमें 1977–78 से 1980–81 के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त चेकों को नकारा गया था, उनकी आपूर्ति का विच्छेदन करके और/अथवा मांग नोटिस पुनः निर्गत करके धनराशि वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(iv) राजस्व बकाया 1978–79 में 33.70 लाख रुपये से बढ़ कर 1979-80 में 49.82 लाख रुपये और 1980–81 में 92.05 लाख रुपये हो गये। बकायों का कालिक विवरण नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप पुराने मामलों का सामयिक पुनरीक्षण नहीं किया गया ताकि देय कालातीत और अप्राप्य न होने पाते।

(v) 8.22 लाख रुपये की एक धनराशि को जो कि 672 उपभोक्ताओं से वसूली योग्य थी, अलग से अनुसरण के लिए अपरिचालित लेखा में स्थानान्तरित कर दी गयी। इस धनराशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(vi) 1980-81 तक के तीन वर्षों में निर्गत मांग नोटिसों (2588 मामले) में से उपक्रम ने उस अवधि में 326 मामलों में वसूलियां की। 31 मार्च 1981 को 22.35 लाख रुपये की वसूली (1252 मामले) प्रतीक्षित थी।

(vii) 15.37 लाख रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र (469 उपभोक्ताओं) राजस्व विभाग द्वारा लौटा दिये गये थे (अप्रैल 1978 से मार्च 1981) क्योंकि या तो उपभोक्ताओं का पता नहीं लग पा रहा था या उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

अनुभाग X

ओबरा तापीय परियोजना के सिविल निर्माण कार्य

10.01. विषय प्रवेश

अप्रैल 1959 में राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के बाद अप्रैल 1967 तक, जब तापीय विद्युत् परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य परिषद् द्वारा ले लिये गये, परिषद् के सिविल निर्माण कार्य राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा निष्पादित होते थे; जल विद्युत् परियोजना का सिविल निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित होना जारी है।

10.02. संगठनात्मक व्यवस्था

सिविल निर्माण कार्य संगठन, सदस्य (उत्पादन) के समग्र प्रभार के अन्तर्गत हैं। तापीय विद्युत् स्टेशनों के निर्माण से सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्य परियोजनाओं पर नियुक्त महाप्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) द्वारा निष्पादित होते हैं, जबकि परियोजना पर तथा आवासीय कालोनियों, सब-स्टेशनों एवं अन्य सुविधाओं (अस्पताल, कैन्टीन, होस्टल इत्यादि) का निर्माण सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के साथ अनुलग्न अधीक्षण, अभियन्ताओं की देख-रेख में सिविल अनुरक्षण खण्डों द्वारा किया जाता है। विद्युत् स्टेशनों (जल विद्युत् तथा तापीय), कालोनियों, सब-स्टेशनों इत्यादि का मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य, अधीक्षण अभियन्ताओं के प्रभार के अन्तर्गत अनुरक्षण खण्डों द्वारा किया जाता है।

आगे की कंडिकाओं में ओबरा तापीय विद्युत् स्टेशन (चरण II एवं III) के सिविल निर्माण कार्य के कुछ पहलुओं के चर्चे किये जाते हैं :

10.03. ओबरा तापीय विद्युत् विस्तार परियोजना (चरण II एवं III)

10.03.01. राज्य में विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये परिषद् ने 1970 में, ओबरा तापीय विद्युत् स्टेशन की क्षमता दो चरणों में 200 मेगावाट की पांच इकाइयों (चरण II में तीन इकाइयां तथा चरण III में दो इकाइयां) की वृद्धि कर 550 मेगावाट से 1550 मेगावाट करने का प्रस्ताव किया। 1969–70 में प्रचलित मूल्यों के आधार पर सिविल कार्य हेतु 14.31 करोड़ रुपये के दो प्राक्कलन भारत सरकार द्वारा जून 1972 में अनुमोदित हुए। ये प्राक्कलन (i) निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि (836 लाख रुपये), (ii) मजदूरी में वृद्धि (10 लाख रुपये), (iii) मूल प्राक्कलन में अपर्याप्त प्राविधान (170 लाख रुपये) तथा (iv) अतिरिक्त सुविधाओं (1857 लाख रुपये) के कारण, पुनरीक्षित होकर 43.04 करोड़ रुपये के हो गये (अक्टूबर 1976)। पुनरीक्षित प्राक्कलन परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं हुये हैं (मार्च

1982) । निम्न सारणी बड़े उप शीर्षकों के अन्तर्गत मूल प्राक्कलन, पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा उनके विरुद्ध, मार्च 1981 तक वास्तविक व्यय के विवरण प्रकट करती है :

सिविल निर्माण कार्य का विवरण	लागत		
	मूल प्राक्कलन के अनुसार (जून 1972)	पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार (अक्टूबर 1976)	मार्च 1981 तक वास्तविक व्यय
			(रुपये लाखों में)
सर्वेक्षण तथा भूमि	7.50	46.00	14.35
इस्पात स्ट्रक्चर को सम्मिलित करते हुये विद्युत् स्टेशन तथा अनुषंगी भवन	925.00	1336.00	1830.22
राख प्रबन्ध (ऐश हैन्डलिंग) एवं ईंधन तेल प्रणाली	111.50	280.00	157.70
शीतलन जल प्रणाली	100.00	474.00	572.88
400 केवी स्विचयार्ड	60.00	95.00	121.35
कोयला प्रबन्ध प्रणाली (कोल हैन्डलिंग सिस्टम)	60.00	210.00	377.66
जल शोधन संयंत्र (वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट)	20.00	75.00	43.13
प्रकीर्ण कार्य यथा अस्थायी शेड, प्रिएसेम्बली यार्ड, जंगल सफाई, जलोत्सारण, सड़क, इत्यादि	147.04	288.00	438.65
मार्शलिंग यार्ड	..	450.00	560.76
शीतलन मीनार	..	900.00	..
बैफिल वाल	..	150.00	10.64
	1431.04	4304.00	4127.43

कार्य ठेके जो अक्टूबर 1974 तथा नवम्बर 1975 के बीच दिये गये थे फरवरी 1975 तथा नवम्बर 1977 के बीच पूर्ण होने के लिये नियत थे। शीतलन मीनार (900 लाख रुपये), प्रिअसेम्बली यार्ड (95 लाख रुपये) तथा अन्य प्रकीर्ण कार्य (20 लाख रुपये) अभी प्रारम्भ नहीं किये गये थे (मार्च 1982)। शेष कार्यों के लिये 3289 लाख रुपये के अनुमानित व्यय के विरुद्ध किया गया वास्तविक व्यय 4127.34 लाख रुपये हो चुका था (मार्च 1981)। इसके अतिरिक्त ओबरा थर्मल विद्युत् परियोजना के निर्माण खण्डों ने लगभग 900 लाख रुपये का और व्यय मार्शलिंग यार्ड (400 लाख रुपये), कार्यालय भवन (100 लाख रुपये) और चालू कार्यों पर शेष भुगतान को सम्मिलित करते हुए अन्य लघु कार्य (400 लाख रुपये) पर अनुमानित किया था (अक्टूबर 1980)। कार्यों के विभिन्न मदों की लागत में वृद्धि इंगित करती है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन भी यथार्थ से परे साबित हुआ है।

10.03.02. सिविल निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं हुये तथा विलम्ब एक से पांच वर्ष तक रहा।

सिविल कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब (i) कार्यशील नक्शों का परामर्शी से विलम्ब से प्राप्त होने (ii) उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य अनुबन्ध एजेन्सियों द्वारा कार्यस्थल को विलम्ब से अवमुक्त करने जिससे सीमित उपलब्ध जगह में दूसरे ठेकेदार अपना कार्य प्रारम्भ कर सकें तथा (iii) कार्य की सीमा में वृद्धि इत्यादि कारणों से हुआ। इसके अतिरिक्त, सिविल कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण विद्युत् एवं यांत्रिक कार्य (यथा केबुल का बिछाना, इन्स्ट्रूमेंटेशन कार्य,

स्विचयार्ड में स्ट्रक्चुरल कार्य इत्यादि) देर से प्रारम्भ किये गये और परिणामस्वरूप विद्युत् स्टेशनों के उत्पादक सेटों क चालू किय जाने में विलम्ब हुआ, जैसा कि निम्न है :

इकाई संख्या	मूल प्राक्कलन (जून-1972) के अनुसार	संशोधित प्राक्कलन (अक्टूबर 1976) के अनुसार	चालू किये जाने की वास्तविक तिथि
I	जून 1976	जून 1977	दिसम्बर 1977
II	मार्च 1977	मार्च 1978	जनवरी 1979
III	दिसम्बर 1977	मार्च 1979	जनवरी 1980
IV	—	मार्च 1979	मार्च 1981
V	—	दिसम्बर 1979	मार्च 1982

पूर्ण होने में विलम्ब, सिविल कार्यों को निष्पादित कर रहे ठेकेदारों को, मजदूरी तथा इस्पात एवं सीमेन्ट जैसी सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण बढ़े हुए भुगतान के रूप में परिणत हुआ । अनुबन्ध की बढ़ी हुई अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि (एस्कालेशन) के कारण लागत में वृद्धि 136.96 लाख रुपये होती थी, जैसा कि नीचे इंगित है :

विवरण	पूर्ण होने की अवधि नियत	वास्तविक	मजदूरी भुगतान में मूल्य वृद्धि	सामग्री की लागत में मूल्य वृद्धि	योग
			(रुपये लाखों में)		
ब्वायलरों तथा उत्पादकों (जेनरेटर्स) बंकरों इत्यादि की नींव व ऊपरी ढांचे के सिविल निर्माण कार्य	फरवरी 1975	जुलाई 1980	7.72	25.82	33.54
प्रकीर्ण भवनों के स्ट्रक्चरल कार्य, सड़क नालियां (ट्रेंच) इत्यादि	अप्रैल 1975 तथा जून 1977	मार्च 1980 तथा जून 1980	49.69	12.00	61.69
कोयला प्रबंध प्रणाली चिमनी को सम्मिलित करते हुए	दिसम्बर 1975 तथा अगस्त 1976	जुलाई 1978 तथा जनवरी 1980	9.12	19.71	28.83
शीतलन जल प्रणाली	मई 1979	फरवरी 1980	4.14	उपलब्ध नहीं	4.14
प्रेशर कन्ड्यूट तथा सील वेल	मार्च 1977	मार्च 1980	5.43	3.33	8.76
			76.10	60.86	136.96

10.03.03. नियोजन एवं समन्वय

परिषद् ने निविदा दस्तावेजों तथा कार्यों की विशिष्टियों के प्रारूप तैयार करने, सामग्रियों की अधिप्राप्ति, निविदा मूल्यांकन इत्यादि, कार्य स्थल पर ठेकेदारों को तकनीकी मार्ग दर्शन, अंतर संचार प्रणाली के सम्बन्ध में मूल एवं विस्तृत डिजाइन एवं अभियंत्रण प्रदान करने तथा कार्यों के समय से पूर्ण होने के लिये समग्र समन्वय हेतु 322 लाख रुपये की फीस पर परामर्शी की एक फर्म नियुक्त किया ।

10.03.04. सिविल निर्माण कार्यों का ठेके पर दिया जाना

10.03.04.01. भवन एवं बुनियाद

परिषद् द्वारा, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना चरण II एवं III के लिये आठ समूहों में विभक्त सिविल कार्यों की निविदायें अगस्त 1974 में आमंत्रित की गयीं । अविलम्बता के आधार पर, निविदाओं को अंतिम रूप दिये जा सकने के पूर्व, कोयला प्रबन्ध प्रणाली (कोल हैन्डलिंग सिस्टम) से सम्बन्धित कार्य (समूह 'बी') न्यूनतम निविदादाता, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड (बी आर सी) को 144.21 लाख रुपये पर फरवरी 1975 में दिया गया। अन्य सिविल कार्यों (सात समूह) के लिये फरवरी 1975 में पुन: निविदायें आमंत्रित की गईं (कारण अभिलेख पर नहीं) । तीन समूहों के कार्य निम्न विवरण के अनुसार न्यूनतम निविदा दाता से परे अन्य पार्टियों को दिये गये :

कार्य समूह का विवरण	कार्य का मूल्यांकित मूल्य	मूल्य जिस पर कार्य सौंपा गया	फर्म का नाम जिसने न्यूनतम दर दिया	फर्म का नाम जिसे कार्य सौंपा गया	अधिक दर पर देने के कारण अतिरिक्त स्वीकृत भुगतान
	(रुपये लाखों में)				(रुपये लाखों में)
शीतलन जल प्रणाली के प्रैसर कन्ड्यूट में सिविल कार्य (सी)	153.49	163.54	ए	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	10.05
शीतलन जल प्रणाली से संबंधित शक्ति नहर तथा अन्य संबंधित कार्य परन्तु उपरोक्त (सी) से संबंधित नहीं (डी)	219.21	227.13	जेड	तदेव	7.92
जलशोधन संयंत्र (ई)	47.35	47.91	जेड	तदेव	0.56
स्विचयार्ड क्षेत्र (एफ)	47.06	47.06	एम	एम	..
ईंधन तेल क्षेत्र (जी)	47.87	47.87	ए	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	..
प्रकीर्ण कार्य (एच)	40.92	40.92	ए	तदेव	..

कार्य का वापिस लिया जाना

चूंकि यू पी आर एन एन को सौंपे गये कार्यों (समूह सी, ई) की प्रगति संतोषजनक नहीं थी और उत्पादक सेटों को निर्धारित तिथियों पर चालू किया जाना सुनिश्चित करने के लिये अवशेष कार्य साइट के अभियन्ताओं की संस्तुति पर वर्तमान ठेकेदारों (ठेकेदार "एम" को सम्मिलित करते हुए) से वापस ले लिया गया तथा बी आर सी को बिना निविदा आमंत्रित किये बातचीत के आधार पर ऊंची

दरों पर दे दिया गया । वापस लिये तथा बी आर सी को सौंपे कार्य, अतिरिक्त स्वीकृत भुगतान, पूर्व होने की नियत तिथि और पूर्ण होने की वास्तविक तिथि के विवरण निम्न थे :

कार्य का नाम	कर रहे ठेकेदार का नाम	वापस लेने की तिथि	वापस लिये गये कार्य हेतु वर्तमान ठेकेदार को भुगतान योग्य धनराशि	बी आर सी को भुगतान की गई धनराशि	भुगतान की गई अतिरिक्त धन-राशि	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
			(रुपये लाखों में)				
प्रैसर कन्ड्यूट (पूर्व पश्चिम दिशा)	यू पी आर एन एन	6 अगस्त 1976	67.66	86.14	18.48	मार्च 1977	मार्च 1980
स्विचयार्ड एरिया (केबुल सुरंग, बसडक्ट्स तथा उत्पादक इकाई संख्या II के स्तम्भ बुनियाद)	एम	23 जून 1977	2.92	3.34	0.42	दिसम्बर 1977	दिसम्बर 1979
जल शोधन संयंत्र, टर्बाइन हाउस मुख्य भवन, राख प्रबन्ध प्रणाली, ईंधन तेल प्रणाली तथा इकाई संख्या 9 तथा 10 से संबंधित अन्य प्रकीर्ण कार्य	यू पी आर एन एन	11 सित-म्बर 1978	47.03	60.63	13.60	मार्च 1979	कार्य प्रगति में (मार्च 1982)
			117.61	150.11	32.50		

(i) यू पी आर एन एन एवं अन्य ठेकेदार "एम" से कार्य वापस लिये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि बी आर सी द्वारा कार्य समय से पूरा नहीं किये जा सके तथा परिणाम में 32.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय ही हुआ ।

(ii) 20 जनवरी 1978 के प्रभाव से राज्य सरकार ने एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 4.038 रुपये प्रति दिन से बढ़ा कर 6 रुपये प्रति दिन कर दिया। पश्चातवर्ती कार्यों के निष्पादन में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के कारण मार्च 1982 तक भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि प्रेसर कंड्यूट के मामले में 5.43 लाख रुपये तथा जल शोधन संयन्त्र, टर्बाइन इत्यादि के सम्बन्ध में 13.60 लाख रुपये होती थी । जलशोधन संयन्त्र के सम्बन्ध में भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि अभी और बढ़ेगी क्योंकि कार्य अभी भी प्रगति में था (मार्च 1982) ।

(iii) बी आर सी ने यह शर्त लगाई थी (जुलाई 1978) कि राख भंडारागार (ऐश सिलोस) हेतु शटरिंग सामग्री परिषद् द्वारा मुफ्त प्रदान होनी थी । तदनुसार दिसम्बर 1980 तक 4.80 लाख रुपये लागत की सामग्री प्रदान की गई जो कि यू पी आर एन एन की सीमा से कार्य के प्रत्याहरण के परिणाम स्वरूप थी ।

10.03.04.02. **चिमनी का निर्माण**

170 मीटर ऊंची प्रबलित कंक्रीट इमल्सीफायर चिमनी के डिजाइन एवं निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने (नवम्बर 1973) के उपरान्त परिषद् ने फर्म "बी" को 59.68 लाख रुपये पर ठेका दिया (अगस्त 1974) जिसके लिये अनुबन्ध का निष्पादन 3 जून 1976 को हुआ। डिजाइन निदेशालय द्वारा परिषद् को संस्तुति अग्रसारित करते समय (जुलाई 1974) फर्म बी द्वारा लगाये गये कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तें (निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद) परिषद् की जानकारी में विशेष रूप से नहीं लाई गयीं (या निविदा मूल्यांकन करते समय इन पर विचार नहीं किया गया)। कुछ शर्तें निम्न थीं :

(i) मात्रा में, निविदा सूचना के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक के बजाय 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तर का भुगतान बढ़े हुए दरों पर ।

(ii) पतले कंक्रीट कार्य की तकनीकी विशिष्टियों में परिवर्तन और उसका माप बैच सामग्री आधार पर न्यूनतम सीमेन्ट की मात्रा तथा तौल का पालन करने के बजाय परिमाण के आधार पर।

(iii) रिफैक्टरी सामग्री की लागत में मूल्य वृद्धि (एस्कालेशन) ।

(iv) परिषद् द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन आपूर्ति की गई सामग्री की लागत की वसूली उपभोग के आधार पर, स्थापन प्रभारों (इन्स्टालेशन चार्जेज) का भुगतान, जमानत की कटौती अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत, निस्तारित क्षति समाप्त न हुए कार्य के मूल्य के एक प्रतिशत (अन्य अनुबन्धों में 5 प्रतिशत के विरुद्ध) की सीमा तक लगाया जाना इत्यादि।

(v) कार्य के निविदा मूल्य के 3 प्रतिशत की सर्वांगीण वृद्धि ।

फर्म बी को ठेका दिये जाने पर 8.94 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय अनुमानित हुआ था ।

10.03.05. ठेकों का निष्पादन

(क) कन्क्रीट तथा सम्बद्ध बुनियाद

परिषद् द्वारा मई 1973 में में बी आर सी को दिये गये कन्क्रीट तथा सम्बद्ध बुनियाद कार्य के निष्पादन में निम्न बातें जानकारी में आई :

(i) इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रिसिपिटेटर (इ एस पी) क्षेत्र में एक साइट ग्रेडिंग ठेकेदार द्वारा मिट्टी की खुदाई पर समाप्त समतल माप (फिनिस्ड लेवल) 193.77 मीटर था (जुलाई 1975)। बी आर सी को भुगतान हेतु अपनाया गया प्रारम्भिक समतल माप (इनीसियल लेवल) साइट ग्रेडिंग ठेकेदार द्वारा निष्पादित समाप्त समतल माप से ऊंचा (193.82 से 195.08 मीटर) था। इसके परिणामस्वरूप 0.53 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान को निहित करते हुए 1725.52 घन मीटर मिट्टी की खुदाई और इसके निस्तारण के लिये अधिक भुगतान हुआ ।

(ii) अनुबन्ध में यह प्राविधान था कि खुदाई उस गहराई, लम्बाई तथा चौड़ाई तक की जायगी जैसा कि ड्राइंग में दर्शाये गये थे; कार्य की सुविधा या अन्य समान कारणों से ठेकेदार अपनी लागत पर ड्राइंग में दर्शायी गई रेखाओं के बाहर खोद व पाट सकता था और ठेकेदार को निर्दिष्ट सतह से नीचे की खुदाई को वांछित सतह तक कंक्रीट से पाटना आवश्यक था तथा ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होना था। इस शर्त के बावजूद जो स्पष्टरूप से इंगित कर रही थी कि परिषद द्वारा ठेकेदार को कार्य की

सुविधा या अन्य समान कारणों से ड्राइंग में दर्शाई गई रेखाओं के आगे खुदाई के लिये भुगतान करना आवश्यक नहीं था और ठेकेदार के दर में कार्य-स्थल पर इस प्रकार की आवश्यकअधिक खुदाई सम्मिलित थी, खण्ड ने ठेकेदार द्वारा अपने कार्य की सुविधा हेतु की गयी अधिक खुदाई तथा पटाई हेतु 1.72 लाख रुपये का भुगतान अवमुक्त किया ।

(iii) अधिक खोदी गई गहराई को पतले कंक्रीट (1:3:6) से भरना था । ठेकेदार को पतले कंक्रीट भराई हेतु 1.87 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो कि अस्वीकार्य था ।

(iv) अनुबन्ध में प्राविधान था कि नाकान्तरालों के माप हेतु खोदे गये क्ष को समुचित संवर्गों में बांटा जायेगा तथा प्रत्येक संवर्ग के लिए संवर्ग के केन्द्र से स्टाक के ढेर तथा/या उस संवर्ग से सम्बन्धित पाटे हुए क्षेत्र के केन्द्र तक नाकान्तराल के रूप में लिया जायगा। जिसका नक्शे पर लघुतम सीधी रेखा मार्ग द्वारा माप किया जायेगा न ह अपनाये गये वास्तविक मार्ग का। परन्तु, सिविल निर्माण खंड ने ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त वास्तविक मार्ग के आधार पर अधिक नाकान्तराल के लिये भुगतान किया न कि सीधे रेखा प्रणाली से, जिसके परिणामस्वरूप 1.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(v) अनुबन्ध की चट्टान को तोड़ने से सम्बन्धित शर्त में यह प्राविधान था कि "सूखे मौसम तथा सामान्य सूखी खुदाई में साधारण निम्न विस्फोटक बारूद प्रयुक्त किया जा सकता है । आर्द्र चट्टान में उच्च विस्फोटक तथा डिटोनेटर तथा फ्यूज वायर के साथ जिलेटिन का इस्तेमाल किया जा सकता है । संचयन के परिणाम वाले अधिक रिसाव के साथ पानी के अन्दर की खुदाई के लिये विद्युत् डिटोनेटर आवश्यक होगा" । आगे अनुबन्ध की विशेष शर्तों में यह प्रतिबन्ध था कि यह अच्छा होगा कि ठेकेदार विस्फोटक को विद्युत् से प्रज्वलित करें । परन्तु, सिविल निर्माण खण्ड ने जुलाई 1975 में बी आर सी से, कड़ी चट्टानों के उत्स्फोट में साधारण डिटोनेटरों के बजाय विद्युत् डिटोनेटरों को इस्तेमाल करने का अनुरोध किया तथा उत्स्फोट किये हुए क्षेत्र के लिये 1.20 रुपया प्रति घन मीटर अतिरिक्त मद दर स्वीकृत किया यद्यपि ठेकेदार ने इसके लिये मांग नहीं की थी । विद्युत् डिटोनेटर के इस्तेमाल को अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत अतिरिक्त मानने से बी आर सी को 0.42 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

(vi) अनुबन्ध में यह प्राविधान था कि बी आर सी द्वारा दिये गये दर मात्रा में 25 प्रतिशत के अंतर तक स्थिर रहेंगे परन्तु बी आर सी के आग्रह पर परियोजना प्रबन्धक ने यह मान लिया कि बी आर सी को पूर्ण होने की नियत तिथि नामत: फरवरी 1975 से 12 महीने की आगे की अवधि के बाद कार्य करने पर दर को पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा अनुबन्ध में यह समाविष्ट कर लिया गया कि इस प्रकार की आकस्मिकता के घटने पर कार्य का केवल शेष मात्रा क लिए दरों को विचार विनिमय के द्वारा निविदा दर से 15 प्रतिशत ऊपर तक किया जायेगा । अनुबन्ध के निष्पादन के दौरान कार्य की मात्रा, स्वीकृत होने योग्य वैभिन्नता (वैरियेशन) से अधिक हो गई तथा अवधि भी 12 महीने के आगे बढ़ा दी गई (फरवरी 1975 को पूर्ण होने तक की नियत तिथि के विरुद्ध दिसम्बर 1979 तक समय वृद्धि स्वीकृत की गयी) जैसा कि नीचे इंगित है :

विवरण	कार्य का मूल्य	
	चरण II	चरण III
	(रुपये लाखों में)	
कार्य का अनुमानित मूल्य	127.70	85.08
कार्य का निष्पादित मूल्य	238.80	147.91
अनुमानित मूल्य पर विभिन्नता का प्रतित	87.0	73.9

बी आर सी ने निविदा मूल्य से 25 प्रतिशत के आगे किये गये कार्य के लिये इस आधार पर कि कार्य समय के अन्तर्गत (जनवरी 1975) तक बी आर सी को भागीदार न किये जाने वाले कारणों से पूरा नहीं किया जा सका, दरों में 15 प्रतिशत के ऊर्द्धमुखी संशोधन के लिये अनुरोध किया (सितम्बर 1977) बी आर सी को परियोजना प्रबन्धक द्वारा कार्य को जारी रखन की सलाह दी गई (सितम्बर 1977)। परियोजना प्रबन्धक ने एक जांच भी प्रारम्भ की (दिसम्बर 1977) कि कार्य की मात्रा अक्तूबर 1972 में निविदा आमंत्रित करते समय क्यों नहीं ठीक से आंकी जा सकी। न तो परियोजना के परामर्शी और न साइट अभियन्ता वास्तविक निष्पादित मात्रा तथा प्राक्कलन में सम्मिलित मात्रा के बीच अत्यधिक अंतर के कारण को स्पष्ट कर सके तथा मामला परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 1982)। इसी बीच चरण II तथा III के लिये दरों में बढोत्तरी के दावे (लगभग 30 लाख रुपये) की स्वीकृति के लिये बी आर सी द्वारा दबाव डाला जा रहा था तथा परिषद् के अंतिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा थी (मार्च 1982)।

(ख) शीतलन जल प्रणाली

परिचल जल प्रणाली का सिविल कार्य यू पी आर एन एन को, पूर्ण होने की मई 1977 की तिथि के साथ नवम्बर 1975 में दिया गया था। कार्य प्रगति में था (मार्च 1982) तथा तब तक किये गये कार्य के मूल्य की धनराशि 244.56 लाख रुपये होती थी। सम्परीक्षा (मई 1980) में, इस कार्य के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान निम्न प्रकार से जानकारी में आया

(i) ठेकेदार द्वारा मिट्टी की कटाई हेतु अपनाया गया प्रारंभिक समतल माप (इनीसियल लेवल) साइट ग्रेडिंग ठेकेदार के समाप्त समतल माप (फिनिश्ड लेवल) से उच्चतर स्तर पर लिया गया। इसके परिणामस्वरुप 6.42 लाख रुपये का भुगतान निहित करते हुए 75073 घन मीटर की अधिक खुदाई की गणना की गई।

(ii) माप पुस्तिका में श्रृंखला 1038 पूर्व–1058 पूर्व में भूमि का समाप्त समतल माप 187.09 मीटर अभिलेखित किया गया। परन्तु माप पुस्तिका में बाद में इसे 186.09 मीटर अग्रेणित किया गया, परिणामतः मिट्टी के कार्य पर 0.36 लाख रुपये (1683.62 घन मीटर, 21.50 रुपये घन मीटर की दर पर) अधिक भुगतान हुआ।

(iii) इसी प्रकार श्रृंखला 1238 से 1378 की लम्बाई केवल 140 मीटर होती थी जब कि इसे यू पी आर एन एन को 1.34 लाख रुपये (6215.170 घनमीटर, 21.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से) के अधिक भुगतान को निहित करते हुए माप पुस्तिका में 162.825 मीटर अभिलेखित की गयी।

(iv) विशिष्टियों के अनुसार कड़े चट्टान की खुदाई केवल उत्स्फोट (ब्लास्टिंग) से होनी थी जिसके लिये उच्चतर दर स्वीकृत थी। अनुबन्ध में यह भी प्राविधान था कि यदि ठेकेदार द्वारा अपने आप उत्स्फोट नहीं किया जाता तो खुदाई को कड़े चट्टान क्षेत्र में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा तथा लम्बाई में 1 मीटर तक और एक किनारे में 50 सेमी के बोल्डरों को मुलायम चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। यह जानकारी में आया कि यू पी आर एन एन को खण्ड द्वारा कुछ भी जिलेटिन (कड़े चट्टान को तोड़ने के लिये विस्फोटक सामग्री) निर्गमित नहीं किया गया था तथा खोदे गये बोल्डर 1 मीटर से अधिक लम्बे नहीं पाये गये जिससे कि यह इंगित होता था कि ये बोल्डर मुलायम चट्टान के वर्ग में आते थे। परन्तु 11434.025 घन मीटर के कार्य को यू पी आर एन एन द्वारा कड़ी चट्टान में खुदाई का वर्गीकृत किया गया तथा उच्चतर दर पर भुगतान किया गया। 11434.025 घनमीटर की खुदाई को मुलायम चट्टान के बजाय कड़े चट्टान के

रूप में वर्गीकृत किये जाने के फलस्वरूप 0.88 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ (फरवरी 1976 से जुलाई 1979)।

(v) प्रारंभ में अनुबन्ध में 302 रुपये प्रति रनिंग मीटर की दर पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट ह्यूम पाइप (एन पी 2 वर्ग) की आपूर्ति तथा बिछाने का प्राविधान था। परामर्शी द्वारा बाद में इस धारा को समाप्त कर दिया गया (मई 1976) और बाद में यह कार्य 490 रुपये प्रति रनिंग मीटर की दर पर निष्पादित कराया गया; इस प्रकार के अन्य अनुबन्धों में यू पी आर एन एन को स्वीकृत दर 302 रुपया प्रति रनिंग मीटर था। इसके परिणामस्वरूप 438 रनिंग मीटर पाइप बिछाने में 0.82 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(vi) यू पी आर एन एन को नवम्बर 1975 में सौंपे गये तथा अभी भी (मार्च 1982) प्रगति में शीतलन जल नहर के निर्माण में नहर के तह के स्तर तक ढाल में मिट्टी की कटाई तथा नहर क दोनों किनारों के साथ बांध का विकास निहित था। बांध का शिखर स्तर 195 मीटर था तथा मिट्टी की कटाई के पूर्व भूमि का स्तर 191 से 194 मीटर के बीच था। कार्य का निष्पादन करते समय तली की ढाल में कटाई (कटिंग दि वेड इन स्लोप) के बजाय बांध के हिस्से को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र इन्टेक नहर के मामले में 187 मीटर तथा डिस्चार्ज नहर के मामले में 189 मीटर के तल स्तर तक पहले खोंद दिया गया। परिहार्य खुदाई की मात्रा 1,61,713 घन मीटर होती थी जिसके लिये यू पी आर एन एन को 12.94 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बाद में बांध के हिस्से की वांछित समतल माप तक पहले की खुदी हुई मिट्टी से 1,61,713 घनमीटर मिट्टी की मात्रा तक परिहार्य पटाई की गयी जिसके लिये ठेकेदार को भुगतान 34.77 लाख रुपये होता था।

(vii) नहर की तली की खुदाई ड्राइंग में निर्धारित स्तर से और नीचे के स्तर तक की गई। यू पी आर एन एन को ड्राइंग में सीमा से अधिक की अतिरिक्त खुदाई के लिये भुगतान 4.34 लाख रुपये (54276 घनमीटर मिट्टी) हुआ। इस अधिक खुदाई को बाद में 11.67 लाख रुपये की लागत पर आप्टीमम म्वायस्चर कन्टेन्ट (ओ एम सी) मिट्टी की भराई से पुनः पाट दिया गया।

(viii) नहर में 2,49,659 घनमीटर ओ एम सी भराई के लिये यू पी आर एन एन को बाहरी क्षेत्र से लाई गयी मिट्टी के लिये लागू दर पर भुगतान किया गया। उसी अवधि के दौरान खोदी हुई मिट्टी से नहर स्थल पर उपलब्ध सामान्य मिट्टी 1,58,868 घनमीटर थी जिसमें से 1,23,632 घन मीटर सामान्य मिट्टी ठेकेदार द्वारा हटाई गयी जिसके लिये परिषद् द्वारा 8.15 लाख रुपये का भुगतान किया गया। यदि बाहरी क्षेत्र से मिट्टी के बजाय उपलब्ध सामान्य मिट्टी को ओ एम सी मिट्टी भराई में प्रयुक्त किया गया होता तो बाहरी क्षेत्र की मिट्टी की भराई की दर लागू किये जाने के कारण 23.04 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय तथा निस्तारण पर 8.15 लाख रुपये का व्यय बचाया जा सकता था।

(ix) नहर के सेतु हिस्से तक के क्षेत्र में साइटग्रेडिंग ठेकेदार द्वारा साइट ग्रेडिंग ठेके के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई को पूर्ण करने (जुलाई 1975) के उपरान्त नहर के निर्माण में लगे यू पी आर एन एन ने यह अनुरोध किया कि विभिन्न गहराई में खुदाई का भुगतान मूल भू-समतल माप के संदर्भ में किया जाय न कि क्रियान्वित समतल माप के। यू पी आर एन एन का दावा स्वीकार कर लिया गया (फरवरी 1976) तथा विभिन्न खुदाइयों में तदनुसार भुगतान करने के फलस्वरूप यू पी आर एन एन को 1.35 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(ग) स्ट्रक्चरल कार्य

चरण II हेतु स्ट्रक्चरल इस्पात की गढ़ाई (फैब्रिकेशन) तथा स्थापन का कार्य परिषद् के थर्मल डिजाइन डायरेक्टरेट द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टी एस एल) नैनी, इलाहाबाद को 477.08 लाख रुपये (परिषद् का अनुमोदन अभिलेख पर नहीं) पर इस आधार पर दिया गया कि (i) यह एक सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठान था, (ii) यह इस्पात की अधिप्राप्ति को सुगम करेगा क्योंकि प्रतिष्ठान इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था, तथा (iii) परियोजना के लिये नैनी स्थित कार्यशाला में सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता था तथा कार्य की प्रगति का अनुसरण द्रुत होगा। अप्रैल, 1973 में परिषद् द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर टी एस एल कीमत को 11.09 प्रतिशत से घटाने पर सहमत हो गया। निम्न बातें जानकारी में आयीं :

(i) अनुबन्ध की शर्तों में यह प्राविधान था कि टी एस एल आवश्यक मात्रा का 50 प्रतिशत अपने नैनी कार्यशाला तथा 50 प्रतिशत ओबरा कार्यस्थल पर निर्मित करेगा। परन्तु टी एस एल ने नैनी स्थित अपने कार्यशाला में इस्पात की अधिक मात्रा में गढ़ाई की जैसा कि नीचे इंगित है:

विवरण	गढ़ाई (फैब्रिकेशन)	
	नैनी कार्यशाला	स्थल (ओबरा)
	(मीटरी टन में)	
स्ट्रक्चरल	7984.043	4486.841
नट तथा बोल्ट	192.444	79.601
	8176.487	4566.442

चूंकि कार्यस्थल पर गढाई में स्ट्रक्चरल्स की ढुलाई की जरूरत नहीं थी जब कि टी एस एल की कार्यशाला (नैनी) में गढ़ाई पर स्ट्रक्चरल्स की ओबरा स्थल तकपरिषद् के व्यय पर ढुलाई निहित थी, नैनी कार्यशाला में अधिक इस्पात की गढाई (1805 मीटरी टन) के परिणामस्वरूप परिषद् को 1.44 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (80 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से)।

इसी प्रकार टी एस एल के नैनी स्थित कार्यशाला से कटे टुकड़ों (391 मीटरीटन) की ओबरा स्थल तक की ढुलाई परिषद् द्वारा व्यवस्थित की गयी यद्यपि इनकी ढुलाई टी एस एल द्वारा अपनी लागत पर करनी थी। इस मद पर 0.25 लाख रुपये की वसूली की मांग नहीं की गयी थी (मार्च 1982)।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार टी एस एल को विभिन्न गढ़ाई कार्यों के लिये आवश्यक मात्रा से इस्पात आपूर्ति की न्यूनतापूर्ति करनी थी ताकि गढाई तथा स्थापन के निर्धारित समय अप्रभावित रहें, अनुबन्ध में इस्पात आपूर्तिकर्ताओं से प्रेषण परामर्श प्राप्त होने या टी एस एल द्वारा अंतिम समायोजन की शर्त पर इस्पात सुरक्षित रखने की घोषणा करने पर 90 प्रतिशत भुगतान अवमुक्त करनेका प्राविधान था। परन्तु एक मीटिंग में (नवम्बर 1974) टी एस एल ने देशी इस्पात के लिये 1890 रुपये प्रति मीटरी टन के विरुद्ध आयातित इस्पात के संबंध में 2250 मीटरी टन (5359.14 रुपये प्रति मीटरी टन) की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करने का आग्रह किया। इसे परिषद् द्वारा मान लिया गया (नवम्बर 1974) तथा सिविल निर्माण खण्ड ओबरा ने टी एस एल को गढ़ाई कार्य के लिये आयातित इस्पात (पहल बताये गये 2250 मीटरी

टन के विरुद्ध 1472.774 मीटरी टन) हेतु 75.80 लाख रुपये का भुगतान अवमुक्त कर दिया। परन्तु, टी एस एल ने 19.21 लाख रुपये मूल्य के 358.53 मीटरी टन की आपूर्ति की। शेष मात्रा परिषद् द्वारा व्यवस्थित की गयी तथा टी एस एल द्वारा आंतरिक श्रोतों से न्यूनतापूर्ति की गई। देशी के बजाय आयातित इस्पात का उपयोग करने के परिषद् के निर्णय के फलस्वरूप टी एस एल द्वारा वास्तव में उपयोग में लाये गये 358.536 मीटरी टन आयातित इस्पात पर 12.43 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (आयातित इस्पात के लिये भुगतान किये गय 5359.14 रुपये प्रति मीटरी टन तथा 1890 रुपये प्रति मीटरी टन जिस पर निर्गमित देशी इस्पात की वसूली की गई थी के अन्तर का प्रतिनिधित्व करते हुए 3469.14 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर)। परिषद् द्वारा किया गया शेष अग्रिम भुगतान (56.58 लाख रुपये) टी एस एल के अन्य दावों के विरुद्ध समायोजित किया गया (लगभग पांच वर्ष बाद)। टी एस एल द्वारा 5 वर्षों तक (अप्रैल 1975 से अप्रैल 1980) रोके गये अग्रिम पर ब्याज की हानि 27.35 लाख रुपये हुई।

परख-जांच ने प्रकट किया कि टी एस एल द्वारा वास्तव में उपयोग में लाये गये 32 मि मी मोटी चद्दर (प्लेट) का उपभोग टी एस एल द्वारा इस कार्य हेतु कथित आयातित मात्रा (107.391 मीटरी टन) से निम्न विवरण के अनुसार कम था:

	मात्रा (मीटरी टन)
उपयोग में लाई गयी 32 मि मी चद्दरों की कुल मात्रा	228.43
पहले से आंतरिक श्रोतों से व्यवस्थित की गयी 32 मि मी चद्दरों की मात्रा	155.035
शेष मात्रा जो आयातित इस्पात से वास्तव में पूरी की गई	73.395
भुगतान किये गये आयातित इस्पात की मात्रा	107.391
आयातित इस्पात की अधिक मात्रा जिसका भुगतान किया गया	33.996

यह 1.18 लाख रुपये के अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ।

(घ) उच्च एवं निम्न दबाव पाइप

(i) 5×200 मेगावाट सेटों के लिये उच्च दबाव पाइपिंग के स्थापन, परीक्षण तथा चालू किये जाने से संबंधित कार्य अगस्त 1975 में 89.84 लाख रुपये के एक मुश्त मूल्य पर पुणे की एक फर्म को दिया गया।

अनुबन्ध की सीमा में अन्य बातों के अलावा (क) समस्त प्रेसर पाइपिंग तथा अनुसंगी सेवाओं का पूर्ण रूप से स्थापन, परीक्षण तथा चालू किया जाना, (ख) जल परीक्षण (हाइड्रो टेस्ट), अम्लमार्जन (पिकलिंग), जलधावन (फ्लशिंग) तथा सफाई (क्लीनिंग) हेतु अस्थाई पाइपिंग की आपूर्ति तथा स्थापन, (ग) कार्य की कई ऐसी मदें जिनके लिए अनुबन्ध में विशेष रूप से उल्लेख नहीं था परन्तु उच्च दबाव पाइपिंग तथा अनुषंगी उपकरणों के पूर्ण स्थापनहेतु आवश्यक थीं, सम्मिलित थीं। तद्नुसार, इस प्रणाली के जल परीक्षण तथा जलधावन हेतु अस्थायी पाइप लाइन तथा अतिरिक्त पाइप लाइन के बिछाने से सम्बन्धित कार्य अनुबन्ध की सीमा में आता था जिसके लिये फर्म को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना था। सम्परीक्षा (जनवरी 1980) में जांच परीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया कि प्रणाली के चालू किये जाने के पूर्व फर्म को 0.72 लाख रुपये की राशि का भुगतान इसके जल परीक्षण तथा जल धावन हतु अस्थायी (0.56 लाख रुपये) तथा अतिरिक्त पाइप लाइन (0.16 लाख रुपये) बिछाने के लिये किया गया (फरवरी 1977 से नवम्बर 1979) जो अस्वीकार्य था।

(ii) साइट अभियंता ने अनुबंध मूल्य के अतिरिक्त 0.50 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान फर्म को, अन्य स्ट्रक्चरों के साथ त्रुटिपूर्ण रूप से स्थापित पाईपिंग को काटने तथा पुनः स्थापन के लिये किया। यद्यपि फर्म द्वारा लाइन का स्थापन परामर्शी के निरीक्षण में तथा सलाह पर किया गया था परिषद् द्वारा उस अतिरिक्त भुगतान के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया।

(ङ) अतिरिक्त मद दर (एक्स्ट्रा आइटम रेट)

(i) यू पी आर एन एन द्वारा 1200 मिमी व्यास के प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट पाइप की आपूर्ति तथा बिछाने की दर अप्रैल 1976 में 1436 रुपये प्रति रनिंग मीटर (आर एम) निश्चित की गयी थी। इस दर को (क) राजकीय प्रतिष्ठानों के लिये लागू पांच प्रतिशत की दर के स्थान पर 8 प्रतिशत के विक्रय कर के तत्व को सम्मिलित करने, (ख) 10 प्रतिशत की मार्ग हानि को सम्मिलित करने जो कि अस्वीकार्य थीं तथा (ग) एक प्रतिशत की दर पर जल प्रभार को सम्मिलित करने जो कि अस्वीकार्य था क्योंकि जल की आपूर्ति परिषद् द्वारा मुफ्त होती थी, के द्वारा फरवरी 1977 के प्रभाव से मार्च 1978 में 1684.80 रुपये प्रति रनिंग मीटर तक संशोधित कर दिया गया। 1200 मिमी व्यास के पाइप की निष्पादित मात्रा (242.50 रनिंग मीटर) पर यू पी आर एन एन को अतिरिक्त भुगतान 0.60 लाख रुपये हुआ।

इसी प्रकार का ऊर्ध्व पुनरीक्षण बी आर सी को भी मई 1977 में 1200 मिमी, 900 मिमी तथा 600 मि मी व्यास के पाइपों के संबंध में स्वीकृत किया गया। बी आर सी को अतिरिक्त भुगतान की राशि 2.79 लाख रुपये होती थी।

(ii) परियोजना में सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु नींव में 1:15 के अनुपात में गारा मिलाने तथा डालने हेतु खंडीय अभियन्ता द्वारा संस्तुत तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 1976) 55.30 रुपये प्रति घन मीटर की अतिरिक्त मद दर के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता ने बी आर सी के आग्रह पर मद दर को बढ़ाकर 79.20 रुपये प्रति घन मीटर पुनरीक्षित कर दिया (अक्टूबर 1977)। सम्परीक्षा में वास्तविक रूप से स्वीकृत दर की जांच (मई 1980) ने प्रकट किया कि (क) सीमेन्ट का अवयव प्रति घन मीटर के लिये 6.5 बोरे के बजाय 7.3 बोरे निर्धारित किया गया, (ख) श्रम का अवयव उसी स्थल पर उसी अवधि के दौरान किये जा रहे समान कार्य के लिये यू पी आर एन एन को दियेगये 11 रुपये के बजाय प्रति 100 घन फीट के लिये 31.50 रुपया लिया गया तथा (ग) ठेकेदार का 15 प्रतिशत लाभ परिषद् द्वारा निर्गमित सीमेन्ट के अवयव पर भी जोड़ दिया गया। इन अतिरिक्त मदों को निकाल दिये जाने पर लागत प्रति घन मीटर 68.30 रुपये होती थी। बी आर सी ने 5553.08 घन मीटर कार्य किया और 0.61 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अतिरिक्त भुगतान हो गया था ओबरा तापीय विद्युत् निर्माण खण्ड ने बताया (मई 1980) कि ठेकेदार से इस धन की वसूली प्रस्तावित थी परन्तु वसूली अभी भी प्रतीक्षित थी (मार्च 1982)।

(iii) ओबरा तापीय विद्युत् परियोजना में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन के संबंध में अनुबन्धों में दिये गये कार्य से सम्बन्धित अतिरिक्त मदों की दर को कार्य के उसी प्रकार के मद हेतु निविदा दर, जहां इस प्रकार की दर उपलब्ध थी, से निकालना था अन्यथा कुटेशन या वास्तविक लागत जमा 20 प्रतिशत जो भी कम हो के आधार पर लागत की संयुक्त गणना करनी थी। 1:4 के मिश्रित अनुपात (या इस प्रकार के मद) में बिना गढ़े हुए पत्थरों की यादृच्छिक चिनाई (रैन्डम रबुल मेसनरी) के लिये भुगतान अनुबन्ध संविद पत्र द्वारा वांछित निष्पादन की वास्तविक लागत का विचार किये बिना उन्हीं या विभिन्न ठेकेदारों के साथ अन्य चालू अनुबन्धों के लिये लागू दरों पर किया गया। परिणामतः तीन अनुबन्धों के मामले में 1.84 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(च) सड़क, परनाले तथा स्थल का विकास

(i) गैमन दरवाजे से 33 मेगावोल्ट सब-स्टेशन, झरियानाला तक मुख्य विद्युत गृह मार्ग के विकास हेतु सिविल निर्माण खण्ड द्वारा ओबरा की एक फर्म "सी" को 4,.68 लाख रुपये का एक ठेका दिया गया तथा कार्य को नवम्बर 1978 (बाद में मार्च 1979 तक समय वृद्धि की गई) तक पूर्ण होना आवश्यक था। अनुबन्ध में 17.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 50 मि मी मोटी तह की गिट्टियों की गीले प्रक्रिया (फुल-ग्राउट) की सड़क सतह पूर्णरूप से विशिष्टियों के अनुसार प्रदान करने तथा बिछाने का प्राविधान था। फर्म "सी" ने निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया और जून 1979 तक समय बढ़ाने के लिये निवेदन किया (मार्च 1979)। खण्ड ने ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। 50 मिमी मोटी तह की गिट्टी बिछाने के शेष कार्य को मई 1979 में ओबरा की अन्य फर्म "डी" को ऊंचे दर (19.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर) पर दे दिया गया। निष्पादित मात्रा के आधार पर पहले ठेकेदार के सीमा से कार्य का प्रत्याहरण करने तथा इसे ऊंचे दर पर फर्म "डी" को देने के फलस्वरूप 0.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा कार्य जुलाई 1979 में पूरा हुआ। बचे हुए कार्य को पूरा करने में अतिरिक्त व्यय की उगाही हेतु फर्म "सी" के साथ किये गये अनुबन्ध के प्राविधान को खण्ड द्वारा लागू नहीं किया गया (जून 1982)।

(ii) ओबरा परियोजना निर्माण खण्ड द्वारा मार्च 1978 में खैरानाला बाजार से ओबरा डैम रेलवे स्टेशन तक की सड़क को चौड़ी करने तथा पूर्व मिश्रित कारपेटिंग करने के लिये निविदाएं आमंत्रित की गयीं। एक स्थानीय ठेकेदार का न्यूनतम प्रस्ताव (1.97 लाख रुपये) खण्ड द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि ठेकेदार के पास एक रोड रोलर नहीं था यद्यपि निविदादाता ने खण्ड द्वारा प्रदान किये जाने की दशा में रोड रोलर का किराया प्रभार अदा करने का प्रस्ताव किया था। कार्य द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को 2.38 लाख रुपये पर इस आधार पर दिया गया कि फर्म के पास रोड रोलर था। सफल निविदादाता द्वारा सम्पादित कार्य की अवधि के दौरान (जून से दिसम्बर 1978) खण्ड ने एक रोड रोलर (8 मीटरी टन क्षमता का) अच्छी दशा में बिना प्रयोग के रखा था। यदि न्यूनतम निविदादाता का खण्ड में बेकार पड़े रोड रोलर को किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव मान लिया गया होता तो परिषद् खण्ड में बेकार पड़े रोड रोलर के किराया प्रभार अर्जित करने के अतिरिक्त निष्पादित मात्रा के आधार पर 0.46 लाख रुपये बचा सका होता।

(छ) निष्फल व्यय

रेल विभाग से अंतिम ड्राइंग प्राप्त किये बिना ओबरा थर्मल सिविल स्टोर्स प्रक्योरमेन्ट खण्ड द्वारा जनवरी 1976 में ओबरा छोर से वैगन टिपुलर तक रेलवे पटरी बिछाने हेतु स्थल के समतल करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। रेल विभाग द्वारा अप्रैल 1976 में प्रदान की गयी अंतिम ड्राइंग ने खण्ड द्वारा निष्पादन के अन्तर्गत समतल माप से निम्नतर निर्माण तल (फारमेशन लेवल) इंगित किया। निम्नतर श्रेणी समतल माप को कायम रखने के लिये जनवरी से मार्च 1976 तक की अवधि के दौरान पहले की गयी (लागत 2.11 लाख रुपये) मिट्टी की पटाई (17569 घन मीटर) को मई से जून 1976 की अवधि के दौराना पुनः खोदना तथा फेंकना पड़ा (लागत : 1.67 लाख रुपये)। इस प्रकार 3.78 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(ज) राख प्रबंध प्रणाली (ऐश हैन्डलिंग सिस्टम)

(i) परिषद् द्वारा, ओबरा तापीय विद्युत गृह-चरण II के लिये राख हैन्डलिंग संयंत्र की आपूर्ति तथा स्थापन के लिये नवम्बर 1974 में बम्बई की एक फर्म को ठेका दिया गया (314.05 लाख रुपये से संशोधित होकर, 315 लाख रुपये)। अनुबन्ध में प्राविधान था कि कीमतों में उत्पादन शुल्क सम्मिलित था। परन्तु अप्रैल 1978 से मार्च 1979 के दौरान की आपूर्तियों

के लिये फर्म को 0.41 लाख रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में भुगतान किया गया जो अस्वीकार्य था। अस्वीकार्य धनराशि की वसूली नहीं की गयी थी (मार्च 1982)।

(ii) अनुबन्ध में उपकरणों की आपूर्ति (स्थल पर) स्थल पर उतराई, भण्डारण, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किये जाने के लिये एकमुश्त कीमत का प्राविधान था परन्तु फर्म को, इसके द्वारा जून से अगस्त 1977 के दौरान आपूर्ति किये गये सामग्री की चढ़ाई तथा उतराई के लिये 2.21 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इस अनुचित भुगतान (2.21 लाख रुपये) की वसूली फर्म से नहीं की गई थी (मार्च 1982)।

(झ) अंतर-संचार प्रणाली

ओबरा तापीय विद्युत गृह-चरण II तथा III के लिये परामर्शी के साथ अनुबन्ध (नवम्बर 1973) में (क) अंतर-संचार प्रणाली से सम्बन्धित मूल तथा विस्तृत डिजाइन तथा अभियंत्रण प्रस्तुत करना, (ख) निविदा दस्तावेजों का तैयार करना तथा, (ग) विद्युत उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा स्थापन हेतु प्रारूप विशिष्टियों को तैयार करना निहित था। तदनुसार अंतर-संचार प्रणाली से सम्बन्धित मूल तथा विस्तृत डिजाइन तथा अभियंत्रण प्रस्तुत करने तथा उससे संबंधित निविदा दस्तावेजों की सूक्ष्म परीक्षा करने का कार्य परामर्शी के साथ 322 लाख रुपये (कंडिका 10.03.03.) के लिये हुए मुख्य अनुबंध के क्षेत्र में आता था। इसलिये इसे अतिरिक्त भुगतान वांछित करते हुए क्षेत्र के बाहर का मद नहीं माना जा सकता था। परन्तु परिषद् के थर्मल डिजाइन डाइरेक्टरेट ने (क) 3×100 मेगावाट तथा 5×50 मेगावाट सेटों की सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (पब्लिक एड्रैस सिस्टम) तथा 5×200 मेगावाट इकाइयों से इसका अंतर-संचार के अध्ययन, (ख) प्रणाली के लिये मूल ड्राइंगों के खाके तैयार करने तथा (ग) अंतर-संचार प्रणाली के लिये निविदा दस्तावेजोंके तैयार करने तथा निविदा की संस्तुति करने के मदों को अतिरिक्त मद माना (जनवरी 1976) जिसके लिये 0.62 लाख रुपये का भुगतान किया गया (जून से सितम्बर 1975)।

10.06. निष्कर्ष

(i) ओबरा तापीय विद्युत विस्तार परियोजना चरण II तथा III (5×200 मेगावाट) की लागत जून 1972 में 1431 लाख रुपये आंकी गयी थी और अक्तूबर 1976 में 4304 लाख रुपये तक पुनरीक्षित कर दी गयी जिसमें से 3289 लाख रुपये की अनुमानित लागत के कार्य प्रारंभ किये गए और वास्तविक व्यय 4127 लाख रुपये था (मार्च 1981)। अनुमानित लागत से वास्तविक लागत में वृद्धि का अनुमोदन परिषद द्वारा नहीं किया गया था।

(ii) परिषद् द्वारा बड़े सिविल निर्माण कार्य के लिये दिये गये ठेके (अक्टूबर 1974 से नवम्बर 1975) फरवरी 1975 तथा नवम्बर 1977 के बीच पूर्ण होने के लिये नियत, वास्तव में देर से पूर्ण हुए तथा विलम्ब एक से पांच वर्ष के बीच रहा। इससे इकाइयों के चालू किये जाने में विलम्ब हुआ तथा मजदूरी (76.10 लाख रुपये) तथा सामग्री की लागत (60.86 लाख रुपये) में मूल्य वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई।

(iii) दो ठेकेदारों से कार्य का कुछ भाग शीघ्र पूर्ण होने के लिये वापस ले लिया गया तथा अन्य ठेकेदार को 32.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान अंतर्ग्रस्त करते हुए उच्च दरों पर दिया गया। दूसरे ठेकेदार द्वारा कार्य समय के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सका।

(iv) कन्क्रीट तथा संबद्ध बुनियाद कार्य में एक ठेकेदार को (क) मिट्टी की अधिक खुदाई (2.25 लाख रुपये) तथा उसकी पतले कंक्रीट से पटाई (1.87 लाख रुपये) तथा (ख) अधिक नाकान्तराल भुगतान (1.67 लाख रुपये) के लिए अधिक भुगतान किया गया। ठेकेदार को 30 लाख रुपये का भुगतान अन्तर्ग्रस्त करते हुए दरों की अस्वीकार्य वृद्धि का एक दावा परिषद् के विचाराधीन था।

(v) शीतलन जल प्रणाली में कार्य निष्पादित कर रहे एक ठेकेदार को (क) मिट्टी के कार्य के लिये गलत प्रारंभिक समतल माप अपनाये जाने (6.42 लाख रुपये), (ख) माप पुस्तिका में समतल माप का त्रुटिपूर्ण अभिलेखन (1.70 लाख रुपये), (ग) कड़ी चट्टान के उत्स्फोट (0.88 लाख रुपये) तथा (घ) मिट्टी के कार्य में अधिक खुदाई (39.11 लाख रुपये) तथा अधिक खुदाई के क्षेत्र की पटाई (19.82 लाख रुपये) के लिये अधिक भुगतान किया गया।

(vi) स्ट्रक्चरल निर्माण कार्य निष्पादित कर रही एक कम्पनी के कार्यशाला में इस्पात की अधिक मात्रा में गढ़ाई से सामग्रियों की ढुलाई पर 1.69 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। परिषद् ने कम्पनी को मान्य से अधिक वित्त प्रदान करने पर ब्याज (27.35 लाख रुपये) तथा आयातित इस्पात के उपयोग पर (12.43 लाख रुपये) हानि उठायी।

(vii) उच्च तथा निम्न दबाव के पाइपों के बिछाने के लिये एक ठेकेदार को (क) अस्थायी तथा जल परीक्षण पाइप लाइनों (0.72 लाख रुपये), (ख) ऊंचे दर पर पाइपों के कार्य निष्पादित करने (3.39 लाख रुपये) तथा (ग) ऊंचे दर पर गारा मिश्रित करने तथा डालने (0.61 लाख रुपये) तथा बिना गढ़े पत्थरों की यादृच्छिक चिनाई (1.84 लाख रुपये) के लिये अधिक भुगतान किया गया।

(viii) स्थल विकास तथा सड़क निर्माण हेतु ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया (0.66 लाख रुपये)।

(ix) रेल पटरी बिछाने हेतु स्थल को समतल करने के लिये अधिक पाटी हुई मिट्टी की पुनः खुदाई के कारण एक ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया (3.78 लाख रुपये)।

(x) राख प्रबन्ध कार्य निष्पादित कर रहे एक ठेकेदार को उत्पादन शुल्क (0.41 लाख रुपये), चढ़ाई एवं उतराई व्यय (2.21 लाख रुपये) का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

मामले को परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1982)।

अनुभाग XI

राजस्व की हानि

11.01. विद्युत कटौती

उत्तर प्रदेश विद्युत (सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 1979 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत की कमी के कारण 1979–80 और 1980–81 के दौरान विद्युत कटौती लगायी । आदेश में भारी, मध्यम और अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों के सम्बन्ध में अगस्त से जुलाई तक के पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी माह में अंकित अधिकतम मांग या अनुबन्धित मांग, जो भी कम हो, पर 33.33 से 66.66 प्रतिशत की सीमा में विद्युत कटौती का प्राविधान था । अनुज्ञेय मांग के ऊपर कोई भी अधिकता, प्रथम, द्वितीय और उसके बाद की गलतियों के लिए विद्युत संयोजन हटाने के अलावा क्रमश: 100/200/300 रुपये प्रति के वी ए के दण्ड शुल्क के लिए उत्तरदायी थी ।

सम्परीक्षा के परख जांच (अगस्त 1980 से फरवरी 1982 तक) में प्रकट हुआ कि 25 उपभोक्ताओं (12 खण्ड) ने अक्टूबर 1979 से जनवरी 1981 की अवधि के दौरान अपने आपको कुल 38.63 लाख रुपये के दण्ड शुल्क के लिए उत्तरदायी बना लिया था जो लगाया नहीं गया; न लगाने के कारण भी अभिलेखों पर नहीं थे ।

मामला परिषद् / सरकार को जून / सितम्बर 1981 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

11.02. कम बिलिंग

चुर्क (मिर्जापुर) के एक भारी शक्ति उपभोक्ता के परिसर पर ट्रान्सफार्मर लगाने और परीक्षण करने पर (अक्टूबर 1972) गुणांक 2.2 पाया गया । अक्टूबर 1972 से दिसम्बर 1975 की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल 2 गुणांक पर जारी किये गए । जनवरी 1976 में पुन: परीक्षण किया गया और गुणांक 2.2 ही सुनिश्चित हुआ । तद्नुसार जनवरी 1976 से विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, मिर्जापुर ने संशोधित गुणांक के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किये । उपभोक्ता ने इसका विरोध किया और एक संयुक्त परीक्षण किया गया (मार्च 1976) जिससे भी 2.2 का गुणांक ही सुनिश्चित हुआ ।

पहले कम आंकी गई यूनिटों के अक्टूबर 1972 से दिसम्बर 1975 तक की अवधि के बिल भी खण्ड द्वारा 176.44 लाख रुपये की मांग के लिए अगस्त 1976 में संशोधित किए गए जिसमें से उपभोक्ता द्वारा 155.46 लाख रुपये का भुगतान किया गया । इसी प्रकार 2.2 गुणांक के आधार पर जनवरी से मार्च 1976 तक की अवधि के लिए बिलों का उपभोक्ता द्वारा बिना कोई कारण बताये 1.71 लाख रुपये कम भुगतान किया गया यद्यपि अप्रैल 1976 के बाद से बिलों का पूर्ण भुगतान प्रतिवाद के साथ किया गया । 22.69 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और उपभोक्ता के कहने पर मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए प्रेषित किया गया (जनवरी 1981) । अग्रिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (फरवरी 1982) ।

मामला परिषद् / सरकार को जून / सितम्बर 1981 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

11.03. कम/अनिर्धारण

(क) लघु और मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग को नियमित करने के लिए परिषद् ने उपभोक्ताओं को उनके अनुबन्धित भार से अधिक अनाधिकृत भार को स्वच्छापूर्वक घोषित करने का एक विकल्प प्रदान किया (अगस्त 1979)। तद्नुसार खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, मुरादाबाद क कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत 445 उपभोक्ताओं ने दिसम्बर 1979 और जनवरी 1980 में अनाधिकृत संयोजित भार की अपनी स्वेच्छा से घोषणाएं प्रस्तुत कीं और खण्ड अधिकारी न प्रति संयोजन 25 एच पी तक अनाधिकृत भार को नियमित कर दिया और उपभोक्ताओं से प्राप्त नए बी एल फार्मों (संयोजित भार दर्शाते हुए) क आधार पर संयोजित भार के सत्यापन के बाद 337 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अधिक भार की स्वीकृति दी (जनवरी 1980) और इसके बाद नये अनुबन्ध प्रतिपादित किये। तत्पश्चात् (जून से अगस्त 1980 तक) इस प्रकार नियमित किया गया अनाधिकृत भार खण्ड अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अन्य उपभोक्ता अपन नए भारों के लिए पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तथापि, 137 उपभोक्ताओं, जिन्होंन अपने घोषित अनाधिकृत भार को रोके रखने हेतु न्यायिक दावे प्रस्तुत किए थे और स्थगन आदेश प्राप्त किये थे, को बढ़े हुए भारों के आधार पर परिषद् द्वारा बिल भेज गए। कुल 1010 एच पी अनाधिकृत भार प्रयोग करने वाले शेष उपभोक्ताओं को उनक मूल अनुबन्धित भार पर ही बिल भेजे गए परिणामस्वरूप फरवरी 1980 से मई 1981 तक की अवधि के लिए 22.50 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह की दर से न्यूनतम प्रभार के रूप में 3.64 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ। उनके अनाधिकृत भार निरस्त हो जाने के कारण यह अब वसूल नहीं हो सकता था। खण्ड अधिकारी न बताया (जून 1981) कि अतिरिक्त भार को हटाने के लिए असंयोजन नोटिसें जारी की गई थीं यद्यपि कानून व व्यवस्था की समस्याओं से बचने हेतु छापे मारना बन्द कर दिया गया था। यह और बताया गया कि मामला परिषद् के विधि सेल को सन्दर्भित किया गया था और निर्णय प्राप्त होने पर उपभोक्ताओं को बढ़े हुए भार के लिए बिल भेजे जायेंगे।

मामला परिषद् / सरकार को सितम्बर / नवम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थ (जून 1982)।

(ख) लखनऊ इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग में सभी बिजली व पंखा उपभोक्ताओं और 100 एच पी तक के शक्ति उपभोक्ताओं के बिल अक्टबर 1979 से संगणक प्रणाली से बनने प्रारम्भ हुए। संगणक पोषण कार्यक्रम क अनुसार मीटर दोषयुक्त घोषित / प्रस्तावित हो जाने की दशा में कोई अग्रिम सूचना आने तक न्यूनतम दर पर बिल जारी किये जाने थे।

अभिलेखों की परख जांच (अगस्त 1980) से यह जानकारी में आया कि नवम्बर 1977 से मार्च 1980 की अवधि के दौरान 13 क्षेत्रों में से 8 क्षेत्रों के 880 उपभोक्ताओं के मीटर दोषयुक्त किये गए यद्यपि मीटर कार्डों के अनुसार मीटर कार्य करने की दशा में थे और नियमित मासिक रीडिंग अभिलेखित किये जा रहे थे। दोषयुक्त मीटरों को प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव के अभाव में संगणक ने वास्तविक शक्ति प्रभार के स्थान पर केवल न्यूनतम प्रभार पर बिल करना जारी रखा (जुलाई 1980 तक) इसके परिणामस्वरूप 3.61 लाख रुपये की कम वसूली हुई। इनमें से एक क्षेत्र के 69 उपभोक्ताओं को 0.30 लाख रुपये के बिल जुलाई 1980 में जारी किये गए और 0.10 लाख रुपये की राशि अब भी वसूल होनी थी (जून 1982)। शेष 811 उपभोक्ताओं (3.31 लाख रुपये) के बिल जारी नहीं हुए थे।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 1980) इकाई ने बताया (सितम्बर 1982) कि संगणक म प्रोग्रामिंग की गलती के कारण वास्तविक उपभोग के बिल जारी नहीं किय जा सके और 3.61 लाख रुपये की धनराशि का निर्धारण और वसूली की जा चुकी थी।

मामला परिषद् / सरकार को नवम्बर 1981 में सूचित किया गया : उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

(ग) अगस्त और सितम्बर 1979 में उपखण्डीय अधिकारियों के एक दल द्वारा किये गए निजी नलकूपों / पम्प सेटों के कार्य स्थलों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी के 47 उपभोक्ता विद्युत को औद्योगिक उद्देश्यों जैसे आटा मिल, कालीन सफाई इत्यादि के लिए भी प्रयोग कर रहे थे यद्यपि उनको केवल कृषि उद्देश्यों के लिए ही भार स्वीकृत किया गया था । परिषद् के विद्यमान आदेशों (14 अक्टूबर 1976) के अन्तर्गत ऐसे उपभोक्ताओं की आपूर्ति असंयोजित कर दी जानी चाहिए थी और उपभोग उच्चतर दर-सूची (एल एम वी–6) पर बिल होना चाहिए था । तथापि खण्ड ने कवल कृषि उपभोक्ताओं पर लागू निम्नतर दर-सूची (एल एम वी– 5) के आधार पर उपभोक्ताओं को बिल भेजना जारी रखा । इसके परिणामस्वरूप अगस्त 1979 से दिसम्बर 1980 क दौरान 0.51 लाख रुपये की कम वसूली हुई ।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्डीय अधिकारी द्वारा बताया गया (फरवरी 1981) कि नये अनुबन्धों को अन्तिम रूप देने हेतु कदम उठाये जा रहे थे और निर्धारण शीघ्र ही किये जायेंग ।

मामला परिषद् / सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

(घ) यदि उपभोक्ता को आपूर्ति 400 वोल्ट पर दी जाती है तो बिल क साढ़े सात प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाना होता है ।

विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा में जुलाई 1979 से अक्टूबर 1980 तक 6 उपभोक्ताओं पर साढ़े सात प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार (0.53 लाख रुपये) नहीं लगाया गया ।

सम्परीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1980) खण्ड न बताया (फरवरी 1982) कि पांच उपभोक्ताओं से 0.29 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी ।

मामला परिषद् / सरकार को फरवरी / सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थ (जून 1982) ।

(ङ) फरवरी 1979 से नवम्बर 1980 तक खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव ने 100 एच पी तक के संयोजित भार वाले 12 औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार स्वीकृत किया । बढ़े हुए भार के लिए अनुबन्ध भी प्रतिपादित किये गए । सम्परीक्षा के परख जांच (जनवरी 1981) में प्रकट हुआ कि अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं के खातों में अंकित नहीं किया गया और बिल पूर्व स्वीकृत भार के आधार पर ही जारी होते रहे ।

इन मामलों में कम जारी किये गए बिलों की धनराशि 0.45 लाख रुपये निकली (जनवरी 1981 तक न्यूनतम प्रभार) ।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (जनवरी 1981) कि निर्धारण इन मामलों की छानबीन के पश्चात् किया जायेगा ।

मामला परिषद् / सरकार को नवम्बर 1981 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

11.04. अनियमित आपूर्ति

डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप (डी एल डब्लू), वाराणसी को सितम्बर 1965 से दो पृथक पृथक 11 के वी फीडर्स से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके पास 4000 के वी ए का औद्योगिक उद्देश्य के लिए और 705 क वी ए क आवासीय उद्देश्यों के लिये संयोजित भार है। 1965 में डी एल डब्लू ने अपने परिसर म एक औद्योगिक गैस उत्पादन फैक्ट्री की स्थापना के लिए कलकत्ता की एक फर्म को पानी और विद्युत की सुविधाओं के साथ भूमि आवंटित की। परिषद् के अनुमोदन के बिना डी एल डब्लू द्वारा फर्म को विद्युत् आपूर्ति का प्रबन्ध किया गया।बाद में डी एल डब्लू और कलकत्ता की फर्म के बीच गैस की आपूर्ति के विषय पर विवाद उठा और परिणामस्वरूप डी एल डब्लू ने कलकत्ता की फर्म को विद्युत आपूर्ति करना बन्द कर दिया (जुलाई 1978)। 23 अगस्त 1978 को कलकत्ता की फर्म ने विद्युत आपूर्ति (200 के डब्लू) के लिय परिषद् से प्रार्थना की जो दिसम्बर 1978 में स्वीकृत की गई और 17 फरवरी 1979 को प्रदान की गई।

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मन्डुआडीह, वाराणसी की परख सम्परीक्षा (जून 1980) में निम्नलिखित अनियमिततायें जानकारी में आयीं :

(क) डी एल डब्लू परिषद् का एक थोक उपभोक्ता, अप्रैल 1965 से जुलाई 1978 के दौरान, अपनी स्वयं की आपूर्ति में से फर्म को विद्युत बेच रहा था। फरवरी1979से जनवरी 1980 तक के उपभोग के आधार पर फर्म द्वारा शक्ति का औसत उपभोग 61,000 यूनिट निकला। इस आधार पर फर्म को रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति के कारण परिषद् को 9.51 लाख रुपये की हानि हुई क्योंकि फर्म का उपभोग ऐसी दर-सूची के अन्तर्गत बिल किया जाना था जो डी एल डब्लू से चार्ज की गई दर से उच्चतर थी (प्रति यूनिट 10 पैसे से)। खण्डीय अधिकारी ने बताया (जुलाई 1980) कि स्थानीय मीटर रीडिंग के दौरान न्याय विरुद्ध आपूर्ति नहीं पकड़ी जा सकी।

(ख) फरवरी1979 में संयोजन दिये जाने के बाद उद्योग को नया मान कर फर्म को नवम्बर 1980 तक 0.58 लाख रुपये की विकास छूट प्रदान की गई जो फर्म को देय नहीं थी क्योंकि यह उसी स्थल पर 13 वर्ष पुराना उद्योग था। सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्डीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 1982) कि प्रदत्त छूट फरवरी 1980 से वापिस ले ली गई थी और 0.58 लाख रुपया अक्टूबर 1981 में वसूल कर लिया गया था।

(ग) यदि एक वृहत और भारी विद्युत उपभोक्ता को फैक्टरी के लिये आपूर्ति की गई विद्युत् घरेलू उपभोग के लिये भी उपयोग की जाती है तो ऐसा उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्चतर दर पर प्रभारित करना पड़ता है। फर्म के पास 17 फरवरी 1979 से 200 के डब्लू (190 के डब्लू फैक्टरी के लिये और 10 के डब्लू आवासीय कालोनी के लिए) का अनुबन्धित भार था लेकिन उसे मिश्रित भार के लिए उच्चतर दरों पर बिल नहीं किया गया यद्यपि आवासीय कालोनी में उपभोग नापने के लिये कोई प्रथक प्रबन्ध नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फरवरी1979 से अगस्त 1980 की अवधि के दौरान (सितम्बर 1980 में प्रथक मीटर लगाया गया) 2.64 लाख रुपये कम प्रभारित हुए।

(घ) डी एल डब्लू के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार विद्युत की आपूर्ति 11 के वी पर की गई। डी एल डब्लू को जून 1979 से जून 1980 तक भारी शक्ति (एच वी--2 बी) के अन्तर्गत बिल किया गया और मांग तथा विद्युत प्रभार की धनराशि पर क्रमशः पांच और साढ़े सात प्रतिशत छूट प्रदान की गई। इस प्रकार दी गई छूट (1.61 लाख रुपये) अनुमन्य नहीं थी क्योंकि यह 11केवी से ऊपर ऐसी वोल्टेज पर ली गई आपूर्तिपर अनुमन्य थी। सम्परीक्षा (जून 1980) में यह इंगित किय जाने पर 8 जुलाई 1980 को

1.61 लाख रुपये का एक पूरक बिल निर्गत किया गया जो उपभोक्ता द्वारा 30 जुलाई 1980 को भुगतान किया गया ।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

11.05. अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

(क) लाइसैन्सदारों, भारी और वृहत शक्ति और मिश्रित भार (100 के डब्लू के ऊपर) उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार, जिनके मासिक बिल का भुगतान उसमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है, बिल की न भुगतान की गई धनराशि पर सात पैसे प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर, विलम्ब के प्रति दिन के लिए, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं ।

परख सम्परीक्षा (नवम्बर 1979 से मार्च 1981 तक) के दौरान यह जानकारी में आया कि छः वितरण खण्डों में दिसम्बर 1975 से फरवरी 1981 तक विभिन्न अवधियों के दौरान विलम्बित भुगतानों के लिये कुल 5.19 लाख रुपये (18 उपभोक्ता) का अतिरिक्त प्रभार नहीं मांगा गया सिवाय दो खण्डों में 5 उपभोक्ताओं के मामले में जहां बिल (1.93 लाख रुपये) जारी किए गए लेकिन धनराशि की वसूली नही हुई (जून 1982) ।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

(ख) सितम्बर 1975 में मिर्जापुर शहर के एक भूतपूर्व लाइसेन्सी का व्यापार अधिग्रहण करने पर (सितम्बर 1975) विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मिर्जापुर द्वारा 96 के डब्लू के संयोजित भार वाले एक वृहत शक्ति उपभोक्ता को परिषद् की दर-सूची के अनुसार बिल भेजा गया (मई 1976) । उपभोक्ता ने परिषद् की दर-सूची लगाये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय से एक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया (4 जून 1976) । तत्पश्चात् उसे मई 1976 से भूतपूर्व लाइसैन्सी की दर-सूची, जो कि परिषद् की दर-सूची से कम थी, पर बिल भेजा गया । यद्यपि उपभोक्ता द्वारा दायर किया गया मामला उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया (मई 1979), खण्ड ने नवम्बर 1979 तक भूतपूर्व लाइसेन्सी की दर-सूची के अनुसार उपभोक्ता को बिल करना जारी रखा और दिसम्बर 1979 से इसे परिषद् की दर-सूची के अनुसार बिल जारी किये गये । मई 1976 से नवम्बर 1979 तक की अवधि के लिये परिषद् की दर-सूची और भूतपूर्व लाइसेन्सी की दर-सूची के अनुसार प्रभारित होने वाली धनराशियों के बीच के अन्तर (0.66 लाख रुपये) के लिये एक बिल 29 नवम्बर 1980 को, उसका भुगतान 13 दिसम्बर 1980 को या इसके पूर्व करने के लिये, जारी किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया (फरवरी 1981) । यदि बिल जून 1979 (न्यायालय के निर्णय के तुरन्त पश्चात) में जारी कर दिया गया होता तो दोषी उपभोक्ता ने अपने आपको 0.66 लाख रुपये की भुगतान न की गई धनराशि पर सात पैसे प्रति दिन प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर की दर से 561 दिन के लिये (1 जून 1979 से 12 दिसम्बर 1980 तक, वर्तमान बिल की देय तिथि 13 दिसम्बर 1980 थी) 0.26 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रभार के भुगतान के लिये उत्तरदायी बना लिया होता । खण्डीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 1981) कि अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण बिल जारी नहीं किया जा सका ।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

11.06. अधिभार का न लगाया जाना

लघु और माध्यमिक शक्ति और सिंचाई के उद्देश्य के लिए निजी नलकूपों/पम्प सेटों के लिये लघु शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची (पहली नवम्बर 1974 से प्रभावी) के अनुसार मासिक बिलों का भुगतान उनमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किये जाने की अवस्था में उपभोक्ता बिल की धनराशि पर (बकायों, यदि कोई हों, को छोड़ कर) 12 प्रतिशत का अधिभार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि भुगतान में छ : महीने से अधिक का विलम्ब होता है (भुगतान की देय तिथि से आगामी मास के प्रथम दिन से गणना करने पर), तो उपभोक्ता ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए प्रतिमास या उसके भाग पर दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भुगतान करनेके लिये भी उत्तरदायी है। पहली जून 1979 से अधिभार की दर विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि के लिये बिल की धनराशि पर दो प्रतिशत प्रति माह के रूप में संशोधित कर दी गयी है।

परख सम्परीक्षा (दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981) में यह जानकारी में आया कि तीन विद्युत वाणिज्यिक/वितरण खण्डों में अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान 187 उपभोक्ताओं से विलम्बित भुगतानों के लिये 5.53 लाख रुपये का अधिभार नहीं लगाया और वसूल किया गया।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परिषद् ने बताया (अगस्त 1982) कि विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज के सम्बन्ध में तीन उपभोक्ताओं से 0.13 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी और यह कि सात उपभोक्ताओं के अधिष्ठान विच्छेदित किये जा चुके थे और 0.34 लाख रुपये की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलैक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 के अन्तर्गत नोटिसें जारी की जा चुकी थीं।

मामला परिषद् को फरवरी और मार्च 1981 में और सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; परिषद् के दो खण्डों के संबंध में और सरकार के तीन खण्डों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.07. किश्तों की वसूली न होना

(क) निजी नलकूप

परिषद् ने प्राथमिकता के आधार पर निजी नलकूपों और पंपिंग सेटों को बिजली की आपूर्ति करने के लिये एक योजना 700 रुपये (जहां पर परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4000 रुपये तक था) और 1050 रुपये (जहां पर परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4000 रुपये से अधिक लेकिन 6000 रुपये से अधिक नहीं था) प्राथमिकता व्यय (वापस न करने योग्य) के रूप में प्रतिवर्ष अप्रैल में वसूलने योग्य 10 वार्षिक किश्तों में वसूली की शर्त के साथ प्रारम्भ की (जुलाई 1972)। पहली किश्त नलकूपों और पम्पिंग सेटों को ऊर्जित करने के पहले वसूली जानी थी। संबंधित खण्डों को प्रतिवर्ष उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि और किश्तों की संख्या दर्शाते हुये 15 मार्च तक बिल जारी करने थे।

परख जांच के दौरान (अगस्त 1980 से अप्रैल 1981 तक) यह जानकारी में आया कि 11 वितरण खण्डों में 2443 उपभोक्ताओं से केवल प्रथम किश्त वसूल की गई और प्राथमिकता व्यय (12.02 लाख रुपये) जो अप्रैल 1973 से अप्रैल 1980 के बीच देय हो गये थे, की किश्तों की वसूली के लिये बाद में मांग नहीं भेजी गई।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर ने सूचित किया (अक्टूबर 1982) कि 1.38 लाख रुपये में से 0.98 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। कानपुर खण्ड ने बताया (जनवरी 1983) कि बिल जारी किये जा चके थे लेकिन उनके विरुद्ध वसूली प्रतीक्षित थी।

मामला परिषद् को अक्टूबर 1980 से फरवरी 1981 के दौरान और सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)

(ख) 1976–77 में परिषद् ने समाज के कमजोर वर्गों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए एक जनता सर्विस कनेक्शन स्कीम प्रारम्भ की जिसके अन्तर्गत एक, दो और तीन प्वाइन्ट के लिये सर्विस लाइन व्यय उपभोक्ता द्वारा या तो एक मुश्त में क्रमशः 60 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये या 10 समान मासिक किश्तों में भुगतान किये जाने थे।

परख सम्परीक्षा के दौरान (अगस्त/दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981) यह जानकारी में आया कि तीन विद्युत वितरण खण्डों में 1392 उपभोक्ताओं से दूसरी और उसके बाद की किश्तें (1.35 लाख रुपये), जो 1976–77 और उसके बाद देय हो गईं थीं, नहीं वसूल की गईं।

विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में तो 458 उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार (1.15 लाख रुपये) भी दिसम्बर 1980 तक वसूल नहीं किये गये।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1980 से मार्च 1981 के दौरान और सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.08. अदेय छूट

(क) भारी और वृहत् शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची में, नवीन उद्योगों को प्रोत्साहन के रुप में, तीन वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए मांग और शक्ति प्रभारों से सम्बन्धित बिलकी राशि पर एक विकास छूट (1 जुलाई 1976 से 15 प्रतिशत और 1 जून 1979 से 10 प्रतिशत) का प्राविधान है। तथापि, यह छूट राजकीय नलकूपों/पम्प नहरों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और पेयजल आपूर्ति योजनाओं, रेलवे और राज्य के विभागों /निगमों/निकायों, केन्द्रीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं को देय नहीं है। शीतागार ईकाइयां भी इस उद्देश्य के लिये उद्योग नहीं मानी जाती हैं।

परख सम्परीक्षा (अगस्त 1980 से फरवरी 1981) के दौरान यह जानकारी में आया कि सात विद्युत वितरण/वाणिज्यिक खण्डों में 25 उपभोक्ताओं को जुलाई 1976 से दिसम्बर 1980 की अवधि के लिये कुल 6.64 लाख रुपये की छूट, जो देय नहीं थी, प्रदान की गई। सात में से छः खण्डों ने बताया (सम्परीक्षा आपत्तियों के उत्तर में) कि उनके द्वारा गलत प्रदान की गई विकास छूट वसूल कर ली जायेगी।

मामला परिषद् को अक्टूबर 1980 से मई 1981 के दौरान और सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ख) एक नवीन उद्योग के लिये विद्युत का उपयोग कर रहे भारी और वृहत शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अन्तर्गत आपूर्ति प्रारम्भ होने की तिथि से मांग प्रभार एक वर्ष तक और विकास छूट तीन वर्ष तक वास्तविक आधार पर लगाने की रियायत अनुमन्य है। तथापि, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, रायबरेली (तीन उपभोक्ता) और विद्युत वितरण खण्ड, रामपुर (एक उपभोक्ता) द्वारा शीतागारों (जो उद्योग के रूप में नहीं वर्गीकृत हैं) के लिये शक्ति का उपयोग कर रहे चार वृहत् विद्युत उपभोक्ताओं को ये रियायतें प्रदान की गईं (अक्टूबर 1979 से मार्च 1981 के दौरान) परिणामस्वरूप 0.53 लाख रुपये (मांग प्रभारः 0.06 लाख रुपये, विकास छूट : 0.47 लाख रुपये) कम प्रभारित हुए।

मामला परिषद्/सरकार को जुलाई/अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ग) मार्च 1967 से 1500 के वी ए का अनुबन्धित भार रखने वाला हस्तिनापुर (मेरठ) का एक उपभोक्ता हस्तिनापुर सब-स्टेशन से एक स्वतन्त्र फीडर से विद्युत ले रहा था। बिल जारी करते समय विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, मेरठ ने मांग प्रभारों के 25 प्रतिशत की एक छूट उपभोक्ता को प्रदान की जो केवल ग्रामीण फीडर पर विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता को अनुमन्य थीं। जनवरी से मई 1980 की अवधि के दौरान उपभोक्ता को प्रदान की गई अदेय छूट 0.27

लाख रुपये थी। खण्डीय अधिकारी ने बताया (जनवरी 1981) कि उपभोक्ता को स्वीकृत अदेय छूट के लिये बिल अधीक्षण अभियन्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद जारी किया जायेगा जो अपेक्षित थी (मार्च 1982)।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.09. राजस्व बकायों की वसूली न करना

जुलाई 1976 में कुछ उपभोक्ताओं के लेखे विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ से उन्नाव में खोले गए एक नये खण्ड को स्थानान्तरित किये गये। स्थानान्तरण के समय उन उपभोक्ताओं, जिनकी आपूर्ति पहले ही विच्छेदित की जा चुकी थी, को सम्मिलित करते हुए, के विरुद्ध 1973–74 से 1975–76 के लिए 3.08 लाख रुपये के देय बकाया थे, विस्तृत तालिका और उपभोक्ताओं के खाते लखनऊ खण्ड द्वारा उन्नाव खण्ड को नहीं स्थानान्तरित किये गए (जून 1982) और बाद वाला खण्ड बकाया देयों की वसूली के लिये कार्यवाही न कर सका (फरवरी 1981) यद्यपि चार वर्ष व्यतीत हो चुके थे।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.10. बिल जारी न करना

निष्क्रिय विद्युत वाणिज्यिक खण्ड प्रथम, मुरादाबाद (फरवरी 1979 से निष्क्रिय) में 631 जनता सेवा संयोजन थे। लेकिन दो उत्तराधिकारी खण्डों द्वारा केवल 277 उपभोक्ताओं को बिल जारी किये जा रहे थे (विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद: 196 उपभोक्ता और विद्युत् वितरण खण्ड अमरोहा (मुरादाबाद): 81 उपभोक्ता)। तद्नुसार 354 उपभोक्ताओं को मार्च 1979 से बिल नहीं जारी किये जा रहे थे। पांच रुपये प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता के न्यूनतम प्रभार के आधार पर बिल न की गई कुल धनराशि 0.42 लाख रुपये थी (मार्च 1979 से फरवरी 1981 तक)। विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद ने बताया (अप्रैल 1981) कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। यह और बताया गया (जनवरी 1982) कि भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप बिल की जाने वाली तालिका में 42 और उपभोक्ता शामिल किये गये थे।

मामला परिषद्/सरकार के सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.11. राजस्व को लेखाओं में लिए जाने में बिलम्ब

विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, जौनपुर द्वारा मई 1976 से पूर्व जारी किये गए वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध राजस्व अधिकारियों द्वारा 5.26 लाख रुपये वसूल किए गए और कोषागार में मई 1976 तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अन्तर्गत जमाकर दिए गये बताये गये। न तो उपभोक्ता-वार वसूली प्रमाण-पत्रों, जिनके विरुद्ध राजस्व अधिकारियों द्वारा यह वसूलियां की गईं, के विस्तृत विवरण खण्ड में उपलब्ध थे नहीं परिषद् द्वारा कोषागार से भुगतान प्राप्त किया जा सका (मार्च 1982)।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

11.12. राजस्व वसूलियों को जमा कराने में चूक

विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के एक अस्थाई लिपिक, जिसके सुपुर्द उपभोक्ताओं से राजस्व एकत्र करना था, ने जुलाई 1980 से मार्च 1981 के दौरान की गई वसूलियों में से 0.19

लाख रुपये जमा नहीं किये । सम्बन्धित लिपिक ने वसूली तालिकाओं में कुछ प्राप्तियों को प्रविष्टि छोड़ दी और वसूली तालिकाओं के अनुसार धन जमा किया । यह रसीद बुकों के अनुसार वसूलियों को मिलान न करने और प्रयुक्त की गई रसीद बुकों का ठीक लेखा न रखने के कारण सम्भव हुआ। लिपिक रसीद बुकों का हिसाब-किताब सौंपे बिना लापता हो गया (अप्रैल 1981) । 19 अप्रैल 1981 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । खण्डीय अधिकारी ने बताया (अप्रैल 1981) कि पूर्ण मामला विभागीय जांच पड़ताल के अन्तर्गत था ।

मामला परिषद् / सरकार को जुलाई / सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

अनुभाग XII
अन्य रोचक विषय

12.01. सामान की चोरी/ छुटपुट चोरी

(क) वाष्प पावर हाउस, बलरामपुर (छोटी लाइन पर स्थित) के लिये कोयले के सम्प्रेषण कोयला खानों से बड़ी लाइन रेल डिब्बों के माध्यम से सम्प्रेषित किये जाते हैं जिनका माल बाराबंकी में छोटी लाइन के डिब्बों में स्थानान्तरित किया जाता है। 1979-80 तक के तीन वर्षों के दौरान पावर हाउस द्वारा प्राप्त 45,746 मीट्रिक टन कोयले में से रास्ते में छुट-पुट चोरी और/या बड़ी लाइन से छोटी लाइन के रेल डिब्बों में कोयले के स्थानान्तरण के कारण 9967 मीट्रिक टन कोयला (मूल्य 16.39 लाख रुपये) कम प्राप्त हुआ।

हानि (लगभग 9000 मीट्रिक टन) के लिए दावे दिसम्बर 1979 तक प्रस्तुत नहीं किये गए। जनवरी 1980 के बाद कमियों के लिए रेलवे में दायर किये गए (फरवरी से जुलाई 1980 तक) दावे इस आधार पर कि प्रेषिती ने सम्प्रेषणों की सुपुर्दगी बिरोधमुक्त पावतियों के अन्तर्गत प्राप्त की थी निरस्त कर दिये गये (सितम्बर/अक्टूबर 1980)।

परिषद ने बताया (नवम्बर 1982) कि रेलवे द्वारा कोयला "मालिक की जिम्मेदारी" पर खुले डिब्बों में प्रेषित किया गया था और रेलवे नियमों के अनुसार इसका मार्ग बीमा नहीं था। रेलवे मार्ग में कोयले की कमियों के लिये दावे स्वीकार नहीं करती है और जहां दावे प्रस्तुत किये गए, वे निरस्त कर दिये गए। हानि के अपलेखन हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

मामला सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 1982)।

(ख) 132 के वी भूड़ सब-स्टेशन से चालू 33 के वी बुलन्दशहर-खुर्जा पारेषण लाइन को अधिक भारित होने से बचाने और वोल्टेज में सुधार के आशय से, विद्यमान लाइन को भूड़ सब-स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर एक बिन्दु पर नए निर्मित 220 के वी धरपा सब-स्टेशन से जोड़ा गया (1976) परिणामतः भूड़ सब-स्टेशन से लाइन (13 किलोमीटर) बिना उपयोग के रही। लाइन उखड़ने तक लाइन का उपयोग में न आ रहा भाग भी ऊर्जीकृत रखा गया। तथापि, उपयोग में न आ रहे लाइन के भाग को उखाड़ने में विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बुलन्दशहर ने चार वर्ष से ऊपर लिया (उखाड़ना जनवरी, 1981 में प्रारम्भ किया गया और अक्टूबर 1981 में पूरा किया गया) और तब तक दस भिन्न-भिन्न अवसरों (अक्टूबर 1980 और जनवरी 1981 के बीच) पर बार-बार चोरियां/छुट-पुट चोरियां (19,345 मीटर ए सी एस आर कन्डक्टर और अन्य लाइन सामान को सम्मिलित करते हुए मूल्य 1.55 लाख रुपये) हुई। खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 1981) कि जिस क्षेत्र में लाइन पड़ी थी वह कन्डक्टर चोरी के लिये प्रभाव्य था जिसके लिये किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ग) 132 के वी सब-स्टेशन, बीना (मिर्जापुर) में प्रतिष्ठापित होने के लिये आया एक 12.5 एम वी ए का ट्रांसफार्मर इसके प्रतिष्ठापित होने तक कार्यस्थल पर रखा गया (अप्रैल 1978)। 11/12 जुलाई 1978 को तेल टंकी का निकासी वाल्व हटा हुआ पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 17,000 लीटर ट्रांसफार्मर तेल की पूरी मात्रा (मूल्य 1.36 लाख रुपये) बह गयी यद्यपि चौबीसों घन्टे की चौकीदारी के प्रबन्ध किए गए थे। खण्डीय अधिकारी, विद्युत्

गवेषण खण्ड, मिर्जापुर ने अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत (अक्टूबर 1978) अपने प्रतिवेदन में राय व्यक्त की कि एक साधारण बाहरी व्यक्ति आसानी से निकासी वाल्व नहीं हटा सकता था और यह कि विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ से इन्कार नहीं किया जा सकता था। पुलिस में रिपोर्ट 12 जुलाई 1978 को दर्ज करायी गई; जांच-पड़ताल के परिणाम प्रतीक्षित थे (मार्च 1982)।

परिषद् ने बताया (जुलाई 1982) कि विभागीय पूछ-तांछ में कोई विभागीय व्यक्ति उत्तर-दायी नहीं पाया गया और यह कि पुलिस ने मामला समाप्त कर दिया था क्योंकि उन्होंने कोई सूत्र नहीं पाया। यह और बताया गया कि निरीक्षण की त्रुटियों, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एहतियाती कदम उठाने के लिये निर्देश जारी किये जा चुके थे।

मामला सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 1982)।

(घ) जुलाई 1979 में विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती के एक अवर अभियन्ता ने बरदाहा से बहारा तक सात किलोमीटर लम्बी 11 के वी मुख्य लाइन पर निर्माण कार्य के लिये पांच ड्रम (20,300 मीटर) ए सी एस आर "रेबिट" कन्डक्टर (मूल्य: 0.58 लाख रुपये) उसका (बस्ती) तक ढुलवाये। सामान को सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध किये बिना कार्यस्थल पर छोड़ दिया गया। पांच अगस्त 1980 को, क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किये जाने पर, सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने सामान की चोरी के विषय में एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी।

खण्डीय अधिकारी द्वारा यह बताया गया (फरवरी 1981) कि मामला विभागीय तौर पर और पुलिस द्वारा भी जांचा पड़ताला जा रहा था। हानि के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया है (जून 1982)।

मामला परिषद्/सरकार को फरवरी/सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

12.02. सामग्री का गबन

(क) विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती के एक सहायक भण्डारी (जिसने कोई प्रति-भूति जमा नहीं की थी) ने जनवरी से अक्टूबर 1975 के दौरान एक दूसरे उपखण्ड से 34.4 मीट्रिक टन रद्दी तांबा प्राप्त किया। 29.5 मीट्रिक टन रद्दी माल के लिये एक विक्रय आदेश लखनऊ की एक फर्म के नाम जारी किया गया (जुलाई 1979) और सहायक भण्डारी को रद्दी माल को फर्म को सुपुर्द करने के निर्देश दिये गए।

21 अगस्त 1979 को सहायक भण्डारी कार्यभार से लापता हो गया। गड़बड़ी की आशंका होने पर भण्डार के ताले एक समिति के सदस्यों की उपस्थिति मे तोड़े गए (27 अगस्त 1979) और 19.6 मीट्रिक टन रद्दी तांबा (मूल्य: 5.10 लाख रुपये) कम पाया गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गई (30 अगस्त 1979) और सहायक भण्डारी को अनुपस्थिति में ही निलम्बित कर दिया गया (सितम्बर 1979)।

भण्डार का 1975 से भौतिक रूप से सत्यापन न करने के कारण गबन जानकारी में नहीं आया यद्यपि परिषद् के आदेशों के अनुसार यह हर वर्ष किया जाना चाहिये था।

मामला परिषद्/सरकार को अप्रैल/सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ख) सितम्बर 1977 में किए गए भण्डार के भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप 958 शक्ति मीटर्स की कमी जानकारी में आयी। विद्युत् परीक्षण खण्ड, इलाहाबाद का सहायक भण्डारी, जिसे अगस्त 1975 में भण्डार का कार्यभार सौंपे बिना मुक्त कर दिया गया था, कमी के लिये उत्तरदायी पाया गया और वसूल करने योग्य धन (1.13 लाख रुपये) उसके नाम "अग्रिम प्रकीर्ण" के रूप में डाला गया। प्रभारी सहायक भण्डारी द्वारा बाद में समाधान करने पर (फरवरी 1980) वास्तविक कमी 476 मीटर्स (मूल्य: 0.64 लाख रुपये) की निकली।

खण्ड ने सहायक भण्डारी से 100 रुपये की मासिक किस्तों में कमी को पूरा करने के लिये वसूली करने (जुलाई 1980 से प्रारंभ की गई) का निश्चय किया (जुलाई 1980) –पूरी धनराशि वसूल करने में 53 वर्ष से अधिक लगगा।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (जुलाई 1981) कि सहायक भण्डारी को कार्य भार सौंपे बिना इसलिए मुक्त कर दिया गया क्योंकि उसके द्वारा अभिलेखों में गड़बड़ की जाने की संभावना थी और यह कि भौतिक सत्यापन में विलम्ब स्टाफ की कमी के कारण हुआ।

मामला परिषद् को सितम्बर 1980 में और सरकार को नवम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ग) विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, बुलन्दशहर के उपखण्डीय अधिकारी तृतीय के आदेशों के अन्तर्गत एक अवर अभियन्ता ने बन्द कर दिये गए विद्युत् खण्ड बरेली से 17 जून 1959 को 0.42 लाख रुपये मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मर और अर्थवायर प्राप्त किय। ये सामान ना तो माप पुस्तिका में दर्ज किय गये, न ही भण्डार लेखे में लेखाबद्ध किये गये (अप्रैल 1981)। जिसने सामान की आपूर्ति की थी उस खण्ड द्वारा भेजी गई (सितम्बर 1962) एक एडवाइस आफ ट्रांसफर डेबिट (ए टी डी) प्राप्तकर्ता खण्ड द्वारा सामान की लागत दो दोषी कर्मचारियों (अवर अभियन्ता और सहायक भण्डारी)–दोनों अब सेवा से निवृत्त, के नाम अग्रिम प्रकीर्ण मानकर स्वीकृत की गई (अप्रैल 1965)। ना तो वसूली की गई थी, न ही मामले की छानबीन की गई थी और उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था।

सम्परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1981) खण्डीय अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि मामला मुख्य अभियन्ता (विद्युत्) को सूचित किया जायगा।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

12.03. अधिक भुगतान

विद्युत् पारेषण डिजाइन मण्डल, लखनऊ ने मद्रास की एक फर्म को गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार 32,291 रुपये प्रति किलोमीटर (भाड़ा व बीमा प्रभारों के लिए 400 रुपये प्रति किलोमीटर सम्मिलित) की दर पर 2,000 किलोमीटर ए सी एस आर मूस कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु आदेश दिया (नवम्बर 1978)। दर (जुलाई 1978 में चल रही दरों पर आधारित) अल्युमिनियम पिन्डों की दर के आधार पर परिवर्तनों के आधीन थी। विद्युत् पारेषण खण्ड प्रथम, इलाहाबाद को 100 किलोमीटर कन्डक्टर आबंटित किया गया (जनवरी 1979)।

अल्युमिनियम की कीमतें 18 अक्टूबर 1978 से कम हो गईं इसलिए मण्डल ने, पहली दिसम्बर 1978 से प्रभावी, दर 31,026.26 रुपये प्रति किलोमीटर परिवर्तित कर दी जो मद्रास की फर्म को और खण्ड को भी सूचित कर दी गई (फरवरी 1979)।

फर्म ने खण्ड को 99.444 किलोमीटर कन्डक्टर की आपूर्ति की (जनवरी/फरवरी 1979) और 32,291 रुपये प्रति किलोमीटर की मूल दर पर प्रभारित किया जो खण्ड द्वारा भुगतान कर दिया गया (फरवरी/मार्च 1979), परिणामत: 1.26 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (जनवरी 1981) कि रेलवे रसीद के विरुद्ध 100 प्रतिशत भुगतान किया गया था अतः कोई कटौती संम्भव नहीं थी। अन्य इकाइयों को आपूर्त की जाने वाली शेष मात्रा (1,900 किलोमीटर) के सम्बन्ध में अधिक भुगतान के बारे में सूचना प्रतीक्षित थी (जून 1982)।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

12.04. निरस्त किये गये दावे

आगरा विद्युत आपूर्ति उपक्रम ने अगस्त 1974 से सितम्बर 1980 के दौरान कोयले के डिब्बे न प्राप्त होने के लिए रेलवे में 13 दावे (मूल्य: 3.01 लाख रुपये) दायर किये जो रेलवे द्वारा, इस आधार पर कि वे कालातीत थे, निरस्त कर दिये गए। अधीक्षण अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1980) कि इन दावों को तय करने के लिये मामला रेलवे के साथ अनुसरण में था।

मामला परिषद्/सरकार को फरवरी/सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

12.05. प्रस्तुत न किये गये दावे

(क) भारत सरकार के आदेशों (सितम्बर 1978) के अनुसार सीमेन्ट आपूर्तिकर्ता अग्रिम की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति करने में असफल होने पर मांगकर्ताओं से प्राप्त अग्रिमों की धनराशि पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

परख सम्परीक्षा (अगस्त 1980) में यह जानकारी में आया कि विद्युत सिविल खण्ड प्रथम, परिच्छा (झांसी) ने अगस्त 1979 से जून 1980 की अवधि के दौरान दिये गए अग्रिमों (59.94 लाख रुपये) के सम्बन्ध में, जिनके विरुद्ध आपूर्तियां 15 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हुई थीं और विलम्ब 35 से 81 दिन तक था, सीमेन्ट आपूर्तिकर्ताओं से 0.52 लाख रुपये (13 मामलों में) के ब्याज की वसूली नहीं की।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(ख) विद्युत् पारेषण खण्ड, नैनीताल ने सतना की एक फर्म से 253.30 मीट्रिक टन सीमेन्ट क्रय किया। हिसाब तय करते समय फर्म से कुल 0.30 लाख रुपये की निम्नलिखित धनराशियों का दावा नहीं किया गया:

(i) अग्रिम की धनराशि पर, जो फर्म के पास 15 दिन से अधिक रही और जिसके विरुद्ध सीमेन्ट विलम्ब से आपूर्त किया गया/नहीं आपूर्त किया गया, 14 प्रतिशत की दर से ब्याज (1330 रुपये);

(ii) अधिक भुगतान किया गया बिक्री कर (5853 रुपये); और

(iii) खण्ड द्वारा ट्रकों से ढुलाई गई आपूर्तियों पर (रेल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण) रेलवे भाड़े का समायोजन (22579 रुपये), सीमेन्ट की कीमत गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार थी।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (मई 1981) कि फर्म से सम्परीक्षा द्वारा इंगित की गई धनराशि को लौटाने के लिये कहा जायगा।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

12.06. इस्पात का पुनर्बेलन

थर्मल डिजाइन डायरेक्टरेट, लखनऊ ने पांच लाख रुपये की बैंक गारन्टी के विरुद्ध परिषद् द्वारा आपूर्त परीक्षित पिंडों (बिलेट) से 1000 मीट्रिक टन नम्र इस्पात के पुनर्बेलन के लिये कानपुर की एक फर्म को एक आदेश दिया (अक्टूबर 1979) । पुनर्बेलन खर्चे 235 रुपये और 445 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से भुगतान किये जाने थे । पुनर्बेलित सामान की आपूर्ति बिजली की उपलब्धता के आधीन, 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन की दर से पिंडो के निर्गमन के 15 दिन बाद प्रारम्भ होनी थी और छीजन 10 प्रतिशत की दर से प्रदान की जानी थी । फर्म ने 4.95 लाख रुपये की बैंक गारन्टी (14 अक्टूबर 1980 तक वैध) प्रस्तुत की (अक्टूबर 1979) और अक्टूबर से दिसम्बर 1979 के दौरान उसे 390.170 मीट्रिक टन पिंडो की आपूर्ति की गई । फर्म ने दिसम्बर 1979 से फरवरी 1980 के दौरान 182.715 मीट्रिक टन पुनर्बेलित नम्र इस्पात छड़ें आपूर्त की । 10 प्रतिशत छीजन की छूट देने के पश्चात् 187.153 मीट्रिक टन पिंड (मूल्य 6.55 लाख रुपये) अभी भी फर्म के पास थीं । मई 1980 में जब कि परिषद् के एक प्रतिनिधि ने फर्म की फैक्टरी का निरीक्षण किया, फैक्टरी में छड़ों की शेष मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी ।

परिच्छा थरमल पावर प्रोजेक्ट, परिच्छा (झांसी) ने सूचित किया (फरवरी 1982) कि बैंक गारन्टी भुना कर मई 1981 में 4.95 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया था ।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

12.07. परिहार्य व्यय

कलकत्ता की एक फर्म द्वारा विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, अलीगढ़ को आपूर्त किये गए खम्भों के भागों का एक परेषण 11 सितम्बर 1980 को अलीगढ़ पहुंचा । 17 सितम्बर 1980 को बैंक ने खण्ड से 1.40 लाख रुपये का भुगतान करके कागजात छुड़ाने की प्रार्थना की । तथापि, कागजात खण्ड द्वारा तीन माह पश्चात् (15 दिसम्बर 1980) छुड़ाए गए और सामान की सुपुर्दगी घाट शुल्क के रूप में 0.20 लाख रुपये का भुगतान करके 19 दिसम्बर 1980 को प्राप्त की गई । कागजातों को छुड़ाने में विलम्ब का कारण खण्ड द्वारा उस उद्देश्य के लिये निधि की अनुपलब्धता को बताया गया (फरवरी 1981), जब कि 10 सितम्बर से 16 अक्टूबर 1980 के दौरान खण्ड में उपलब्ध न्यूनतम शेष 1.60 लाख रुपये था ।

यह उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त 1980 को खण्ड ने 0.69 लाख रुपये का भुगतान करके दूसरे कागजात, रेल डिब्बों के वास्तविक आगमन को सुनिश्चित किये बिना, जो 10 अप्रैल 1981 को पहुंचा, छुड़ाये ।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 1982) ।

अनुभाग XIII

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

13.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन पहली जून 1972 को स्थापित किया गया।

13.02. निगम की पूंजी, वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों के 1977–78 तक के तीन वर्षों के विस्तृत वर्णन, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 1979–80 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुभाग XII में किया गया है। उसके पश्चात् निगम के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिए गये और लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये।

13.03. प्रत्याभूतियां

निम्नलिखित तालिका निगम द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी तथा उन पर ब्याज की अदायगी के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के विवरण दर्शाती है :

विवरण	प्रत्याभूति का वर्ष	प्रत्याभूति राशि*	31 मार्च 1981 को बकाया राशि		
			मूलधन	ब्याज	योग†
		(रुपये लाखों में)			
बैंक	1972–73 1973–74 व 1975–76	1325.00	490.00	..	490.00
आई डी बी आई (बिल बट्टा योजना)	1975–76 से 1977–78	1300.00	46.35	48.02	94.37
		2625.00	536.55	48.02	584.37

*वित्त लेखाओं के अनुसार राशि 2325 लाख रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

†वित्त लेखाओं के अनुसार राशि 99.27 लाख रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

13.04. परिचालन निष्पादन

1980–81 तक तीन वर्षों के लिए निगम का परिचालन निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	1978–79	1979–80	1980–81*
मार्ग किलोमीटर	217806	263178	287748
परिचालन डिपो की संख्या	72	75	75
रक्खी गई गाड़ियों की औसत संख्या†	5524	5713	5769
सड़क पर गाड़ियों की औसत संख्या	4269	4484	4526
उपयोग की प्रतिशतता	77	78	78
तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
सकल	3541.29	4063.21	4327.11
प्रभावी	3445.30	3972.00	4227.85
निष्फल (विभागीय मिलाकर)	95.99	91.21	99.26
निष्फल किलोमीटर की सकल किलोमीटर से प्रतिशतता	2.9	2.7	3.0
प्रति बस प्रतिदिन औसत किलोमीटर	229	217	219
अनुसूचित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	3772.16	4209.45	4559.35
परिचालित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	3378.67	3653.59	3731.14
अधिभोग अनुपात	89.6	86.8	81.8
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	0.086	0.101	0.112
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.28	0.28	0.18
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	204	209	218
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	201	206	241
लाभ (+) / हानि (–) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(+)3	(+)3	(–)23

13.05. मेरठ क्षेत्र

13.05.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 31 मार्च 1981 को 97 डिपो के साथ 18 क्षेत्र हैं।

निगम के मेरठ क्षेत्र में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सोहराबगेट (मेरठ) और गढ़ पांच डिपो हैं। निम्नलिखित परिच्छेदों में मेरठ क्षेत्र के कार्यचालन पर विचार किया गया है।

13.05.02. संगठनात्मक व्यवस्था

क्षेत्र के दिन प्रतिदिन के परिचालन का प्रबन्ध क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित है जिनकी सहायता तीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, एक डिपो प्रबन्धक, एक सेवा प्रबन्धक और क्षेत्रीय मुख्यालय पर एक क्षेत्रीय लेखाअधिकारी करते हैं। डिपो का प्रबन्ध डिपो प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र में, एक लाख किलोमीटर चल चुकी बसों की बड़ी मरम्मत व रख-रखाव करने, निगम की केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से नई / पुनरुद्धारित बसें प्राप्त करने और क्षेत्रीय भण्डार का रख-रखाव करने के लिए मेरठ में एक कार्यशाला है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिपो में छोटी मरम्मत और दैनिक रख-रखाव के लिए कार्यशालायें हैं। क्षेत्रीय स्तर पर एक भण्डार क्रय समिति और एक वेहिकिल कन्डमनेशन कमेटी है।

*वर्ष 1980–81 के आंकड़े अनन्तिम हैं।
†गाड़ियों में बसें, टैक्सियां और ट्रक सम्मिलित हैं।

13.05.03. कार्यचालन परिणाम

निगम के वार्षिक लेखे 1978–79 से बकाया में हैं। क्षेत्र के 1980–81 तक के तीन वर्षों के अनन्तिम वार्षिक लेखाओं पर आधारित कार्यचालन परिणाम नीचे दर्शाये गये हैं :

	1978–78		1979–80		1980–81	
	निजी गाड़ियां	निगम की गाड़ियां	निजी गाड़ियां	निगम की गाड़ियां	निजी गाड़ियां	निगम की गाड़ियां
					(रुपये लाखों में)	
परिचालन						
राजस्व	39.15	460.75	115.72	457.54	226.87	498.73
व्यय	21.73	427.62	78.77	437.73	162.50	520.16
कमी (–)/आधिक्य (+)	(+)17.42	(+)33.13	(+)36.95	(+)19.81	(+)64.37	(–)21.43
गैर परिचालन						
राजस्व	..	19.86	..	23.79	..	19.87
व्यय	..	28.38	..	26.31	..	33.72
कमी (–)/आधिक्य (+)	..	(–)8.52	..	(–)2.52	..	(–)13.85
योग						
राजस्व	39.15	480.61	115.72	481.33	226.87	518.60
व्यय	21.73	456.00	78.77	464.04	162.50	553.88
कमी (–)/आधिक्य (+)	(+)17.42	(+)24.61	(+)36.95	(+)17.29	(+)64.37	(–)35.28
कुल राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	19.03	229.74	54.32	227.92	105.71	228.73
परिचालन राजस्व प्रति राजस्व किलोमीटर (पैसे में)	206	200	213	201	215	218
परिचालन व्यय प्रति राजस्व किलोमीटर (पैसे में)	114	186	145	172	154	227
परिचालन घाटा (–)/लाभ (+) प्रति राजस्व किलोमीटर (पैसे में)	(+)92	(+)14	(+)68	(+)9	(+)61	(–)9

निजी बसों के परिचालन की संख्या 1978–79 में 32 से बढ़ कर 1979–80 में 71 और 1980–81 में 95 हुई किन्तु निजी बसों द्वारा परिचालित राजस्व किलोमीटर 1978–79 में 19.63 लाख और 1980–81 में 105.71 लाख हुये (455.5 प्रतिशत की वृद्धि)। इसी अवधि में निगम ने 1978–79 व 1979–80 में 264 बसें और 1980–81 में 282 बसें चलाईं।

ऐसा भी देखा गया कि निजी बसों के परिचालन से हर वर्ष राजस्व में वृद्धि हुई जबकि निगम की बसों के परिचालन से उपार्जित राजस्व लगभग स्थिर रहा।

निगम की बसों से 1978–79 में 24.61 लाख रुपये से 1979–80 में 17.29 लाख रुपये लाभ का घटना और 1980–81 में 35.28 लाख रुपये की हानि के लिए प्रबन्धकों ने निम्न कारण बताये :

——डीजल के मूल्य में बारम्बार वृद्धि ;
——1979–80 और 1980–81 में बसों के रख-रखाव के व्यय में वृद्धि ; और
——1979–80 और 1980–81 में कर्मचारियों के वेतन भत्ता आदि के व्यय में वृद्धि।

यह भी सूचित करना है कि 1980–81 में निजी बसों के परिचालन से 64.37 लाख रुपये का लाभ हुआ।

13.05.04. वित्तीय परिणाम

1980–81 तक के तीन वर्षों के लिए क्षेत्र में परिचालन के डिपो वार वित्तीय परिणाम (निजी व निगम दोनों की बसों के) निम्नलिखित हैं :

डिपो*	1978–79				1979–80				1980–81			
	राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	आय (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभ (+)/ हानि (–)	राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	आय (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभ (+)/ हानि (–)	राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	आय (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)	लाभ (+)/ हानि (–)
मेरठ	90.53	197.46 (2.18)	173.64 (1.92)	(+)23.82	97.67	211.65 (2.17)	186.53 (1.91)	(+)25.12	108.35	251.68 (2.32)	233.41 (2.15)	(+)18.27
मुजफ्फर नगर	80.64	163.80 (2.03)	150.73 (1.87)	(+)13.07	91.04	192.91 (2.12)	169.26 (1.86)	(+)23.65	108.53	239.96 (2.21)	226.02 (2.08)	(+)13.94
रुड़की	17.40	39.29 (2.26)	34.91 (2.01)	(+)4.38	19.64	42.72 (2.18)	39.58 (2.02)	(+)3.14	24.88	56.62 (2.28)	53.73 (2.16)	(+)2.89
सोहराब गेट	22.53	45.52 (2.02)	46.09 (2.05)	(–)0.57	39.81	81.65 (2.05)	78.65 (1.98)	(+)2.97	53.60	114.31 (2.13)	114.41 (2.13)	(–)0.10
गढ़	30.80	58.45 (1.90)	59.58 (1.93)	(–)1.13	34.08	68.12 (2.00)	68.76 (2.02)	(–)0.64	39.08	82.90 (2.12)	88.81 (2.27)	(–)5.91
	241.89	504.52	464.95	(+)39.57	282.24	597.05	542.81	(+)54.24	334.44	745.47	716.38	(+)29.09

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े प्रति किलोमीटर रुपयों में आय-व्यय बताते हैं ।

*जुलाई, 1978 में गाजियाबाद क्षेत्र को स्थानान्तरित, हापुड़ डिपो सम्मिलित नहीं है ।

गढ़ डिपो में बार-बार हानि होने का कारण प्रबन्धकों ने निजी परिचालकों द्वारा अनाधिकृत छोटी गाड़ियों का परिचालन बताया है (जून 1981)।

13.05.05. बेड़े की स्थिति

(i) 1980–81 तक के तीन वर्षों में क्षेत्र में रही गाड़ियों (ट्रक को छोड़ कर) की स्थिति इस प्रकार थी :

	पथ पर	फालतू	पथ से अलग	योग	पथ से अलग और फालतू बसों की कुल बसों से प्रतिशतता
31 मार्च					
1979	253	11	74	338	25.1
1980	234	30	57	321	27.1
1981	266	16	55	337	21.1

(ii) बसों का जीवन काल और चले किलोमीटर से सम्बन्धित विश्लेषण (साधारण जीवन 4.80 लाख किलोमीटर) नीचे दर्शाया गया है :

	31 मार्च		
	1979	1980	1981
		(बसों की संख्या)	
परिचालन के वर्षों से सम्बन्धित			
10 वर्षों से ऊपर	15	2	17
5 से 10 वर्ष	119	123	161
5 वर्षों से कम	204	196	159
	338	321	337
चले किलोमीटरों से सम्बन्धित			
4.8 लाख किलोमीटर से ऊपर	16	30	64
3 से 4.8 लाख किलोमीटर	136	184	185
2 से 3 लाख किलोमीटर	106	51	43
2 लाख किलोमीटर से कम	80	56	45
	338	321	337

13.05.06. परिचालन

(क) ग्रामीण सेवा

1980–81 में ग्रामीण सेवा में चलाई गई निगम की बसों के डिपो वार परिचालन परिणाम नीचे दिये जाते हैं :

विवरण	मेरठ	मुजफ्फर-नगर	रुड़की	सोहराब गेट	गढ़
अनुसूचित किलोमीटर (लाखों में)	78.30	76.65	24.45	41.11	37.36
परिचालित किलोमीटर (लाखों में)	73.21	62.96	20.06	39.46	35.66
राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	72.26	62.73	19.99	38.32	35.43
निष्फल व विभागीय किलोमीटर (लाखों में)	0.95	0.23	0.07	1.17	0.23
अनुसूचित ट्रिप (लाखों में)	1.05	0.92	0.25	0.85	0.50
परिचालित ट्रिप (लाखों में)	0.98	0.69	0.20	0.75	0.45
भार (लोड फैक्टर) (प्रतिशतता)	83.7	78.9	84.0	74.5	75.9
सेवा में नियमितता (परिचालित ट्रिपों की अनुसूचित ट्रिपों से प्रतिशतता)	93.3	75.0	80.0	88.2	90.2
निष्फल व विभागीय किलोमीटरों की परिचालित किलोमीटरों से प्रतिशतता	1.3	0.4	0.3	3.0	0.6

प्रबन्धकों ने सोहराबगेट और मेरठ डिपो में निष्फल व विभागीय किलोमीटरों की परिचालित किलोमीटरों के सन्दर्भ में उच्च प्रतिशतता के निम्न कारण बताये :

—फलदायक जीवन व्यतीत कर चुकने वाली गाड़ियों की टूटी-फूटी दशा (मेरठ डिपो);

—एक गाड़ी का क्षेत्रीय प्रबन्धक और स्टेशन अधीक्षक, मेरठ डिपो के कार्यालयों में बैक से/को रोकड़ लाने/ले जाने के लिए पूर्णरूप से लगाये रखना (मेरठ डिपो); और

—सोहराबगेट की समस्त बसों को डिपो से चार किलोमीटर दूर डिपो वर्कशाप में खड़ी करना।

(ख) नगर बस सेवा

नगर पालिका / मेरठ नगर की छावनी सीमा के अन्दर नगर बस सेवा (सी बी एस) मार्गों पर प्रशासकीय और परिचालन नियन्त्रण व्यय (ए ओ सी सी) के भुगतान करने पर चलाने के लिए स्वीकृत निजी मिनी बसों (एम बी) साथ-साथ इन मार्गों पर चलाई गई निगम की बसों (सी बी) की 1980–81 तक तीन वर्षों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

वर्ष	परिचालित मिनी बसें	बसों की संख्या निगम की बसें
1978–79	41	4
1979–80	36	4
1980–81	26	4

दो सी बी एस मार्ग नामतः मेडिकल काजेल से सिटी रेलवे स्टेशन और मेडीकल कालेज से कैन्टोनमेन्ट रेलवे स्टेशन जो कि पूर्णरूपेण मिनी बसों द्वारा परिचालित थे, अन्य दो मार्गों नामतः मेडिकल कालिज से सिटी रेलवे स्टेशन और सिटी स्टेशन से कैन्टोनमेन्ट स्टेशन जो कि पूर्ण-रूप से निगम की बसों द्वारा परिचालित थे, की तुलना में विशाल यातायात (ट्रैफिक) की सम्भावना से परिपूर्ण बताये जाते थे। फिर भी क्षेत्र ने प्रतिफलदायक मार्गों पर निगम की बसों को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1981) कि नगर महापालिका की स्वीकृति के बिना नगर बस परिचालन में वृद्धि या विस्तार करना अनुमन्य नहीं था। किन्तु यह प्रकरण नगर मार्गों पर निगम की बसें चलाने के लिए मुख्यालय के स्तर पर क्षेत्र द्वारा नहीं उठाया गया (मार्च 1982)।

(ग) अनार्थिक मार्ग

1980–81तक के तीन वर्षों में निगम की बसों द्वारा परिचालित अनार्थिक मार्गों*की डिपोवार स्थिति और परिचालन व्यय से कम आय होने से लगातार हानि नीचे दर्शाई जाती है :

*मार्ग जहां प्रति किलोमीटर परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर राजस्व से अधिक है।

	1978-79			1979-80			1980-81		
	मुजफ्फर-नगर	सोहराब-गेट	गढ़	मुजफ्फर-नगर	सोहराब गेट	गढ़	मुजफ्फर-नगर	सोहराब-गेट	गढ़
परिचालित मार्गों की संख्या	35	21	23	45	28	24	46	31	26
अनार्थिक मार्गों की संख्या	16	6	1	12	7	1	6	7	1
वर्ष में परिचालित कुल राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	80.64	22.52	30.80	91.04	39.81	34.08	108.53	53.60	39.08
वर्ष में अनार्थिक मार्गों पर परिचालित किलोमीटर (लाखों में)	56.20	2.92	9.30	35.65	4.69	9.65	7.14	4.94	5.04
इन मार्गों की औसत आय प्रति किलोमीटर (रुपये)	1.87	1.28	1.37	1.77	1.55	1.60	1.87	1.71	1.73
डिपो का परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (रुपये)	1.87	2.05	1.93	1.86	1.98	2.02	2.08	2.13	2.27
हानि प्रति किलोमीटर (रुपये)	..	0.77	0.56	0.09	0.43	0.42	0.21	0.42	0.54
परिचालित किलोमीटरों पर हानि (रुपये लाखों में)	..	2.25	5.21	3.21	2.02	4.05	1.50	2.07	2.72
अनार्थिक मार्गों की कुल मार्गों से प्रतिशतता	45.7	28.6	4.3	26.7	25.0	4.2	13.0	22.6	3.8
अनार्थिक मार्गों पर चालित किलोमीटरों की कुल परिचालित किलोमीटरों से प्रतिशतता	69.7	13.0	30.2	39.2	11.8	28.3	6.6	9.2	12.9

सोहराबगेट और गढ़ डिपो में अनार्थिक मार्ग प्रचलित रहे जिसके लिए प्रबन्धकों ने निम्न कारण बताये (जून 1981):

–नगर बस सेवा के सातों अनार्थिक मार्गों पर चलाई जा रही 12 बसों का समस्त बेड़ा बहुत पुराना था (सोहराब गेट);

–बसों की कमी से इन मार्गों पर यथाक्रम सेवा में कमी (सोहराबगेट) ; और

–मेरठ-गढ़ मार्ग पर मैटाडोर और निजी मिनी बसों का अनाधिकृत परिचालन (गढ़ डिपो)।

(घ) कटौतियां

अनुसूचित किलोमीटरों, बस की अनुपलब्धता व कर्मचारियों की कमी आदि से किलोमीटरों में कटौतियों और कटौती किये गये किलोमीटरों की अनुसूचित किलोमीटरों से प्रतिशतता की 1980-81 तक तीन वर्षों की डिपो वार स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

डिपो	वर्ष	अनुसूचित किलोमीटर	कटौती किये गये किलोमीटरों के कारण					कटौती किये गये किलोमीटरों की अनुसूचित किलोमीटरों से प्रतिशतता
			कार्यशाला द्वारा बसें उपलब्ध न किया जाना व बसों का मार्ग में खराब हो जाना	कर्मचारियों का उपस्थित न होना या देर से पहुंचना	मार्ग दुर्घटनाएं	यात्रियों की कमी, सड़कों का कटना, हड़ताल, कानून व व्यवस्था की स्थिति, आदि	योग	
					(लाखों में)			
मेरठ	1978-79	87.86	2.66	..	0.10	4.71	7.47	8.5
	1979-80	77.79	2.05	..	0.06	1.78	3.89	5.0
	1980-81	78.30	3.58	0.01	0.04	2.41	6.04	7.7
मुजफ्फरनगर	1978-79	80.73	7.17	0.06	0.04	1.41	8.68	10.8
	1979-80	77.28	12.37	..	0.04	0.19	12.60	16.3
	1980-81	76.65	12.15	0.14	0.05	1.58	13.92	18.2
रुड़की	1978-79	19.96	1.93	0.18	0.01	0.44	2.56	12.8
	1979-80	21.92	2.02	0.09	0.01	0.16	2.28	10.4
	1980-81	24.45	3.75	0.44	0.02	0.25	4.46	18.2
सोहराबगेट	1978-79	25.67	1.10	0.10	..	1.95	3.15	12.3
	1979-80	39.06	1.97	0.06	0.02	0.99	3.04	7.8
	1980-81	41.11	1.06	0.04	0.02	1.67	2.79	6.8
गढ़	1978-79	32.25	0.87	0.06	0.03	0.79	1.75	5.4
	1979-80	34.57	0.18	0.14	0.02	0.55	0.89	2.6
	1980-81	37.36	1.30	0.09	0.02	0.52	1.93	5.2
योग	1978-79	246.47	13.73	0.40	0.18	9.30	23.61	9.6
	1979-80	250.62	18.59	0.29	0.15	3.67	22.70	9.1
	1980-81	257.87	21.84	0.72	0.15	6.43	29.14	11.3

क्षेत्रीय प्रबन्धक ने बसों की क्षति-ग्रस्तता और घिसी-पिटी स्थिति को कटौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया (जून 1981)।

(ङ) टैक्सी सेवा

निम्न तालिका में 1980–81 तक तीन वर्षों में टैक्सियों द्वारा परिचालित कुल किलोमीटरों का वर्षवार विवरण दिया गया है:

	1978–79	1979–80	1980–81
रखी गई टैक्सियों की संख्या	4	4	4
कुल परिचालित किलोमीटर (लाखों में)	1.17	1.11	0.08
राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	0.81	0.84	0.06
विभागीय एवं निष्फल किलोमीटर	0.36	0.27	0.02
आय प्रति राजस्व किलोमीटर (रुपये)	0.80	0.80	1.17
व्यय प्रति राजस्व किलोमीटर (रुपये)	1.64	1.63	3.67
हानि प्रति किलोमीटर (रुपये)	0.84	0.83	2.50
वर्ष में कुल हानि (लाख रुपयों में)	0.68	0.70	0.15
विभागीय व निष्फल किलोमीटरों की कुल परिचालित किलोमीटरों से प्रतिशतता	30.8	24.4	25.0

टैक्सियों के परिचालन के परिणाम स्वरूप अप्रैल 1978 से जून 1980 तक की अवधि में 1.53 लाख रुपये की हानि हुई और निगम ने जुलाई 1980 से टैक्सियों का परिचालन बन्द कर दिया तथा टैक्सियों को स्टाफ कारों में परिवर्तित कर दिया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि टैक्सियां राज्य सरकार के ज्येष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों (वी आई पी) के लिये भुगतान देने पर भाड़े पर रखी गई। कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों (वी आई पी) द्वारा किये गये किलोमीटरों को विभागीय समझा गया है। वी आई पी के प्रयोग में लाने के लिये भेजने से पूर्व हर बार टैक्सी की पूर्णरूप से जांच पड़ताल की जाती है और इन जांच पड़तालों में किये गये किलोमीटरों को निष्फल किलोमीटर समझा गया। अतः प्रबन्धकों के अनुसार, टैक्सियों का परिचालन एक अनिवार्यता थी और लाभकारिता का प्रश्न ही नहीं उठा।

(च) इंजिन तेल का अधिक उपभोग

मानक (नवम्बर 1970 में निर्धारित) के आधार पर हर 200 किलोमीटरों की यात्रा पर एक बस द्वारा आधा लीटर इंजिन तेल उपभोग किया जाता है। उस मानक के आधार पर 1980–81 तक तीन वर्षों में अधिक उपभोग किये गये 1.55 लाख लीटर इंजिन तेल से 13.46 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि पुराने टाटा माडल की हल्की बसों के लिए 1970 में निर्धारित मानक कालातीत हो चुका था क्योंकि आधुनिकतम माडल की बसें जो आजकल प्रयोग में हैं, भारी थीं और अधिक इंजिन तेल को मांगती थीं। फिर भी, अधिक उपभोग को निश्चित करने हेतु गाड़ियों की किस्म के सन्दर्भ में कोई अध्ययन नहीं किया गया और निगम द्वारा मानक पुनरीक्षित नहीं किया गया है (मार्च 1982)।

13.05.07. प्रशासन और प्रबन्ध

(क) बयाने के राशि का जब्त न किया जाना

निगम द्वारा 1979 में निर्धारित नीलाम की मानक शर्तों के अनुसार, यदि उच्चतम बोली बोलने वाला, नीलाम की स्वीकृति के पत्र के प्राप्त करने के दस दिन में बोली की शेष राशि जमा

करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाने की राशि जब्त की जाने योग्य होती है। 1979–80 में किये गये दो नीलामों में प्रत्येकमें छः ढेरों (लाट्स) की व 1980–81 में किये गये एक नीलाम में पांच ढेरों की शेष राशियां जमा करने में 4 से 34 दिन तक का विलम्ब हुआ किन्तु 1.22 लाख रुपये के बयाने की राशि जब्त नहीं की गई।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि नीलाम की शर्तें क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुई थीं।

(ख) जलपान गृह का ठेका

क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा रुड़की बस स्टेशन पर जलपान गृह चलाने हेतु तीन वर्ष के ठेके के लिये निविदायें आमन्त्रित की गई (5 अगस्त 1977) क्योंकि पुराना ठेका 27 अक्टूबर 1977 को समाप्त होने वाला था। निविदायें 20 अगस्त 1977 को खोली गई और 13000 रुपये प्रतिमास का उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया (27 अगस्त 1977) किन्तु निविदादाता नहीं पहुंचा। दूसरी उच्चतम बोली 12151 रुपये प्रतिमास की थी। संपरीक्षा में देखा गया (जून 1981) कि निविदापत्रों में अन्तर्वेषण (इन्टरपोलेशन) थे और एक व्यक्ति की बोली जिसने कि 12151 रुपये प्रतिमास बोला था, बदल कर 10151 रुपये प्रतिमास कर दी गई और एक व्यक्ति की निविदा जिसने 10500 रुपये लिखे थे बदल कर 10580 रुपये कर दिये गये जिसके द्वारा उसे दूसरी उच्चतम बोली बनाते हुए उसे स्वीकार कर लिया गया (दिसम्बर 1978)। वह पार्टी भी अनुबन्ध सम्पादन करने और जमानत की राशि जमा करने में विफल रही किन्तु जलपान गृह जुलाई 1979 से चलाना शुरू कर दिया। पिछला ठेकेदार 27 अक्टूबर 1977 से 6 जुलाई 1979 तक 7700 रुपये प्रतिमास की पुरानी दरों पर जलपान गृह चलाता रहा। 29 अप्रैल 1981 को एक दूसरी निविदा को 14015 रुपये प्रतिमास पर अन्तिम निर्णय देते हुए जोनल प्रबन्धक ने संविदा की शर्तों के भंग करने के कारण 10580 रुपये के पहले वाले ठेकों को समाप्त कर दिया किन्तु, पुराने ठेकेदार, जिसका ठेका दिसम्बर 1978 में स्वीकार किया गया था, के जून 1982 तक परिसर खाली न करने के कारण नया ठेकेदार जलपान गृह चालू न कर सका। न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत उसे खाली कराया गया और वह जुलाई 1982 से खाली पड़ा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 1.46 लाख रुपये की हानि हुई (जून 1982)। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1981) कि सम्पूर्ण मामला निगम के सतर्कता कोष्ट द्वारा जांच में है, आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1982)।

(ग) दावों का जब्त न किया जाना

क्षेत्र की चार बसों का, जो दिसम्बर 1973 से जुलाई 1974 के मध्य निजी ट्रकों से टकरा जाने के कारण बड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई, विवरण नीचे दिया जाता है:

बस की पंजीकृत संख्या	दुर्घटना की तिथि	क्या न्यायालय द्वारा मामले पर निर्णय दिया गया	नीलाम की तिथि	दुर्घटना के समय ह्रस्व मूल्य	नीलामी की धनराशि
				(लाख रुपयों में)	
यू टी जी 9489	12 अप्रैल 1974	जून 1978 में निगम के पक्ष में निर्णित	11 सितम्बर 1977	0.94	0.19
यू टी जी 1662	22 दिसम्बर 1973	जनवरी 1978 में निगम के पक्ष में निर्णित	11 सितम्बर 1977	0.98	0.20
यू टी जी 2866	26 जुलाई 1974	अभी तक अनिर्णित	11 सितम्बर, 1977	1.26	0.15

बस की पंजीकृत संख्या	दुर्घटना की तिथि	क्या न्यायालय द्वारा मामले पर निर्णय दिया गया	नीलाम की तिथि	दुर्घटना के समय ह्रस्व मूल्य (लाख रुपयों में)	नीलामी की धनराशि
यू टी जी 2940	20 जून 1974	अभी तक अनिर्णित	नीलामी नहीं की गई किन्तु 0.30 लाख रुपये की लागत से अक्टूबर 1977 में पुनर्उद्धार किया गया	1.26	

हरजाने की राशि पता लगाकर निजी ट्रकों के मालिकों पर दावा नहीं किया गया (मार्च 1982) क्योंकि वास्तविक क्षति का विवरण उप-कार्यालयों से प्रतीक्षित था (मार्च 1982)।

(घ) पथ-कर को वापस लेने में विलम्ब

एक गाड़ी का तीन महीने की अवधि के लिये अग्रिम में दिया गया पथ-कर असमाप्त पूरे महीनों के लिये वापसी योग्य है यदि उसका टोकन उसी महीने जिसमें कि वह पथ से हटी थी, क्षेत्रीय यातायात अधिकरण को समर्पित कर दिया जाता है। 368 बसों की (जिनके टोकन 1971 से 1980 के मध्य समय से समर्पित कर दिये गये थे) पथ-कर की वापसी प्राप्त नहीं की गई थी (मार्च 1982)।

13.05.08. कार्यशाला

(क) बसों के रख रखाव में विलम्ब

(i) क्षेत्रीय कार्यशाला

दैनिक रख-रखाव (एक लाख किलोमीटर चलने पर) के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला को भेजी गई बसों के लिये 30 दिन की अवधि के बाद परिचालन हेतु पथ पर भेजना होता है (रोडवेज मैन्युअल के अनुसार)। इसके विरुद्ध, 1980–81 तक की तीन वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई 99 बसों के लिये 43 से 324 तक दिन लगे। इन असाधारण विलम्ब के कारण ट्रिपों में कटौती हुई जिसके परिणामस्वरूप निगम को हानि हुई। प्रबन्धकों ने इसके निम्नलिखित कारण बताये (जून 1981):

—निगम के केन्द्रीय कार्यशाला व केन्द्रीय भण्डार कानपुर से कलपुर्जों व असैम्बलीज का प्राप्त न होना; और

—कलपुर्जों के स्थानीय क्रय करने की लम्बी एवं कठिन विधि

(ii) डिपो कार्यशालायें

एक डिपो कार्यशाला में 32000 किलोमीटर चल चुकी बसों के रख-रखाव के लिये 7 दिन के मानक के विरुद्ध, 1978-79 से 1980-81 की अवधि में प्रति बस लिया गया समय मेरठ डिपो कार्यशाला में 11 से 265 दिन, मुजफ्फरनगर डिपो कार्यशाला में 11 से 210 दिन, सोहराबगेट डिपो कार्यशाला में 11 से 56 दिन और रुड़की कार्यशाला में 18 से 138 दिन तक था।

इस विलम्ब के लिये मुख्य कारण कलपुर्जों का उपलब्ध न होना बताया गया था (जून 1981)।

(ख) अपरिपक्व असफलता

(i) इंजिन

नये इंजिन और रीकन्डीशन्ड इंजिन के लिये निर्धारित क्रमशः 2.5 लाख किलोमीटर व एक लाख किलोमीटर के मानक के विरुद्ध 1980–81 तक के तीन वर्षों में किया गया वास्तविक किलो-

मीटर निम्न मामलों में बहुत ही कम था:

चलने के पश्चात् उतारे गये इंजनों की संख्या

वर्ष	श्रेणी	0.5 लाख कि मी से कम	0.5–1 लाख कि मी	1–1.5 लाख कि मी	1.5–2 लाख कि मी	2–2.5 लाख कि मी
1978–79	नये	..	..	1	14	43
	रीकन्डीशन्ड	43	65	18	7	..
1979–80	नये	..	..	10	3	7
	रीकन्डीशन्ड	119	95	40	6	..
1980–81	नये	..	..	1	2	3
	रीकन्डीशन्ड	45	49	33	3	..

अपरिपक्व असफलता के कारणों की जांच प्रबन्धकों द्वारा की गयी (मार्च 1982)। फर्म द्वारा नये इन्जनों की बदली या मरम्मत निःशुल्क कर दी गई। किन्तु रीकन्डीशन्ड इन्जनों को निगम के केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में भेज दिया गया।

(ii) टायर व बैट्रियां

टायर

टायरों की अपरिपक्व असफलता की स्थिति उनके निर्धारित जीवनकाल (नये टायर 0.80 लाख कि मी, रीट्रीडिड टायर 0.30 लाख कि मी) के विरुद्ध निम्न अनुसार थी:

वर्ष	श्रेणी	चल चुकने के बाद उतारे गये टायरों की संख्या			
		0.20 लाख कि मी से कम	0.20–0.40 लाख कि मी	0.40–0.60 लाख कि मी	0.60–0.80 लाख कि मी
1978–79	नये	64	181	260	1061
	रीट्रीडिड	636	161	50	12
1979–80	नये	53	243	275	965
	रीट्रीडिड	426	528	22	15
1980–81	नये	60	268	276	975
	रीट्रीडिड	1204	248	45	6

यह बताया गया था कि यदि अपरिपक्व असफलता चालक की गलती से हुई तो उसकी वसूली के लिये चालक पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। फिर भी, किसी चालक को दोषी नहीं पाया गया।

बैट्रियां

1980–81 तक की तीन वर्ष की अवधि में 12 महीने के निर्धारित जीवन काल के विरुद्ध जो बैट्रियां निर्धारित जीवनकाल बिताने से पूर्व ही उतार ली गईं, उनका विवरण निम्न है:

सेवा करने के उपरांत उतारी गई बैट्रियों की संख्या

वर्ष	3 मास से कम	3–6 मास	6–9 मास	9–12 मास
1978–79	12	20	25	14
1979–80	10	14	9	24
1980–81	3	9	9	11

बैट्रियों की अपरिपक्व असफलता के सम्बन्ध में बताया गया कि इन्हें फर्मो से बदलवा लिया गया था। ऐसी 160 बैट्रियों में से केवल दो बैट्रियां ही अभी तक बदलवाई गई थीं (मार्च 1982)।

(ग) बेकार घोषित गाड़ियों के नीलामी में विलम्ब

तीन जीपें (पूर्ण ह्रसित) जिनको क्षेत्र की गाड़ियों को बेकार घोषित करने वाली समिति ने नीलाम करने के लिये बेकार घोषित कर दिया था (मार्च / सितम्बर 1978) अभी तक (मार्च 1982) क्षेत्रीय कार्यशाला में पड़ी हुई थी क्योंकि प्रबन्ध द्वारा मुख्यालय कार्यालय लखनऊ से मांगी गई उनके नीलाम की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 1982)।

13.05.09. भण्डार

(क) कमियां

क्षेत्रीय भण्डार मेरठ में सहायक भण्डारी के विरुद्ध पहली मई 1966 को क्षेत्रीय भण्डार का कार्यभार सौंपते समय 0.78 लाख रुपये की (0.58 लाख रुपये मरसडीज कलपुर्जे व 0.20 लाख रुपये कार के कल पुर्जे) कमियां पाई गई थीं। उसे जून 1967 में निलम्बित किया गया, लगभग तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् फरवरी 1970 में आरोपित किया गया और अनन्तिम रूप से अक्टूबर 1971 में बहाल कर दिया गया। उसे कमियों (0.78 लाख रुपये) के लिये दोषी पाया गया (फरवरी 1980), प्रबन्धकों द्वारा वसूली के लिये की गई कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मार्च 1982)।

(ख) इंजिन तेल की कमियां

भारतीय तेल निगम दिल्ली से 26 अप्रैल 1974 को 44294 लीटर इंजिन तेल की सुपुर्दगी लेने के पश्चात्, भण्डार अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यशाला उसे किराये के चार टैन्करों में मेरठ लाये और अपनी उपस्थिति में उसे 200 पीपों में स्थानान्तरित करवाया। जब स्थानान्तरण पूरा हुआ तब केवल 41390 लीटर तेल ही पाया गया था। कर्मचारी को 2904 लीटर तेल की कमी (मूल्य 0.21 लाख रुपये) के लिये निगम के महा प्रबन्धक द्वारा निलम्बित कर दिया गया (जून 1974)। जांच अधिकारी (क्षेत्रीय प्रबन्धक, देहरादून क्षेत्र) के प्रतिवेदन (जुलाई 1976) के अनुसार भण्डार अधीक्षक को आरोप के लिये दोषी पाया गया जिसे उसने भी स्वीकार किया। फिर भी उसे दूसरी जुलाई 1977 को मुख्यालय कार्यालय के आदेशानुसार बहाल कर दिया और निगम की केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर को 16 अगस्त 1977 को स्थानान्तरित कर दिया। कम पाये गये इन्जिन तेल के मूल्य को वसूली के लिय कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 1982)।

प्रबन्धकों द्वारा बताया गया (जून 1981) कि क्षतिपूर्ति का दायित्व निर्धारण करने का प्रश्न मुख्यालय कार्यालय में निर्णयाधीन था।

13.05.10. लेखा

(क) सामान्य

(i) टिकिट खिड़कियों और मार्ग में परिचालकों द्वारा बेचे गये टिकटों के सार बनाये जाकर उनका मुख्य रोकड़ बही और दैनिक गाड़ी विवरण के साथ समाधान नहीं किया जा रहा था।

(ii) अनुबन्धित गाड़ियों के बिलों की निर्गत होने से पूर्व जांच नहीं की जा रही थी।

(iii) क्षेत्रीय/डिपो कार्यशालाओं द्वारा क्षेत्रीय भण्डार को भेजे गये पुराने किन्तु उपयोगी कलपुर्जों का अभिलेख नहीं रखा जा रहा था।

(iv) भण्डार की एक ही नाम की विभिन्न विशिष्टियों और मापों की वस्तु के लिये भण्डार लेजर में अलग-अलग दुपन्ने (फोलियो) नहीं खोले गये।

(ख) कार्यशाला

(i) श्रम उपयोगिता का जाब-वार दैनिक अथवा साप्ताहिक अभिलेख बनाया नहीं गया।

(ii) गाड़ी पर लगाये गये अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य का विवरण गाड़ीवार नहीं रखा गया था।

(iii) गाड़ियों की मरम्मत व रख-रखाव के जाब-कार्ड्स को बिना लागत लेखा के बन्द कर दिया गया।

(iv) कार्यशालाओं में हर कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की डायरियां नहीं रखी गईं।

(ग) आन्तरिक सम्परीक्षा

आंतरिक सम्परीक्षा में जांच की अवधि एवं मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था। आन्तरिक सम्परीक्षा कब तक की जा चुकी है, इसका कोई अभिलेख नहीं था। सोहरावगेट डिपो, क्षेत्रीय कार्यशाला, क्षेत्रीय भण्डार, डिपो कार्यशालायें व क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालयों का निरीक्षण मार्च 1981 तक के तीन वर्षों में एक बार भी नहीं किया गया था।

ठेके, निजी गाड़ियों के किराये पर लेने आदि महत्वपूर्ण कार्यों को आंतरिक सम्परीक्षा के अधीन नहीं लाया गया।

13.05.11. विविध

जनशक्ति का विश्लेषण

(i) कर्मचारियों की स्थिति

1980–81 तक के तीन वर्षों की समाप्ति पर क्षेत्र के कर्मचारियों (दैनिक दर से भुगतान पाने वाले कर्मचारी सम्मिलित) की स्थिति निम्न प्रकार थी :

विवरण	31 मार्च को		
	1979	1980	1981
ट्रैफिक कर्मचारी	320	317	312
चालक और परिचालक (ट्रकों, टैक्सियों व स्टाफ कारों के ड्राइवरों को छोड़कर)	1078	1160	1225
रख-रखाव कर्मचारी	425	430	427
प्रशासनिक कर्मचारी व अन्य	325	355	364
पथ पर कुल बसों की संख्या			
निगम	264	264	282
निजी	32	71	95
	296	335	377
बस-कर्मचारी अनुपात:			
(i) ट्रैफिक कर्मचारी (निगम व निजी बसें)	1.08	0.95	0.83
चालक (केवल निगम की बसें)	2.00	2.01	1.88
परिचालक (निगम व निजी बसें)	1.85	1.88	1.85
(ii) रख-रखाव कर्मचारी (केवल निगम की बसें)	1.61	1.63	1.51
(iii) प्रशासनिक कर्मचारी व अन्य (निगम व निजी बसें)	1.10	1.06	0.97

(ii) परिचालन कर्मचारियों की उत्पादकता

1980–81 तक के तीन वर्षों में प्रत्यक्ष परिचालन कर्मचारियों की उत्पादकता निम्नांकित थी:

वर्ष	परिचालित कुल किलोमीटर* (लाखों में)	प्रत्यक्ष परिचालन कर्मचारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी परिचालित किलोमीटर
1978–79	233.04£	1398	16670
1979–80	230.55	1477	15609
1980–81	231.38	1537	15054

प्रबन्धकों के अनुसार 1979–80 में मेरठ दिल्ली मार्ग पर सड़क में कटाव और 1980–81 में मुरादाबाद व अलीगढ़ में जन उपद्रव इन वर्षों में पहले के तुलना में कम व्याप्ति व परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी निम्न उत्पादकता के लिये उत्तरदायी थे।

*निष्फल व विभागीय किलोमीटर भी सम्मिलित है।

£हापुड़ डिपो का 30 जून 1978 तक का किलोमीटर सम्मिलित है।

13.05.12. अन्य रोचक विषय

भवन और ढांचे का उपयोग न करना

नलकूप व पाइप लाइन फिटिंग सहित 25 किलोमीटर क्षमता प्रति के दो ओवर हैड टैंक जो निगम के भवन खण्ड द्वारा डिपो वर्कशाप मुजफ्फरनगर (मूल्य:0.63 लाख रुपये) और खतौली (मूल्य:0.65 लाख रुपये) में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में बनाये गये थे, भवन खण्ड द्वारा बिजली की मोटर न लगाये जाने और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से विद्युत् कनेक्शन न मिलने के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सके (मार्च 1982)।

13.06. निष्कर्ष

(i) निगम के मेरठ क्षेत्र में बसों के परिचालन में 1978–79 में 24.61 लाख रुपये से 1979–80 में 17.29 लाख रुपये लाभ का घटना और 1980–81 में 35.28 लाख रुपये की हानि के लिये डीजल के मूल्य और बसों के रख-रखाव के मूल्य में भारी वृद्धि और कर्मचारियों के वेतन और भत्ता के व्यय में वृद्धि के कारण होना बताया गया है।

(ii) गढ़ डिपो में समस्त हानि 1978–79 में 1.13 लाख रुपये से बढ़कर 1980–81 में 5.91 लाख रुपये हो गयी।

(iii) तीन डिपो (मुजफ्फरनगर, सोहराबगेट और गढ़) में 1980–81 तक के तीन वर्षों में अनार्थिक मार्गों से कुल 23.03 लाख रुपये की हानि हुई।

(iv) 1978–79 से 1980–81 के मध्य बसों द्वारा इंजिन तेल के अधिक उपभोग करने के कारण 13.46 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(v) उच्चतम बोली बोलनेवालों द्वारा बोली की शेष धनराशि दस दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करने में असफल होने पर बोली के समय जमा की गई 1.22 लाख रुपये की बयाने की धनराशि जब्त नहीं की गई।

(vi) रुड़की बस स्टेशन पर जलपान गृह चलाने के लिये प्राप्त 12151 रुपये प्रति महीने के द्वितीय उच्चतम प्रस्ताव के स्वीकार करने के बदले 10580 रुपये प्रतिमास (ऊपर लेखन व कांट-छांट करने के बाद द्वितीय उच्चतम प्रस्ताव) का प्रस्ताव स्वीकार किया गया फिर भी ठेकेदार द्वारा जलपान गृह के कब्जा लेने में विलम्ब हुआ क्योंकि उसे पहलेवाला ठेकेदार 6 जुलाई 1979 तक 7700 रुपये प्रतिमास के पुराने दर पर चलाता रहा। अप्रैल 1981 में 14,015 रुपये प्रतिमास की नई बोली स्वीकार करने के पश्चात् पहले वाला ठेका निरस्त किया गया किन्तु पुराने ठेकेदार ने जून 1982 तक परिसर खाली नहीं किया। जून 1982 तक हुई कुल हानि 1.46 लाख रुपये बनती है।

(vii) क्षेत्रीय व डिपो कार्यशालाओं में गाड़ियों की मरम्मत में विलम्ब हुआ ।

(viii) 1966 में भण्डार में कमी (0.78 लाख रुपये) के लिये उत्तरदायी सहायक भण्डारी के विरुद्ध प्रबन्धकों ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

(ix) अप्रैल 1974 में इंजिन तेल (0.21 लाख रुपये) की हानि के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया ।

(x) डिपो कार्यशाला मुजफ्फरनगर (0.63 लाख रुपये) और खतौली (0.65 लाख रुपये) पर बने नलकूपों का उपयोग बिजली की मोटर व बिजली का कनेक्शन न लगने के कारण नहीं हो सका ।

13.07. एलुमिनियम कतरन की बिक्री में हानि

ऐलेन फारेस्ट कार्यशाला कानपुर में हुए एक नीलाम में (11 जून 1979) 60 मीटरी टन एलुमिनियम कतरन की बिक्री बरेली की "ए" फर्म को 12225 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर की गई थी। बिक्री की शर्तों के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने के चालीस दिन के अन्दर माल उठा लेना था और छः ढेरियों (लाट) में 60.89 मीटरी टन एलुमिनियम कतरन उठा लेने दी गई (जुलाई से अक्टूबर 1979)।

अगस्त 1978 में प्रकाशित 30 मीटरी टन एलुमिनियम कतरन की आगामी नीलामी 29 अक्टूबर 1979 को की गई जिसमें 15255 रुपये प्रति मीटरी टन की दर स्वीकार की गई ।

19 अक्टूबर 1979 को (अर्थात् आगामी नीलाम की तिथि से 10 दिन पूर्व) फर्म "ए" ने पुराने दर पर और भी 20 मीटरी टन मुक्त करने की प्रार्थना की जिस पर 24 अक्टूबर 1979 को 10 मीटरी टन का मुक्ति आदेश निर्गत कर दिया गया यद्यपि बिना नीलामी के अतिरिक्त मात्रा मुक्त करने के लिये उप-महा प्रबन्धक सक्षम नहीं थे किन्तु फर्म ने 15 मीटरी टन के लिए धनराशि जमा की (24 अक्टूबर 1979) और पृथक मुक्ति आदेश द्वारा अन्य 5 मीटरी टन उठाने के लिये अनुमति प्रदान कर दी गयी (27 अक्टूबर 1979)। माल वास्तव में 27 अक्टूबर 1979 को उठाया गया। 15.89 मीटरी टन अतिरिक्त मात्रा के पुराने दर से मुक्त किये जाने से, जब कि आगामी नीलाम की विज्ञप्ति पहले ही की जा चुकी थी, 0.48 लाख रुपये की हानि हुई ।

मामला निगम/ सरकार को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (जून 1982)।

(एस0 बालाचन्द्रन)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वितीय

इलाहाबाद :

प्रतिहस्ताक्षरित

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :

परिशिष्ट

परि

(संदर्भ पैरा

सरकारी कम्पनियों के कार्यकलापों के

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+)/ हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
1	दि इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1980–81	92.81	(–) 92.86
2	यू0पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1980–81	2103.96	(+) 137.29
3	यू0पी0 डिजिटल्स लिमिटेड*	उद्योग	8 मार्च 1978	1980–81	19.32	(+) 0.06
4	यू0 पी0 इन्स्ट्रूमैन्ट्स लिमिटेड*	उद्योग	1 जनवरी 1975	1980–81	146.24	(–) 49.12
5	यू0पी0 एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1980–81	281.91	(–) 4.54
6	भदोही वूलेन्स लिमिटेड*	उद्योग	14 जून 1976	1980–81	132.70	(–) 26.80
7	यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1980–81	4338.23	(+) 321.64
8	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कंपनी (नं0 I) लिमिटेड*	उद्योग	20 अगस्त 1974	1980–81	2352.77	(+) 181.25
9	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कंपनी (नं0 II) लिमिटेड*	उद्योग	20 अगस्त 1974	1980–81	0.01	..

शिष्ट "क"

1.02 पृष्ठ 2)

संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
2.96	..	(−) 92.86	..	87.26	(−) 89.90	..
28.73	28.47	165.76	7.9	2094.30	166.02	7.9
1.00	1.00	1.06	5.5	15.94	1.06	6.6
10.93	7.44	(−) 41.68	..	10.90	(−) 38.19	..
16.89	9.32	4.78	1.7	289.02	12.35	4.3
18.42	12.45	(−) 14.35	..	64.55	(−) 8.38	..
73.27	71.98	393.62	9.1	2568.68	394.91	15.4
77.71	77.00	258.25	11.0	1551.26	258.96	16.7
..	..	..	..	(−) 0.80	..	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
10	यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कार्पो-रेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1980–81	10073.30	(–) 245.65
11	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ यू0 पी0 लमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1980–81	4173.91	(–) 2.80
12	यू0पी0 स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमि-टेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1980–81	80.58	(–) 3.71
13	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	28 दिसम्बर 1972	1980–81	838.61	(+) 1.98
14	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1980–81	45.00	(–) 0.56
15	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1980–81	108.40	( ) 0.59
16	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1980–81	108.49	(+) 3.97
17	हरिजन एवंम निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज ल्याण	25 जून 1976	1980–81	36.60	(–) 1.98
18	यू0पी0 राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	शक्ति	25 अगस्त 1980	1980–81	215.00	..
19	यू0पी0 (पूर्व) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1980–81	14.89	(+) 0.64

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

"क" (जारी)

8	9	10	11	12	13	14
21.27	0.82	(–)244.83	..	2274.10	(–)224.38	..
96.63	96.63	93.83	2.2	3839.26	93.83	2.4
0.04	0.04	(–)3.67	..	149.73	(–)3.67	..
..	..	1.98	0.2	514.57	1.98	0.4
0.11	..	(–)0.56	..	49.83	(–)0.45	..
0.14	0.14	(–)0.45	..	107.47	(–)0.45	..
..	..	3.97	3.7	108.39	3.97	3.7
..	..	(–)1.98	..	33.80	(–)1.98	..
..	..	..	..	14.71	..	..
15.27	..	0.64	4.3	223.26	15.91	7.1

परि

1	2	3	4	5	6	7
20	यू0पी0 (रुहेल-खण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1980–81	29.60	(+) 6.94
21	यू0पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1980–81	24.64	(+) 1.57
22	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवम् गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर 1974	1980–81	50.00	(–) 0.57
23	यू0पी0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	27 अक्टूबर 1979	1980–81	40.37	..
24	यू0पी0 चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1980–81	310.30	(–) 7.09
25	यू0पी0 इलैक्ट्रा-निक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1980–81	506.26	(+) 27.97
26	अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड*	उद्योग	13 मार्च 1978	1980	91.34	..
27	अपट्रान वीडियो लिमिटेड*	उद्योग	18 अक्टूबर 1979	1980	0.25	..
28	अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमि-टेड*	उद्योग	18 मई 1979	1980	78.70	(+) 0.20
29	अपट्रान इन्ट्रू-मेन्ट्स लिमिटेड*	उद्योग	15 नवम्बर 1979	1980	8.00	(–) 1.79
30	अपट्रान पावर-ट्रानिक्स लिमिटेड*	उद्योग	30 अप्रैल 1977	1980	44.56	(+) 0.82
31	यू0पी0 स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	26 मार्च 1971	1980–81	4156.60	(–) 568.08

शिष्ट "क" (जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों मे हैं)

8	9	10	11	12	13	14
12.34	..	6.94	23.4	224.65	19.28	8.6
28.30	..	1.57	6.4	344.44	29.87	8.7
..	..	(–) 0.57	..	45.23	(–) 0.57	..
..	..	..	..	39.00	..	..
3.96	3.96	(–) 3.13	..	246.01	(–) 3.13	..
..	..	27.97	5.5	358.60	27.97	7.8
..	..	..	..	82.23	..	..
..	..	..	..	0.01	..	..
3.28	3.20	3.40	4.3	134.64	3.48	2.6
0.05	..	(–) 1.79	..	9.82	(–) 1.74	..
4.58	2.15	2.97	6.7	65.85	5.40	8.2
563.58	303.48	(–) 264.60	..	890.42	(–) 4.50	..

परि

1	2	3	4	5	6	7
32	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड*	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1980–81	685.26	(+) 29.27
33	चांदपुर शुगर कंपनी लिमिटेड*	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1980–81	656.60	(+) 111.44
34	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड*	चीनी उद्योग	17 फरवरी 1972	1980–81	564.39	(–) 33.01
35	नन्दगंज सिंहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड*	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1980–81	1451.60	(–) 221.35
36	यू0पी0 स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	13 जून 1958	1980–81	526.90	(+) 46.98
37	यू0पी0 पोटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड*	उद्योग	28 जून 1972	1975–76	16.48	..
38	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड*	उद्योग	14 दिसम्बर 1973	आरम्भ से मार्च 1975 तक	4.82	..
39	यू0पी0 स्टेट मिनरल डैवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च 1974	1979–80	542.44	(+) 2.82
40	यू0पी0 कार्बाइड एण्ड केमीकल्स लिमिटेड*	उद्योग	23 अप्रैल 1979	1980–81	269.17	..
41	यू0पी0 स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1979–80	151.92	(+) 3.11
42	यू0पी0 सिडियूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डैवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवम् समाज कल्याण	25 मार्च 1975	1979–80	335.47	(–) 22.24
43	यू0पी0 (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1979–80	16.45	(+) 3.17

शिष्ट "क" (जारी) (कालम 6 से 10, 12 और 13 क आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
63.86	50.20	79.47	11.6	453.74	93.13	20.5
70.16	49.11	160.55	24.5	475.99	181.60	38.2
109.66	57.51	24.50	4.3	71.19	76.65	107.7
127.56	115.23	(–) 106.12	..	672.70	(–) 93.79	..
60.04	33.63	80.61	15.3	1076.71	107.02	9.9
..	..	..	..	2.89	..	..
..	..	..	..	4.50	..	..
..	..	2.82	0.5	314.19	2.82	0.9
..	..	..	..	119.43	..	..
3.69	0.90	4.01	2.6	181.11	6.80	3.8
1.59	..	(–) 22.24	..	344.56	(–) 20.65	..
13.57	..	3.17	19.3	159.69	16.74	10.5

परि

1	2	3	4	5	6	7
44	यू0पी0 भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1978	1979–80	117.54	(+)2.30
45	यू0पी0 पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24 अप्रैल 1973	1979–80	101.45	(+)3.40
46	लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी 1976	1979–80	54.26	(–)0.28
47	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1979–80	229.82	(+)6.21
48	ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड*	पर्वतीय विकास	29 नवम्बर 1973	1979–80	69.47	(–)1.67
49	नार्दर्न इलक्ट्रिकल इक्युपमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड*	पर्वतीय विकास	29 जनवरी 1974	1974–75	0.05	..
50	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड*	पर्वतीय विकास	24 नवम्बर 1973	1979–80	7.79	(–)3.30
51	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटड	हरिजन एवम् समाज कल्याण	2 अगस्त 1975	1978–79	30.00	(–)0.77
52	यू0पी0राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	1 मई 1975	1978–79	121.96	(–)161.43
53	यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटड	कृषि	29 मार्च 1967	1978–79	795.13	–)130.65
54	यू0पी0 स्टेट फूड एण्ड इसेनसियल कमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवम् रसद	22 अक्टूबर 1974	1978–79	56.11	9.31

शिष्ट "क" (जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में ह)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	2.30	2.0	117.33	2.30	2.0
0.17	0.17	3.57	3.5	101.45	3.57	3.5
..	..	(–) 0.28	..	53.71	(–) 0.28	..
6.56	5.57	11.78	5.1	203.63	12.77	6.3
7.87	7.23	5.56	8.0	67.64	6.20	9.2
..	..	..	..	(–) 0.92	..	..
0.30	..	(–) 3.30	..	18.45	(–) 3.00	..
1.50	1.50	0.73	2.4	27.44	0.73	2.7
2.23	..	(–) 161.43	..	(–) 3.80	(–) 159.20	..
..	..	(–) 130.65	..	1075.36	(–) 130.65	..
1.57	..	9.31	16.6	56.01	10.88	19.4

परि

1	2	2	4	5	6	7
55	मुरादाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1977	1977–78	20.42	0.79
56	यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सावजनिक निर्माण	18 अक्टूबर 1972	1977–78	354.93	(+) 12.43
57	यू0पी0 स्टेट टूरिज्म डेवलप-मेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	5 अगस्त 1974	1977–78	82.32	(+) 0.31
58	यू0 पी0 बुन्देल-खण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1971	1976–77	86.34	(–) 7.36
59	बुन्देलखण्ड कान्क्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड*	क्षेत्रीय विकास	2 मार्च 1974	1978–79	2.54	(–) 0.01
60	यू0पी0 टेक्स-टाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड*	उद्योग	5 दिसम्बर 1975	1978–79	17.51	(+) 3.12

टिप्पणी —(i) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की

(ii) नियोजित पूंजी (क्रमांक 2, 11 और 46 की कम्पनियों को छोड़कर) निबल चालन पूंजी की द्योतक है ।

(iii) क्रमांक 2, 11 और 46 की कम्पनियों के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी, (i) प्रदत पूंजी करते हुए उधार और (v) जमाओं के प्रारम्भ और अंत के शेषों के कुल जोड़ के मध्ययान

(iv) क्रमांक 9, 18, 23, 26, 27 और 40 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है।

* सहायक कम्पनियां इंगित करता है ।

शिष्ट "क" (समाप्त)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	0.79	3.9	20.22	0.79	3.9
3.49	3.49	15.92	4.5	326.51	15.92	4.9
0.18	..	0.31	0.4	82.27	0.49	0.6
0.07	..	(–)7.36	..	68.00	(–)7.29	..
..	..	(–)0.01	..	1.75	(–)0.01	..
..	..	3.12	17.8	17.24	3.12	18.1

द्योतक है ।

स्थायी परिसंपत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) और कार्य

(ii) बाण्ड और डिबैन्चर, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुन: वित्त को सम्मिलित

की द्योतक है ।

परि

(सन्दर्भ : पैराग्राफ

सांविधिक निगमों के कार्य-कलापों के

(कालम 6 से 10;

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+) / हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(क) उत्तर प्रदेश राज्य	
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1980–81	257325.31	(+)2607.29
					(ख) अन्य सांविधिक	
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1980–81	8963.90	(+)174.14
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19 मार्च 1958	1980–81	2258.61	(+)103.49
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 जून 1972	1977–78	4990.97	(–)36.01

टिप्पणी— (1) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की

(2) नियोजित पूंजी (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल स्थायी परि-

(3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी, (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) सम्मिलित करत हुए उधार, (v) जमा, और (vi) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के कुल जोड़ के मध्यमान की द्योतक है।

शिष्ट "ख"

6.01 पृष्ठ 61)
वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
विद्युत परिषद्						
13912.55	13912.55	16519.84	6.4	186899.16	16519.84	8.8
निगम						
414.92	414.92	589.06	6.6	7909.77	589.06	7.4
81.68	81.68	185.17	8.2	2199.73	185.17	8.4
418.52	383.64	347.63	7.0	4917.69	382.51	7.8

द्योतक है ।
संपत्तियों और कार्यचालन पूंजी की द्योतक है ।
बाण्ड और डिबेन्चर, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को
के रूप में दी गई विशेष योजनाओं के लिए निधि के प्रारम्भ और अन्त के शेषों

पी0एस0यू0पी0 - ए0पी0 4 महालेखाकार--19-1-83 (3289)--1983--1750 (मैग0)